

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

विषय सूची

भाग 1	
अध्याय 1	
प्रयुक्ति की सीमायें	
1. लागू होने की तारीख 2. प्रयुक्ति की सीमा 3. मूल नियमों का क्षेत्र 4. मूल नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी 5, 5-A (विलोपित) 6. शक्तियों का प्रत्यायोजन 7. मूल नियमों के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में वित्त विभाग की सहमति 8. मूल नियमों की व्याख्या की शक्ति	
अध्याय 2 - परिभाषायें	
9. परिभाषाएँ	
भाग 2	
अध्याय 3 - सेवा की सामान्य शर्तें	
10. प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र 10-A नियम निर्माण नियंत्रण के अधीन आने वाले शासकीय सेवकों के प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियम 11. सेवा की सामान्य शर्तें 12. एक ही पद पर दो या दो से अधिक शासकीय सेवकों की नियुक्ति 12-A धारणाधिकार का अर्जन 13. धारणाधिकार का धारण 14. धारणाधिकार का निलंबन 14-A. धारणाधिकार का निलंबन (ऐच्छिक/अनिवार्य) 14-B. धारणाधिकार का स्थानान्तरण 15. कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण 16. भविष्य एवं अन्य निधियाँ 17. तिथि जब से वेतन एवं भत्ते प्रभावशाली होंगे 17-A. अनधिकृत गैर हाजिरी- क्या मानी जावे 18. लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव	
शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/ अनधिकृत अवकाश अनुशासनिक कार्यवाही राज्य शासन आदेश	सा.प्र.वि.क्र.सी-1-6-38/92 3/1, दि. 5.9.9.2
शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/अनधिकृत अवकाश अनुशासनिक कार्यवाही राज्य शासन आदेश	सा.प्र.वि.क्र./62/1464/1(3)/ 79, दि, 28.180

शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/अनधिकृत अवकाश अनुशासनिक कार्यवाही राज्य शासन आदेश	सा.प्र.वि. क्र.सी-3-1/90/3/49, दि. 19.7.90
Dies-non समयावधि	वित्त विभाग क्र. एफजी.-3-3- 94-सी- चार, दि. 20-12-94
शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही	सा.प्र.वि. सी-6 3/2000/3/1 दि. 2-2-2000
अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही	सा.प्र.वि.क्र. सी-6-6/2000/ 3/1 दिनांक 16.8.2000
भाग तीन अध्याय 4 - वेतन	
19. प्रारम्भिक वेतन निर्धारण की शक्ति 20. वेतन कब कर्तव्य पर समझा जाएगा 21. समयमान वेतन.- राज्य सचिव द्वारा स्वीकृत वेतनमान पर समयमान नियम लागू नहीं होता 22. समयमान वेतन वाले पदों पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन 22-A. वेतन निर्धारण 22-B. वेतन निर्धारण 22-C. परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण	
शासकीय सेवकों की अन्य पदों में सीधी भर्ती से नियुक्त करने की कार्यप्रणाली तथा वेतन निर्धारण	सा.प्र.वि.क्र.3/15/74/3/1 दि.9.12.74
परिवीक्षाकाल पर नियुक्ति शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में	सा.प्र.वि.क्र. 3-6/77/3-1 दि. 30.5.77
म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 के संशोधन	सा.प्र.वि.क्र.288/636/1(3)/79 दि. 6.6.79
मूल नियम 22 सी के अतर्गत वेतन निर्धारण	सा.प्र.वि.क्र. 147/380/1(3)/80 दि. 31.3.80
22-D. पदोन्नति पर वेतन निर्धारण	
एक प्रथम श्रेणी पद से उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले अन्य प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति	वित्त. विभाग क्र. एफ. 11- 8/2006/नियम/चार दिनांक 13.10.2006
तदर्थ रूप से नियुक्त पदोन्नति कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में	वि.वि. क्र.2336/21312/81/ नि.1/ चार, दि. 16.10.81
तदर्थ नियुक्ति पर वेतन निर्धारण	वि.वि.क्र. डी-8/621/92/नि.1/ चार, दि. 8.1.93
प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण	वि.वि. क्र. 1490/3116/79/ नि.1/चार, दि. 28.11.79
प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण	वि.वि.क्र. एफ.ए.1-2/79/ नि.1/चार दि. 30.12.81
वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण	वि.वि. क्र. एफ 8/01/2006/

	नियम/4, दि. 28.2.2006
कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों की पदोन्नति पर मूल नियम 22-डी के अनुसार वेतन निर्धारण पदोन्नति पर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति	वि.वि. क्र.693/1182/नि.1/85 दि. 1.7.85
पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति	वि.वि. क्र. डी-386/684/87/ नि.1/चार दि. 25.7.87
उच्चतर कर्तव्य और उत्तरदायित्व के असंवर्गीय पदों पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण	वि.वि. क्र. 262/1516/98/सी /चार दि. 9.2.99
क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण बाबत	वि.वि.क्र. 775/2834/98/सी /चार दि. 24.4.99
प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने पर मूल नियम डी का लाभ दिये जाने बाबत	स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ. 7/17/2000/20-4, दि. 1.7.2000/4.7.2000
मूल नियम 22-डी का स्पष्टीकरण	वि.वि. क्र. एफ. 1-5/97/ 2007/नियम/चार दि. 9.4.2007
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति पर वेतन नियतन	
म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन नियतन संबंधी स्पष्टीकरण	म.प्र. शासन. वित्त विभाग क्र. एफ. 8/2009/नियम/चार, दिनांक 25.5.2009
सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति पर वेतन निर्धारण	वि.वि. क्र. ई-4/79/नि.5/चार दि. 20.10.84
सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति	क्र. सी-3-33/49/3/89 दिनांक 23.12.1989
उपरोक्तानुसार	क्र.सी-3-19/2010/1/3 दिनांक 6.10.2010
समान ग्रेड पे में उच्च उत्तरदायित्व के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध में	क्र. 8-5/11/1176/2011/नि /चार, दिनांक 31.12.2011
23. जब किसी पद का वेतन परिवर्तित हो	
24. वार्षिक वेतनवृद्धि	
25. दक्षतावरोध पार करने की अनुमति दिनांक 1 जुलाई से वेतनवृद्धि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के संबंध में स्पष्टीकरण	क्र. एफ-8/2009/ नियम/चार, दिनांक 23.3.2009
26. वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाने वाली सेवा	
क्रमोन्नत वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि	वि.वि. क्र. 1343/1985/सी/ चार, दि. 30.6.2000
27. वेतनमान में समय पूर्व वेतनवृद्धियाँ	
वेतनमान में समय से पहले वेतनवृद्धि	वि.वि. क्र. जी 30/1/95/सी /चार, दि. 30.12.95

शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नि द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में	सा.प्र.वि. क्र. सी-3/9/2001/1/3, दि.25.7.2001/7.8.2001
डिग्री डिप्लोमा के संदर्भ में अग्रिम वेतन वृद्धि	सा.प्र.वि. क्र. सी.3/4/2004/3/एक, दि. 14.9.2006
अर्हता प्राप्त निम्न श्रेणी लिपिकों/मुद्रलेखकों को अग्रिम वेतन वृद्धि	सा.प्र.वि.क्र. 509/सी आर./52/1/3, दि.17.6.1969
लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि	वि.वि. क्र. 1000/1910/नि.3/चार/91.दि. 11.7.91
लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि	वि.वि.क्र. एफ. /74/6304/नि.3/चार/91, दि. 6.1.1992
म.प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां	वि.वि. क्र. 538/4632/नि.3/चार, दि. 22.2.89
न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी को प्रोत्साहन स्वरूप वेतन वृद्धि	सा.प्र.वि.क्र.सी3-6/98/3/1 दि. 27.3.1998
28. नियम पद/श्रेणी में प्रत्यावर्तन पर वेतन 29. कदाचार या अयोग्यता के कारण निम्न पद पर पदावनते होने पर वेतन वृद्धि के लिये पूर्व सेवा की गणना 29 क. आदेश निरस्त होने पर वेतन निर्धारण 30. स्थाना पत्र शासकीय सेवक को बढ़ा हुआ वेतन स्थाना पत्र शासकीय सेवक का वेतन 31. जब शासकीय सेवक का स्थाना पत्र वेतन मौलिक वेतन से कम हो 31 क. गलत पदोन्नति पाये जाने पर वेतन निर्धारण 32. निरस्त 33. पद का स्थानापत्र वेतन जिसका वेतन वैयक्तिक है 34. निरस्त 35. स्थानापन्न वेतन निचली दर पर निर्धारित करने की शक्ति 36. शासकीय सेवक जो प्रशिक्षण इत्यादि पर है के स्थान पर स्थानापत्र पदोन्नति 37. वैयक्तिक वेतन समाविष्ट होगा 38. विधान मंडल के शासकीय सदस्यों का वेतन 39. अस्थायी पद का वेतन जो ऐसे व्यक्ति से भरा गया है जो पहले से शासकीय सेवा में नहीं है 40. अस्थायी पद का वेतन जो शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति से भरा गया है 41. निरस्त 42. निरस्त 43. भारतीय सिविल सेवा के सदस्य अथवा सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी को निर्वाह अनुदान	
अध्याय 5 वेतन के अतिरिक्त	
44. क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी	
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण	क्र. एफ-11-12/2010/नियम /चार, दि. 1-9-2012

म.प्र. शासन के नई दिल्ली में पदस्थ कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता	वि.वि. क्र. एफ 4-1/2007/नियम/चार दि. 19.2.2007
गृह भाड़ा भत्ता	आदेश दिनांक 16.4/487
गृह भाड़ा भत्ता	आदेश दिनांक 15.8.87
गृह भाड़ा भत्ता-शासन स्पष्टीकरण	वि.वि. क्र. एफ.बी. 11/1/87 /नि. 2/चार दि. 21.12.87
गृह भाड़ा भत्ता-शासन स्पष्टीकरण	वि.वि. क्र. एफ.बी. 11/1/89/ नि-2/चार दि. 20.6.89
गृह भाड़ा भत्ता-शासन स्पष्टीकरण	वि.वि. क्र. एफ.बी. 11/1/89 /नि-2/ चार दि. 24.3.90
अनुसूचित क्षेत्र भत्ता	वि.वि.क्र. एफ.4/6/2002/ नियम/चार दि. 22.9.2003
अनुसूचित क्षेत्र भत्ता	आदेश दि. 25.1.86
शासकीय कर्मचारियों को वाहन भत्ते की स्वीकृति	क्र. सी-2-1/3/2012 दिनांक 11.9.2012
निगम/मंडल के कर्मचारियों को वाहन भत्ता	समाज कल्याण विभाग क्र.डी-4089/1567/26-2/83. दि. 3.8.83
विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता	समाज कल्याण विभाग क्र. 1190/ एफ-3/153/94/26-1
वाहन भत्ते की संशोधित दरें	समाज कल्याण विभाग क्र. एफ. 3-14/2004/26-2
विकलांगता के बारे में स्पष्टीकरण	समाज कल्याण विभाग क्र. 2249/244/26-2 दिनांक 4.9.2004
चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता	गृह(सामान्य) वि.क्र. एफ 4-4/93/दो-ए(3) दि. 4.12.93
पटवारियों की स्टेशनरी भत्ता	वि.वि. क्र. एफ.आर. 17/03 /चार/ब.9/97 दि. 4.6.1997
साइकिल भत्ता	वि.वि. क्र. डी. 305/910/89 नि.1/चार दि.1.8. 89
दफ्तरियों को विशेष वेतन	वि.वि.क्र. 372/109/197/सी/ चार दि 4.3.97
चिकित्सकों को अव्यवसायी भत्ता	चिकि. शिक्षा विभाग क्र. एफ, 1-24-98/पचपन/चि. शि.-एक दि. 2.9.98
चिकित्सकों को अव्यवसायी भत्ता	चिकि. शिक्षा विभाग क्र. एफ.

		1-25-98/55/चि.शि./ एक दि. 5.7.99
45. शासकीय आवासों की व्यवस्था 45-A. लायसेंस शुल्क का निर्धारण एवं वसूली 45-B लायसेंस शुल्क का निर्धारण एवं वसूली 45-C लायसेंस शुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ परिलब्धियाँ 46(क) शुल्क (फीस) 46(ख) मानदेय 46(ग) शुल्क तथा मानदेय 46-क. सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को मानदेय अथवा शुल्क 47. मानदेय मंजूर करने के लिए नियम बनाने की शक्ति 48. बिना मंजूरी अतिरिक्त पारिश्रमिक कब स्वीकार्य 48-A. स्थानीय शासन की अनुमति 48-B. कौन सा शासकीय सेवक शासकीय सेवक माना जाएगा 48-C. निरस्त ।		
अध्याय 6 नियुक्तियों का संयोजन		
49. दो अथवा अधिक पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों को वेतन एवं भत्ते		
उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृति के अधिकार		वि.वि. क्र. जी-25/नि-1/सी/चार दि. 28.12.94
अध्याय 7 भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति		
50. शासन की पूर्वानुमति 51. प्रतिनियुक्ति काल में वेतन 51-A. भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर वेतन का आहरण		
अध्याय 8 पदच्युति, पृथक्करण तथा निलंबन		
52. बरखास्त या हटाये गये शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते 53. निलंबनाधीन शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते 53-क निकाल दिया गया है 54. अपील पर बहाल होने पर वेतन एवं भत्ते 54-क. जब बरखास्तगी सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाए 54-ख. बहाल कर दिए जाने पर वेतन भत्ते 55. निलंबित शासकीय सेवक को अवकाश		
शासकीय सेवक को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया		सा.प्र.वि. क्र. 2103/1087/ 1(3) दि. 2.11.70
शासकीय सेवक को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया		सा.प्र.वि.क्र. 32/1090/1(3)/ 70 दि. 11.1.71

शासकीय सेवक को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया	का.प्र.वि.एवं प्र.वि.क्र. 508/323/49/3/89 दि. 24.8.89
अनुशासनिक मामलों में शासकीय सेवक का अनावश्यक निलंबन नहीं करना तथा लघु शास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाना	सा.प्र.वि.क्र. सी-6/1/2003/1/3 दि. 13.1/2005
अध्याय 9 अनिवार्य सेवानिवृत्ति	
56. अधिवार्षिकी आयु	
म.प्र. शासकीय सेवक (अधिवार्षिक आयु) संशोधन अध्यादेश 2007, म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों तथा म.प्र. चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि	वि.वि. क्र. एफ.8/1/2007 नियम/चार दि 25.1.2007
कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पा रहे शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के संबंध में स्पष्टीकरण	वि.वि.क्र. 140/2000/सी/चार दि. 20.1.2000
निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनों की सेवानिवृत्ति आयु	लो.नि.वि.क्र एफ.23/89/ई.19 दि. 20.07.89
निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनो की सेवानिवृत्ति आयु	लो.नि.वि.क्र. एफ/27/6/2000/स्था 19 दि. 19.05.2006/8.6.2006
निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनों की सेवानिवृत्ति आयु	लो.नि.वि.क्र. एफ/27/6/2000/स्था 19 दि. 19.05.2006/8.6.2006
एक नवम्बर अथवा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों (प्राचार्यों से लेकर सहायक शिक्षक तक) को सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकारों का प्रत्यायोजन	स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ.13 5/2004/बीस-1 दि. 13.1.2005
शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारियों/ग्रंथपालों की अधिवार्षिकी आयु	स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ-1-35/07/1-38, दि. 30.12.2008
नर्सिंग संवर्ग की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि	लो.स्वा. एवं प.क.वि.क्र. एफ-18-17/2009/17-मेडो-1, दि. 31.10.2009
57. निरस्त किया गया	
भाग 4 अध्याय 10 - अवकाश	
58 से 104. निकाल दिया गया	
अध्याय 11 - पदग्रहण काल	
105 से 108. निकाल दिया गया	
मध्यप्रदेश सिविल सेवार्य (पदग्रहण काल) नियम, 1982	
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना परिभाषायें	

(क) पदग्रहण काल (ख) स्थानान्तर जब किसी ऐसी सरकार या संगठन में नियंत्रण के अधीन स्थानान्तरण हो जिसने पदग्रहण काल की अवधि विहित करने के लिए अपने नियम बनाये हैं पदग्रहण काल पदग्रहण काल का प्रारंभ तथा देय समय जब कोई शासकीय सेवक पूरे पदग्रहण काल का लाभ उठाये बिना नया पद ग्रहण करे पदग्रहण काल वेतन निर्वचन निरसन	
भाग 7 अध्याय 12 - बाह्य सेवा	
109. विदेश सेवा नियम, प्रयुक्ति का विस्तार 110. शासकीय सेवक को बाह्य सेवा में स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी 111. बाह्य सेवा में स्थानान्तरण कब अनुज्ञेय 112. अवकाश पर रहते बाह्य सेवा में स्थानान्तरण 113. बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक का धारणाधिकार 114. तारीख जिससे बाह्य नियोजक की ओर से वेतन तथा भत्तों का भुगतान देय है 115. अवकाश तथा पेंशन अंशदान का भुगतान 116. अवकाश तथा पेंशन अंशदान की दरें	
शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली	क्र. एफ. 8-2/2004/नियम/चार दिनांक 8.2.2006
शासकीय सेवकों को बाह्य सेवाओं में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की वसूली	क्र. एफ.8-1/2011 नियम/चार दिनांक 21.6.2011
117. पेंशन एवं अवकाश वेतन देने का शासन का दायित्व 118. निरस्त किया गया 119. अवकाश तथा पेंशन अंशदान में छूट तथा विलंब से देय अंशदान पर ब्याज 120. अवकाश तथा पेंशन अंशदान की वापसी 121. बाह्य नियोक्ता से पेंशन अथवा ग्रेच्युटी स्वीकार्य नहीं 122. भारत में बाह्य सेवा के दौरान अवकाश 123. भारत से बाहर विदेश सेवा में गये शासकीय सेवक को अवकाश 124. बाह्य सेवा में शासकीय सेवक का वेतन जब वह शासकीय सेवा में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाए 125. बाह्य सेवा से वापसी की तारीख 126. बाह्य सेवा से वापसी पर वेतन तथा भत्ते 127. नियमित स्थापना जिसकी लागत का भुगतान शासन को किया जाना है	
बाह्य सेवा नियोजन में प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें	क्र. जी-25/25/95/ सी/चार, दिनांक 31.7.1995

प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत	क्र. सी-3-14/06/3/1 दि. 29/2/1995
प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखने एवं उनके स्वत्वों के निर्धारण करने के संबंध में	क्र. ई-4/9/76/नि-5/ चार, दिनांक 28.2.78
	क्र. ई-4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 23.8.80
	क्र. ई-4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 24.7.80
प्रतिनियुक्ति अवधि में अराजपत्रित कर्मचारियों का सेवा अभिलेखों का संधारण	क्र 481/40/नि-5/ चार, दि. 12.9.89.
उच्चतर कर्तव्य और उत्तरदायित्व के असंवर्गीय पदों पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण	क्र. 262/1516/98/ सी/चार, दिनांक 9.2.99
शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति और संविलियन	क्र. एफ-11-19/2002/ नियम/चार, दिनांक
अध्याय 13 Service Under Local Funds	
128 से 130 विलोपित	

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम

भाग-1

अध्याय 1 - प्रयुक्ति की सीमाएं

मू. नि. 1.- लागू होने की तारीख - ये नियम "मूल नियम" कहलाएंगे | ये 1 जनवरी, 1922 से प्रभावी होंगे |

मू. नि. 2.- प्रयुक्ति की सीमा-(1) मूल नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मूल नियम उन सभी शासकीय सेवकों पर लागू होंगे, जिनका वेतन भारत में अंसेनिक व्ययानुमानों (एस्टीमेट्स) को विकलित होता है, तथा अन्य वर्ग के शासकीय सेवकों के मामले में, जैसा परिषद के राज्य सचिव के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा घोषित किया जाये | अखिल भारतीय सेवा को छोड़कर, स्थानीय शासन, उन सेवाओं के लिए जो उसके प्रशासकीय नियंत्रणाधीन है, नियम बना सकता है, नियमों में सुधार कर सकता है या मूल नियमों में के किसी नियम को बदल सकता है; बशर्ते-

- (अ) ऐसा कोई नियम मूल नियम प्रभाव में आने के दिनांक को सेवारत कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला न हो,
- (ब) ऐसे किसी नियम के लिए जो कोई सुविधा या रियायत अनुमत्य करे लेकिन वह मूल नियमों में अथवा सिविल सर्विसेज रेग्यूलेशन के निबंधन के अधीन प्राप्य नहीं है, जैसे कि वह मूल नियम लागू होने के समय स्थापित थी, राज्य परिषद् के सचिव कि मंजूरी अपेक्षित होगी |

(2) जहाँ मूल नियमों में के किसी नियम का आशय स्पष्टतः अथवा उससे निकलने वाले तात्पर्य से अधिनियम की धारा 45-ए के अधीन निर्मित किसी नियम के उपबंधों से परिसीमित होता है, तो वह परिसीमा अभिभावी होगी और मूल नियम का वह नियम अधिनियम की धारा 45-ए के अधीन निर्मित नियम के अधीन होगा |

मू.नि. 3 मूल नियमों का क्षेत्र- जब तक कि किसी मामले में स्पष्टतः उपबन्धित द्वारा या इन नियमों के अधीन अन्यथा नहीं हो, ये नियम उन शासकीय सेवकों को लागू नहीं होंगे, जिनकी सेवा शर्तें सैनिक या समुद्री विनियमों द्वारा शासित होती है |

मू.नि. 4.- मूल नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने हेतु सक्षम प्राधिकारी - स्थानीय शासन को इन नियमों द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत शक्तियाँ, उनके द्वारा केवल उन शासकीय सेवकों पर प्रयुक्त की जा सकती है, जो उनके प्रशासकीय नियंत्रणाधीन हैं | ये शक्तियाँ गवर्नर-जनरल इन काउन्सिल के द्वारा अन्य समस्त शासकीय सेवकों पर प्रयुक्त की जा सकती है, तथा नियम 6 की परिसीमा पर ध्यान दिए बिना तथा किन्हीं शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे, मुख्य आयुक्त एवं नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविन्सेंस जो गवर्नर-जनरल के प्रतिनिधि के समान हैसियत से है, को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं |

मू.नि. 5 एवं 5-ए (विलोपित)

मू.नि. 6. शक्तियों का प्रत्यायोजित.-निम्नलिखित अपवादों के साथ, शासन का वित्त विभाग, इन नियमों द्वारा उसे प्रदत्त कोई अधिकार, उन शर्तों के अधीन, जैसी वह लगाना उचित समझे, अपने किसी शासकीय अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है-

(अ) नियम बनाने की समस्त शक्तियाँ;

(ब) नियम 6, 9 (6)(बी), 44 तथा 45 द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकार ।

पूरक नियम परिशिष्ट II.- भाग II अनुसूचियां मूल नियम 6 के अधीन वित्त विभाग द्वारा निर्मित अधिकारों का प्रत्यायोजन है ।

मू.नि. 7. मूल नियमों के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में वित्त विभाग की सहमति- वित्त विभाग से परामर्श किये बिना, इन नियमों के अधीन किन्हीं भी शक्ति का प्रयोग अथवा प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है । विभाग के लिए यह छूट होगी कि वह सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे प्रकरणों का निर्धारण करे जिसमें यह मान लिया जाए कि उसकी सहमति दी गई है और यह अपेक्षा की जाए कि परामर्शकर्ता विभाग द्वारा जिस मामले में उससे परामर्श लिया गया है, उसकी राय मंत्री परिषद् को अथवा मुख्य मंत्री को समन्वयन में प्रस्तुत कि जाएगी ।

पूरक नियम.- परिशिष्ट II भाग I द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्राधिकारियों द्वारा जिन्हें वे प्रत्यायोजित हैं, का प्रयोग करने के लिए उसकी सम्मति है यह मान लिया जाए मूल नियम 7 के अधीन वित्त विभाग यह घोषित कर चुका है ।

मू.नि. 8 मूल नियमों कि व्याख्या की शक्ति.- इन नियमों की व्याख्या करने के अधिकार शासन के वित्त विभाग के पास सुरक्षित है ।

अध्याय 2- परिभाषायें

मू.नि. 9. परिभाषाएँ.- जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विपरीत न हो, इस अध्याय में परिभाषित शब्द जो नियमों में प्रयुक्त किये गये हैं, निम्न अर्थ स्पष्ट करते हैं :-

(1) “अधिनियम” से तात्पर्य भारत शासन अधिनियम से है ।

¹[(1-A) “**एलाटमेंट**” से तात्पर्य शासकीय सेवक को स्वीकृत अनुज्ञा-पत्र जिसके द्वारा वह भवन का अथवा उसके किसी भाग का निवास हेतु उपयोग कर सके जिस पर शासन का स्वामित्व है, पट्टे पर लिया गया है या शासन द्वारा अधिग्रहित किया गया है ।

(2) “**औसत वेतन**” से तात्पर्य उस औसत मासिक वेतन से है, जो उस माह के पूर्व जिसमें ऐसी घटना घटी जिसके कारण औसत वेतन गणना करने की आवश्यकता है, 12 माह में अर्जित किया गया हो, परन्तु यह कि-

(अ) भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि के संबंध में जो परिषद् के गवर्नर जनरल द्वारा अर्द्ध यूरोपियन परिस्थितियां जैसी घोषित की गई है, उसके

संबंध में वास्तविक वेतन जो शासकीय सेवक ने यदि वह भारत में कार्यरत रहता तो प्राप्त किया होता, वास्तविक वेतन आहरण के स्थान पर प्रस्थापित किया जाएगा।

- (ब) सिविल सेवा में 17-9-1925 को या उसके पूर्व प्रविष्ट रायल इंजीनियर्स के अधिकारी ने एक माह हेतु किसी इकाई के साथ रहते हुए 12 माह पूर्व किसी भी अवधि में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तब प्रशिक्षण के तुरंत पूर्व के माह में अर्जित वेतन उस विशेष माह का वेतन समझा जाएगा।
- (स) एक सैनिक अधिकारी जिसे भाड़ा-मुक्त आवास स्वीकृत है तथा जो अस्थायी निवास भत्ते का त्याग करता है, यदि वह अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व ऐसा आवास छोड़ देता है तो औसत वेतन गणना में अस्थायी निवास भत्ता यह मानकर जोड़ा जाएगा कि उसे निवास की पात्रता है, जो उसने निवास अवधि में आहरण किया है।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1.- “मास” की परिभाषा -“मास” का अर्थ है “कैलेंडर माह” जैसा कि मूल नियम 9(18) में है।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2.- “वेतन जो शासकीय सेवक ने प्राप्त किया होता, यदि वह भारत में कर्तव्य पर होता” की व्याख्या मूल नियम 9 (21)(ए) के परंतुक के अनुसार होगी।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3.-अवकाश अवधि जो औसत वेतन गणना में सम्मिलित नहीं की जाएगी - इस नियम में औसत वेतन की परिभाषा के अनुसार औसत उस माह के वेतन का निकालना चाहिए, जो अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व 12 माह में प्राप्त किया गया है और इस प्रयोजन के लिए अवकाश पर प्रस्थान करने के तुरंत पूर्व 12 माह की व्याख्या इसी प्रकार समझी जाए। इस प्रकार एक शासकीय सेवक जो 23 मार्च, 1922 से 22 जुलाई, 1922 दोनों दिन मिलाकर, अवकाश पर था, को 4 फरवरी, 1923 को अवकाश स्वीकृत किया जाता है, औसत वेतन उस प्राप्त वेतन पर संगणित किया जाएगा जो 1 फरवरी, 1922 से 22 मार्च, 1922 तक एवं 23 जुलाई, 1922 से 31 जनवरी, 1923 तक प्राप्त हुआ था। यदि कोई शासकीय सेवक 12 माह से अधिक लगातार अवकाश पर रहता है तो उस तिथि के तुरंत पूर्व जब वह मूल नियमों के अन्तर्गत अवकाश लेता है, औसत उस वेतन के आधार पर निकाला जाएगा जिस माह के ठीक पूर्व उसका अवकाश प्रारंभ हुआ था।

महालेखाकार परीक्षक अनुदेश 4- अवकाश वेतन सम्मिलित होगा - अवकाश विभाग के शासकीय सेवकों के मामले में यदि 12 माह के तुरंत पूर्व की अवधि में अवकाश पड़ता है तो, मूल नियम 82 (बी) के अन्तर्गत कर्तव्य अवधि माना जाएगा और इस प्रकार अवकाश अवधि को ऐसा माना जाएगा कि उसने कार्य करके ही वेतन प्राप्त किया है, इस कारण उसका अवकाश वेतन निकालने के लिए इस अवकाश की अवधि को कर्तव्य माना जाएगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 5- जब अवकाश दोनों तरफ आगे-पीछे हो- अवकाश विभाग के शासकीय सेवकों के मामले में अवकाश के आगे और पीछे अवकाश जोड़ा जाता है तो, ऐसी दशा में

उस अवधि का अवकाश वेतन जो पीछे जोड़ा गया है अवकाश प्रारंभ होने के ठीक पूर्व 12 माह पूर्व शासकीय सेवक ने वेतन प्राप्त किया था, उस आधार पर औसत वेतन परिगणित किया जाएगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 6-भारतीय सेना में आरक्षित तथा भारतीय प्रादेशिक सेना से सम्बंधित असैनिक शासकीय सेवक का औसत वेतन- कोई असैनिक शासकीय सेवक जो भारतीय सेना में आरक्षित अधिकारी से सम्बंधित है अथवा ऐसा कोई शासकीय सेवक जो भारतीय प्रादेशिक सेना से सम्बंधित है, जब वह सेना का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं और वह सैनिक अधिकारी नहीं है जैसा कि मूल नियम 9 (16) (बी) में उल्लेख किया गया है, के वेतन के बारे में जिसकी व्याख्या मूल नियम 9(21)(ए) में की गई है जिसमें “पद वेतन” सम्मिलित नहीं है, जो कि उन्होंने सेवा अथवा प्रशिक्षण में प्राप्त किया है, ऐसे मामले में वह वेतन जो शासकीय सेवक ने प्राप्त किया होता यदि वह सेना में सेवा के लिए अथवा प्रशिक्षण के लिए नहीं बुलाया जाता और वह वेतन जो “पद वेतन” के रूप में उस अवधि में प्राप्त किया है, सम्मिलित नहीं है, अवकाश वेतन के उद्देश्य के लिए औसत वेतन मूल नियम के अन्तर्गत हिसाब में लिया जाता है ।

(3) “विधिवक्ता” से तात्पर्य इंग्लैण्ड अथवा आयरलैंड में व्यावसायिक विधिवक्ता और स्कॉटलैंड सत्र न्यायालय के अधिवक्ता निकाय के व्यवसायी सदस्यों से है । इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो यद्यपि बार के लिए बुलाया तो जाता है किन्तु विधिवक्ता व्यवसाय की प्रैक्टिस कभी नहीं करता है ।

(4) “संवर्ग” से तात्पर्य सेवा की उस संख्या अथवा सेवा के भाग से है, जो पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत है ।

(5) “क्षतिपूरक भत्ता”- से तात्पर्य उस भत्ते से है, जो उस वैयक्तिक खर्च को पूरा करने के लिए मंजूर किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में कर्तव्य निष्पादन के दौरान करना पड़ता है । इसमें यात्रा भत्ता सम्मिलित है, किन्तु सत्कार भत्ता और समुद्र मार्ग से भारत के बाहर जाने के लिए निःशुल्क पास सम्मिलित नहीं है ।

महालेखाकार परीक्षक अनुदेश - निजी व्यवसाय की क्षति हेतु भत्तों का वर्गीकरण - चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रोफेसर जिन्हें निजी व्यवसाय करने पर पाबन्दी है, को मंजूर भत्ता, क्षतिपूरक भत्ता माना जाना चाहिए ।

स्थानीय शासन व्यवस्था - कारण अभिलिखित करना - क्षतिपूरक भत्ते के स्वीकृति आदेश में स्वीकृत का कारण अभिलिखित किया जाना चाहिए, जिससे लेखा परीक्षा कार्यालय उन भत्तों के वर्गीकरण पर निगरानी रख सके । उन प्रकरणों में जहाँ खुला आदेश अवांछनीय प्रतीत हो, वहाँ स्वीकृति का कारण गोपनीय तौर पर लेखा के सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए ।

(6) “कर्तव्य” (ए) कर्तव्य में शामिल है-

(i) परिवीक्षाधीन या प्रशिक्षु के रूप में भारत में की गई सेवा, बशर्ते वह आगे चलकर रथाई हो गई हो ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश-परिवीक्षाधीन शब्द का विस्तार-

- (क) मूल नियम 9(6) (ए) में प्रयुक्त शब्द **“परिवीक्षाधीन”** में वह शासकीय सेवक शामिल नहीं है, जो मौलिक रूप से किसी संवर्ग में रथाई पद ग्रहण किए हैं, और किसी अन्य पद पर केवल परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया है। चूँकि ऐसा शासकीय सेवक **“परिवीक्षाधीन”** इन नहीं है, इस कारण मूल नियम 9(6) ए (1) का परन्तुक उसे लागू नहीं होता है, और वह सेवा जो उसके द्वारा की गई है वह सभी मूल नियमों के उद्देश्यों हेतु कर्तव्य समझी जाएगी और मूल नियम 26 (ए) के अन्तर्गत बिना किसी प्रतिबंध या परिसीमा के उस पद पर वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाएगी, जिस पर उसने वास्तविक रूप से कार्य किया है। ऐसे प्रकरण में यह अनुज्ञेय है कि शासकीय सेवक परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पहले भी वेतनवृद्धि प्राप्त कर सकता है।
- (ख) जब तक उसकी नियुक्ति के साथ निश्चित शर्तें संलग्न न हों, जैसे कि शर्त कि वह अमुक परीक्षा के उत्तीर्ण करने तक परिवीक्षा पर रहेगा, कोई व्यक्ति संवर्ग में स्थायी पद पर मौलिक रूप से परिवीक्षा के समान नियुक्त नहीं होगा।
- (ग) जहाँ नियमों में अन्यथा विहित किया गया हो, को छोड़कर, परिवीक्षाधीन की प्रास्थिति ऐसी समझी जावेगी जैसे कि वह मौलिक हैसियत के गुण रखता है।
- (ii) पद ग्रहणकाल;
- (iii) पॉस्चर इनप्टीट्यूट में उपचार करा रहे शासकीय सेवक को स्वीकृत औसत वेतन पर अतिरिक्त अवकाश,
- (iv) भारतीय सिविल सेवा, भारतीय आरक्षी अथवा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के मामले में जो समुद्र पार के लिए भर्ती किए गए हों, प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व की अवधि जिसका वह वेतन पाता है।
- (बी) निम्न प्रकार की समान परिस्थितियों में स्थानीय शासन आदेश जारी कर निर्देश दे सकता है कि शासकीय सेवकों को कर्तव्य पर माना जाए :-
- (i) भारत में शिक्षा अथवा प्रशिक्षण की अवधि में,
- (ii) छात्रों के प्रकरण में, चाहे वे वजीफेदार हों अथवा अन्यथा, भारत में किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा विद्यालय से कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर तथा शासकीय सेवा में नियुक्ति के पात्र होने पर, सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने और कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि,
- (iii) भारत में किसी प्राच्य भाषा में परीक्षा की तैयारी की अवधि,
- (iv) शासकीय सेवक की इंग्लैण्ड में नियुक्ति पर प्रथम बार भारत में आने पर संबंधित स्थानीय शासन के मुख्यालय में प्रतिवेदन करने पर ऐसा देश नहीं प्राप्त करते हैं कि उन्हें निर्दिष्ट पद पर कौनसा कार्यभार ग्रहण करना है, उस प्रतिवेदन की तिथि जब वह अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं, उस अवधि के बीच का समय।

भारत शासन आदेश- शासकीय सेवक के मुख्यालय से प्रशिक्षण स्थल तक और प्रशिक्षण स्थल से उस स्थान तक जहाँ शासकीय सेवक प्रशिक्षण उपरान्त पदस्थ किया गया है, में लगने वाले यात्रा के समय की वास्तविक अवधि को प्रशिक्षण का एक भाग माना जाना चाहिए न कि पद ग्रहणकाल समय। यह नियम उन परिवीक्षाधीनों को लागू नहीं होगा जो **“प्रशिक्षण पद”** धारण किये

हैं, वे यह समझे जाएंगे कि उन्होंने इसे स्थानान्तर पर लिया है । ऐसे परिवीक्षाधीन स्थानान्तर होने पर कार्यग्रहण काल के पात्र होंगे ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- निरस्त ।

स्थानीय शासन आदेश 1 - उपरोक्त भारत शासन आदेश के प्रयोजनार्थ "समय की युक्तियुक्त आवश्यकता" इसे ऐसा समय समझा जाना चाहिए, जैसा विभाग प्रमुख युक्तियुक्त समझे । परन्तु यह मूल नियम 106 के नीचे पूरक नियमों के अन्तर्गत परिगणित स्थानान्तरण पर देय पद ग्रहणकाल (पाँच दिन तैयारी के) से अधिक नहीं होना चाहिए । पाँच दिन का तैयारी समय उस समय वापसी यात्रा पर दिया जाएगा जब शासकीय सेवक प्रशिक्षण स्थल से प्रशिक्षण समाप्त होने पर नये स्थान पर नियुक्त किया जाता है । सहायक आयुता के प्रकरण में जो न्याय विभाग में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, और अधीनस्थ न्यायाधीशों के प्रकरणों में जो दण्डाधिकारी प्रशिक्षण में हैं, उनके लिए प्रशिक्षण स्थल को एवं वही से वापसी यात्रा के लिए युक्तियुक्त समय वह होगा जैसा स्थानान्तरण पर पूर्ण पद ग्रहणकाल में देय होता है ।

स्थानीय शासन आदेश 2. - लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षु यंत्रियों के लिए एक प्रशिक्षण साल से दूसरे प्रशिक्षण स्थल पर पहुँचने के लिए निम्नानुसार समय दिया जाएगा :-

- (1) जब प्रशिक्षण का नवीन स्थल उसी स्टेशन पर है, लेकिन उसी कार्यालय में नहीं-*एक दिन*
- (2) जब प्रशिक्षण का नवीन स्थल भिन्न स्टेशन पर है-
 - (अ) तैयारी के लिए दो दिन; और
 - (ब) वास्तविक यात्रा के लिए मूल नियम 06 के नीचे पूरक नियम के अन्तर्गत स्थानान्तरण पर यात्रा के लिए परिगणित समय । रविवार जिसमें वास्तविक रूप से यात्रा नहीं की गई है, इस प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

पूरक नियम- कब शासकीय सेवक कर्तव्य पर समझा जाएगा- एक शासकीय सेवक निम्न परिस्थितियों में कर्तव्य पर समझा जाएगा -

- (i) अनुदेश या प्रशिक्षण की अवधि में, बशर्ते कि वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे अनुदेश या प्रशिक्षण में भेजा गया हो ।

टिप्पणी 1. - प्रारंभिक या नियतकालिक प्रशिक्षण उन शासकीय सेवकों के लिए जो भारत में सहायक सेना, अथवा भारतीय प्रादेशिक सेना से नामांकित हैं, जिन्हें कि सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और समस्त सैनिक प्रशिक्षण जो नियमित सेना के साथ जुड़े रहने से प्रशिक्षण लेना आवश्यक हो, तो अनुदेश अथवा प्रशिक्षण की अवधि इस नियम के उद्देश्य के लिए कर्तव्य समझी जाएगी । प्रशिक्षण की अवधि में वह समय सम्मिलित नहीं है, जो यात्रा में प्रशिक्षण स्थल को जाने एवं प्रशिक्षण स्थल से वापस आने में लगता है । यद्यपि यह अवधि कर्तव्य समझी जाती है ।

टिप्पणी 2. - इस शासन के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन शासकीय सेवकों द्वारा व्यतीत किया गया समय, जो भारत में भारतीय सेना के अधिकारी पद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, सिविल अवकाश और निवृत्ति वेतन और सिविल वेतन वृद्धि के लिए कर्तव्य पर परिगणित किया जाएगा । प्रशिक्षण की

अवधि में वह अवधि सम्मिलित नहीं है, जो प्रशिक्षण स्थल पर जाने एवं वही से वापस आने में लगती है। यह अवधि यद्यपि कर्तव्य समझी जाती है।

टिप्पणी 3. - असैनिक सेवा का शासकीय सेवक जो सहायक सेना शिविर में उपस्थित रहता है, उसकी असैनिक नियुक्ति के फलस्वरूप, उसके शिविर वेतन और भत्ते उस शिविर की अवधि से सैनिक वेतन के अतिरिक्त पाने की पात्रता होगी।

- (ii) छात्रों के प्रकरणों में, चाहे वे वजीफेदार हो अथवा अन्यथा, जो कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय का प्रशिक्षण सत्र तत्काल उत्तीर्ण करने के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्ति के पात्र है, संतोषजनक ढंग से सत्र पूर्ण करने की घोषणा एवं शासकीय सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि।

टिप्पणी- वे उम्मीदवार जो वन विभाग की सेवा में नहीं हैं, परन्तु जो वन महाविद्यालय कोयम्बटूर में रेंजर के पाठ्यक्रम में भेजने हेतु चुने गये हैं, भेजने से पूर्व प्रायोगिक प्रशिक्षण के लिए चुने जाते हैं, उनकी प्रशिक्षण की अवधि उस तिथि से जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए महाविद्यालय में दाखिल होते हैं, पेंशन के लिए गणना में ली जाएगी, किन्तु अवकाश के लिए गणना में नहीं ली जाएगी।

- (iii) इंग्लैण्ड में नियुक्त शासकीय सेवकों का भारत में प्रथम आगमन, जो निर्दिष्ट पद का कार्यभार ग्रहण के आदेश प्राप्त करने हेतु स्वयं नागपुर में उपस्थित होते हैं, ऐसा प्रतिवेदन देने एवं अपने कर्तव्य का कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि, बशर्ते कि आदेश प्राप्ति एवं कर्तव्य पर उपस्थिति की अवधि मूल नियम 105 (अ) के अधीन शासकीय सेवक को देय कार्यग्रहण काल से अधिक नहीं हो।

- (iv) ऐसे किसी अधिकारी के प्रकरण में जिसे शासन द्वारा किसी प्राच्य भाषा की विहित परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है, उस परीक्षा में बैठने की तैयारी में लगने वाला समय, जो निम्न शर्तों के अधीन हो-

(अ) उन प्रकरणों में जिन वर्णन विशेषतः नहीं किया गया है, कार्यग्रहण काल परीक्षा की तैयारी के लिए स्वीकृति समय को छोड़कर और परीक्षा के दिन अथवा दिनों को जोड़ते हुए

(ब) उम्मीदवारों के लिए जो हिन्दी और मराठी भाषा में उच्च प्राविण्य अथवा प्राविण्य उपाधि परीक्षा दे रहे हैं, की वह अवधि जो परीक्षा के पूर्व तैयारी के लिए दी गई है, वह उतनी होगी जो प्रत्येक मामले में स्थानीय शासन द्वारा विहित की जाए, परन्तु साधारणतः तीन माह से अधिक अवधि की नहीं होगी। यदि भाषा संस्कृत, अरबी अथवा फारसी है तो उम्मीदवार को यह वचन-पत्र देना होगा कि व्यावसायिक शिक्षण की अवधि स्थानीय शासन द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही व्यतीत की जाएगी।

- (v) ऐसे अधिकारियों के मामले में, जिन्हें अनिवार्य रूप से विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना

पड़ती है, परीक्षा के दिन अथवा दिनों को शामिल करते हुए, कार्यग्रहण काल की अवधि, तैयारी के समय को छोड़कर समय दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त कोई भी समय तैयारी अथवा मनोरंजन के लिए नहीं दिया जाएगा ।

- (iv) ऐसे अधिकारियों के मामले में, जो सेवा या शाखा में उच्च नियुक्ति पाने के लिए योग्य होने हेतु बैठते हैं, कार्यग्रहण काल की अवधि, तैयारी के समय को छोड़कर तथा परीक्षा के दिन अथवा दिनों को शामिल करते हुए । यह छूट प्रति एक परीक्षा वर्ग दो से अधिक बार के लिए प्रदान नहीं की जाएगी ।

टिप्पणी- ऐसे लिपिकों के मामले में जिन्हें परीक्षा उत्तीर्ण करने पर लोक निर्माण विभाग में सुपीरियर क्लर्कशिप प्राप्त होती है, छूट की गणना कार्यग्रहण काल (तैयारी में लगने वाले समय को छोड़कर) तथा परीक्षा के दिन अथवा दिनों सहित कर्तव्य पर चार अवसर प्रदान किए जाएंगे ।

- (6-ए) **"शुल्क"** से तात्पर्य ऐसे आवर्ती या अनावर्ती भुगतान से है, जो किसी शासकीय सेवक को भारत या किसी राज्य की संचित निधि के अलावा अन्य किसी स्रोत से भुगतान किया जाता है, चाहे उसका भुगतान सीधे अथवा शासन के माफ़त किया जाता हो ।
- (7) **"बाल सेवा"** से तात्पर्य उस सेवा से है जिसमें एक शासकीय सेवक शासन की मंजूरी से अपना मूल वेतन (अ) परिषद के राज्य सचिव के राजस्व से भिन्न अथवा प्रान्तीय या रेलवे निधि के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से. अथवा (ब) कम्पनी जो स्टेट रेलवे चला रही है, के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करता है ।
- (8) **"भारत की सामान्य राजस्व"** में स्थानीय शासन को आवंटित राजस्व सम्मिलित है, परन्तु उसमें स्थानीय निधि सम्मिलित नहीं है ।
- (9) **"मानदेय"** से तात्पर्य ऐसे आवर्ती अथवा अनावर्ती भुगतान से है, जो एक शासकीय सेवक को भारत की अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की संचित निधि से पारिश्रमिक के रूप में यदा-कदा अथवा रमक-रुक कर संविराम विशेष कार्य के लिए भुगतान किया जाता है ।
- (10) **"पद ग्रहण"** से तात्पर्य उस काल से है, जो एक शासकीय सेवक को नये पद पर उपस्थित होने अथवा उस स्थान को या जिस पर उसकी पद स्थापना की गई है, की यात्रा करने में लगने वाले समय से है ।
- (12) **"अवकाश वेतन"** से तात्पर्य उस मासिक राशि से है, जो शासन द्वारा अवकाश पर रहने वाले शासकीय सेवक दी जाती है ।
- (13) **"धारणाधिकार"** से तात्पर्य शासकीय सेवक के उस अधिकार से है, जो वह तत्काल या अनुपस्थिति की अवधि या अवधियों की समाप्ति के बाद उस स्थायी पद, जिसमें समयावधि पद भी सम्मिलित है, पर मौलिक रूप से नियुक्त होने के कारण प्राप्त करता है ।
- (14) **"स्थानीय निधि"** से अमिप्रेत है-
- (अ) उन निकायों द्वारा प्रशासित राजस्व जो विधि द्वारा अथवा विधि का बल रखने वाले नियमों द्वारा चाहे साधारणतः या सभी कार्रवाहियों के बारे में या किन्हीं विनिर्दिष्ट

विषयों, जैसे बजट की मंजूरी, विशिष्ट पदों का सृजन या भरे जाने की मंजूरी या अवकाश, पेंशन या ऐसे ही नियमों के अधीन अधिनियम के बारे में सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, तथा

- (ब) किसी भी निकाय की राजस्व जो गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा विशेष रूप से ऐसी अधिसूचित की गई हो ।
- (15) **“स्थानीय शासन”** इन नियमों के उद्देश्यों के लिए इसमें प्रमुख आयुक्त सम्मिलित नहीं है ।
- (16) (अ) **“सैनिक कमीशन प्राप्त अधिकारी”** से तात्पर्य कमीशन प्राप्त अधिकारी-
- (i) विभागीय कमीशन प्राप्त अधिकारी
- (ii) भारतीय भैषजिक विभाग के कमीशन प्राप्त अधिकारी को छोड़कर, इसमें वारन्ट ऑफिसर सम्मिलित नहीं हैं ।
- (ब) **“सैनिक अधिकारी”** से तात्पर्य सैनिक आयुक्त अधिकारी की परिभाषा में आने वाले कोई भी अधिकारी अथवा उपरोक्त (ए) के उपखण्ड (i) अथवा (ii) में सम्मिलित अधिकारी अथवा कोई वारन्ट अधिकारी ।
- (17) **“अनुसूचिवीय कर्मचारी”** से तात्पर्य अधीनस्थ सेवा के ऐसे शासकीय सेवकों से है, जिनके कर्तव्य पूर्ण रूप से लिपिकीय हैं तथा शासन के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी अन्य वर्ग के कर्मचारियों को विशिष्टतः ऐसा परिभाषित किया गया हो ।

स्थानीय शासन नियम- सरकारी मुद्रणालय नागपुर के औद्योगिक कामगार अर्थात् स्थायी वरिष्ठ वेतन एवं अमानी कार्य कामगार मूल नियम 56 के प्रयोजनार्थ लिपिक वर्गीय सेवक समझे जाते हैं । मूल नियम 56 के उपबंध, तथापि केवल वेतन प्राप्त औद्योगिक कामगारों को लागू होते हैं जो कि मूल नियमों के अध्याय 10 में दिए गए अवकाश नियमों के अधीन हैं ।

(18) "मास" से तात्पर्य कैलेंडर मास से है । महीनों और दिनों में अभिव्यक्त अवधि की गणना प्रथमतः पूर्ण माह दिनों की संख्या को ध्यान दिए बिना की जाना चाहिए तथा उसके बाद शेष बचे दिनों की गणना करनी चाहिए ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश - महीने की खण्ड अवधि, कैसे गिनी जाये- 25 जनवरी से तीन माह एवं 20 दिन की गणना करने में, 3 माह 24 अप्रैल को पूर्ण हुए माने जाना चाहिए तथा 20 दिन 14 मई को इसी प्रकार 30 जनवरी से 2 मार्च की अवधि, 1 माह तथा 2 दिन गिनी जाना चाहिए क्योंकि 30 जनवरी से एक माह 28 फरवरी को पूरा होता है ।

पहली जनवरी से एक माह तथा 29 दिन प्रारंभ होने वाली अवधि एक सामान्य वर्ष में फरवरी के अंतिम दिन पूरी होगी (जिसमें फरवरी 28 दिन का महीना है) क्योंकि 29 दिन की अवधि को स्पष्टतः यह नहीं माना जा सकता है कि अवधि पूर्ण कैलेंडर माह तक बढ़ गई है, तथा पहली जनवरी से दो माह का अवकाश फरवरी के अंतिम दिन को समाप्त होगा । यही यदि फरवरी 29 दिन के महीने की होने के मामले में होगा अथवा यदि खण्ड अवधि 28 दिन की थी (एक सामान्य वर्ष में) ।

(19) **“स्थानापन्न”** एक शासकीय सेवक किसी पद पर तब स्थानापन्न होता है जब वह

ऐसे पद पर कार्य कर रहा हो, जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का धारणाधिकार है ।
स्थानीय शासन किसी भी कर्मचारी को यदि वह उचित समझे ऐसे पद पर
स्थानापन्न रूप से नियुक्त कर सकता है जिस पर किसी का धारणाधिकार न हो ।

(20) **"समुद्रपार वेतन"** से तात्पर्य शासकीय सेवक के उस वेतन से है, जो उसको इस
वस्तुस्थिति के आधार पर मंजूर किया गया है कि वह अपने मूल निवास स्थान से
दूर किसी अन्य देश में सेवा कर रहा है ।

(21) (अ) **"वेतन"** से तात्पर्य शासकीय सेवक द्वारा आहरित मासिक राशि से है, यथा-

- (i) उसकी वैयक्तिक योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत विशेष वेतन
अथवा वेतन, जोकि उसे मौलिक रूप से या स्थानापन्न हैसियत में पद पर
रहने के कारण स्वीकृत किया गया है अथवा संवर्ग में उसकी स्थिति के
कारण वह उसे पाने का हकदार है, को छोड़कर, वेतन, तथा
- (ii) तकनीकी वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन और समुद्रपार वेतन, तथा
- (iii) राज्यपाल द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत कोई अन्य

परिलब्धियाँ

।

(ब) सैनिक अधिकारी के मामले में, जो पहली जुलाई, 1924 से लागू दर से वेतन प्रान्त
कर रहा है, वेतन की राशि में सम्मिलित है, जो वह नीचे दिए गए पदनामों के
अन्तर्गत मासिक रूप से प्राप्त करता है-

- (i) नियुक्ति वेतन, अस्थायी निवास भत्ता और विवाह भत्ता, एवं
- (ii) श्रेणी वेतन, समादेश वेतन, अतिरिक्त वेतन, भारतीय सेना भत्ता, अस्थायी निवास
भत्ता एवं विवाह भत्ता ।

उन सैनिक अधिकारियों के मामले में, जो 1 जुलाई, 1924 से पूर्व प्रवेश दर से वेतन प्राप्त
कर रहे थे, वेतन में वह राशि सम्मिलित है जो नीचे दिये गये पदों के नाम पर मासिक रूप से प्रान्त
करते हैं-

- (i) सैनिक वेतन और भत्ता एवं स्टाफ वेतन
- (ii) भारतीय सैनिक वेतन एवं स्टाफ वेतन, तथा
- (iii) संचित वेतन ।

भारत शासन आदेश 1 - विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन समझा जाए- 1 जनवरी, 1922 से
इस उद्देश्य के लिए विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन समझा जाएगा ।

भारत शासन आदेश 2 - न्यायिक वेतन, वेतन कहलाएगा- 1 जनवरी, 1922 से न्यायिक
वेतन, वेतन में वर्गीकृत किया जाएगा ।

भारत शासन आदेश 3- भाषा भत्ता, वेतन के समान वर्गीकृत होगा- भाषा भत्ता "भाषा वेतन"
कहलाएगा एवं वेतन के रूप में वर्गीकृत होगा ।

भारत शासन आदेश 4- निवास भत्ता वेतन की गणना में शामिल है- भारत में निवास भत्ता प्रत्येक अधिकारी के वेतन का पूर्ण भाग है तथा वेतन की गणना में शामिल है, जिसका आहरण सैनिक अधिकारी द्वारा विशेषाधिकार अवकाश के दौरान किया जाएगा ।

भारत शासन आदेश 5- निम्न भत्ते वेतन में वर्गीकृत किये जाएंगे-

- (अ) रुपये 200 प्रतिमाह कार्यभार भत्ता जो राजनैतिक विभाग के उन अधिकारियों को मंजूर किया जाता है, जिन्होंने 9 वर्ष से कम की सेवा सिविल विभाग में की है, जब उसकी नियुक्ति "उत्कृष्ट" श्रेणी के पद पर की गई थी, एवं
- (ब) रुपये 150 एवं 300 का मासिक कार्यभार भत्ता जो प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारियों को दिया जाता है, जो क्रमशः राजनैतिक विभाग में अवकृष्ट अथवा उत्कृष्ट पदों पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किये गये हैं ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1- भाषा भत्ता कब वेतन एवं कब मानदेय माना जाएगा- यदि भाषा भत्ता एकमुश्त भत्ता है तो वह मूल नियम 46 के अन्तर्गत व्यवहारित किया जाएगा । यदि वह आवर्ती भुगतान है तो मूल नियम 9(21) (ए) के अन्तर्गत वेतन कहलाएगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2 - रेलवे कर्मचारियों के प्रभारी चिकित्सक का भत्ता कब "विशेष वेतन " माना जाएगा- भेषज अधिकारी जो रेलवे कर्मचारियों का प्रभारी है, को यदि कोई भत्ता मंजूर किया गया है, और वह सामान्य राजस्व से दिया जाता है, तो उसका वर्गीकरण 'विशेष वेतन', के रूप में किया जाएगा । यदि वह कम्पनियों द्वारा दिया जाता है, तब तक विशेष वेतन नहीं कहलाएगा जब तक अंशदान नहीं दिया जाता ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3- मूल नियम के नीचे महालेखा परीक्षक अनुदेश 6 देखिए ।

स्थानीय शासन नियम 1- शासकीय मुद्रणालय, नागपुर में अमानी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मामले में, जब उनकी नियुक्ति समयमान पर की जाए "वेतन" घंटे की दर से दो सौ गुना के बराबर समझा जावेगा ।

स्थानीय शासन नियम 2 - उपायुक्त द्वारा अच्छा आचरण होने के कारण राजस्व निरीक्षकों को निरन्तर अच्छा कार्य करने पर स्वीकृत किया गया अच्छा आचरण मूल नियम 9(21)(iii) के अंतर्गत "वेतन" के समान वर्गीकृत किया जाएगा ।

(22) **"स्थायी पद"** से तात्पर्य पद जो एक निश्चित दर के वेतन में बिना किसी समय सीमा के स्वीकृत है ।

(23) **"व्यक्तिगत वेतन"** से तात्पर्य अतिरिक्त वेतन जो शासकीय सेवक को स्वीकृत किया गया है -

- (अ) पदावधि पद के अतिरिक्त स्थायी पद के संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही के अन्यथा वेतन के पुनरीक्षण अथवा ऐसे मौलिक वेतन में किसी हानि से उसे बचाने हेतु या
- (ब) आपवादिक परिस्थितियों में अन्य वैयक्तिक प्रतिफल पर ।

(24) **“किसी पद का प्रकल्पित वेतन”** जब किसी कर्मचारी विशेष के संदर्भ में निकालना हो, तो प्रकल्पित वेतन से तात्पर्य उस वेतन से होगा जो उसे उस पद को मौलिक रूप से धारण करने और उसके कर्तव्य निष्पादन से प्राप्त होता, परन्तु जब तक कि कर्मचारी ऐसे अतिरिक्त कार्य का उत्तरदायित्व नहीं निभाता जिस हेतु उसे विशेष वेतन स्वीकृत किया गया था, इसमें विशेष वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश - नियम के प्रथम भाग का विस्तार - परिभाषा के प्रथम भाग से अभिप्रेत, शासकीय सेवक जो कुछ समय के लिये पद से अनुपस्थित रहता है, तथापि उस पर वह अपना धारणाधिकार बनाये रखता है, के सम्बन्ध में शब्दों के प्रयोग को सुगम बनाने से है ।

(25) **“विशेष वेतन”** से तात्पर्य किसी पद या शासकीय सेवक की परिलब्धियों में वेतन की उस बढ़ोतरी से है, जो निम्न प्रतिफल स्वरूप स्वीकृति किया जाता है-

- (अ) विशेष रूप से दुष्कर प्रकार का कार्य, या
- (ब) कार्य व उत्तरदायित्व में विशिष्ट वृद्धि ।
- (स) निरस्त (अधिसूचना क्रमांक 1291/आर-107/चार/नि-1 71 दिनांक 31-10-1972)

राज्य सचिव आदेश 1- निकाल दिया गया है ।

राज्य सचिव आदेश 2 - विशेष वेतन तथा क्षतिपूर्ति भत्ते परस्पराश्रित नहीं- वे परिस्थितियाँ जो एक अधिकारी को विशेष वेतन स्वीकार करना उचित ठहराती हैं, उनसे पूर्णतः भिन्न हैं जो क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति को उचित ठहराती हैं, अन्तर जो उन शब्दों की परिभाषाओं को स्पष्ट करता है, मूल नियमों में सन्निहित है । उन परिभाषाओं की कठोरता से व्याख्या की जाना चाहिए तथा या तो विशेष वेतन अथवा क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति हेतु एक पूर्व इतिहास के समान उनमें वर्णित शर्तों का वास्तविक पालन करने की अपेक्षा है । क्षतिपूर्ति भत्ते की स्वीकृति एक विषय है जिस पर नियंत्रण करने के अधिकार स्थानीय शासनों को प्रत्यायोजित किये गये हैं, उनके विवेकपूर्ण उपयोग करने में राज्य सचिव साधारणतः बाधा नहीं डालेंगे । तथापि राज्य सचिव स्पष्ट करना चाहते हैं कि उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर यह विशेष वेतन तथा क्षतिपूर्ति भत्ते के मध्य कोई आवश्यक परस्पराश्रित को मान्यता देने हेतु सक्षम नहीं है अथवा इस बात से सहमत नहीं है कि जहाँ अधिकारी को जीवन निर्वाह के लिये क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जाता है तो वह इस कारण क्षतिपूर्ति भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रह जाता है कि वह पहले से ही विशेष वेतन पा रहा है जो कि उसके कार्यभार और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है अथवा (इस बात से सी सहमत नहीं है कि) चूँकि मूल नियम 9(5) में दी गई परिभाषा के अनुसार आवश्यक भिन्न कारणों से जो क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया है, उसमें से मूल नियमों की शर्तों के आधार पर स्वीकृति विशेष वेतन कम किया जा सकता है ।

स्थानीय शासन आदेश 1- निकाल दिया गया है ।

स्थानीय शासन आदेश 2 - कारणों को अभिलिखित करना- जिन कारणों के आधार पर विशेष वेतन मंजूर किया गया है, उन्हें सामान्यतः उसी अनुमोदित आदेश में अभिलिखित किया जाना चाहिए, ताकि लेखा परीक्षा कार्यालय उसका वर्गीकरण कर सके। उन मामलों में जहाँ शासकीय अभिलेख अनावृत करना अवांछनीय प्रतीत हो, कारणों को गोपनीय तौर पर लेखा परीक्षा अधिकारी को संसूचित किया जाना चाहिए।

स्थानीय शासन आदेश 3 - मूल नियम 9(25) के खण्ड (अ) एवं (ब) के अधीन विशेष वेतन का निर्धारण तथा उसकी दर नियमित करने अथवा निम्नलिखित मापदण्ड का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए-

- (i) बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए किसी भी शासकीय सेवक से जो एक समयमान वेतन पर है, किसी पद को भरा जा सकता है, बशर्ते कि उसे पूरे दिन से अधिक का काम नहीं दिया जाए। विशेष वेतन इस आधार पर न्याय संगत नहीं माना जाना चाहिए कि एक समयमान में अमुक पद के कर्तव्य दूसरे समयमान के पदों की तुलना में मात्र कष्ट साध्य अथवा उत्तरदायित्व के हैं। यदि उसी संवर्ग में के समस्त पदों के कर्तव्य आपस में अदला-बदली वाले हैं, अर्थात् संवर्ग के किसी भी सदस्य द्वारा एक दूसरे का कार्य किया जा सकता है तो विशेष वेतन देना न्याय संगत नहीं होगा।
- (ii) जहाँ ऐसा करना मितव्ययिता की दृष्टि से उचित है, विशेष वेतन मंजूर किया जा सकता है। इस शीर्ष के अधीन दो प्रकार के मामले आते हैं-

- (अ) जहाँ कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रकार का निश्चित विभेद करना संभव है, वहाँ किसी दिए गए संवर्ग के समयमान से उच्च वेतन की दर पर विशेष पद निर्मित करने की अपेक्षा विशेष वेतन मंजूर करना सस्ता और प्रशासकीय रूप से अधिक सुविधाजनक है
- (ब) अस्खाई रिक्तियों में अथवा अस्थायी प्रबंध में कभी-कभी शासन के लिए शासकीय सेवक को पूरे दिन से अधिक के कार्य के लिए (यदाकदा अधिक काम के अवसर को छोड़कर, जो शासकीय कार्य में प्रासंगिक होता है) अथवा वह कार्य जो उस प्रकार का कार्य नहीं है जिस प्रकार के काम के लिए शासकीय सेवक की नियुक्ति की गई थी, उसके बदले में अतिरिक्त कर्मचारी रखे जायें अथवा रिक्त स्थान को भरा जाए, विशेष वेतन मंजूर करना सरता है।

- (iii) विशेष वेतन नये वेतनमान के औसत का 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात् 1931 के वेतनमान का पद, जिस पद से संलग्न है, लागू होगा।

टिप्पणी- इस उद्देश्य के लिए श्रेणी का औसत निकालने के लिए साधारण सूत्र जो अपनाया जाना चाहिए-

$$\text{न्यूनतम} + \text{श्रेणी का अधिकतम}/2$$

स्थानीय शासन नियम- निकाल दिया गया।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- विशेष वेतन कब वेतन के प्रतिशत पर आधारित होगा जिसमें

विदेशी स्टर्लिंग वेतन भी सम्मिलित हो- जब विशेष वेतन प्रतिशत के आधार पर अथवा वेतन के भाग में सामान्य क्रम में समाहित किया जाता है और साधारण क्रम के वेतन में स्टर्लिंग विदेशी वेतन भी शामिल है, ऐसा विशेष वेतन निम्न प्रकार निश्चित होना चाहिए-

(अ) विशेष वेतन समुद्रपार स्टर्लिंग वेतन पर और साथ ही साथ रुपये पर आधारित वेतन में दिया जाता है ।

(ब) विशेष वेतन रुपये में अभिव्यक्त एवं प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(स) निकाल दिया गया ।

(26) निकाल दिया गया ।

(27) **“निर्वाह अनुदान”** से तात्पर्य उस मासिक अनुदान से है जो किसी ऐसे शासकीय सेवक को प्रदान किया जाता है, जिसे वेतन या अवकाश वेतन न मिल रहा हो ।

(28) **“मौलिक वेतन”** से तात्पर्य है विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन के अलावा उच्च वेतनमान के बदले स्वीकृत विशेष वेतन अथवा नियम 9 (21)(ए) (iii) के अधीन वर्गीकृत वेतन के समान परिलब्धियों जिनके लिए सरकारी सेवक मौलिक रूप से नियुक्ति अथवा संवर्ग में उसकी मौलिक स्थिति के कारण पाने का हकदार है, सहित वेतन ।

स्थानीय शासन नियम 1- शासकीय मुद्रणालय, नागपुर में स्थायी रूप से अमानी पर कार्य करने वाले शासकीय सेवकों के मामले में, जब वे समयमान में नियुक्त किये जाते हैं, **“मौलिक वेतन”** उसके घण्टे की दर से दो सौ गुणा के बराबर माना जाएगा ।

स्थानीय शासन आदेश 2- राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन स्थायी पद पर धारणाधिकार रखने वाले शासकीय सेवकों के मामले में, **“मौलिक वेतन”** से तात्पर्य है, मौलिक वेतन जैसा कि शासन के संबंधित नियमों में परिभाषित किया गया है ।

भारत शासन आदेश- सेना में सैनिक अधिकारियों को प्राप्त होने वाला विवाह भत्ता एवं अस्थायी निवास भत्ता, जब तक उसे वेतन का भाग समझा जाता है, तब तक मौलिक वेतन की परिभाषा में आएगा ।

(29) **“तकनीकी वेतन”** से तात्पर्य ऐसे स्वीकृत वेतन से है, जो शासकीय सेवक को यह ध्यान में रखते हुए मंजूर किया जाता है कि उसने यूरोप में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।

(30) **“अस्थायी पद”** से तात्पर्य उस पद से है, जो एक निश्चित वेतन दर में एक सीमित अवधि के लिए मंजूर है ।

(30-क) **“पदावधि पद”** से तात्पर्य उस स्थायी पद से है जिसे कोई एक शासकीय सेवक सीमित अवधि से अधिक धारण नहीं कर सकता है ।

टिप्पणी- शंका के मामलों में स्थानीय शासन तय करेगा कि कोई पद पदावधि पद है अथवा नहीं

- (31) (अ) **“समयमान वेतन”** से तात्पर्य उस वेतन से है, जो आवधिक वेतनवृद्धियों के साथ न्यूनतम से अधिकतम तक बढ़ता है ।
- (ब) **“एकरूप समयमान”** समयमान तभी एकरूप कहा जाएगा, जब न्यूनतम, अधिकतम, वेतनवृद्धि की अवधि व दर एक समान हो ।
- (स) कोई पद समयमान की दृष्टि से दूसरे पद के समान तभी कहा जा सकता है जबकि दोनों समयमान एक समान हो तथा पद एक ही संवर्ग की एक ही श्रेणी के अन्तर्गत आते हों । ऐसे संवर्ग या श्रेणी इस कारण निर्मित किये गये हों ताकि एक ही सेवा या स्थापना के समूह के पदों को भरा जा सके जिनके कर्तव्य लगभग एक ही प्रकार के तथा समान उत्तरदायित्व के हैं जिससे कि किसी विशेष पद को धारण करने वाले व्यक्ति का वेतन उसके संवर्ग की श्रेणी में उसकी स्थिति से निर्धारित हो न कि इस बात से वह उस पद को धारण किए हुए है ।

भारत शासन आदेश 1- समय श्रेणी वेतन के औसत मूल्य गणना सूत्र- कृपया अंग्रेजी का मूल देखें ।

भारत शासन आदेश 2- उपरोक्त सूत्र 1 राजपत्रित नियुक्ति हेतु तथा सूत्र 2 अराजपत्रित नियुक्ति हेतु उपयुक्त हैं । पदोन्नति में श्रेणी परिवर्तन पर सूत्र 3 का उपयोग किया जाए । जब विस्तृत ग्रेड में दो या अधिक उपविभाग हो तथा एक से अधिक क्रम पर दक्षतावरोध हो तब सूत्र 4 का सीमित उपयोग होगा ।

भारत शासन आदेश -3 अखिल भारतीय सेवा के कनिष्ठ श्रेणी में नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों के औसत वेतन हेतु सूत्र 3 को प्रयुक्त किया जाए तथा इसके लिए कनिष्ठ श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या में न्यूनतम आधारभूत वेतन तथा प्रकृष्ट श्रेणी में पदोन्नति के ठीक पूर्व का वेतन तथा समुद्रपार वेतन का अनुपात जोड़ा जाए ।

(32) **“यात्रा भत्ता”** से तात्पर्य वह भत्ता जो एक शासकीय सेवक को लोक हित में की गई यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाता है । इसमें वाहन, घोड़ा, तम्बू आदि के अनुरक्षण के लिए दिया जाने वाला अनुदान भी शामिल है ।

- (1) **“वास्तविक यात्रा व्यय”** से तात्पर्य किसी शासकीय सेवक के द्वारा उसके नौकर एवं घरेलू सामान पर हुआ वास्तविक खर्च । इसमें शामिल है, नौका व्यय एवं अन्य पथकर और पड़ाव का सामान लाने और ले जाने में हुआ खर्च । इसमें होटल, यात्री निवास या जलयान गृहों अथवा सामान उठाने वालों को अथवा वाहन की दुलाई अथवा गाड़ीवान को दान के रूप में दिया गया और इसी प्रकार का कोई व्यय अथवा कोई आपाती नुकसान और वह खर्च जो चीनी मिट्टी का सामान टूटने पर व्यय किया गया, फर्नीचर की टूट-फूट अथवा अतिरिक्त नौकरों की नियुक्ति पर किया गया व्यय शामिल नहीं है ।
- (2) **“प्रशिक्षु”** से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जो शासकीय सेवा में रोजगार पाने के लिए

किसी धंधे अथवा व्यापार हेतु प्रशिक्षण में भेजे जाते हैं, जिन्हें शासन की ओर से मासिक दर से वेतन प्राप्त होता है, परन्तु ये किसी विभाग के संवर्ग के किसी पद पर या मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध किसी संवर्ग में नियुक्त नहीं होते हैं ।

- (3) **“लेखा परीक्षा अधिकारी”** से तात्पर्य महालेखाकार, मध्यप्रदेश से है ।
 - (4) **“शिविर घोड़ा गाड़ी”** से तात्पर्य उस उपकरण से है, जो शिविर गतिमान के लिये है ।
 - (5) **“शिविर साज-सामान”** से तात्पर्य तम्बू तथा उसको खड़ा करने के लिए अपेक्षित वस्तुएँ एवं जहां लोकहित में आवश्यकतानुसार शासकीय सेवक को अपने साथ यात्रा में ले जाने वाले शिविर के फर्नीचर से है ।
 - (6) **“सक्षम प्राधिकारी”** से किन्हीं शक्तियों के प्रयोग के संबंध में आशय गवर्नर-इन-काउंसिल अथवा अपने मंत्रियों के साथ कार्यकारी राज्यपाल अथवा कोई प्राधिकारी जिसको प्रत्यायोजन द्वारा इन नियमों के अधीन शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं ।“
- टिप्पणी-** परिशिष्ट 2 भाग दो में शासन के ऐसे अधीनस्त अधिकारियों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें मूल नियमों के अधीन निर्मित विभिन्न पूरक नियमों के अन्तर्गत राज्यपाल ने मूल नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिकार प्रदत्त किये हैं ।
- (7) **“दिन”** से तात्पर्य कैलेंडर दिन से है, जिसका प्रारंभ एवं अन्त अर्द्ध रात्रि को होता है, परन्तु मुख्यालय से अनुपस्थिति जो 24 घण्टों से अधिक नहीं है, सभी उद्देश्यों के लिये चाहे किसी भी समय वह अनुपस्थिति प्रारंभ व समाप्त होती है, एक दिन के रूप में संगणित की जाएगी ।
 - (8) **“परिवार”** से तात्पर्य है (अ) शासकीय सेवक की पत्नी या पति, जैसी भी स्थिति हो, एवं वैध संतान तथा ऐसे सौतेले बच्चों से है जो शासकीय सेवक के साथ रह रहे तथा उस पर पूर्णतः आश्रित हों । परिशिष्ट पाँच के पूरक नियमों के सेक्शन XVI-A के उद्देश्यों को छोड़कर, इसमें सम्मिलित हैं, माता-पिता, बहनें एवं अवयस्क भाई, यदि वे शासकीय सेवक के साथ रह रहे हों तथा उस पर पूर्णतः आश्रित हों ।
 - (ब) खण्ड XI के प्रयोजन हेतु इसमें अविवाहित एवं विधवा बहनें तथा अवयस्क भाई, यदि वे शासकीय सेवक के साथ रह रहे हों एवं उस पर पूर्णतः आश्रित हों, परिवार में शामिल माने जायेंगे ।

आश्रितता की सीमा - राज्य शासन अनुदेश

विषय- आश्रित संबंधियों के लिये आय की अधिकतम सीमा के संबंध में ।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-971/4327/78 नि-1 चार, दिनांक 2-8-1979 द्वारा मध्यप्रदेश मूल नियम 9(32) के एस.आर 8 (ब) के नीचे अंकित नोट के अन्तर्गत सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित माने जाने के लिए संबंधित आश्रितों की कुल आय (पेंशन में अस्थायी वृद्धि तथा डी.सी.आर.जी के समान पेंशन लाभों को मिलाकर रु 250/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होने की सीमा रखी गई थी ।

2/ वित्त विभाग के आदेश क्रमांक डी. 9/90/1502/89 नि-1 चार, दिनांक 8 जनवरी, 1990 द्वारा इस राशि को बढ़ाकर रु. 500/- प्रतिमाह किया गया था ।

3/ राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि इस राशि को बढ़ाकर रु. 1275/- प्रतिमाह किया जावे । यह आय सीमा वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना क्रमांक एफ. 25/1/98

पी.डब्ल्यू.सी/ चार. दिनांक 6-9-1999 में उल्लेखित आश्रितों को उनके समक्ष दर्शायी गई शर्तों के अध्याधीन लागू होगी ।

4/ यह आदेश दिनांक 6-9-1999 से प्रभावशील होंगे तथा पूर्व में निराकृत प्रकरणों को नहीं खोला जावेगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. 25/7/98/PWD/चार, दिनांक 1-5-2000]

- (9) **“वित्त विभाग”** से तात्पर्य स्थानीय शासन का वित्त विभाग ।
- (10) **“विभाग प्रमुख”** से तात्पर्य राज्यपाल द्वारा घोषित कोई ऐसा प्राधिकारी अथवा आदेश द्वारा इन नियमों के उद्देश्य हेतु विभाग प्रमुख घोषित किया जाए ।
- (11) **“विभाग प्रमुख”** से तात्पर्य वह स्थान जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहाड़ी स्थल घोषित किया जाए ।
- (12) **“अवकाश”** से तात्पर्य (अ) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अधीन विहित अधिसूचित अवकाश, (ब) ऐसा अवकाश जिसे शासन राजपत्र में अधिसूचित कर अवकाश घोषित कर शासकीय कार्य बन्द रखना आदेशित करे । इसमें स्थानीय छुट्टियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जो कि विभाग प्रमुख के विवेकानुसार स्वीकृत की जाती हैं, बशर्ते कि बकाया कार्य नहीं रहे । इसमें वह छुट्टियाँ सम्मिलित नहीं हैं, जैसा कि प्रत्येक मास के द्वितीय शनिवार जैसी अनुज्ञापक अथवा विवेकाधीन छुट्टियाँ हैं ।
- (13) **“अवकृष्ट सेवा”** से तात्पर्य कोई ऐसी सेवा जो विशेष रूप से शासन आदेशानुसार इस प्रकार वर्गीकृत की जाए तथा अन्य प्रकार, की सेवा जिसका वेतन रुपये 10 से अधिक नहीं है ।
- (14) **“परिवीक्षाधीन”** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नियोजन विभाग के संवर्ग के किसी मौलिक पद के विरुद्ध परिवीक्षा पर किया गया हो ।
- (15) **“लोक वाहन”** से तात्पर्य रेल, स्टीमर अथवा अन्य साधन जो यात्रियों को ले जाने के लिये नियमित रूप से चलते रहते हैं ।
- (16) **“प्रकृष्ट सेवा”** से तात्पर्य ऐसी सेवा जो अवकृष्ट प्रकार की नहीं है ।
- (17) **“स्थानांतर”** से तात्पर्य शासकीय सेवक का एक मुख्यालय स्थान से जिसमें वह कार्य कर रहा है, दूसरे स्टेशन पर या तो (अ) नये पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिये, अथवा (ब) मुख्यालय स्थान बदलने के फलस्वरूप गमन से है ।

अध्याय 3- सेवा की सामान्य शर्तें

पू.नि. 10. प्रथम नियुक्ति पर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र-इस नियम में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति मौलिक रूप से भारत में शासन की सेवा में स्थायी पद पर स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये बगैर नियुक्त नहीं किया जा सकता, जो उसके प्रथम वेतन देयक के साथ अनुलग्न किया जाना चाहिए । स्थानीय शासन प्रपत्र जिस पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र बनाया जाना चाहिए तथा अमुक चिकित्सा या अन्य अधिकारियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, विहित कर नियमों का निर्माण कर सकता है । वैयक्तिक मामलों में प्रमाण-पत्र पेश करने से विमुक्त

किया जा सकता है तथा सामान्य आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के किसी निर्दिष्ट वर्ग को इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त किया जा सकता है ।

स्थानीय शासन नियम- अपवाद- राज्य सचिव द्वारा नियुक्त शासकीय सेवकों को स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश करने से छूट प्राप्त है ।

मू.नि.10-क्र. नियम निर्माण नियंत्रण के अधीन आने वाले शासकीय सेवकों के प्रयुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियम- इस नियम में यथा उपबंधित के सिवाय या इस नियम के अधीन कोई व्यक्ति शासन की सेवा में, स्वास्थ्य के चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना, पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है । शासन, नियम द्वारा प्रपत्र जिस पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र तैयार किया जाना चाहिए तथा अमुक चिकित्सा या अन्य अधिकारियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जाना चाहिए, विहित कर सकता है । शासन वैयक्तिक मामलों में प्रमाण-पत्र पेश करने से विमुक्त कर सकता है तथा सामान्य आदेश द्वारा शासकीय सेवकों के किसी निर्दिष्ट वर्ग को इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त कर सकता है ।

प्रमाण-पत्र या तो उम्मीदवार की नियुक्ति आरंभ होने के पहले अथवा एक माह के अन्दर जैसा सुविधाजनक हो, पेश किया जा सकता है । अस्थायी अथवा स्थानापन्न शासकीय सेवक, जिसने इस नियम के नीचे पूरक नियम 1 (क) में विहित प्रपत्र पर स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया है, यदि वह उसके अस्थायी या स्थानापन्न सेवा में टूट के बिना स्थायी होता है तो, पुष्टिकरण के समय स्वस्थता का नया प्रमाण-पत्र पेश करना अपेक्षित नहीं होगा । इसी प्रकार से, अस्थायी या स्थानापन्न शासकीय सेवक जिसका एक कार्यालय में चिकित्सा परीक्षण हो चुका है, यदि दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरित होता है तो, नये चिकित्सा परीक्षण के लिये जाना अपेक्षित नहीं होगा, बशर्ते स्थानान्तरण उसकी सेवा में बिना टूट के हुआ हो । संबंधित व्यक्ति को चाहिए कि वह जहाँ से स्थानान्तरित हुआ है, के कार्यालय प्रमुख से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करे कि वह स्वस्थता का वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्र पेश कर चुका है ।

(ख) निम्नलिखित श्रेणियों के शासकीय सेवकों को स्वास्थ्य का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त है-

- (i) थॉमसन कॉलेज रुड़की से प्रशिक्षित विद्यार्थी, जिनकी नियुक्ति 18 माह के अन्दर, उस तिथि से जब उन्होंने अपना महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम पूरा कर स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, हो जाए;
- (ii) उच्च सेवा का कोई शासकीय सेवक, जिसकी नियुक्ति अस्थायी रिक्त स्थान पर तीन माह से कम अवधि के लिए की जाए;
- (iii) छः माह से कम अवधि के लिए अस्थायी रिक्ति में नियुक्त किए जाने वाले निम्न सेवा का शासकीय सेवक ।

पूरक नियम 2. - चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी-प्रान्तीय सेवाओं या राजपत्रित पदों के सेवाभ्यर्थी के मामले में, मूल नियम 10-क के अन्तर्गत दिया जाने वाला चिकित्सा प्रमाण-पत्र केवल मेडीकल बोर्ड का ही होना चाहिए, जबकि अन्य प्रकरणों में उस जिले के प्रमुख

चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, जहाँ पर कि सेवाभ्यर्थी रहता है अथवा उस जिले के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, मान्य होगा ।

अपवाद 1. सहायक चिकित्सा अधिकारी सिरोंज को यह अधिकार है कि वह उन सभी सेवाभ्यर्थियों, जिनकी नियुक्ति उस तहसील में की गई है, को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करें, बशर्ते कि उन सेवाभ्यर्थी का मासिक वेतन 50 रुपये से अधिक नहीं हो ।

अपवाद 2 कारावास के प्रभारी मेडिकल अधिकारी, उन सेवाभ्यर्थियों को जिन्हें कारावास के अधीनस्थ अधिकारी के पद के लिए चयनित किया गया है को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकते हैं ।

अपवाद 3. मुख्य चिकित्सालय नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, मण्डला, बालाघाट और दुर्ग के प्रभारी शल्य चिकित्सकों को अधिकार है कि वह पुलिस, वन, राजस्व, आबकारी अथवा भू-राजस्व विभागों के सेवाभ्यर्थी की भर्ती के लिए स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र प्रदान करें । सहायक सिविल चिकित्सक मण्डला को अधिकार है कि वह मण्डला जिले में राजस्व, आबकारी और भू-राजस्व विभागों में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करें ।

रायगढ़, सरगुजा एवं दुर्ग जिलों में क्रमशः जशपुर नगर, बैकुण्ठपुर और राजनांदगाँव के सहायक चिकित्सकों को अधिकार है कि वह उस स्थान के पुलिस विभाग के सेवाभ्यर्थी की भर्ती के लिए स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करें । कांकेर के सहायक जनपद शल्य चिकित्सक को अधिकार है कि उस स्थान के वन विभाग के लिए अभ्यर्थी को स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करें ।

अपवाद 4. बालाघाट के सहायक शल्य चिकित्सक को अधिकार है कि वह बालाघाट जिले के राजस्व, आबकारी, भू-राजस्व, बिक्रीकर एवं खाद्य विभाग के सेवाभ्यर्थी को जो इन विभागों में भर्ती चाहते हैं, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान करें ।

[सामान्या प्रशासन विभाग जापन क्रमांक 914-CR-74-II दिनांक 63.1953,
वित्त विभाग पृष्ठांकन क्रमांक) 3333-516-R-IV-I, दिनांक 26.3.1953]

अपवाद 5. सहायक सिविल शल्य चिकित्सकों को अधिकार है कि वह उन सेवाभ्यर्थियों को जिनकी नियुक्ति राजस्व, आबकारी और भू-राजस्व विभागों में होती है, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रदान कर सकते हैं, यदि प्रमुख चिकित्सक जगदलपुर मुख्यालय में उपस्थित नहीं है ।

पूरक नियम 3. महिला उम्मीदवार- महिला उम्मीदवार महिला चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा व्यवसायी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकती है, जब ऐसा बिना किसी असुविधा के प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा सक्षम प्राधिकारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट प्रदान कर सकता है ।

पूरक नियम 4. उम्मीदवार जिसका वेतन रुपये 25 से कम है- जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी के पद पर की जाना हो, उनके प्रकरणों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य कर सकता है, चाहे ऐसा चिकित्सा अधिकारी कुछ भी योग्यता क्यों न रखता हो ।

पूरक नियम 5. कोई भी व्यक्ति, जिसे परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य घोषित कर दिया गया है, नियुक्ति प्राधिकारी के मार्फत केन्द्रीय मेडिकल बोर्ड को 10 रुपये का भुगतान शुल्क सहित चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध दिये गये निर्णय

की अपील कर सकता है। बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(ii) उप नियम (i) के अन्तर्गत केन्द्रीय मेडिकल बोर्ड को की जाने वाली अपील, सूचना प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन के भीतर की जाना चाहिए।

[वित्त विभाग क्रमांक 765-IV-R-I, दिनांक 27.4.1964]

मू.नि. 11 सेवा की सामान्य शर्तें- जब तक किसी प्रकरण में अन्यथा स्पष्टतः उपबंधित न हो, शासकीय सेवक का संपूर्ण समय उस शासन के अधीन है जो उसे भुगतान करता है, और उसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बगैर अतिरिक्त पारिश्रमिक दिये किसी भी प्रकार से नियोजित किया जा सकता है, चाहे उससे ली गई सेवायें इस प्रकार की हैं, जिसका मेहनताना साधारणतः सामान्य राजस्व से, किसी स्थानीय निधि से अथवा शासन द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से धारित या नियंत्रित किसी निगमित या अनिगमित निकाय की निधि से दिया जाता है।

मू. नि. 12. उसी पद पर दो या दो से अधिक शासकीय सेवकों की नियुक्ति-

- (अ) एक ही समय में, एक ही स्थायी पद पर मौलिक रूप से दो या दो से अधिक शासकीय सेवकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती,
- (ब) अस्थायी उपाय को छोड़कर, कोई भी शासकीय सेवक एक ही समय में मौलिक रूप से दो या दो से अधिक स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता,
- (स) जिस पद पर किसी शासकीय सेवक का धारणाधिकार है, उस पद पर मौलिक रूप से किसी अन्य शासकीय सेवक को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

मू.नि. 12-क. जब तक किसी मामले में इन नियमों में अन्यथा उपबंधित नहीं किया गया हो, शासकीय सेवक किसी स्थायी पद पर मौलिक नियुक्त होने पर उस पद पर धारणाधिकार प्राप्त करेगा तथा किसी अन्य पद पर पूर्व में प्राप्त धारणाधिकार को छोड़ेगा।

मू.नि.13. धारणाधिकार का धारण- जब तक कि मूल नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता या मूल नियम बी के अन्तर्गत स्थानान्तरित नहीं कर दिया जाता। शासकीय सेवक जो किसी स्थायी पद को मौलिक रूप से धारित किये हैं, उस पद पर धारणाधिकार धारित किए रहेगा-

- (अ) जब वह उस पद के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा हो,
- (ब) विदेश सेवा में है या अस्थायी पद धारित करता हो या दूसरे पद पर स्थानापन्न हो,
- (स) अन्य पद पर स्थानान्तरित होने पर कार्यग्रहण अवधि के दौरान, जब तक कि मौलिक रूप से उसका स्थानान्तरण निम्न पद पर नहीं किया गया हो, ऐसे प्रकरणों में उसका धारणाधिकार कार्य मुक्त होने के दिनांक से नवीन पद पर स्थानान्तरित हो जाएगा,
- (द) नियम 97 में अपवाद के अधीन नियम 86 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् स्वीकृति अस्वीकृत अवकाश से अतिरिक्त अवकाश पर रहते,
- (इ) जब वह निलंबनाधीन हो।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 1559/2882/84/नि-1/चार, दिनांक 27.8.1984]

महालेखा परीक्षक अनुदेश- यह नियम उन मामलों में लागू नहीं होगा, जिनमें मान्यता प्राप्त

प्रथा के अनुसार शासकीय सेवक को अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों के लिये उच्च दर पर भुगतान किया जाता है जिसे वह दिन के केवल कुछ भाग में निष्पादित करता है ।

स्थानीय शासन व्यवस्था- अन्तः कालीन मौलिक रूप से नियुक्त शासकीय सेवक-स्थायी पद पर मौलिक अनन्तिम रूप से नियुक्त शासकीय सेवक समस्त प्रयोजनों हेतु मौलिक नियुक्ति के साथ एक अधिकारी के समान माना जाना चाहिए, जब तक कि शासकीय सेवक द्वारा जिसकी उसके स्थान पर मौलिक अनन्तिम नियुक्ति की गई थी, पद पर धारणाधिकार ग्रहण नहीं कर लेता है ।

मू.नि. 14. धारणाधिकार का निलंबन- (अ) राज्य शासन स्थायी पद पर किसी शासकीय सेवक का धारणाधिकार जिसे वह मौलिक रूप से धारित किए हैं, निलंबित कर सकेगा, यदि उसकी नियुक्ति मौलिक रूप से होती है-

- (1) पदावधि पद पर, या
- (2) विलोपित (वित्त विभाग क्रमांक 1083-CR-1018-IV-R-I, दिनांक 14.9.1971 तथा 24-9-1971 से लागू)।
- (3) अन्तः कालीन उस पद पर जिस पर कोई अन्य शासकीय सेवक धारणाधिकार रखता हो, जब तक कि नियमों के अन्तर्गत उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं कर दिया जाता ।

(ब) राज्य शासन, यदि चाहे तो किसी भी शासकीय सेवक का धारणाधिकार उस पद पर जिसको वह मौलिक रूप से धारित किये हुए है, निलंबित कर सकता है, यदि उसकी प्रतिनियुक्ति भारत के बाहर की गई है अथवा बाह्य सेवा में स्थानान्तरित कर दिया गया हो अथवा उस स्थिति में जो इस नियम के उपखण्ड (अ) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, स्थानापन्न रूप में स्थानान्तरित किया जाता है और इन सभी प्रकरणों में ऐसा कोई भी विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, तीन वर्ष से पहले वापस नहीं लौटेगा ।

(स) इन नियमों के खण्ड (अ) अथवा (ब) में किसी बात के होते हुए भी, शासकीय सेवक का पदावधि पद पर धारणाधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा । यदि उसकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर मौलिक रूप से होती है तो, पदावधि पद पर उसका धारणाधिकार अनिवार्य रूप से ही समाप्त किया जाना चाहिए ।

(द) यदि किसी शासकीय सेवक का किसी पद पर धारणाधिकार इस नियम के खण्ड (अ) अथवा (ब) के अधीन निलंबित किया गया है तो, उक्त पद को स्थायी तौर पर भरा जा सकता है तथा जिस शासकीय सेवक की नियुक्ति उस पद पर मौलिक रूप से की जाती है, उस पर वह धारणाधिकार अर्जित करेगा, परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था उस समय उलट जाएगी जब निलंबित धारणाधिकार पुनर्जीवित हो जाए ।

(ई) नियम 97 के उप-नियम (3) में जैसा उपबंधित है के सिवाय, शासकीय सेवक का धारणाधिकार, जिसे इस नियम के खण्ड (अ) के अधीन निलंबित किया गया है, वह उस समय पुनर्जीवित हो जाएगा, जैसे ही वह उस प्रकार के पद को, जिसका वर्णन उक्त खण्ड के उपखण्ड (1) या (3) में किया गया है, छोड़ता है ।

(फ) शासकीय सेवक का धारणाधिकार, जिसे इस नियम के खण्ड (ब) के अन्तर्गत निलंबित

किया गया है, पुनर्जीवित हो जाएगा जैसे ही वह भारत से बाहर के या बाह्य सेवा में के प्रतिनियुक्ति के पद को धारण करना समाप्त करता है, परन्तु निलंबित धारणाधिकार पुनर्जीवित नहीं होगा इसलिए कि शासकीय सेवक अवकाश पर चला जाता है और ऐसा मानने का कारण है कि वह अवकाश से वापस लौटने पर पुनः भारत से बाहर या बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर या किसी अन्य संवर्गीय पद को ग्रहण कर लेगा तथा कर्तव्य से कुल अनुपस्थिति अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी या खण्ड (अ) के उप-खण्ड (1) अथवा (3) में वर्णित प्रकार के किसी पद को मौलिक रूप से ग्रहण करेगा ।

पू.नि. 14-क. (अ) मूल नियम 97 तथा इस नियम के खण्ड (स) तथा (द) में जैसा उपबंधित है के सिवाय, किसी भी परिस्थिति में किसी पद पर शासकीय सेवक का धारणाधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे इसके लिए शासकीय सेवक अपनी सहमति ही क्यों न दे, यदि इसका परिणाम यह हो कि उस शासकीय सेवक का किसी भी पद पर धारणाधिकार नहीं रहता है अथवा निलंबित धारणाधिकार भी स्थायी पद पर नहीं रहता है ।

(ब) विलोपित (वित्त विभाग क्रमांक 1083-CR-1018-IV-R-I, दिनांक 14-9-1971)

(स) नियम 14-अ के उपबंधों के होते हुए भी, शासकीय सेवक का धारणाधिकार उस स्थायी पद पर समाप्त हो जाएगा जिसे वह मौलिक रूप से धारित किये हुए है, जब वह मूल नियम 86 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति की तिथि के पश्चात् अस्वीकृत अवकाश पर प्रस्थान करता है अथवा उसे मौलिक रूप से उस पद पर नियुक्त किया जाए जिनका वर्णन नियम 97 के उपनियम (1) में किया गया है अथवा लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंता अथवा उसकी केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्ति हुई हो अथवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद पर नियुक्ति हुई हो ।

(द) किसी पद पर शासकीय सेवक का धारणाधिकार समाप्त माना जावेगा, यदि उसने अन्य किसी धारित संवर्ग के बाहर किसी स्थायी पद पर चाहे वह किसी राज्य सरकार के अधीन हो या केन्द्रीय सरकार के अधीन, धारणाधिकार प्राप्त कर लिया है ।

मू.नि. 14-ख. मूल नियम 15 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते, राज्य शासन किसी शासकीय सेवक का धारणाधिकार अन्य किसी स्थायी पद पर उसी संवर्ग में स्थानान्तरित कर सकता है, जब वह उस पद के कर्तव्यों का निष्पादन नहीं कर रहा हो जिस पद पर उसका धारणाधिकार है, चाहे ऐसा धारणाधिकार निलंबित ही क्यों न हो ।

मू.नि. 15. कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण—(अ) स्थानीय शासन शासकीय सेवक को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरित कर सकता है, बशर्ते कि-

- (1) अयोग्यता या कदाचरण के कारण, या
- (2) उसकी लिखित प्रार्थना,

के सिवाय, मौलिक रूप से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा, अथवा नियम 49 द्वारा आच्छादित मामले के सिवाय, स्थायी पद के वेतन से कम वेतन वाले पद पर जिस पर वह धारणाधिकार रखता है अथवा नियम 14 के अधीन उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता तो वह उस पर अपना धारणाधिकार कायम रखता, स्थानापन्न नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(ब) इस नियम के चरण (अ) अथवा नियम 9 के चरण (13) में की कोई बात, शासकीय सेवक को उस पद पर जिस पर यदि नियम 14 के चरण (अ) के उपबंधों के अनुसार उसे निलंबित नहीं किया गया होता तो धारणाधिकार बनाये रखता, पुनर्स्थानान्तरण को निवारित नहीं करेगी ।

स्थानीय शासन व्यवस्था 1- आदेश का भूतलक्षी प्रभाव से निरस्तीकरण. जो परिलब्धियों को प्रभावित नहीं करे. मूल नियम 15 के अधिकार से परे नहीं- एक प्रश्न यह उपस्थित हुआ है कि आदेश जिससे एक शासकीय अधिकारी की नियुक्ति भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त कर दी गई है उसकी परिलब्धियों प्रभावित नहीं की गई थीं, क्या मान्य है। यह माना गया है कि नियम अधिकारी की परिलब्धियों में अयोग्यता अथवा कदाचार के मामलों को छोड़कर, कमी करने को संरक्षित करता है, सन्दर्भाधीन आदेश मूल नियम 15 के आशय का उल्लंघन नहीं होगा ।

स्थानीय शासन व्यवस्था 2 - एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या किसी स्थायी व्यवस्था को अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश पर, जैसी भी स्थिति हो, उलट-पुलट किया जा सकता है। ऐसा आदेश मूल नियम 15 का अतिक्रमण होगा । इस प्रश्न पर महालेखा परीक्षक द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई अधिकारी जिसे सेवा से मुक्त किया जा चुका है अथवा सेवा से हटा दिया गया है, अथवा उसको निम्न पद पर ला दिया गया है अथवा किसी अन्य अधिकारी ने उसका स्थान ले लिया है, तो ऐसी स्थिति में उसको अधिकार है कि वह उस दण्ड के विरुद्ध पुनः अपील करे । उसकी अपील स्वीकार कर लेने पर और समक्ष यदि कोई ऐसा सक्षम प्राधिकारी है, जो हस्तक्षेप कर उस आदेश को जो कि निम्न प्राधिकारी द्वारा शास्ति दी गई और ऐसी स्थायी व्यवस्था जो इस बीच की गई थी, इस आदेश के अनुसरण में स्वतः उलट हुई समझी जाएगी और मूल नियम 15 के प्रावधान, जिनके अन्तर्गत शासकीय सेवक का मौलिक रूप से कम वेतन वाले पद पर स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता, के सिवाय, उस परिस्थिति में जिनका विवरण उन नियमों में दिया गया है, ऐसे प्रकरणों को आकर्षित नहीं करते ।

मू.नि. 16. भविष्य एवं अन्य निधियाँ- शासकीय सेवक से अपेक्षा है कि वह भविष्य निधि, परिवार पेंशन निधि अथवा उसके समान अन्य निधि में, उन नियमों के अनुसार, जैसे कि वे राज्य परिषद् के सचिव द्वारा विनिहित किए जाएँ, में अभिदान करे ।

मू.नि. 17. तिथि जब से वेतन एवं भत्ते प्रभावशील होंगे- एक अधिकारी उसके पद से संलग्न वेतन एवं भत्ते उस तारीख से आहरित करना प्रारंभ करेगा, जब वह उस पद के कर्तव्यों को ग्रहण करता है, और जैसे ही वह उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना बन्द कर दे, उनका आहरण नहीं करेगा, बशर्ते कि इन नियमों में विशेष रूप से अन्यथा कोई अपवाद न हो :

परन्तु कोई भी अधिकारी जो अप्राधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से गैरहाजिर रहता है, ऐसी गैरहाजिरी की कालावधि के दौरान किसी वेतन-भत्ते का हकदार नहीं होगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1. प्रभार का स्थानान्तरण- शासकीय सेवक उसके पद के संलग्न वेतन एवं भत्तों का आहरण तब से प्रारंभ करेगा जब वह उस पद का कार्यभार ग्रहण करता है । यदि

कार्यभार दोपहर पूर्व ग्रहण किया जाता है तो उसी दिन से, यदि दोपहर के पश्चात् ग्रहण किया जाता है तो उसके दूसरे दिन से आहरण प्रारंभ करेगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. विलोपित ।

मू.नि. 17-क - मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 27 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अप्राधिकृत गैरहाजिरी की कालावधि के बारे में जो-

- (एक) औद्योगिक स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में, किसी ऐसी हड़ताल के दौरान हुई है, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का क्रमांक 14) या मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमिक 27 सन् 1960) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अवैध घोषित कर दिया गया है,
- (दो) अन्य कर्मचारियों के मामले में, बिना किसी प्राधिकार के अथवा सक्षम प्राधिकारी के समाधान के लिए वैध कारण के बिना, मिलजुलकर या सम्बद्ध रीति से कार्य करने के फलस्वरूप हुई है, जैसे हड़ताल के दौरान, तथा
- (तीन) किसी वैयक्तिक कर्मचारी की दशा में, उसके अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने या पद का परित्याग कर देने के कारण हुई है,

छुट्टी यात्रा रियायत, अर्ध-स्थायीता और विभागीय परीक्षा, जिसके लिये निरन्तर सेवा की न्यूनतम कालावधि विहित है, में प्रवेश पाने की पात्रता के प्रयोजनार्थ, जब तक सक्षम प्राधिकारी अन्यथा विनिश्चित नहीं करे, यह समझा जाएगा कि उससे कर्मचारी की सेवा में विच्छेद या व्यवधान हुआ है ।

स्पष्टीकरण 1- इस नियम के प्रयोजनार्थ **‘हड़ताल’** में शामिल है-

- (एक) इंकार करके या अन्य प्रकार से, पूर्ण या आंशिक कार्य विराम का आश्रय लेना, या
- (दो) सामान्य कार्य समय से आगे कार्य करने से इंकार करना जब कि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा संधारण के लिए आवश्यक है, या
- (तीन) किसी स्थापना (इन्स्टालेशन) मशीनरी, संयंत्र, यान, भवन, कार्यालय अभिलेख या किसी अन्य सम्पत्ति को बिगाड़ना अथवा नुकसान पहुँचाना या विनष्ट करना या ऐसा कार्य करने का प्रयत्न करना या उसका दुष्प्रेरण करना, या
- (चार) अवकाश की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से गैरहाजिर रहना; या
- (पांच) कलम बन्द करने, टेलीफोन बन्द करने, औजार बूंद करने, चक्का जाम करने, धीमी गति से काम करने जैसी किसी भी क्रियाकलाप या किसी अन्य क्रियाकलाप चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसकी कि परिणति कार्य विराम या कार्य मंदता में होती है, का आश्रय लेना, या
- (छः) ऐसे कार्य का कार्यलोप का आश्रय लेना जिसकी कि परिणति असामान्य कामकाज की विच्छिन्नता में होती है, या
- (सात) किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने से निवारित या बाधित करना ।

स्पष्टीकरण 2- इस नियम में शब्द **“सक्षम प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है विभाग प्रमुख जिसके अन्तर्गत आते हैं-

- (क) ऐसे अधिकारी जो सरकार द्वारा विभाग प्रमुख घोषित किए गए हैं तथा
- (ख) कोई ऐसा अन्य अधिकारी जिसे सरकार विभाग प्रमुख की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करे ।

मू.नि. 18-लगातार अनुपस्थिति का प्रभाव- जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्यथा विनिश्चित न करें, किसी भी शासकीय सेवक को लगातार पाँच वर्ष से अधिक अवधि का किसी भी प्रकार का अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

**शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति/अनधिकृत
अवकाश- अनुशासनिक कार्यवाही - राज्य शासन अनुदेश
(1)**

शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण आए हैं, जिनमें शासकीय सेवक लम्बे समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं तथा वे इस अनधिकृत अनुपस्थिति के उपरान्त जब विभाग-कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तो विभाग-कार्यालय द्वारा उनके विरुद्ध अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभागीय जाँच की जाना तो दूर बल्कि उन्हें सीधे ड्यूटी पर ले लिया जाता है, तत्पश्चात् अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने हेतु प्रकरण में मार्ग-दर्शन चाहा जाता है, इस प्रकार की स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है ।

2. उक्त स्थिति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग) के जापन क्रमांक सी-3-12-90-3/49, दिनांक 19-7-1990 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त विभागों को मूल नियम 18 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं । इन निर्देशों के अनुसार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध यथा समय तत्परता से अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए । इसी संबंध में आपका ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग के जापन क्रमांक 62/1464/1(3)/79, दिनांक 28-1-1980 की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें लिखा है कि ऐसे शासकीय सेवक जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जाँच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से ये निलंबन भत्ते आदि भी प्राप्त करते हैं । साथ में यह भी निर्देश दिये गये कि यदि कोई इस प्रकार का शासकीय सेवक सेवा में पुनः लिया जाता है एवं प्रशासकीय कारणवश यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उसे सेवा में लिये जाने की तिथि से निलंबन में रखा जा सकता है । (प्रतिलिपि संलग्न)

3. अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का नियम 7 और मूल नियम 48 लागू होते हैं । ये इस प्रकार हैं-

(अ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 का उद्धरण-

4. अनधिकृत अनुपस्थिति के मामले के निपटारे के संबंध में तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं । उनको मद्देनजर रखते हुए, राज्य शासन इस विषय पर पूर्व निर्देशों को संशोधित

करते हुए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 24 के अधीन निर्वचन की शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, यह निर्देशित करता है कि-

- (क) यदि आपात कारणों को छोड़कर, कोई भी शासकीय सेवक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो तो सक्षम प्राधिकारियों को आचरण नियमों के नियम 7 के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारों का उपयोग करते समय सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी बिना सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित रहे शासकीय सेवक के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही अविलम्ब प्रारंभ कर दी जाए ।
- (ख) अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित होने और ड्यूटी ज्वाइन करने के लिये उपस्थित हो तो उसे उपस्थित होने के दिनांक से ही निलंबित किया जाय ।
- (ग) कंडिका (क) में बताई गई अनुशासनात्मक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण की जाए और उसमें यथोचित आदेश पारित किये जायें । उक्त आदेश पारित करने के साथ ही जैसी भी स्थिति हो, उसके मुताविक निलंबन अवधि के बारे में भी निर्णय दिया जाए ।
- (घ) यहाँ यह ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त आदेश लागू करते समय प्रत्येक प्रकरण के गुणदोषों में बाधक विश्लेषण अवश्य किया जाए ताकि छोटी-छोटी अर्थात् केवल कुछ दिवस की ऐसी अवधि की ऐसी अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं निलंबन करने की स्थिति पैदा न हो, जिनमें शासकीय सेवक के पास आपात रूप से अनुपस्थित रहने की विवशता और आवश्यकता के पुष्ट आधार हों ।

5. इन आदेशों का पालन अत्यन्त कड़ाई से किया जावे तथा जो शासकीय सेवक अभी भी अनाधिकृत रूप से शासकीय सेवा से लंबी अवधि से अनुपस्थित हैं तथा जिनके विरुद्ध अभी तक कोई विभागीय जाँच संस्थित नहीं की गई है उनके विरुद्ध भी अब तत्काल विभागीय जाँच उपरोक्तानुसार संस्थित की जाना सुनिश्चित किया जाय ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी- 1-6-36/92/3/1, दिनांक 5-9-1992]

(2)

शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें शासकीय सेवकों को लंबी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबन में रख दिया जाता है और बाद में वह व्यक्ति निलंबन भत्ते की माँग करता है । यदि ऐसे प्रकरणों में किसी शासकीय सेवक को निलंबन में नहीं रखा जाए तो उसके अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि का कुछ भी नहीं मिलता, जबकि निलंबन में रखने पर प्रथम 6 माह तक आधा वेतन और उसके बाद तीन-चौथाई वेतन का भुगतान करना पड़ता है । अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पृथक् करने के लिये विभागीय जाँच के दौरान उसे निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है । इसलिए लंबी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को विभागीय जाँच के लिये निलंबित न किया जाय । यदि कोई अनधिकृत अनुपस्थित शासकीय सेवक सेवा में पुनः लौटता है एवं प्रशासकीय कारण वश यदि यह आवश्यक समझा जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा में लौटने की तिथि से निलंबन में रखा जा सकता है ।

कृपया आप अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान शासन के उपर्युक्त

अनुदेश की ओर आकृष्ट करें तथा उसका दृढतापूर्वक पालन कराये ।
[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 62/1464/1(3)/79, दिनांक 28-1-1980]

शासन का ध्यान कुछ ऐसे प्रकरणों की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें विभागों के कतिपय शासकीय सेवकों ने अपने कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के पश्चात् संबंधित विहित प्राधिकारी को अपना कार्यभार ग्रहण करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु संबंधित विहित प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त स्वरूप वाले कार्यभार ग्रहण करने के प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किए गए ।

2. फलस्वरूप अनधिकृत रूप से अनुपस्थित (अवकाश) पर रहने के पश्चात् संबंधित विहित प्राधिकारियों द्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने की सूचना को स्वीकार नहीं किये जाने की कार्यवाही के लिये न्यायालय/प्रशासनिक अधिकरण में याचिकाएँ प्रस्तुत की गई ।

मूल नियम 18 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 में अवकाश से संबंधित प्रावधान हैं । यदि इन नियमों के प्रकाश में संबंधित विहित प्राधिकारी द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित (अवकाश पर रहे) शासकीय सेवकों के विरुद्ध यथा समय तत्परता से कार्यवाही की जाती तो शासन टाली जा सकने वाली उलझनों और विवादों से बचा रह सकता था और महीनों तक बिना काम की अवधि संबंधी वेतन इत्यादि के भुगतान करने की जिम्मेदारी से भी बच सकता था ।

4. आशा की जाती है कि भविष्य में प्रश्नास्पद विहित अधिकारियों द्वारा पद 3 में उल्लेखित नियमों के पालन को अधिक दृढता से सुनिश्चित करवायेंगे । इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपनी उन मासिक बैठकों में जो आप निःसंदेह अपने कार्य क्षेत्र के अधीनस्थ अधिकारियों के साथ कार्य की मासिक विवेचना और लक्ष्य निर्धारण के लिये बुलाते होंगे, स्पष्ट चर्चा करें और विषय के महत्व को अधीनस्थ अधिकारियों को नोट करायें ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-1/90/3/49, दिनांक 19-7-1990]

विषय- समयावधि ।

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम भाग-एक के नियम 18 और भाग-दो के नियम 6 के तहत नियमानुसार शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है-

पूर्व में डाइस-नान के प्रकरण वित्त विभाग को भेजे जाते थे । राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अब डाइस-नान के प्रकरण प्रशासकीय विभागों द्वारा ही निपटाए जायें ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफजी-3-3-94-सी-चार दिनांक 20-12-1994]

(5)

विषय- शासकीय सेवकों की अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही।

सन्दर्भ- इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 62/1464/79/3/1, दिनांक 28-1-80 क्र एफ.सी. 3-1/90/3/49, दिनांक 19-7-1990 एवं क्रमांक सी-6-36-92/3/एक दिनांक 5-9-1992 ।

लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा अन्य कार्यवाहियों के अलावा ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को सभी उद्देश्यों के लिये अकार्य दिवस मानने के निर्देश सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा जारी किये गये थे

। राज्य शासन के ध्यान में आया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कुछ प्रकरणों में अभी भी ऐसे अनधिकृत रूप से अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

2. राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि जो शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिये अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी ऐसी अनधिकृत अनुपस्थिति अवधि को नियम 27 पेंशन नियम 1976, सहपठित मूल नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा में व्यवधान माना जावे । ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल दीर्घशास्ति के लिये विभागीय जाँच संस्थित की जावे । इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे । आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे ।

3. अनधिकृत रूप से एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त सभी प्रकार के शासकीय सेवकों को उनके द्वारा दिए गए अवकाश काल के पते व अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही सूचना पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताए कि उसकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन, उपदान आदि समस्त उद्देश्यों के लिये क्यों न सेवा में व्यवधान माना जाए । यदि वह दी गई अवधि में उचित कारण नहीं बता पाते हैं तब उनकी सेवा में व्यवधान मानते हुए उनकी सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाए । उनकी सेवा में इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी सम्मिलित है, के लिए उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जाएगा ।

4. अनधिकृत अनुपस्थिति संबंधी उपरोक्त कार्यवाही 30 दिवस से कम अवधि के लिए अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अन्य कर्मचारियों के उचित मामलों में भी की जानी चाहिए ।

5. उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे । जो अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6-3/2000/3/एक, दिनांक 2-2-2000]

विषय- अनधिकृत अनुपस्थिति या कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही ।

सन्दर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक 62/1464/79/3/एक, दिनांक 28-1-1980, क्रमांक एफ.सी. 3-1/90/3/40, दिनांक 19-7-1990, क्रमांक सी-6-36/92/3/एक दिनांक 5-9-92 तथा क्रमांक सी-6-3/2000/3/ एक, दिनांक 2-2-2000.

ग्राम संपर्क अभियान वर्ष 1999-2000 के प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 70 एवं 72 में अनुशंसा की गई है कि अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षक एवं चिकित्सकों के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश, पेंशन नियम, मूलभूत नियम व मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, इत्यादि के तहत प्रभावी कार्यवाही की जाए । जहाँ पर ग्राम स्तरीय कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख पाये जाते हैं वही उनके पर्यवेक्षक/अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जावे ।

2. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये हैं। मूलभूत नियम 18 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 के अन्तर्गत अनधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जाना चाहिए। ऐसे शासकीय सेवक जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जाँच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की माँग करते हैं।

3. सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि लंबी अवधि तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन दीर्घशास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अविलंब प्रारंभ की जाये।

4. अनधिकृत अनुपस्थिति के पश्चात् जैसे ही ऐसा शासकीय सेवक कार्य पर उपस्थित हो, उसे उसी दिनांक से निलंबित किया जाए।

5. अनुशासनात्मक कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण करते हुए आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने या पदच्युत करने संबंधी आदेश पारित किये जायें साथ ही निलंबन अवधि के बारे में निर्णय भी तत्समय लिया जाए। अनुशासनिक कार्यवाही का निराकरण अधिकतम 6 माह की अवधि में कर लिया जाए।

6. एक माह या उससे अधिक अवधि की अनधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन नियम, 1976 के नियम 27 सहपठित मूल नियम 17-ए के अधीन सभी उद्देश्यों के लिये सेवा व्यवधान माना जाए। ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत न किया जावे।

7. एक माह से अधिक अवधि तक अनधिकृत अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके द्वारा लिये गये अवकाश काल के पते व अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही सूचना पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताये कि उक्त अनधिकृत अनुपस्थिति को पेंशन, उपदान आदि समस्त उद्देश्यों के लिये क्यों न सेवा में व्यवधान माना जावे। दी गई अवधि में कारण न बताये जाने पर सेवा में व्यवधान मानते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाएगा। इस व्यवधान का अर्थ यह होगा कि समस्त प्रयोजन, जिनमें पेंशन संबंधी लाभ भी शामिल हैं, के लिए उनकी तब तक की सेवा का हरण हो जाएगा।

8. उपयुक्तता निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाला अधिकारी या शासकीय सेवक के कर्तव्य विमुख पाये जाने पर उनके संबंधित पर्यवेक्षक / अधिकारियों के संबंध में भी उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व विभाग सहित समस्त विभाग अपने स्तर पर परिपत्र जारी करते हुए निर्देशों का पालन कड़ाई से करवायें।

भाग तीन
अध्याय 4 - वेतन

मू.नि. 19. प्रारंभिक वेतन निर्धारण की शक्ति.- (1) अधिनियम की धारा 45-क के अधीन निर्मित नियमों तथा परिषद के राज्य सचिव के द्वारा परिषद के गवर्नर जनरल अथवा परिषद के राज्यपाल की शक्तियों पर आदेश द्वारा अधिरोपित किन्हीं प्रतिबंधों के अधीन रहते, जैसा भी मामला हो, वेतन का निर्धारण स्थानीय सरकार की सामर्थ्य के अन्दर है, बशर्ते कि किसी शासकीय सेवक का वेतन इतना नहीं बढ़ा दिया जाए कि उसी संवर्ग में उसके वेतन के बराबर वेतन की दर विषयक पद का निर्माण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना उसके पद के लिए मंजूर वेतन से अधिक हो जाए ।

(2) उसमें उल्लेखित अथवा इस नियम के उपनियम (1) द्वारा अधिरोपित किन्हीं प्रतिबंधों के होते हुए भी, स्थानीय सरकार मंजूर कर सकती है-

- (i) किसी भी शासकीय सेवक को मूल नियम 9 के उपनियम (23) के खण्ड (अ) में जैसा परिभाषित है, व्यक्तिगत वेतन,
- (ii) अन्वेषण कार्य पर नियोजित भारतीय वन सेवा के किसी सदस्य को रुपये 150 प्रतिमाह की सीमा तक विशेष वेतन,
- (iii) भारतीय वन सेवा के किसी सदस्य को, जिसकी नियुक्ति विशेष तौर पर वर्किंग प्लान ऑफिसर्स के पद पर या वर्किंग प्लान आफीसर्स के सहायतार्थ की गई है, नीचे दी गई दर के अनुसार, उस अवधि के लिए जब वह विशेष रूप से इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं विशेष वेतन-

वर्किंग प्लान ऑफिसर

रुपये 100 प्रतिमाह

सहायक वर्किंग प्लान ऑफिसर

रुपये 50 प्रतिमाह

- (iv) भारतीय वन सेवा के उन अधिकारियों को, जो संभागीय या जिला वन अधिकारी के पद पर हैं तथा अपने साधारण कर्तव्यों के साथ-साथ वर्किंग प्लान का संकलन कार्य देख रहे हैं अथवा ऐसी योजना के संकलन कार्य में सहायता करने हेतु नियुक्त किये गये हों, उपर्युक्त वर्णित विशेष वेतन की दर से विशेष वेतन अधिक नहीं,
- (v) उपरोक्त खण्डों (ii) से (iv) के प्रकरणों में जैसा उपबंधित है के अलावा विशेष वेतन, अथवा किसी शासकीय सेवक को मूल नियम 9 के उपनियम (23) के खण्ड (ब) में जैसा परिभाषित है, ऐसी प्रत्येक मंजूरी के मामले में दो वर्षों से अनधिक समय के लिए व्यक्तिगत वेतन, बशर्ते कि-

(अ) विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत वेतन मिलकर सरकारी सेवक का कुल वेतन रुपये 4000 प्रतिमाह से अधिक न हो,

(ब) यदि राज्य सरकार राज्यपाल के प्रान्त की स्थानीय सरकार है, तो ऐसा

विशेष

वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन अथवा दोनों, बिना राज्यपाल की पूर्व मंजूरी के सरकारी सेवक के वेतन का 1/5 भाग (उनके विशेष वेतन एवं व्यक्तिगत

वेतन को छोड़कर) से अधिक नहीं होगा अथवा रुपये 10 प्रतिदिन, इन दोनों में से जो भी कम हो;

- (स) उपर्युक्त दो वर्षों की सीमा उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी जहाँ विशेष वेतन भारतीय चिकित्सा सेवा के उन अधिकारियों को मंजूर किया गया है जो भारतीय रेलवे के कर्मचारियों की देखरेख कर रहे हैं ।

राज्य सचिव आदेश 1 - उन मामलों में जहाँ राज्य शासन ने भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को मूल नियम 19 (2) (v) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन मंजूर किया है, ताकि भारतीय सिविल सेवा के समयमान में उन्हें जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति हो सके जैसा कि वरिष्ठ सिविल सेवा नियमों की अनुसूची VIII में दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा के समयमान में मूल वेतन कम है । इस पर राज्य सचिव द्वारा यह मान्यता प्रदान की गई है कि मूल नियम 19 (2) (v) के उपबन्धों का अभिप्राय यह नहीं है कि इस नियम का इस प्रकार प्रयोग किया जाए और राज्य शासन की कार्यवाही जिससे मूल नियम 19 (2) (v) के अन्तर्गत व्यक्तिगत वेतन मंजूर किया जाना अनियमित है और इसका प्रभाव यह है कि जो विशेष अथवा व्यक्तिगत वेतन की अधिकतम सीमा जो पद के लिए निर्धारित की गई थी उसको हटाने का काम किया है । राज्य सचिव ने निर्देशित किया है कि उपर्युक्त रास्ता राज्य शासन के पास यह होगा कि उसको अधिकतम वेतन की सीमा को शिथिल करने के लिए प्रस्ताव भेजना चाहिए । ऐसा उस समय किया जाना चाहिए जब ऐसे पद पर उस अधिकारी की नियुक्ति की गई है जिसका अधिकतम वेतन भारतीय सिविल सेवा के समयमान में उस पद के लिए मंजूर अधिकतम वेतन से अधिक है ।

[भारत शासन, गृह विभाग पत्र क्रमांक 158-41 दिनांक 17-6-1941, जिसकी प्रतिनियुक्ति विभाग के पृष्ठॉकन क्रमांक 1924-1108-1, दिनांक 25-6-1941 द्वारा प्राप्त हुई।

राज्य सचिव आदेश 2 - उसके नियम निर्माणकारी नियंत्रणाधीन अधिकारियों के लिए दो वर्षों से अधिक अवधि के लिए भारत सरकार द्वारा विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन हेतु के लिए प्रांतीय सचिव की मंजूरी अपेक्षित नहीं है, बशर्ते कि विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन की राशि व्यक्ति के वेतन का 1/5 अथवा एक दिन में रुपए 10 जो भी कम हो, से अधिक नहीं हो । उन मामलों में जहां विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन की राशि व्यक्ति के वेतन का 1/5 से या एक दिन में रुपए 10 जो भी कम हो, से अधिक नहीं है, इस बात पर ध्यान दिये बिना कि विशेष वेतन अथवा व्यक्तिगत वेतन कितनी अवधि के लिए मंजूर किया जाना है, प्रांतीय सचिव की मंजूरी अपेक्षित होगी ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1- नियम जो मूल नियम 22 एवं 23 को रद्द नहीं करेंगे- मूल नियम 19 की यह मंशा नहीं है कि वह स्थानीय शासन को यह अधिकार देता है कि वह मूल नियम 22 एवं 23 में जितना वेतन अनुज्ञेय है, उससे कम वेतन मंजूर करे ।

स्थानीय शासन नियम 1- पूर्व सैनिक सेवा की गणना जेल विभाग में वेतन वृद्धि के लिए की जाना- भूतपूर्व सैनिक जिसकी नियुक्ति मध्यप्रदेश के जेल विभाग में सहायक जेलर, मुख्य प्रहरी, एवं प्रहरी के रूप में की गई है, अथवा की जावेगी, वहाँ अनुमति है कि उसकी सेना की पूर्व सेवा

वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाए, बशर्ते कि आर्मी सेवा से पदच्युत होने के तीन वर्ष के अन्दर जेल विभाग में वह अपना पद ग्रहण कर ले ।

स्थानीय शासन नियम 2- पूर्व सैनिक सेवा की गणना आरक्षी विभाग में वेतनवृद्धि के लिए की जाना- भूतपूर्व सैनिक जिसकी नियुक्ति इस प्रान्त के आरक्षी बल में आरक्षक के पद पर अथवा आरोहण मुख्य आरक्षक के पद पर की गई है अथवा की जाएगी, उसकी पूर्व सैनिक सेवा जिसमें अस्थायी और निवृत्ति वेतन सहित सेवा भी सम्मिलित है, वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाएगी, बशर्ते कि वे आर्मी सेवा से पदच्युत होने के 12 माह की अवधि के अन्दर आरक्षी विभाग में अपना पद ग्रहण कर ले । यह सीमा परमसीमा नहीं है तथा स्थानीय शासन किसी व्यक्तिगत मामले में उसके गुण-दोष के आधार पर जहां पर कि उपरोक्त सीमा को लागू करने में कठिनाई प्रतीत हो, विचार कर सकता है ।

स्थानीय शासन नियम 3- इस सरकार के नियम निर्माणकारी नियंत्रणाधीन सिविल आरक्षी बल

का कोई सदस्य, जिसने इस नियुक्ति के पूर्व भारतीय सेना की आरक्षित सेवा में सेवा की है, यदि उसकी सैनिक सेवा जिसमें आरक्षी सेवा के साथ अतिरिक्त सराहनीय सेवा सम्मिलित है या नहीं एवं जिनकी सैनिक सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवा पेंशन योग्य थी, परन्तु पेंशन योग्य सेवा होने से पूर्व ही समाप्त कर दी गई हो और वह पदच्युत होने के 12 माह के अन्दर आरक्षी विभाग में अपना पद ग्रहण करे । परिषद के राज्यपाल के विवेकाधीन उसकी संपूर्ण सेवा सराहनीय सेवा सहित, यदि कोई हो, और आरक्षी बल की आधी सेवा सिविल आरक्षी बल में वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जा सकती है, बशर्ते कि वह आरक्षी विभाग को आर्मी से उसके मुक्त होने के बारह माह के अंदर ज्वाइन कर ले । यह सीमा परमसीमा नहीं है, तथा स्थानीय शासन वैयक्तिक मामले में गुणदोष के आधार पर जहां उपरोक्त सीमा को लागू करने के कठिनाई प्रतीत हो, विचार कर सकता है ।

भारत शासन आदेश - मद्रास सरकार द्वारा निर्मित अवर सचिव के अस्थायी पद पर नियुक्त आईसीएस अधिकारी द्वारा विशेष वेतन का आहरण जो कि प्रतिमाह रु 200/- विशेष वेतन है, मूल नियम 19(2) के उपबंध लागू होने के बारे में, मद्रास सरकार द्वारा संदर्भित किये जाने पर भारत सरकार द्वारा भारत के महालेखा परीक्षक की सहमति से निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है-

वरिष्ठ सिविल सेवा नियमों की अनुसूची VIII-A जो कि भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 276 के अधीन प्रभावशील है, ये नियम धारा 247 (1) (ए) के अन्तर्गत राज्य सचिव द्वारा बनाए गए हैं, उसमें कुछ पद सम्मिलित हैं, जो कि नियमों के अधीन भारतीय सिविल सेवा के लिए सुरक्षित रखे गये हैं, उक्त अधिनियम की धारा 246 के अन्तर्गत बनाए गए हैं । इसके साथ अन्य पद जो सुरक्षित नहीं हैं, परन्तु सुरक्षित होने की सम्भावना है, मानो कि बहुधा उस सेवा के उन सदस्यों द्वारा धारित किये गये हैं । वरिष्ठ सिविल सेवा नियमों के नियम 18 जो कि अनुसूची VIII-A की टिप्पणी (1) के साथ पढ़े जायें, में यह प्रावधानित है कि जब भारतीय सिविल सेवा अधिकारी अनुसूची में उल्लेखित पदों में से कोई पद धारित करता है तो वह विशेष वेतन की वह राशि पाने का हकदार होगा जो कि पदों के सामने उस सूची में दी गई है । अवर सचिव का अस्थायी पद जो कि राज्य शासन द्वारा निर्मित है, अवर सचिवों की प्रविष्टि के अन्तर्गत आते हैं, जो कि अनुसूची VIII-A

में शीर्ष "मद्रास" में दिया गया है और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी जब अवर सचिव के अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो तो स्वतः ही इस प्रविष्टि के अनुसार विशेष वेतन (अर्थात् रुपये 200) पाने का अधिकारी हो जाता है। इन परिस्थितियों में राज्य शासन को राज्य सचिव अथवा गवर्नर जनरल की मूल नियम 9 (2) (v) के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक नहीं है।

[भारत शासन, गृह विभाग क्र. 92-40-स्था दिनांक 3-7-1940, प्रतिलिपि महालेखाकार. के पृष्ठांकन क्र. जी.ए. 1-952 दिनांक 28-08-1940 से प्राप्त]

मू.नि. 20. वेतन कब कर्तव्य पर समझा जाएगा - नियम 9 (6) (b) के अन्तर्गत कर्तव्य मानी गई किसी अवधि के बारे में, शासकीय सेवक को ऐसा वेतन (विशेष वेतन सहित) मंजूर किया जा सकता है, जैसा कि शासन को साम्यपूर्ण प्रतीत हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उस वेतन से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा जिसे कि शासकीय सेवक मूल नियम 9 (6) (b) के अन्तर्गत कर्तव्य के अलावा यदि कर्तव्य पर होता तो जो वह आहरित करता।

[वित्त विभाग क्रमांक 143-2226/चार-नि-1/59, दिनांक 15-01-1960]

पूरक नियम - शासकीय सेवक जो विभिन्न विभागों में सेवा करते हैं और जिन्हें मूल नियम 9 (6) (b) (i) के अन्तर्गत कर्तव्य पर समझा जाता है, परिशिष्ट IV में दी गई दर से प्रशिक्षण की अवधि

में वेतन एवं भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

महालेखा परीक्षक अनुदेश - विलोपित।

[वित्त विभाग क्रमांक 361-आर-39-चार-नि-1 दि. 14-2-1962]

स्थानीय शासन आदेश 1 - शासकीय सेवक जिसे असैनिक व्ययानुमानों से भुगतान प्राप्त होता है एवं जो विभिन्न सेना, नौसेना और वायुसेना का आरक्षित सदस्य है, (आरक्षित अधिकारियों को छोड़कर) जब नियतकालिक सैनिक प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाता है, तो सेना का वेतन एवं भत्ता प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वह प्रशिक्षण की अवधि में (संक्रमण काल को छोड़कर) असैनिक सेवा के वेतन एवं भत्ते के अन्तर की राशि जो सैनिक सेवा के वेतन एवं भत्ते (उन सुविधाओं को छोड़कर, जो कि वस्तु के रूप में प्राप्त होता है, जैसे निःशुल्क राशन इत्यादि से यदि अधिक हो, प्राप्त करेगा और इस अंतर की राशि का विकलन उसी मद को किया जाएगा जिस मद में साधारणतः उसके असैनिक सेवा के वेतन एवं भत्तों को किया जाता है। संक्रमण काल की अवधि में वह असैनिक दर से वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेगा और इस पर होने वाला व्यय भी उसी बजट शीर्ष को विकलित किया जाएगा, जिसमें ऐसा व्यय साधारणतः, विकलित होता है, अर्थात् उसके सिविल वेतन एवं भत्ते के मद में उसे कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, क्योंकि वह रेल्वे वारन्ट से यात्रा करेगा और राशन, खनिज, जल एवं बर्फ भत्ता जो गर्मी के मौसम में दिया जाता है, आहरित करेगा। प्रशिक्षण काल एवं प्रशिक्षण स्थल तक जाने एवं आने में लगने वाला समय, सिविल अवकाश, पेंशन एवं सिविल वेतन में वेतनवृद्धि के प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवधि माना जाएगा।

उपर्युक्त छूट उन अस्थायी शासकीय सेवकों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी लागू होगी

जो कार्यभारित स्थापना या मस्टर रोल पर नियुक्त हैं, तथापि यदि पद जिसे वह धारण किये था अथवा कार्य जिस पर वह नियुक्त था, प्रशिक्षण समाप्ति के पूर्व समाप्त हो जाता है, प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही उसका असैनिक नियोजन समाप्त हुआ समझा जाना चाहिए ।
[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1481-CR-20-1 (IV), दिनांक 14-4-1960]

स्थानीय शासन आदेश 2- उक्त नियमों में प्रयुक्त शब्द "वेतन" में "विशेष वेतन" सम्मिलित माना जाना चाहिए ।

[वित्त विभाग क्रमांक 361-नि-39-चार/नि-1, दिनांक 14-2-1962]

मू.नि. 21. समयमान वेतन.- राज्य सचिव द्वारा स्वीकृत वेतनमान पर समयमान नियम लागू नहीं होता- नियम 22 से 29, दोनों नियमों सहित एवं नियम 31 सामान्यतः किसी भी समयमानों के वेतन को लागू हैं तथापि वे परिषद के राज्य सचिव द्वारा स्वीकृत किसी भी समयमानों को जहाँ तक कि वे इस प्रकार ऐसे वेतनमानों हेतु विशिष्टतः शर्तों के साथ स्वीकृत है, असंगत लगे, लागू नहीं होंगे ।

मू.नि. 22 समयमान वेतन वाले पदों पर नियुक्ति होने पर प्रारम्भिक वेतन- शासकीय सेवक जिसको किसी समयमान वेतन वाले पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है, का प्रारम्भिक मौलिक वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किया जाएगा-

- (ए) पदावधि पद से अतिरिक्त यदि वह किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता है अथवा वह ऐसे पद पर धारणाधिकार रखता, यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया जाता तो -
- (i) जहाँ नये पद पर नियुक्ति पुराने स्थायी पद के संलग्न कर्तव्यों अथवा उत्तरदायित्वों से अधिक धारणा की है, (जैसे मूल नियम 30 के उद्देश्यों के लिए व्याख्या की गई है), तो वह पुराने पद के मौलिक वेतन से निकटतम ऊपरी प्रक्रम पर नये पद के समयमान में प्रारम्भिक वेतन आहरित करेगा;
 - (ii) जहाँ नवीन पद पर नियुक्ति इस प्रकार की धारणा की नहीं है, तो वह पुराने पद के मौलिक वेतन के बराबर के प्रक्रम पर नये पद के समयमान में प्रारम्भिक वेतन आहरित करेगा अथवा यदि, जहाँ इस प्रकार का प्रक्रम नहीं है, तो उस वेतन के ठीक निचले प्रक्रम पर तथा इसके साथ अन्तर के बराबर वैयक्तिक वेतन प्राप्त करेगा और किसी भी मामले में वह उस समय तक निरन्तर वह वेतन प्राप्त करता रहेगा जब तक कि वह पुराने पद के समयमान में वेतनवृद्धि प्राप्त नहीं कर लेता है या उस समय तक जब वह नये पद के समयमान में वेतनवृद्धि अर्जित नहीं करता, इनमें से जो भी पहले हो, लेकिन यदि नये पद के समयमान का न्यूनतम वेतन ही उसके पुराने पद के मौलिक वेतन से अधिक है, तो वह नये पद के समयमान का न्यूनतम ही प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा,
 - (iii) जहाँ नये पद पर नियुक्ति स्वयं के निवेदन पर मूल नियम 15-ए के अधीन की गई है और नये पद के समयमान का अधिकतम वेतन पुराने पद के

मौलिक वेतन से कम है, तो वह नये पद के समयमान का अधिकतम प्रारम्भिक वेतन के रूप में आहरित करेगा ।

(बी) यदि खण्ड (ए) में विहित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो वह समयमान का न्यूनतम ही प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा :

बशर्ते कि दोनों, खण्ड (ए) द्वारा आच्छादित अवस्था में तथा लोक सेवा से त्यागपत्र निष्कासन अथवा सेवा समाप्ति के बाद पुनर्नियुक्ति की स्थिति से भिन्न, खण्ड (बी) द्वारा आच्छादित स्थिति में, यदि वह या तो-

(1) पहले मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप में धारण कर चुका है -

(i) उसी पद को, अथवा

(ii) उसी समयमान में स्थायी या अस्थायी पद को, अथवा

(iii) पदावधि पद के अलावा स्थायी पद को, अथवा समरूप समयमान वाले अस्थायी पद को, अथवा

(2) कोई अन्य पदावधि पद जिसे उसने पूर्व में मौलिक रूप से धारित किया है, अथवा वह उस पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर चुका है, के समरूप समयमान वाले पदावधि पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया जाता है, तब न्यूनतम वेतन, परन्तुक (1)(iii) द्वारा शासित मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के मामलों को छोड़कर विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन अथवा नियम 9 (21) (ए) (iii) के अधीन राज्यपाल द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत उपलब्धियों से कम नहीं होगा, जिसे उसने अंतिम अवसर पर आहरित किया है, तथा वह उस वेतन के बराबर वेतनमान में प्रक्रम में वेतनवृद्धियों हेतु अवधि को गणना में लेगा जिसे उसने उस वेतन को ऐसे अंतिम तथा किसी पूर्व समय पर आहरित किया है । तथापि यदि, अस्थायी पद पर शासकीय सेवक द्वारा आहरित अंतिम वेतन अपरिपक्व वेतनवृद्धियों की मंजूरी के बढा दिया गया है वेतन जो उसने आहरित किया होता किन्तु उन वेतनवृद्धियों की मंजूरी हेतु जब तक नए पद का निर्माण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा आदेशित नहीं किया गया हो, वेतन, जिसे उसने अस्थायी पद पर अंत में आहरित किया इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ वेतन माना जाएगा । परन्तुक (1)(iii) में संदर्भित पद में की गई सेवा मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन पर, वेतन के प्रारंभिक निर्धारण के मद, उस सीमा तक तथा नीचे दर्शाई गई शर्तों के रहते गणना में ली जाएगी-

(अ) शासकीय सेवक उस विशिष्ट ग्रेड / पद जिसमें पूर्व सेवा गिनी जानी है, पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित होना चाहिए;

(ब) नियुक्ति के लिए अयोग्य माने गये वरिष्ठों के अतिरिक्त उससे सभी वरिष्ठों को जिस वेतनमान में लाभ दिया जाना है, उस वेतनमान के पदों पर अथवा उच्च पदों पर चाहे उसी विभाग में अथवा अन्यत्र, और कम से कम एक कनिष्ठ उसी विभाग में उस वेतनमान में जिसमें लाभ दिया जाना है, में पद ग्रहण किये हो, तथा

(स) सेवा उसी तिथि से गिनी जाएगी जिस तिथि से उसका कनिष्ठ पदोन्नत किया गया है और लाभ उतनी अवधि तक ही सीमित होगा जब तक शासकीय सेवक अपने मूल संवर्ग

में पद ग्रहण किये रहता, यदि वह संवर्ग के बाहर के पद पर नियुक्त न किया गया होता ।

भारत शासन आदेश 1 - पदावधि पद से मौलिक पद पर प्रत्यावर्तन होने पर नियम लागू होगा- एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि सेवा का सदस्य जो पदावधि पद पर नियुक्त किया गया है और बाद में अपने मूल संवर्ग के पद पर प्रत्यावर्तित होता है, जिससे उसका संबंध है, तो क्या मूल नियम 22 का लाभ प्रत्यावर्तित होने पर उसे प्राप्त होगा । परिषद् के गवर्नर जनरल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो उसे मूल नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त की गई है, निर्णय दिया है कि पदावधि पद से साधारण संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर जो उस संवर्ग में सम्मिलित है, अथवा पदावधि से अथवा विशेष पद जो कि इस, सम्मिलित नहीं है, मूल नियम 22 के उद्देश्यों के लिए पद पर मौलिक नियुक्ति की गई नहीं माना जाएगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 15-CSR-27, दिनांक 2-1-1927]

भारत शासन आदेश 2. - भारत शासन ने निर्णय लिया है कि जब दो पद समान समयमान में हैं, उनमें से एक पर की गई सेवा, इस बात के होते हुए भी कि एक पद का वेतन सिविल सेवा विनियम द्वारा शासित होता है और दूसरे पद मूल नियमों द्वारा शासित होता है, तो प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के लिए दूसरे में गिनी जाएगी ।

[भारत शासन, वित्त विभाग द्वारा जाप क्र. डी-1521-आर-31, दिनांक 22-4-1931 एवं महालेखा परीक्षक उत्तर क्र. T-116-A-100-81, दिनांक 12-5-1931 प्रतिलिपि महालेखाकार, सी.पी. पत्र क्र. T-5-634, दिनांक 23-6-1931 द्वारा प्राप्त]

भारत शासन आदेश 3.- मूल नियम 22 तथा 23 के प्रयोजनार्थ, एक निश्चित दर पर के (नियम अथवा समयमान) अस्थायी पद को स्थायी पर में भिन्न दर के वेतन में परिवर्तित कर दिया गया है, स्थायी पद के समान "वही पद" नहीं माना जाना चाहिए, चाहे कर्तव्य उसी प्रकार के हों, उदाहरणार्थ अस्थायी पद मूल नियम 9 (30) की दृष्टि में ऐसा माना गया कि उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है तथा स्थायी पद ने उसका स्थान ले लिया है । जब तक उसका प्रकरण मूल नियम 22 के परन्तुक (1) (i) तथा (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय रियायत द्वारा आच्छादित नहीं हो, अस्थायी पद का पदधारी इस प्रकार केवल स्थायी पद के वेतन का हकदार है, यदि वह निश्चित दर के वेतन पर है अथवा स्थायी पद के समयमान का न्यूनतम वेतन, यदि वह समयमान में है ।

भारत शासन आदेश 4 - यदि वह स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता है' वाक्य जो मूल नियम 22 के खंड (अ) में प्रयुक्त हुआ है, में स्थायी पद पर गृहीत धारणाधिकार जो शासकीय सेवक ने मूल नियम 14 (द) के अधीन अन्तःकालीन मौलिक नियुक्ति के फलस्वरूप प्राप्त किया है, सम्मिलित माना जाना चाहिए, एवं वाक्य 'पुराने पद का मौलिक वेतन' जो उस नियम में प्रयुक्त हुआ है, अन्तःकालीन मौलिक नियुक्ति के संबंध में उसका मौलिक वेतन सम्मिलित माना जाना चाहिए । इस प्रकार मूल नियम 22 (अ) यह अनुमति देता है कि अन्तःकालीन मौलिक नियुक्ति के संबंध में मौलिक वेतन अन्य पद पर जिस पर वह नियुक्त किया गया है, उसके प्रारम्भिक वेतन निर्धारण के लिए विचार में लिया जाना चाहिए । इस प्रकार से जब शासकीय सेवक का प्रारम्भिक

वेतन नियत किया जाता है, यदि उसे उसकी नियुक्ति की पदावधि में अन्तःकालीन नियुक्ति से पदावनत किया जाता है, तो भी प्रभावित नहीं होगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1. - एक समयमान हाल में लागू हुआ माना जाएगा, जबकि संवर्ग अथवा वर्ग जिससे वह संलग्न है, समयमान प्रभाव में आने से पूर्व क्रमबद्ध मान के अस्तित्व में रहा हो अथवा यह भी सम्भव है कि एक समयमान ने दूसरे का स्थान ले लिया है ।

यदि कोई शासकीय सेवक नया समयमान अस्तित्व में आने के पूर्व किसी पद को मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप से ग्रहण किये हुए था और उस अवधि में वह वेतन अथवा किसी प्रक्रम के बराबर वेतन अथवा नये वेतनमान के दो प्रक्रमों के बीच का वेतन आहरित करता है, तब नये वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन उस प्रक्रम पर नियत किया जाएगा, जिस प्रक्रम पर वेतन वह पूर्व में आहरित कर चुका है, और वह अवधि उसी प्रक्रम के लिए वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाएगी, अथवा यदि वेतन दो प्रक्रमों के मध्य में था तो उस वेतनमान के निम्न प्रक्रम पर नियत होगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. - जब आगामी वेतनवृद्धि नये वेतनमान में अथवा पुराने में देय हो जाती है, तो शासकीय सेवक को नये वेतनमान में वेतनवृद्धि आहरित करना चाहिए और तत्काल वैयक्तिक वेतन एवं पुराने पद के वेतनमान से सभी संबंध समाप्त हुए समझना चाहिए । वैयक्तिक वेतन शासकीय सेवक को केवल प्रारम्भिक वेतन नियमन पर ही दिया जाता है न कि नये समयमान में आगे के किसी प्रक्रम पर जो शासकीय सेवक कम वेतन पा रहा है, उसकी तुलना में यदि वह पुराने पद पर ही बना रहता तो पाता ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3 - संशोधित नियम 22 उन प्रकरणों में लागू होता है, जिसमें वेतन नियतन के अवसर संशोधित नियम प्रभाव की तिथि जैसे 18 मार्च, 1930 को अथवा उसके उपरांत उपस्थित हुए हैं । उन प्रकरणों में जहाँ ऐसे अवसर 18 मार्च, 1930 के पूर्व के हैं, लेकिन वेतन नियतन के प्रकरण इस दिनांक के बाद हाथ में लिये गये हैं, तो पूर्व का नियम 22 लागू होगा ।

सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियमों के नियम 41, 42 एवं 44 के अन्तर्गत सचिव राज्य परिषद की मंजूरी से बनाये गये स्थानीय शासन नियम

मू.नि. 22ए- शासकीय सेवक का प्रारम्भिक मौलिक वेतन, जिसको मौलिक रूप से समयमान वेतन वाले पद पर नियुक्त किया गया है, निम्नानुसार विनियमित किया जाता है -

- (ए) पदावधि पद से अतिरिक्त, यदि वह स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता है अथवा ऐसे पद पर वह अपना धारणाधिकार बनाए रखता, यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया जाता तो-
- (i) जहाँ नवीन पद पर नियुक्ति के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व उस स्थायी पद की तुलना में अधिक महत्व की धारणा के हैं, (जैसी मूल नियम 30 के उद्देश्य हेतु व्याख्या की गई है) तो वह अपने पुराने पद के मद्दे मौलिक वेतन से निकटतम ऊपरी प्रक्रम पर प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा,

- (ii) जहाँ नवीन पद पर नियुक्ति इस प्रकार की धारणा की नहीं है, तो वह पुराने पद के मौलिक वेतन के बराबर के प्रक्रम पर नये पद के समयमान में प्रारम्भिक वेतन प्राप्त करेगा अथवा यदि इस प्रकार का कोई प्रक्रम नहीं है, तो उस वेतन के निचले प्रक्रम पर, अन्तर के बराबर वैयक्तिक वेतन और इन दोनों में से किसी भी मामले में वह उस वेतन को तब तक निरन्तर आहरित करता रहेगा जब तक कि वह पुराने पद के वेतनमान में अपनी वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है अथवा उस अवधि तक जब वह नये पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि अर्जित नहीं कर लेता है, इन दोनों में से जो भी पहले हो। लेकिन यदि नये पद के वेतनमान का न्यूनतम उसके पुराने पद के मौलिक वेतन से अधिक है, तो वह न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा,
- (iii) जहाँ नये पद पर नियुक्ति स्वयं के निवेदन पर मूल नियम 15-ए के अधीन की गई है और नये पद के समयमान का अधिकतम पुराने पद के मौलिक वेतन से कम है, तो वह नये पद के समयमान का अधिकतम ही प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा।

(बी) यदि खण्ड (ए) में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो वह समयमान का न्यूनतम ही प्रारम्भिक वेतन के रूप में प्राप्त करेगा :

बशर्त कि दोनों, खण्ड (ए) द्वारा आच्छादित अवस्था में तथा लोक सेवा से त्यागपत्र, निष्कासन, अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्ति की स्थिति से भिन्न, खण्ड (बी) द्वारा आच्छादित स्थिति में, यदि वह या तो-

- (1) पहले मौलिक अथवा स्थानापन्न रूप में धारण कर चुका -
 - (i) उसी पद को, अथवा
 - (ii) उसी समयमान में स्थायी अथवा अस्थायी पद को, अथवा
 - (iii) पदावधि पद के अतिरिक्त समरूप समयमान वाले स्थायी पद को या समरूप समयमान वाले अस्थायी पद को, अथवा
 - (2) किसी अन्य पदावधि पद को जिसको उसने पूर्व में मौलिक रूप से धारित किया था अथवा उस पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर चुका है, के समरूप समयमान वाले पदावधि पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किया गया हो, तब प्रारम्भिक वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन अथवा मूल नियम 9 (21) (a) (iii) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत उपलब्धियों के अतिरिक्त से कम नहीं होगा, जिसे उसने गत अवसर पर आहरित किया तथा वह अवधि जिसमें उसने वह वेतन ऐसे गत तथा किसी पूर्व अवसरों पर आहरित किया, वह वेतनवृद्धि के लिए गणना में लेगा।
- तथापि यदि, अस्थायी पद पर शासकीय सेवक द्वारा आहरित अंतिम वेतन अपरिपक्व वेतनवृद्धियों की मंजूरी से बढ़ा दिया गया है, जब तक कि नये पद का निर्माण करने वाले सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अन्यथा आदेश न दिये जावे, लेकिन उन वेतनवृद्धियों के लिए वेतन जो उसने आहरित किया होता, इस परन्तु के प्रयोजन के लिए वह वेतन माना जाएगा जो उसने अस्थायी पद पर अंत में आहरित किया।

अपवाद- प्रथम परन्तुक की कंडिका (iii) में शर्त कि अस्थायी पद उसी समयमान में होना चाहिए जैसा स्थायी पद है, लागू नहीं की जावेगी जब अस्थायी पद (i) उसी प्रकृति के काम के उद्देश्य हेतु एक शासन अथवा विभाग द्वारा निर्मित किया गया है जैसा कि सामान्य कार्य जिसके लिए स्थायी पद भिन्न शासन अथवा विभाग के अधीन संवर्ग में मौजूद है, तथा (ii) भिन्न शासन या विभाग के अधीन संवर्ग में स्थायी पद को लागू समयमान के साथ अनुरूप समयमान में स्वीकृत है।

(सी) परन्तु आगे यह कि नियमों के अधीन जैसे कि वे 26 मई, 1930 को हैं, इस नियम प्रकाशन की अधिसूचना जारी होने की तारीख के पहले कोई मामला व्यवहारिक नहीं किया जाए, इस नियम के प्रकाश में पुनर्विलोकन किया जावेगा।

मू.नि. 22 -बी- शासकीय सेवक का प्रारंभिक वेतन, जिसको प्रथम बार मौलिक रूप से वेतन के संशोधित समयमान के पद पर नियुक्त किया गया है, उस शासकीय सेवक को छोड़कर जिसने मूल नियम 23 द्वारा अनुज्ञेय विकल्प का प्रयोग कर पुराने वेतनमान का चयन नहीं किया है, नियम 22-ए द्वारा विनियमित किया जाएगा :

बशर्ते कि उस नियम के चरण (अ) द्वारा आच्छादित मामलों में तथा चरण (ब) द्वारा आच्छादित लोक सेवा से त्याग पत्र अथवा निष्काषण अथवा बरखास्तगी के बाद पुनर्नियुक्ति के उन मामलों के सिवाय, दोनों ही मामलों में, यदि वह या तो-

- (1) पहले ही मौलिक रूप से अथवा स्थानापन्न धारण कर चुका है
 - (i) उसी पद को, अथवा
 - (ii) उसी समयमान पर स्थायी अथवा अस्थायी पद को, अथवा
 - (iii) पदावधि पद के अलावा, समरूप समयमान में स्थायी पर को, अथवा समरूप समयमान के अस्थायी पद को, ऐसा पद स्थायी पद के समान उसी वेतनमान पर होने से, अथवा
- (2) नये समयमान में पदावधि पद पर नियुक्त किया गया है, तथा पदावधि पद के पुराने समयमान के समरूप समयमान पर पूर्व में मौलिक रूप से अथवा स्थानापन्न धारण कर चुका है एक दूसरे पदावधि पद को

तो नये पद पर प्रारम्भिक वेतन, विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन अथवा मूल नियम 9 (21) (a) (iii) के अन्तर्गत स्थानीय शासन द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत उपलब्धियों को छोड़कर, उस वेतन से कम नहीं होगा, जो वह प्राप्त करता जैसे कि नया समयमान प्रारम्भ से ही प्रभाव में आया हो और जैसे कि उसकी पूर्व के समयमान की सेवा नये वेतनमान में की गई हो जो नये समयमान के वेतन में प्रारम्भिक अवस्था से प्रारम्भ होती, और वह अवधि जिसमें उसने अन्तिम अथवा पूर्व अवसर पर वेतन प्राप्त किया था, वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाएगी।

मू.नि. 22सी.- (1) चाहे इन नियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो, निम्न उपबंध उस शासकीय सेवक के वेतन को शासित करेंगे जो किसी अन्य सेवा या संवर्ग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया है, तथा बाद में उसी सेवा या संवर्ग में स्थायी कर दिया जाता है-

- (ए) परिवीक्षाकाल में वह वेतनमान का न्यूनतम अथवा सेवा या संवर्ग के समयमान की परिवीक्षाधीन अवस्था का वेतन प्राप्त करेगा, जैसी भी स्थिति हो :

बशर्ते कि यदि, स्थायी पद का काल्पनिक वेतन (पदावधि पद को छोड़कर) जिस पर वह धारणाधिकार रखता है अथवा धारणाधिकार बनाये रखता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया होता, किसी भी समय इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित वेतन की तुलना में बढ़ता है, तो वह उस स्थायी पद का काल्पनिक वेतन प्राप्त करेगा,

- (बी) परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान में मूल नियम 22 अथवा 22-डी के अन्तर्गत, जैसी भी स्थिति हो, नियत किया जावेगा :

बशर्ते कि शासकीय सेवक का वेतन, उस सन्दर्भ में नियम 22 अथवा 22-डी के अधीन इस प्रकार निर्धारित नहीं होगा जिसे वह पूर्व पद पर आहरित किया होता जिसको वह अस्थायी हैसियत में धारित किये था, लेकिन वह सेवा या पद के समयमान में वेतन निरन्तर आहरित करता रहेगा ।

(2) उपनियम (1) में उल्लेखित उपबंध, उन शासकीय सेवकों के प्रकरणों में यथावश्यक संशोधनों सहित लागू होंगे, जहाँ उसको किसी अन्य सेवा या संवर्ग के अस्थायी पद के विरुद्ध परिवीक्षा की नियत शर्तों पर नियुक्त किया गया हो तथा जहाँ ऐसी सेवा या संवर्ग के स्थायी पद पर नियुक्ति परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की जाती हो, सिवाय इसके कि इस प्रकार के प्रकरणों में उपनियम (1) के खण्ड (बी) में निर्दिष्ट रीति से होने वाले वेतन का निर्धारण परिवीक्षाकाल की समाप्ति के तुरन्त बाद और किसी सेवा या संवर्ग के स्थायी या अस्थायी पद पर नियमित स्थानापन्न नियुक्ति होने पर इन नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत होगा ।

(3)

विषय- शासकीय सेवकों की अन्य पदों में सीधी भर्ती से नियुक्त करने की कार्य प्रणाली तथा वेतन निर्धारण ।

शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जब कोई शासकीय सेवक चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, किसी अन्य सेवा या पद से सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षा पर ही नियुक्त किया जाये । यह आवश्यक नहीं है कि जब स्थायी पद रिक्त हो तभी सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों को परिवीक्षा पर रखा जाये । मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) को अब इस प्रकार संशोधित कर दिया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किये गये व्यक्ति को, यदि परिवीक्षा समाप्त होने पर स्थायी पद उपलब्ध न हो तो भविष्य में जब कभी भी स्थायी पद उपलब्ध होगा तब स्थायी किया जायेगा तथा इस आशय का एक प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कर दिया जावेगा ।

2. परिवीक्षा पर नियुक्त किये जाने पर स्थायी शासकीय सेवक का वेतन निम्नानुसार संरक्षित रहेगा:-

- (1) स्थायी शासकीय सेवक का स्थायी पद पर मिलने वाला वेतन यदि नये पद के निम्नतम वेतन से अधिक रहता है तो उसके द्वारा धारित स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा ।
- (2) उसकी वार्षिक वेतनवृद्धियाँ मूल नियम 22-सी के उपबंधों के अनुसार शासित होंगी,

अर्थात् उसके स्थायी पद के वेतन के साथ वेतनवृद्धियाँ भी संरक्षित रहेंगी ।

- (3) अस्थायी शासकीय सेवक जब किसी अन्य पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किया जाये तो उसकी नियुक्ति उसी प्रकार परीक्षा पर की जाएगी जिस प्रकार बाहर के व्यक्तियों की सीधी भर्ती से नियुक्तियों की जाती हैं ।

[सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक 3/15/74/3/1 दिनांक 9-12-1974]

(4)

विषय- परीक्षाकाल पर नियुक्त शासकीय सेवकों के स्थायीकरण के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ3/15/3/1 दिनांक 9-12-1974 ।

उपर्युक्त ज्ञापन के द्वारा यह सूचित किया गया था कि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियों परीक्षा पर की जाएँ, एवं उनका वेतन निर्धारण मूलभूत नियमों के सामान्य प्रावधानों के अनुसार किया जाए । इस आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में कई विभागों में भ्रम उत्पन्न हो गया है, अतः परीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थायीकरण के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण सभी नियुक्ति प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिये जारी किया जाता है -

- (1) जिन व्यक्तियों को परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है, उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परीक्षाकाल की अवधि पूरी होने पर स्थायीकरण के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए । परीक्षाधीन शासकीय सेवक को स्थायीकरण के लिये उपयुक्त पाये जाने पर उसे परीक्षाकाल समाप्त होने की तिथि से, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायी करने के आदेश निकालना चाहिए । यदि उसको स्थायी करने के लिए स्थायी पद उपलब्ध न हो तो उसके पक्ष में यह प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए कि उसने परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण ही परीक्षाकाल पूर्ण होने की तिथि से स्थायी करने के आदेश नहीं निकाले जा सके, भविष्य में जैसे ही उनके लिए स्थायी पद उपलब्ध होंगे, वैसे ही उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा । इस प्रकार प्रमाण पत्र देने का उद्देश्य यह है कि जिन व्यक्तियों को परीक्षा पर नियुक्त किया जाता है उन्हें स्थायी पद उपलब्ध न होने के कारण सफलतापूर्वक परीक्षाकाल पूर्ण कर लेने पर स्थायी करने के आदेश नहीं निकाले जा सके तो इसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो, अर्थात् प्रमाण पत्र के आधार पर ही उन्हें परीक्षाकाल में की रुकी हुई वार्षिक वेतनवृद्धियाँ, बकाया राशि के साथ दे दी जाएँ तथा भविष्य में भी उन्हें नियमित रूप से वेतनवृद्धियाँ मिलती रहें ।
- (2) जिन व्यक्तियों को परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर स्थायी पद के अभाव में उपर्युक्त नियम के अनुसार प्रमाण पत्र दिया जाता है, उन्हें भविष्य में स्थायी करने के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में पुन विचार करने की आवश्यकता नहीं है । जब सी स्थायी पद उपलब्ध होते हैं, तब ऐसे सभी व्यक्तियों को उनकी आपसी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी करने के औपचारिक आदेश निकाल देना चाहिए । इस संबंध में यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि परीक्षा पर नियुक्त करने के आदेश जारी होने के पहले यदि उसी पद पर अस्थायी रूप से नियुक्तियों की गई हों तो स्थायीकरण करते समय पूर्व में अस्थायी रूप से नियुक्त शासकीय सेवकों एवं परीक्षा पर नियुक्त व्यक्तियों को, जिन्हें स्थायीकरण के लिये उपयुक्त पाया गया हो तो, उनकी आपसी वरिष्ठता क्रम से

जो नियमानुसार निर्धारित की गई हो, स्थायी करना चाहिए । जो व्यक्ति स्थायीकरण के लिये प्रथम अवसर पर उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं, तथा उन्हें बाद में उपयुक्त पाये जाने पर स्थायी किया जाता है तो वे पहले स्थायी किए गये व्यक्तियों से कनिष्ठ माने जायेंगे ।

- (3) जिन व्यक्तियों को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर स्थायीकरण के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर नियमानुसार परिवीक्षाकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर सकता है । यदि किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर या परिवीक्षाकाल में वृद्धि करने के पश्चात् भी स्थायीकरण के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उसकी सेवायें उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (5) के अनुसार परिवीक्षाकाल पूरा होने की तारीख से समाप्त कर देनी चाहिए ।
- (4) यदि किसी कारणवश उपर्युक्त पैरा (3) में उल्लेखित व्यक्ति की सेवायें समाप्त करने के आदेश नहीं निकाले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 का उपनियम (7) के प्रावधान लागू होंगे । यह उपनियम अपवाद स्वरूप ही किसी विशेष प्रकरण में लागू किया जाना चाहिए । ऐसे व्यक्तियों के मामले में परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की तारीख से अस्थायी रूप से नवनियुक्त शासकीय सेवक माने जायेंगे तथा उन्हें वेतन निर्धारण एवं वरिष्ठता के लिये परिवीक्षाकाल में व्यतीत की गई अवधि का लाभ नहीं मिलेगा ।

2. सभी विभागों से निवेदन है कि आपके विभाग के अधीन परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के अस्थायीकरण के मामले उपर्युक्त अनुदेश के अनुसार शीघ्र निपटाए जाएँ । जहाँ तक संभव हो, परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को स्थायी करने का मामला परिवीक्षाकाल समाप्त होने से दो माह पूर्व से ही विचार में लिया जाए, ताकि उनके संबंध में निर्णय परिवीक्षाकाल समाप्त होने तक लिया जा सके ।

3. जहाँ तक परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के स्थायी पद के अभाव में उपर्युक्त नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार प्रमाण-पत्र के आधार पर वेतन-वृद्धियां देने के निर्णय का सम्बन्ध है, आदेश वित्त विभाग से परामर्श लेकर निकाला गया है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग एफ क्र. 3-6/77/3-एक दिनांक 30-5-1977]

(5)

विषय- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में संशोधन के संबंध

में स्पष्टीकरण ।

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-15/74/3-एक, दिनांक 9-12-1974 के द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 को संशोधित करके एक नया उपनियम (7) जोड़ कर यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परिवीक्षाधीन शासकीय सेवक को परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से न तो स्थायी किया गया है और न उसके पक्ष में उपनियम (6) के अधीन कोई प्रमाण पत्र जारी किया गया है या उपनियम (4) के अधीन उसे सेवा से उन्मोचित भी नहीं किया गया है, तो वह व्यक्ति परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थायी शासकीय सेवक के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्द्ध स्थायी सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होंगी ।

2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ने शासन को सूचित किया है कि उनके पास कुछ व्यक्तियों के वेतन निर्धारण के मामलों में पाया गया है कि परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को परिवीक्षाकाल समाप्त होने पर उसे उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अन्तर्गत स्थायी शासकीय सेवक मानकर उसे उसकी परिवीक्षाकाल में नियुक्ति की तारीख से वार्षिक वेतनवृद्धियों का लाभ देकर वेतन निश्चित किया गया है। महालेखाकार ने इस प्रकार के मामलों में शासन से यह स्पष्टीकरण देने के लिए अनुरोध किया है कि

- (1) क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 में दिनांक 9-12-1974 की अधिसूचना के द्वारा किया गया संशोधन उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो दिनांक 9-12-1974 के पूर्व अपनी परिवीक्षा पूर्ण कर चुके थे, किन्तु जिन्हें स्थायी नहीं किया गया और न ही सेवा से पृथक करने के आदेश प्रसारित किये गये हैं और न परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
 - (2) जो शासकीय सेवक उपर्युक्त नियम के उपनियम (7) के अन्तर्गत अस्थायी शासकीय सेवक माने गये हैं उनके संबंध में यह अनुमान है कि उनकी परिवीक्षाकाल की अवधि वेतनवृद्धि के लिये नहीं गिनी जाएगी तथा वह परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अपने न्यूनतम वेतन से अपनी अस्थायी सेवा आरंभ करेंगे।
3. महालेखाकार द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के संबंध में यह सूचित किया गया है कि -

- (1) इस विभाग की दिनांक 9-12-74 की अधिसूचना प्रसारित होने के पूर्व जिन व्यक्तियों का परिवीक्षाकाल समाप्त हो गया था, उनके मामले में उपर्युक्त संशोधन लागू नहीं होगा। ऐसे मामले उस समय विद्यमान नियमों के अनुसार ही निपटाये जाएंगे क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है। उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा किया गया संशोधन उन सभी परिवीक्षाधीन व्यक्तियों पर लागू होगा जो उक्त संशोधन के जारी होने की तारीख को निर्धारित किया गया परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं किए थे या जो उक्त संशोधन जारी होने के बाद परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए थे।
- (2) जिन परिवीक्षाधीन व्यक्तियों को उक्त नियम के उपनियम (7) के अन्तर्गत परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से अस्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा उनको परिवीक्षाकाल में की गई सेवाओं का लाभ वेतन वृद्धि की पात्रता के लिए नहीं मिलेगा। परिवीक्षाकाल समाप्त होने की तारीख से ही उनकी अस्थायी रूप से नियुक्ति आरंभ होगी और उसके बाद एक वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही उसे पहली वेतन वृद्धि की पात्रता होगी।

4. अतः सभी विभागों से निवेदन है कि शासन के उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार परिवीक्षाधीन शासकीय सेवकों के मामलों का निराकरण करें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 288/636/1(3)/79 दिनांक 6-6-1979]

(6)

विषय- मूल नियम 22-सी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण-मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 (6) के अन्तर्गत परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति के पक्ष में प्रमाण पत्र के आधार पर स्थायी मानना।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार परिवीक्षा पर नियुक्त शासकीय सेवक द्वारा सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो स्थायी किया जायेगा, अन्यथा उस व्यक्ति के पक्ष में इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही उसे स्थायी कर दिया जाएगा। शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि जिस शासकीय सेवक के पक्ष में उपर्युक्त प्रकार का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वह यदि किसी अन्य पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किया जाए तो उसका मूल नियम 22-सी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण करने के लिये क्या उसे स्थायी माना जाएगा या नहीं?

2. इस संबंध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ऐसे शासकीय सेवक को, जिसके पक्ष में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8 के उपनियम (6) के अनुसार इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि उसे स्थायी पद उपलब्ध होते ही स्थायी कर दिया जाएगा, तो किसी अन्य पद पर सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त किए जाने पर उसे मूल नियम 22-सी के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये स्थायी शासकीय सेवक माना जाएगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 147/380/1(3)/80, दिनांक 31-3-1980]

मू.नि. 22-डी.- न चाहे इन नियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो, जहाँ कोई सरकारी सेवक, मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से किसी पद को धारण करते हुए, किसी अन्य पद पर मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में ऐसे पद पर पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व पुराने पद की अपेक्षा अधिक महत्व के हैं, तो उच्च पद के समयमान में उसका प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद में प्राप्त वेतन में निम्न पद में की एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि और जोड़कर काल्पनिक वेतन ज्ञात किया जाएगा तथा उसके संदर्भ में उच्च पद के समयमान में उसके ठीक ऊपरी प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा :

परन्तु यह कि, इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे, जहाँ कोई सरकारी सेवक मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में वर्ग 1 का पद धारण करते हुए मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न हैसियत में किसी अन्य उच्च वर्ग 1 के पद पर पदोन्नत अथवा नियुक्त किया जाता है :

राज्य शासन अनुदेश

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ग 1 से किसी अन्य वर्ग 1 के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति होने पर जिसके कि कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व अधिक महत्व के हैं, शासकीय सेवक का वेतन पुराने पद पर प्राप्त वेतन के ठीक ऊपरी प्रक्रम पर बिना इसको ध्यान में रखते हुए कि वह निचला पद मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में धारण किये है, नियत किया जाएगा।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक डी-277/सीआर/266/72/नि-1/चार, दिनांक 4-3-1975]

तथा दिनांक 1-1-1972 से लागू]

परन्तु आगे यह कि, मूल नियम 3 के उपनियम (2) के प्रावधान उन प्रकरणों में लागू नहीं होंगे जहाँ प्रारम्भिक वेतन इस नियम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है :

परन्तु यह कि, जहाँ सरकारी सेवक उसकी उच्च पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति के तत्काल पूर्व निचले पद के वेतनमान के अधिकतम से ऊपर एक या एक से अधिक प्रक्रम पर वेतन

गतिरोध भत्ते के रूप में आहरित कर रहा हो, तो उच्च पद पर के वेतनमान में उसका वेतन निचले पद के बारे में उसके वेतन में काल्पनिक रूप से निचले पद के वेतनमान की एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि को जोड़कर अगले प्रक्रम पर निर्धारित होगा :

परन्तु यह और भी कि, इस नियम के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहाँ सरकारी सेवक ऐसे समयमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया गया है जो निम्न पद के समयमान के समरूप है, परन्तु केवल विशेष वेतन से जुड़े होने के कारण अलग मालूम पड़ता है । ऐसे प्रकरणों में वह निम्न पद के वेतन के अतिरिक्त केवल विशेष वेतन ही प्राप्त करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के अधीन वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ वेतनवृद्धि से आशय वेतन की वास्तविक वृद्धि वृद्धि लिया जाना चाहिए । केवल एक प्रक्रम से दूसरे प्रक्रम को पार करने से नहीं । इस नियम में प्रयुक्त शब्द "ऊपरी प्रक्रम" का तात्पर्य समयमान में उस प्रक्रम से है जो निम्न पद के संबंध में एक वेतनवृद्धि जोड़कर निकाले गये वेतन की स्टेज से ऊपर धनराशि में अगला प्रक्रम है ।

[वित्त विभाग क्रमांक 886/आर-चार-163-नि-न-1-63 दिनांक 12-8-1968]

(2) तथापि, यदि, सरकारी सेवक उच्च पद पर पूर्व में स्थानापन्न रूप में कार्य कर चुका है, तो उसका वेतन मूल नियम ए (बी) के उपबंधों के अन्तर्गत, निर्धारित किया जाएगा, यदि वह उसको अधिक लाभप्रद हो ।

[वित्त विभाग क्रमांक 210-सीआर-3256-चार-नि-1-63 दिनांक 1-2-1964]

विषय- एक प्रथम श्रेणी पद से उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले अन्य प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति ।

संदर्भ- वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक डी-277/सीआर/266/722/नि-1/चार, दिनांक 4-3-1975 ।

वित्त विभाग के सदरित ज्ञाप दिनांक 4-3-75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार एक प्रथम श्रेणी पद से उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले अन्य प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नत होने पर शासकीय सेवक का वेतन, निम्न पद के वेतनमान में आहरित वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जाता है, निम्न पद चाहे स्थायी/स्थानापन्न अथवा अस्थायी हैसियत में धारित रहा हो । शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण उपस्थित हुए हैं, जिनमें एक प्रथम श्रेणी पद से उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले अन्य प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण की उक्त प्रक्रिया अपनाई जाने पर निम्न पद के वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि को पदोन्नत पद का वेतन, निम्न पद के वेतन से कम हो जाता है ।

2. राज्य शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उपयुक्त विसंगति दूर करने के लिए शासकीय सेवक की पदोन्नति होने पर उनके पदोन्नत पद के वेतन निर्धारण के लिए उन्हें निम्न प्रकार विकल्प दिया जाए :-

- (क) पदोन्नति पर उसका वेतन मूलभूत नियम 22 (ए) (i) में दिए गए तरीके से निर्धारित कर दिया जाय, अथवा
- (ख) पदोन्नति पर वेतन निम्न पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी

तारीख को उसका मूल वेतन मूलभूत नियम 22 ए) (i) के अन्तर्गत निर्धारित कर दिया जाए ।

शासकीय सेवक को आगामी वेतनवृद्धि साधारण नियमों के अन्तर्गत वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त होगी ।

3. पदोन्नति आदेश में ही विभाग द्वारा यह उल्लेख किया जाएगा कि शासकीय सेवक द्वारा विकल्प, पदोन्नति आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अन्दर दिया जाएगा ।

4. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि -

- (1) यह विकल्प विभाग में संवर्गीय सामान्य पदोन्नति के मामलों में ही मान्य होगा । संवर्ग के बाहर अथवा वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में यह विकल्प अनुज्ञेय नहीं होगा ।
- (2) तदर्थ पदोन्नति के मामलों में विकल्प की पात्रता नहीं होगी । लेकिन तदर्थ पदोन्नति को नियमित किए जाने की स्थिति में नियमितीकरण आदेश जारी किए जाने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प देने की अनुमति दी जायेगी ।

5. यह आदेश दिनांक 19-4-1999 से लागू हुआ समझा जावेगा । यह आदेश जारी होने के पूर्व पदोन्नति के मामलों में भी शासकीय सेवकों को उपर्युक्त कंडिका 2 के अनुसार विकल्प देने की सुविधा होगी । ऐसे शासकीय सेवकों को यह आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के अंदर विकल्प देने की अनुमति होगी ।

6. शासकीय सेवक का विकल्प यदि कंडिका क्रमांक 3 एवं 5 के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर नहीं प्राप्त होता है तो पदोन्नति पर उसका वेतन मूलभूत नियम 22 (ए) (1) में दिए गए तरीके से निर्धारित कर दिया जाएगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ-1-8/2006/नियम/चार, दिनांक 13-10-2006]

(10)

विषय- तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।

तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 430/4445/79/नियम-1 चार, दिनांक 7-4-80 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं । इन निर्देशों की कंडिका 2 में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे तथा पूर्व में अन्यथा निपटाए गए प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा ।

2. इस संबंध में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ कर्मचारियों को तदर्थ रूप से नियुक्त/पदोन्नत करने बाबत आदेश दिनांक 7-4-80 के पूर्व ही प्रसारित हो चुके थे तथा संबंधित कर्मचारियों ने दिनांक 7-4-80 के पूर्व उन पदों का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था, किन्तु उनके वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही कतिपय प्रशासकीय कारणों से विभाग द्वारा नहीं की गई

और इसी बीच वित्त विभाग के निर्देश दिनांक 7-4-80 प्रसारित हो गए । क्या ऐसे कर्मचारियों, जो तत्कालीन प्रचलित प्रथा के अनुसार वेतन निर्धारण के लाभ से वंचित रहे हैं, को दिनांक 7-4-80 के पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त होगा या नहीं?

3. वित्त विभाग के ध्यान में यह भी लाया गया है कि ऐसे प्रकरणों में कुछ कर्मचारियों को तत्कालीन प्रथा के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ दिया गया तथा कुछ प्रकरणों में वित्त विभाग के ज्ञाप दिनांक 7-4-80 में निहित निर्देशों को विचार में लेते हुए वेतन निर्धारण की कार्यवाही स्थगित की गई । परिणामस्वरूप समान प्रकरणों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई । इस स्थिति का निराकरण करने के लिये यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 7-4-80 के प्रसारण के पूर्व कर्मचारियों की तदर्थ नियुक्ति पदोन्नति की जा चुकी थी तथा संबंधित कर्मचारियों ने दिनांक 7-4-80 के पूर्व नियुक्ति पदोन्नति पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था, उन प्रकरणों में तत्समय प्रचलित प्रथा के अनुसार, अर्थात् सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे प्रकरणों में दिनांक 7-4-80 के पश्चात् आगामी वेतनवृद्धि का नियमन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 430/44445/79/नि-1/चार दिनांक 7-4-80 के अनुसार ही होगा ।

(11)

विषय- तदर्थ नियुक्ति पर वेतन निर्धारण ।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 430/4445/79/नि-1/चार, दिनांक 7-4-80, ज्ञापन क्रमांक 1337/600/ 80/नि-1/चार दिनांक 11-10-82 द्वारा तदर्थ नियुक्त/पदोन्नत शासकीय सेवकों के वेतन नियतन संबंधी निर्देश प्रसारित किए जाते गए थे ।

डा. पी. एल. मलिक विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन -प्रकरण में मध्यप्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णय के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा उपरोक्त वर्णित ज्ञापन दिनांक 7-4-80 एवं दिनांक 11-10-82 एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं ।

[वित्त विभाग कि, डी-8/62/92/नि-1 चार, दिनांक 8-1-93]

(12)

विषय- प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण ।

साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति उच्चतर कर्तव्य अथवा जिम्मेदारी की नहीं होती है । अतः मूलभूत नियम 30 के प्रावधानों के अनुसार प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्ति होने पर शासकीय सेवकों को स्थायी वेतन से अधिक वेतन मिलने की पात्रता नहीं आती । मूल नियम 30 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में स्थानापन्न नियुक्ति होने पर सामान्य वेतन श्रेणी में प्राप्त वेतन कि स्टेज प्रवर श्रेणी वेतनमान में हो तो वेतन उसी स्टेज पर निर्धारित होगा । यदि ऐसी स्टेज न हो तो वेतन निचली स्टेज पर निर्धारित होकर अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में मान्य किया जाकर उसे भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियों में खपाया जाएगा । इन प्रकरणों में आगामी वेतनवृद्धि सामान्य वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति की तिथि को प्राप्त वेतन की स्टेज पर की गई सेवा प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए विचार में ली जाकर देय होगी । जिन प्रकरणों में प्रवर श्रेणी वेतनमान का न्यूनतम वेतन सामान्य वेतन श्रेणी में प्राप्त वेतन से अधिक है, उन प्रकरणों में शासकीय सेवक का वेतन, प्रवर श्रेणी वेतनमान की न्यूनतम स्टेज पर

निर्धारित होगा तथा उन्हें आगामी वेतन वृद्धि सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतनवृद्धि प्राप्त करने के लिए निर्धारित आवश्यक सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त होगी ।

2. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रवर श्रेणी पदों के लिए वेतन निर्धारण के अलग से निर्देश प्रसारित किए गए हैं, उन प्रवर श्रेणी पदों पर वेतन निर्धारण उन निर्देशों के अनुसार होगा और उन्हें इस ज्ञापन में निहित निर्देश लागू नहीं होंगे ।

[वित्त विभाग क्रमांक 1490/3216/79/नि-1/चार, दिनांक 28-11-79]

(13)

विषय- प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण ।

साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर, प्रवर श्रेणी, वेतनमान में वेतन निर्धारण किए विधि से होगा, इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक- 1490/3216/नि-1/चार, दिनांक 28-11-79 द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं । अर्थात् साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति उच्चतर कर्तव्य अथवा अधिक उत्तरदायित्व के पद की नियुक्ति की नहीं होती है, तथा ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूल नियमों के नियम 22 (ए) (ii) की व्यवस्था के अनुसार होता है, भले ही शासकीय सेवक साधारण वेतन श्रेणी में स्थायी पद धारी हो अथवा स्थानापन्न रूप में नियुक्त हो ।

2. महालेखाकर द्वारा शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि कार्यालय प्रमुखों द्वारा साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी वेतनमान में गुरुवार उत्तरदायित्व को मानकर वेतन निर्धारण मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अनुसार कर दिया है, यह कार्यवाही ऊपर बताये गए नियमों एवं निर्देशों के विपरीत है ।

3. अतः आपका ध्यान पुनः वित्त विभाग के उपरोक्त ज्ञापन क्रमांक 1490/3216/79/नि-1/चार, दिनांक 28-11-79 के निर्देशों की ओर आकर्षित कर अनुरोध है कि कृपया ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जाए । यह स्पष्ट किया जाता है कि (और जैसाकि) वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक 1490/3216/79/नि-1/चार, दिनांक 28-1-79 के पैरा 2 में स्पष्ट किया गया है कि जिन प्रवर श्रेणी पदों के लिए वेतन निर्धारण बाबत अलग से निर्देश प्रसारित किए गए हैं, उन मामलों में वेतन निर्धारण उन निर्देशों के अनुसार ही होंगे और ऊपर कंडिका 1 में बताए गए निर्देश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. ए. 1-2797 नि- 17 चार, दिनांक 30-12-81]

(14)

विषय- वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण ।

सन्दर्भ- वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1490/3216/79/नि-1/चार, दिनांक 28-11-1979 तथा वित्त

विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.ए. 1-2/97/नि-1 चार, दिनांक 30-12-1981 साधारण वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर प्रवर श्रेणी वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1490/3216/79/नि-1/चार, दिनांक 28-11-79 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार साधारण वेतन श्रेणी से प्रवर श्रेणी में नियुक्तियों उच्चतर कर्तव्य अथवा अधिक

उत्तरदायित्व के पद की नियुक्ति नहीं होती है तथा ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण मूल नियमों के नियम 22 (ए) (ii) की व्यवस्था के अनुसार होता है, भले ही शासकीय सेवक साधारण वेतन श्रेणी में स्थायी पदधारी हो अथवा स्थानापन्न रूप में नियुक्त हो । इस प्रकार साधारण वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण मूल नियमों के नियम 22 (ए) (ii) के अन्तर्गत करने की व्यवस्था है ।

2. वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है कि शासकीय सेवक की साधारण वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण मूल नियम 22 ए) (ii) के तहत किया जाता है, किन्तु इस नियम के तहत वेतन निर्धारण करने पर वरिष्ठ वेतनमान में निर्धारित वेतन कनिष्ठ वेतनमान में प्राप्त हो रहे वेतन की तुलना में कम हो जाता है । यदि मूल नियम 22 ए (i) के तहत भी वेतन निर्धारित किया जाए, तब भी वरिष्ठ का वेतन पुराने पद की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि इस नियम के तहत वेतनवृद्धि वेतन निर्धारण के एक वर्ष पश्चात् देय होती है ।

3. राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति होने पर तथा वरिष्ठ वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण कनिष्ठ वेतनमान / वरिष्ठ वेतनमान में प्राप्त वेतन की आगामी स्टेज पर किया जावे एवं ऐसे मामलों में वेतनवृद्धि की तिथि वही होगी, जो वेतनवृद्धि की तिथि वरिष्ठ / प्रवर श्रेणी वेतनमान स्वीकृत होने के पूर्व रही थी अर्थात् वरिष्ठ वेतनमान / प्रवर श्रेणी वेतनमान में नियुक्ति के पूर्व में की गई आंशिक सेवाएँ, जो एक वर्ष से कम की हों, वरिष्ठ / प्रवर श्रेणी वेतनमान में भी वेतनवृद्धि हेतु गिनी जाएंगी ।

4. यह आदेश दिनांक 19-4-1999 से लागू हुआ समझा जावेगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ 8/01/2006/नियम/4, दिनांक 28 फरवरी, 2006]

(15)

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों की पदोन्नति पर मूल नियम 22-डी के अनुसार वेतन निर्धारण ।

कतिपय विभागों द्वारा यह जानना चाहा है कि कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकेगा अथवा नहीं?

2. विभिन्न विभागों द्वारा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों के लिए भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम बनाए गए हैं । इन नियमों में ऐसे कर्मचारियों की सेवा में भर्ती के पश्चात् पदोन्नति का भी प्रावधान है । अतः इस संबंध में विचार कर राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि विभागीय भर्ती तथा सेवा शर्तें नियमों के प्रावधानों के अधीन पदोन्नत होने वाले इस सेवा के सदस्यों का वेतन निर्धारण मूल नियम 22-डी के प्रावधानानुसार होगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक 693/1182/ नि-1/85 दिनांक 1-7-85]

विषय- पदोन्नति पर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति ।

राज्य शासन के समक्ष ऐसे प्रकरण उपस्थित हुए हैं, जिनमें उच्च पद पर पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-डी के अधीन वेतन निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जाने पर निचले पद पर वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् किसी कनिष्ठ कर्मचारी की उच्च पद पर पदोन्नति होने से उसी संवर्ग में उससे वरिष्ठ एवं उसी पद पर पूर्व से पदोन्नत कर्मचारी के वेतन में विसंगति उत्पन्न होती है, जिससे कनिष्ठ से पूर्व पदोन्नत होने पर भी अपने से कनिष्ठ व्यक्ति से किसी भी समय निम्न पद पर कम वेतन प्राप्त नहीं किया था ।

2. राज्य शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उपर्युक्त विसंगति दूर करने के लिए शासकीय सेवकों की पदोन्नति होने पर उनके पदोन्नत पद के वेतन निर्धारण के लिए उन्हें निम्न प्रकार विकल्प दिया जाए-

- (क) या तो निचले पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किए बिना सीधे ही मूल नियम 22-डी के अन्तर्गत उच्च पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित कर दिया जाए, अथवा
- (ख) पदोन्नति पर (पहली बार) उसका वेतन मूल नियम 22 (ए) (i) में दिए गए तरीके से निर्धारित कर दिया जाए और दूसरी बार निचले पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः निर्धारित कर दिया जाए ।

यदि वेतन उपर्युक्त (ख) के अधीन निर्धारित किया जाता है तो शासकीय सेवक को आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को ही मिलेगी ।

3. पदोन्नति आदेशों में ही विभाग द्वारा यह उल्लेख किया जावेगा कि शासकीय सेवक द्वारा विकल्प, पदोन्नति आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अन्दर दिया जाएगा । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा ।

4. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि -

- (1) यह विकल्प विभाग में संवर्गीय सामान्य पदोन्नति के मामले में ही मान्य होगा । संवर्ग के बाहर अथवा वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में यह विकल्प अनुज्ञेय नहीं होगा ।
- (2) तदर्थ पदोन्नति के मामलों में विकल्प की पात्रता नहीं होगी । लेकिन तदर्थ पदोन्नति को नियमित किए जाने की स्थिति में नियमितीकरण आदेश जारी किए जाने की तिथि से एक माह के अन्दर विकल्प देने की अनुमति दी जावेगी ।
- (3) जिन मामलों में इस जाप के अनुसार विकल्प के आधार पर वेतन निर्धारण किया जावेगा, वहाँ मूल नियम 22-डी (2) के प्रावधान के अनुसार मूल नियम 22 के परन्तुक

का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा ।

5. उपरोक्त सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद भी किसी शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति से इंकार करने की स्थिति में एक वर्ष के लिए पदोन्नति से संबंधित शासकीय सेवक को वंचित कर दिया जाएगा ।

6. यह आदेश इस ज्ञापन के जारी होने की तारीख से लागू होंगे ।

[वित्त विभाग क्रमांक डी-386/684/87 नि-1/चार, दिनांक 25-7-1987]

(17)

विषय- पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति ।

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी-386/684/87/नि-1/चार, दिनांक 26-7-1987 में विहित निर्देशानुसार शासकीय सेवकों को उनकी पदोन्नति वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है । इस संबंध में कतिपय विभागों/कार्यालयों ने इस आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में कुछ शंकायें उपस्थित कर उनका समाधान करने का अनुरोध इस विभाग से किया है ।

2. उपस्थित बिन्दुओं का परीक्षण किया जाकर यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन दिनांक 25-7-1987 की कंडिका 2 (क) के अनुसार यदि कोई पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि कर्मचारी पदोन्नति आदेश प्रसारित होने के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही अपना वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित कराना चाहता है । इसके विपरीत यदि कोई कर्मचारी कंडिका 2 (ख) के अनुसार पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत करता है तो वास्तविक पदोन्नति की तिथि (पहली बार) पर उसका वेतन मूल नियम 22 (ए) (i) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जावेगा और दूसरी बार निचले पद के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तिथि से उसका वेतन पदोन्नति पद के वेतनमान में मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जावेगा । यह स्थिति निम्न उदाहरण से स्पष्ट की जाती है:-

एक अनुरेखक वेतनमान रुपये 950-25-1000-30-1210-40-1530 में दिनांक 1-4-88 से रुपये 1330 वेतन प्राप्त कर रहा था । इसे दिनांक 1-1-89 से सहायक मानचित्रकार के पद पर वेतनमान रुपये 1200-40-1440-50-2040 में पदोन्नत किया गया । इस अनुरेखक ने पदोन्नति पर संदर्भित परिपत्र की कंडिका 2 (ख) के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प प्रस्तुत किया । अतः 1-1-89 को उसका वेतन प्रथमतः मूल नियम 22 के अनुसार रुपये 1360 पर नियत किया जाएगा तथा इसके बाद दिनांक 1-4-89 को निम्न पद पर प्राप्त वेतनवृद्धि की तिथि को उसका वेतन मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अनुसार रुपये 1370+40 = 1410 की अगली स्टेज अर्थात् रुपये 1440 पर नियत किया जाएगा । यदि कर्मचारी पदोन्नति पर पद (क) भाग के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प देता है तो पदोन्नति की तारीख से उसका वेतन सीधे ही मूल नियम 22-डी के प्रावधानों के अनुसार रुपये 1400 पर नियत किया जाएगा ।

3. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी द्वारा नियत समयावधि

में कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मान लिया जावे कि उस कर्मचारी ने पदोन्नति की तिथि से कंडिका 2 (क) के अनुसार विकल्प दिया है और तदनुसार उसका वेतन नियत किया जाएगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक 119/354/चार/92, दिनांक 27-5-92]

(18)

विषय- उच्चतर कर्तव्य और उत्तरदायित्व के असंवर्गीय पदों पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण ।

वित्त विभाग के जापन क्रमांक डी-27/सी.आर./2662/72/नि-1 चार, दिनांक 4-3-75, प्रथम श्रेणी पद से कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व वाले दूसरे प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण करने के निर्देश है । इन निर्देशों का आशय यह है कि किसी प्रथम श्रेणी शासकीय सेवक की पदोन्नति अथवा नियुक्ति किसी चयन प्रक्रिया के तहत उच्च प्रथम श्रेणी के पद पर होती है तो उसका वेतन निर्धारण उच्च पद पर उन्हें निम्न पद पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित होगा । केवल पदस्थापना के फलस्वरूप उच्च पद पर पदस्थ होने की स्थिति में इस जाप के निर्देश प्रभावशील नहीं है ।

2. किसी शासकीय सेवक की शासन के किसी एक विभाग से दूसरे विभाग के उच्च पद पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरांत निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं -

- (1) शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग के उच्च पद पर किये गये स्थानान्तरण को नियुक्ति न मानकर पदस्थापना माना जाएगा ।
- (2) उच्च पद पर उक्तानुसार पदस्थापना होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूल नियम 22-डी अथवा 22 (ए) के अन्तर्गत न किया जाकर उसे निम्न पद पर प्राप्त हो रहा संवर्गीय वेतन ही प्राप्त होगा ।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा एवं जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय हो चुका है, उन्हें आदेश जारी होने की तिथि से परिवर्तित करना होगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक 262/98/सी/चार, दिनांक 9-2-99]

(19)

विषय- क्रमोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण बाबत ।

उपर्युक्त संदर्भित विषय में क्रमोन्नत उपरान्त वेतन निर्धारण मूल नियमों के नियम 22 (ए) के अन्तर्गत करने की व्यवस्था है । इसे संशोधित करते हुए राज्य शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि क्रमोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण क्रमोन्नत वेतनमान में अगली स्टेज पर किया जावे ।

2. यह आदेश दिनांक 18 सितम्बर, 1998 से प्रभावशील होगा तथा इसके अन्तर्गत पूर्व में निपटाये गये प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक 775/2834/98/सी/चार, दिनांक 24-4-1999]

(20)

विषय- प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने पर मूल नियम 22-डी

का लाभ दिए जाने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं में प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से व्याख्याता के पद पर पदोन्नति उपरान्त वेतन निर्धारण करने हेतु मूलभूत नियम 22-डी का लाभ दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. यह स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1385/2063/सी/चार, दिनांक 4-7-2000 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

[मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग क्रमांक एफ. 7-17/2000/20-4,
दिनांक 1-7-2000/4-7-2000]

(21)

विषय- मूल नियम 22-डी के संबंध में स्पष्टीकरण ।

मूल नियम 22-डी (1) के अनुसार जहाँ कोई शासकीय सेवक मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से किसी पद को धारण करते हुए किसी अन्य पद पर मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, जिसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व पुराने पद की अपेक्षा अधिक महत्व के हैं, तो उच्च पद के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन निचले पद में प्राप्त वेतन में निचले पद की एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि और जोड़कर काल्पनिक वेतन ज्ञात किया जाएगा तथा उसके उच्च पद के वेतनमान में उसके ठीक आगामी प्रक्रम पर निर्धारित किया जाएगा । मूल नियम 22-डी (1) के चतुर्थ परन्तुक के अनुसार इस नियम के उपबंध वहाँ लागू नहीं होंगे, जहाँ शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान के उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है, परन्तु केवल विशेष वेतन से जुड़ा होने के कारण अलग मालूम पड़ता है । ऐसे प्रकरणों में पदोन्नति पर शासकीय सेवक निम्न पद के वेतन के अतिरिक्त केवल विशेष वेतन ही प्राप्त करेगा । इस परन्तुक के अनुसार मूल नियम 22-डी (1) के अन्तर्गत उन प्रकरणों में लाभ नहीं दिया जाना है, जिनमें निम्न पद एवं पदोन्नत पद का वेतनमान समरूप है और उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व वाले पदोन्नति वाले पद के साथ विशेष वेतन जुड़ा है ।

2. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक को लागू भर्ती पदोन्नति-नियमों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नहीं है, तो ऐसे मामले में नियुक्ति अथवा पदोन्नति होने पर शासकीय सेवक को मूल नियम 22-डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है। यदि कर्मचारी को लागू भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार पदोन्नति होती है, तो पदोन्नति वाले पद को उच्चतर कर्तव्य एवं दायित्व का पद माना जाना चाहिए, भले ही निम्न पद एवं पदोन्नत पद का वेतनमान समरूप हो।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. 1-5/2007 नियम/चार, दिनांक 9-4-2007]

उपरोक्त स्पष्टीकरण लागू होने संबंधी स्पष्टीकरण

संचालक, कोष एवं लेखा, म.प्र. भोपाल ने अपने ज्ञाप क्रमांक वे.नि./2008/374, दिनांक 17-9-2008 द्वारा स्पष्टीकरण भूतलक्षी प्रभाव से अर्थात् दिनांक 1-4-1961 से ही लागू माना जाना मान्य किया है।

(22)

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर वेतन नियतन-

दिनांक 1-7-2006 या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन निर्धारण- संशोधित वेतन ढांचे में एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति की स्थिति में वेतन निर्धारण के लिये वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड पे की राशि के योग के 3 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि जोड़ी जाएगी और इसे 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा। इस राशि को मौजूदा वेतन में जोड़कर पे बैंड में वेतन का निर्धारण होगा तथा इस वेतन पर पदोन्नत पद की ग्रेड पे देय होगी। जहां पदोन्नति में वेतन बैंड में तब्दीली भी जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जाएगा तथापि वेतन वृद्धि जोड़ने के बाद भी जहां वेतन बैंड में वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैंड के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।

(म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 का नियम 12 तथा दिनांक 1 जनवरी 2006 से लागू)

(23)

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन नियतन संबंधी स्पष्टीकरण

क्र.	उठाये गये बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	नियम 3 "मौजूदा परिलब्धियों" के पैरा (ख) (iii) में मूल वेतन तथा महंगाई वेतन पर तत्समय देय महंगाई भत्ता क्या 47 प्रतिशत तक गणना में लिया जा सकता है?	नहीं। नियम 3 "मौजूदा परिलब्धियों" के पैरा (ख) (iii) मूल वेतन तथा महंगाई वेतन पर 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम (ख) (iii) में वित्त विभाग अधिसूचना क्र. एफ-8/2009/नियम/चार दिनांक 4 मई, 2009 द्वारा आवश्यक संशोधन किया गया है। वेतन नियतन पत्रक प्रपत्र-एक संलग्न है।
2.	क्या कर्मचारी पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतन/वेतनमान के उन्नयन की तारीख से	हां। नियम 5 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मौजूदा वेतनमान बहाल रखने का विकल्प केवल एक मौजूदा

	संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण का विकल्प चुन सकता है?	वेतनमान के मामले में देय होगा। कर्मचारी नियम 6 के अन्तर्गत कार्यालय प्रमुख को विकल्प प्रस्तुत कर सकता है।
3.	दिनांक 1 जनवरी 2006 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी का संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा?	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी का संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण नियम 3 एवं 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची "1" में उल्लेखित मौजूदा वेतनमान के तत्स्थानी संशोधित वेतन बैंड के न्यूनतम पर वेतन निर्धारण किया जाएगा तथा इसके साथ सादृश्य ग्रेड वेतन दिया जाएगा।
4.	दिनांक 1-1-2006 से 28-02-2009 के मध्य पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतन/वेतनमान के उन्नयन में मौजूदा वेतनमान से क्या आशय है?	म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम-3 तथा 4 के संलग्न पहली अनुसूची "1" के कालम-2 में उल्लेखित मौजूदा वेतनमान से है।
5.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 को या इसके पश्चात्पूर्वी अवधि में क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा?	ऐसे कर्मचारी जिसे 1 जनवरी, 2006 को या पश्चात्पूर्वी अवधि में क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिये एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी। विकल्प वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 के परिशिष्ट-2 में कार्यालय प्रमुख को दिया जाएगा। शासकीय सेवक आगामी वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने का विकल्प देता है, तो क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि पर, 'वेतन बैंड में वेतन' अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च ग्रेड का ग्रेड वेतन स्वीकृत किया जाएगा। आगामी वेतन वृद्धि की तिथि, अर्थात् 1 जुलाई को वेतन का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। उक्त तिथि को उसे दो वेतन वृद्धि, एक नियमित वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरी वेतन वृद्धि क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान जैसी भी स्थिति हो स्वीकृत की जाएगी तथा वेतन वृद्धि की गणना पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी। उदाहरण के लिये समयमान वेतनमान की तारीख से पहले मूल वेतन 100/- रुपये (बैंड वेतन 90 रुपये + ग्रेड वेतन 10 रुपये) है तो पहली वेतन वृद्धि की गणना 100/- रुपये पर की जाएगी, तथा दूसरी वेतन वृद्धि की राशि की गणना 93/- रुपये पर की जाएगी। उदाहरण क्रमांक- 1 संलग्न है। ऐसे मामलों में जहां शासकीय सेवक क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान की तिथि से ही वेतन निर्धारण करने का विकल्प

		देता है, ऐसे प्रकरणों में वेतन निर्धारण 'वेतन बैंड वेतन' पर 3 प्रतिशत वेतन वृद्धि जोड़कर किया जाएगा। वेतन वृद्धि परिगणित करने हेतु वेतन को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। उदाहरण क्र.-2 संलग्न है। यदि क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान के फलस्वरूप वेतन बैंड में भी परिवर्तन होता है और उक्त वेतन बैंड का न्यूनतम उपरोक्तानुसार परिगणित राशि से अधिक है तो वेतन उस वेतन बैंड के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा। वेतन बैंड में वेतन के अतिरिक्त ग्रेड वेतन भी देय होगा।
6.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद में कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा?	दिनांक 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद में कर्मचारी की पदोन्नति पर वेतन निर्धारण म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम-12 तथा इस संबंध में परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 के पैरा-2 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के लिए एक माह के भीतर विकल्प देने की पात्रता होगी। विकल्प वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 के परिशिष्ट-2 में कार्यालय प्रमुख को दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण विकल्प के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च 2009 के पैरा (अ) अथवा पैरा (ब) के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण क्र. 3 तथा 4 संलग्न है।
7.	क्या मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से नियमित वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा?	जी हां।
8.	जिस कर्मचारी की वेतनवृद्धि तारीख 2 जनवरी, 2006 है तो क्या उसे मौजूदा वेतन में वृद्धि लाभ दिया जाएगा?	नहीं। जिस कर्मचारी की वेतनवृद्धि वास्तविक रूप से पहली तारीख पड़ती है, उसे ही मौजूदा वेतनमान में वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 में स्थिति स्पष्ट की गई है।
9.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद किसी कर्मचारी को, परिवार नियोजन या शासन के किसी अन्य निर्देशों के अन्तर्गत अग्रिम वेतनवृद्धि दी गई हो, तो संशोधित वेतन ढांचे में ऐसे कर्मचारी को अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जाएगा?	संशोधित वेतन ढांचे में अग्रिम वेतन वृद्धि इन नियमों के नियम-8 अनुसार स्वीकृत की जाएगी। अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण सामान्य वेतन वृद्धि की तिथि में परिवर्तन नहीं होगा।
10.	दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद क्रमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिल रहे कर्मचारी की पदोन्नति	दिनांक 1 जनवरी 2006 के बाद क्रमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ/प्रवर श्रेणी वेतनमान मिल रहे कर्मचारी की पदोन्नति निम्न/समरूप वेतन बैंड

	निम्न /समरूप/उच्च पे-बैंड/वेतनमान में होती है तो कर्मचारी का वेतन निर्धारण ऐसी पदोन्नति पर किस प्रकार से किया जाएगा?	वेतन/वेतनमान में होने पर कर्मचारी का वही वेतन तथा ग्रेड-पे मिलेगी जो वह पदोन्नति के पूर्व से प्राप्त कर रहा है । क्रमोन्नति वेतनमान/समयमान वेतनमान/वरिष्ठ /प्रवर श्रेणी वेतनमान मिलने पर उच्च वेतन बैंड वेतन तथा ग्रेड वेतन में परिवर्तन होने पर उसका वेतन निर्धारण कर्मचारी द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर कंडिका-5 के अनुसार किया जावेगा ।
11.	तालिका क्रमांक-7 मौजूदा वेतनमान रुपये 4500-125-7000 की तालिका में अधिकतम वेतन 7000 के बाद 7500 तक दर्शाने का क्या उद्देश्य है?	मौजूदा वेतनमान रुपये 4500-125-7000 की संशोधित तालिका-7 संलग्न है ।
12.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 के पश्चात् असाधारण अवकाश, निलंबनकाल, अकार्य दिवस (मृत दिवस), हड़ताल इत्यादि से वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख पर क्या प्रभाव पड़ेगा?	म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 9 तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतन वृद्धि की तारीख बाबत निर्देश हैं । इन निर्देशों के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई होगी तथा ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने संशोधित वेतन ढांचे में 1 जुलाई को 6 माह या अधिक अवधि की सेवा पूरी कर ली हो, को वेतन वृद्धि की पात्रता होगी । इस संबंध में स्थिति उदाहरण क्र. 5 तथा 6 में स्पष्ट की गई है ।
13.	दिनांक 1 जनवरी, 2006 अथवा उसके पश्चात् वेतनमान का उन्नयन होने पर वेतन निर्धारण किस तरह से किया जाएगा?	दिनांक 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात् वेतनमान का उन्नयन होने पर वेतन निर्धारण संशोधित वेतन ढांचे में "वेतन बैंड" में वेतन वही रहेगा जो उन्नयन के पूर्व में मिल रहा था तथा वेतन बैंड वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन मिलेगा ।

1 जनवरी, 2006 के पश्चात् संशोधित वेतन ढांचे में वेतन निर्धारण करने का विकल्प दिया है उन्हें इन निर्देशों के अन्तर्गत पुनः विकल्प प्रस्तुत करने की पात्रता होगी तथा विकल्प की समय-सीमा इन

निर्देशों के जारी होने की तिथि से एक माह बढ़ाई जाती है ।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग ज्ञाप क्र. एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 25.5.2009]

वेतन नियतन उदाहरण

उदाहरण- एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी वेतनमान 3050-4590 में 1 अप्रैल, 2005 से वेतन रु. 4430/- पा रहे थे । इन्हें समयमान वेतनमान रु. 4000-6000 (संशोधित वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400/-) दिनांक 1 फरवरी, 2007 से दिया गया । कर्मचारी ने म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन निर्धारण कराने का विकल्प 1 जनवरी, 2006 से दिया तथा समयमान

वेतनमान में विकल्प निचले ग्रेड की वेतन वृद्धि मिलने पर दिया । संबंधित का वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा. -

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधित वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड-पे	रिमार्क 5200-20200+1900/-
01.01.2006	4430/-	8240/-	1900/-	
01.07.2006	8550/-	1900/-	1900/-	
समयमान		समयमान वेतन बैंड	ग्रेड-पे	
		5200-20200	2400/-	ग्रेड पे दी गई
01.07.2007		9140/-	2400/-	वार्षिक वेतनवृद्धि मूल वेतन 8550+1900 का 3 प्रतिशत जोड़कर 8870 का 3 प्रतिशत रु. 270 जोड़ने पर रु. 9140 निर्धारित होगा ।

उदाहरण-2. एक सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी वेतनमान 3050-4090 में 1 अप्रैल, 2005 से वेतन रु. 4430/ पा रहे थे । इन्हें समयमान वेतनमान रु. 4000-6000 (संशोधित वेतन बैंड 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400/-) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से दिया गया । कर्मचारी ने म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन निर्धारण कराने का विकल्प 1 जनवरी, 2006 से दिया तथा समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण का विकल्प दिनांक 1.11.2007 से दिया । संबंधित का वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा.-

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधित वेतन बैंड में वेतन	ग्रेड-पे	ग्रेड-पे	रिमार्क 5200-20200+1900/-
01.01.2006	4430/-	8240/-	1900/-		
01.07.2006		8550/-	1900/-		
01.07.2007		8870	1900/-		
समयमान		समयमान वेतन बैंड	ग्रेड	ग्रेड-पे	
		5200-20200		2400/-	
01.11.2007		9140/-	2400/-		वार्षिक वेतनवृद्धि वेतन बैंड में वेतन पर रु 8870 का 3 प्रतिशत रु. 270 जोड़कर निर्धारित होगा ।

01.7.2008 वेतन वृद्धि की तारीख

उदाहरण-3. एक सहायक ग्रेड-कर्मचारी वेतनमान 4500-7000 में 1 अप्रैल, 2005 से वेतन रु 6000/- पा रहे थे । इनकी पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 5000-8000 (संशोधित वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे रु. 3200/-) दिनांक 1 फरवरी, 2007 से की गई । कर्मचारी ने म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन निर्धारण कराने का विकल्प 1 जनवरी, 2006 से दिया तथा पदोन्नति पर विकल्प निचले ग्रेड की वेतन वृद्धि मिलने पर दिया । सम्बंधित

का वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा -

दिनांक	मौजूदा वेतन	संशोधित वेतन ग्रेड-पे बैंड में वेतन	ग्रेड-पे	रिमार्क
01.01.2006	6000/-	11160/-	2800/-	
01.07.2006		11580/-	2800/-	
पदोन्नति		वेतन बैंड/वेतनमान	ग्रेड पे	
सहा.				
ले. अधि.		9300-34800	3200/-	
01.02.2007		11580/-	3200/-	केवल ग्रेड पे दी गई ।
01.07.2007		12390/-	3200/-	एक वार्षिक वेतनवृद्धि पदोन्नति के पूर्व मूल वेतन 11580-2800 का 3 प्रतिशत जोड़कर 12020/- का 3 प्रतिशत 370 जोड़कर रु. 12390/- निर्धारित होगा ।

उदाहरण-4. एक सहायक ग्रेड-1 कर्मचारी वेतनमान 4500-7000 में 1 अप्रैल, 2005 से वेतन रु. 6000/- पा रहे थे । इनकी पदोन्नति सहायक लेखाधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 5000-8000 (संशोधित वेतन बैंड 9300-34800 ग्रेड पे रु. 3200/-) दिनांक 1 नवम्बर, 2007 से की गई । कर्मचारी ने म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन निर्धारण कराने का विकल्प 1 जनवरी, 2006 से दिया तथा पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कराने का विकल्प दिनांक 1.11.2007 से दिया । संबंधित का वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा.-

दिनांक	मौजूदा वेतन	वेतन बैंड	ग्रेड-पे	रिमार्क
		5200-20200	2800/-	
01.01.2006	6000/-	11160/-	2800/-	
01.07.2006		11580/-	2800/-	
01.07.2007		12020/-	2800/-	
पदोन्नति		वेतन बैंड	ग्रेड पे	
सहा. ले		9300-34800	3200/-	
अधि.				
01.07.2007		12470	3200/-	एक वार्षिक वेतनवृद्धि पदोन्नति के पूर्व मूल वेतन 12020+2800 का 3 प्रतिशत जोड़कर 12470/- निर्धारित होगा ।
01.07.2008		आगामी वेतन वृद्धि की तारीख		

विषय- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति पर वेतन का निर्धारण ।

(अ) पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण-

(1) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन (जोकि उस पद के वेतनमान के अधिकतम से अधिक नहीं होगा, जिस पद पर पुनर्नियुक्ति दी गई है), से पेंशन (संराशिकरण पूर्व पेंशन) की राशि घटाकर वेतन ।

(2) महंगाई भत्ता व अंतरिम राहत सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन या उस पद के वेतनमान का अधिकतम, जिस पर नियुक्ति की गई है, दोनों में से जो भी कम हो, पर देय होगी ।

(3) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को पुनर्नियुक्ति की अवधि में पेंशन पर राहत तथा अंतरिम राहत की पात्रता नहीं होगी ।

[वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक ई-4/79/नि-5/चार, दिनांक 20-10-84]

(25)

विषय - सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति।

अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके जिन शासकीय सेवकों को जनहित एवं प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति पर रखा जाता है उन पुनर्नियुक्त या संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा इस विभाग से समय-समय पर निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन/स्पष्टीकरण मांगा जाता रहा है -

1. सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की शासन के अधीन किसी पद पर संविदा नियुक्ति देने पर संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें क्या होगी ?
2. सेवानिवृत्ति के पश्चात् संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे या नहीं ?
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियुक्त अथवा संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के गोपनीय प्रतिवेदन रखे जाएं अथवा नहीं ?

2. उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है :-

- (1) संविदा पर नियुक्ति की सामान्य शर्तें निम्नानुसार निर्धारित की जाना चाहिए:-
 - (क) संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि का निर्धारण
 - (ख) संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी ।
 - (ग) एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल परिलब्धियों में से पेंशन की राशि घटाकर तय की जाएगी ।
 - (घ) एकजाई वेतन के अतिरिक्त पेंशन पृथक् से प्राप्त होगी, परन्तु उस पर देय राहत की पात्रता नहीं होगी ।
 - (ङ) नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एंवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
 - (च) यदि सेवानिवृत्ति के समय अधिकारी शासकीय आवास गृह में रह रहे थे तो संविदा नियुक्ति की अवधि के दौरान भी शासकीय आवास गृह की पात्रता होगी जिसका किराया उसी दर से काटा जाएगा जो सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व देय था ।
 - (छ) शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी ।
 - (ज) यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी ।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर आचरण नियमों के प्रावधान लागू होना- संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे । इसके लिए यह आवश्यक है कि संविदा नियुक्ति से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए कि उन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे ।

(3) पुनर्नियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन रखे जाना- पुनर्नियुक्ति पर या संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी के गोपनीय प्रतिवेदन लिये जाना चाहिए, यह इसलिए कि भविष्य में यदि उन्हें और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति दिए जाने की आवश्यकता पड़े तो उनके पूर्व के पुनर्नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के काल के कार्य स्तर आदि का मूल्यांकन कर इसके आधार पर आगामी पुनर्नियुक्ति या संविदा नियुक्ति देने हेतु उचित निर्णय लिया जा सके ।

[का.प्र.सु. एवं प्र.वि. क्रमांक सी-3-33/49/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989]

(26)

विषय- सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक सी. 3-33/49/3/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 एवं ज्ञापन क्र.- 3 -23/90/3/49, दिनांक 20 जुलाई, 1990.

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्ति पर सेवा शर्तें एवं एकजायी वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं । वर्तमान में दिनांक 1-1-2006 से छठवां वेतनमान लागू हो जाने से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति पर एकजायी वेतन का निर्धारण छठवे वेतनमान के संदर्भ में किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-23/90/3/49, दिनांक 20 जुलाई, 1990 को निरस्त किया जाता है तथा ज्ञापन क्रमांक सी-3 -33/49/3/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 की कंडिका 2 (ख), (ग) एवं (घ) को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार कंडिका स्थापित की जाती हैं :-

(ख) सेवानिवृत्ति की तिथि को सकल वेतन में से सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल पेंशन घटाकर जो राशि आएगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी ।

(ग) सकल वेतन का आशय वेतन एवं महंगाई भत्ता होगा । नवीन वेतनमानों के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता + ग्रेड पे माने जाएंगे । इसी तरह सकल पेंशन के मामले में मूल पेंशन एवं उस पर देय महंगाई राहत की पात्रता होगी ।

(घ) कंडिका (ख) में दर्शाये गये संविदा वेतन पर किसी भी प्रकार का महंगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे । पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी ।

2. संविदा पर नियुक्ति की अवधि में अन्य शर्तें इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-33/49/89, दिनांक 23 दिसम्बर, 1989 के अनुसार यथावत रहेगी ।

[सा.प्र.वि. क्रमांक एफ.सी 3-19/2010/1/3, दिनांक 6 अक्टूबर, 2010]

(27)

विषय- समान ग्रेड पे में उच्च उत्तरदायित्व के पद पर पदोन्नति दिये जाने पर वेतन निर्धारण के संबंध

में ।

- संदर्भ-** 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1-5/2007/ नियम चार, दिनांक 9-4-2007.
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 8/09/नियम/चार, दिनांक 28-2-2009,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-5/2007/नियम/चार, दिनांक 9-4-2007 द्वारा भर्ती/पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत जहाँ शासकीय सेवक ऐसे वेतनमान में उच्च पद पर नियुक्त अथवा पदोन्नत किया जाता है, जो निम्न पद के वेतनमान के समरूप है और पदोन्नति के बाद के पद के साथ विशेष वेतन की पात्रता नहीं है, तो ऐसे मामलों में नियुक्ति अथवा पदोन्नति होने पर (पाँचवा वेतनमान में) शासकीय सेवक को मूल नियम 22डी (1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण की पात्रता है ।

2. राज्य शासन द्वारा दिनांक 28-2-2009 को छठवें वेतनमान के अनुक्रम में म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 जारी किये गये हैं । इन नियमों के नियम 12 में दिनांक 1-1-2008 या इसके पश्चात् पदोन्नति पर वेतन निर्धारण करने का प्रावधान है । इस प्रावधान में समान ग्रेड पे पर पदोन्नत होने पर वेतन निर्धारण के निर्देश नहीं है ।

3. कतिपय विभागों द्वारा यह पृच्छा की जा रही है कि विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार समान ग्रेड पे पर पदोन्नति होने पर किस प्रकार वेतन निर्धारण किया जावे । इस संबंध में राज्य शासन ने अब निर्णय लिया है कि म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 (छठवे वेतनमान) में समरूप वेतन बैंड तथा समान ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार होने पर पदोन्नति पूर्व पद के वेतन एवं ग्रेड पे के 3 प्रतिशत की दर से वेतनवृद्धि जोड़कर पदोन्नति पद पर वेतन निर्धारण किया जावे । इस संबंध में उदाहरण क्रमांक 1 एवं 2 संलग्न है । इस तरह पदोन्नति पर वही ग्रेड पे प्राप्त होगा, जो पूर्व पद पर प्राप्त हो रहा है ।

4. इस आदेश के जारी होने की तिथि के 3 माह के भीतर पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में पुनः विकल्प देने की पात्रता होगी ।

[वि.वि. क्रमांक 8-5/1176/2011/नियम/चार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011]

उदाहरण-एक

'क' कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बैंड रु. 5200-20200+2400 ग्रेड पे में कार्यरत है । उक्त वेतनमान में दिनांक 1-7-2010 को वेतन रु. 8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है । उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैंड में रु. 5200-20200+2400 ग्रेड पे (समान वेतन बैंड में) दिनांक 1-6-2011 को होती है, तो संबंधित का वेतन निर्धारण (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर तथा (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि के दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर निम्नानुसार होगा :-

सहायक वर्ग-2

पूर्व पद का वेतनमान
5200-20200+2400 ग्रेड पे
(अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर
1-7-2010 8000+2400 ग्रेड पे

लेखापाल

पदोन्नति पद का वेतनमान
5200-20200+2400 ग्रेड पे

.....

1-5-2011 पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे	8320+2400
1-7-2011 वेतन	(8320+2400) मौलिक पद का
1-7-2012 आगामी वेतनवृद्धि	8650+2400
(ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने पर :-	
1-7-2010 8000+2400	-----
1-5-2011 पदोन्नति 8000+2400	8320+2400
1-7-2011 (8320+2400)	8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण
1-7-2012 आगामी वेतनवृद्धि	8990+2400

उदाहरण-दो

‘ख’ कर्मचारी जो सहायक ग्रेड-2 के पद पर वेतन बैंड रु. 5200-20200+2400 ग्रेड पे में दिनांक 1-7-2010 को वेतन रु. 8000+2400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहा है। उक्त कर्मचारी की पदोन्नति अधिक उत्तरदायित्व वाले लेखापाल के पद पर वेतन बैंड रु. 5200-20200+2400 ग्रेड पे में (समान वेतन बैंड) दिनांक 1-1-2011 को होती है तथा पदोन्नति पर (अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर एवं (ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक से लाभ लेने का विकल्प देने पर वेतन निर्धारण निम्नानुसार होगा -

सहायक वर्ग-2	लेखापाल
पूर्व पद का वेतनमान	पदोन्नति पद का वेतनमान
5200-20200+2400 ग्रेड पे	5200-20200+2400 ग्रेड पे
(अ) पदोन्नति दिनांक से लाभ लेने पर :-	
1-7-2010 8000+2400 ग्रेड पे	-----
1-1-2011 पदोन्नति 8000+2400 ग्रेड पे	8320+2400
1-7-2011 आगामी वेतनवृद्धि	8650+2400 ग्रेड पे
(ब) पदोन्नति पर आगामी वेतनवृद्धि की दिनांक का विकल्प लेने पर :-	
1-7-2010 8000+2400	
1-1-2011 8000+2400	(8000+2400)
1-7-2011 (8320+2400)	8650+2400 विकल्प अनुसार वेतन निर्धारण
1-7-2012 आगामी वेतनवृद्धि	8990+2400

मू.नि. 23 जब किसी पद का वेतन परिवर्तित हो.- यदि पद के धारक का वेतन बदल दिया गया है तो ऐसा समझा जायेगा कि वह नये पद पर नये वेतनमान में स्थानांतरित कर दिया गया है, बशर्ते कि वह चाहे तो उसके विकल्प पर अपना पुराना वेतन उस तारीख तक बनाए रख सकता है, जिस तारीख को पुराने वेतनमान में वह आगामी अथवा कोई भी अनुवर्ती वेतनवृद्धि अर्जित कर अथवा वह अपना पद छोड़े अथवा उस समयमान में वेतन आहरण करना बंद कर दे। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

टीप- एक पद के पदधारी पर मूल नियम 23 के प्रभाव के लिए, यदि तथा कब उसे स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया, देखे मूल नियम 22 के नीचे भारत शासन आदेश 3 ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1- मूल नियम 23 एक स्थानापन्न साथ ही साथ पद के मौलिक धारक को भी प्रयुक्त होता है । इस नियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति **“पद का धारक”** उस व्यक्ति को भी लागू है जो वस्तुतः पद धारित नहीं करता है, उसका वेतन बदल दिया गया है, बशर्ते वह उस पद पर अपना धारणाधिकार अथवा निलंबित धारणाधिकार रखता हो ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2 - मूल नियम 23 में प्रयुक्त शर्त **“पुराने वेतनमान में अनुवर्ती वेतनवृद्धि”** का क्षेत्र :- मूल नियम 23 के परंतुक में अभिव्यक्ति **“पुराने वेतनमान में अनुवर्ती वेतनवृद्धि”**, उन मामलों में जिसमें कि वेतन के समयमान को वेतन श्रेणी वेतनमान के स्थान में रख दिया गया है में श्रेणी पदोन्नति शामिल है, धारित माना जाना चाहिए ।

मू.नि. 24. वेतनवृद्धि जब तक कि उसे रोका नहीं गया है, सामान्य क्रम में निकाली जाएगी ।

मू.नि. 25- दक्षतावरोध पार करने की अनुमति. - जहाँ किसी समयमान में दक्षतावरोध निर्धारित है, शासकीय सेवक की अवरोध के ऊपर अगामी वेतनवृद्धि उस प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं दी जाएगी जो वेतनवृद्धि रोकने के लिए सक्षम है ।

भारत शासन आदेश- दक्षतावरोध हटने पर वेतन- प्रत्येक अवसर पर जब अधिकारी को दक्षतावरोध पार करने दिया जाता है जोकि पूर्व में उस पर लागू किया गया था, वह उस अवस्था में उसी समयमान में ऐसे प्रक्रम पर आ जाएगा जैसाकि सक्षम प्राधिकारी ने रोक हटाने के आदेश में उस वेतन के अधीन जो उसके सेवाकाल की अवधि को विचार में लेते हुए उसे प्राप्त था, निर्धारित किया है ।

उक्त आदेश केवल समयमान में वेतन नियत करने में प्रयोग किया जाएगा, जिसने कि दक्षतावरोध रखे गये हैं । स्थानीय शासन को अधिकार नहीं है कि अधिकारी का वेतन उच्च समयमान में केवल इस कारण नियत करे कि उस अधिकारी को कनिष्ठ समयमान में दक्षतावरोध पर रोक लिया गया था ।

स्थानीय शासन आदेश- दक्षतावरोध रोकने के प्रकरण का आदेश दिनांक से एक वर्ष उपरान्त पुनरावलोकन किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसी अन्तराल में तदुपरान्त । जब ऐसा शासन आदेश शासकीय सेवक का दक्षतावरोध रोकता है, तो शासन एक वर्ष उपरान्त उस पर विशेष प्रतिवेदन मँगा सकता है, अन्यथा वरिष्ठ अधिकारी को चाहिए कि वह उसके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही करे । संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को ऐसे अधिकारी जिसे दक्षतावरोध पर रोका गया है, के कार्य पर उस पूरी अवधि तक न कि केवल विशेष प्रतिवेदन प्राप्त होने के समय अथवा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जाने के समय तक सतत् निगरानी रखना चाहिए । विभागाध्यक्ष अपने विवेकानुसार इस पद्धति को ऐसे ही रूप में अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं

लिपिक वर्गीय सेवा के लिए जिन्हें दक्षतावरोध पर रोका गया है, अपना सकते हैं ।

[नियुक्ति विभाग क्रमांक 2691/1628/1, दिनांक 13-9-1941]

दिनांक 1 जुलाई से वार्षिक वेतनवृद्धि

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि- संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि की तारीख - वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख एक समान अर्थात् प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई होगी। 1 जुलाई को संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक पूरा करने वाले कर्मचारी वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे। संशोधित वेतन संरचना में 1-1-2006 को वेतन संशोधित वेतन ढांचे में निर्धारण के पश्चात् पहली वेतनवृद्धि 1-7-2006 को उन कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी, जिनकी अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1 जुलाई, 2006 और 31 दिसम्बर, 2006 के बीच होगी।

बशर्ते कि उन कर्मचारियों के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में अगली वेतनवृद्धि जनवरी, 2006 को देने की अनुमति होगी, जो 1 जनवरी, 2006 को एक वर्ष से अधिक समय से मौजूदा वेतनमान का अधिकतम वेतन ले रहे थे। उसके बाद उन पर नियम 9 की शर्त लागू होगी।

बशर्ते कि उन मामलों में जब कोई कर्मचारी अपने वेतन बैंड के अधिकतम स्तर पर पहुँच जाएगा तो उसे अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद अगले उच्चतर वेतन बैंड में डाल दिया जाएगा। उच्चतर वेतन बैंड में स्थापन के समय एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। उसके पश्चात् वह उच्चतर वेतन बैंड में तब तक रहेगा जब तक वेतन बैंड में उसका वेतन पीबी 4 के अधिकतम तक नहीं पहुँच जाता और उसके पश्चात् उसे और कोई वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।

नोट - ऐसे मामलों में, जहाँ दो मौजूदा वेतनमानों में से एक दूसरे के लिए पदोन्नति वेतनमान होने के कारण मिला दिया गया हो और अब कनिष्ठ शासकीय कर्मचारी अपना वेतन निचले वेतनमान में समान अथवा नीचे के उत्तर पर पा रहा हो तथा संशोधित वेतन संरचना में वेतन बैंड में वह मौजूदा उच्चतर वेतनमान में कार्यरत वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी के वेतन से अधिक वेतन ले रहा हो तो वरिष्ठ शासकीय कर्मचारी के वेतन बैंड में वेतन उसी तारीख से उक्त कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और इस प्रकार वह अपनी अगली वेतनवृद्धि नियम-9 के अनुसार प्राप्त करेगा।

[म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 का नियम 9]

वार्षिक वेतनवृद्धि गणना उदाहरण

उदाहरण - 1 वार्षिक वेतनवृद्धि का नियमन

एक कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3050-4590 में दिनांक 01-04-2005 से वेतन रु 3800 पा रहा था (संशोधित 5200-20200 ग्रेड पे 1900) में इनका वेतन निर्धारण रु 7070 तथा ग्रेड पे दिनांक 01-01-2006 को निर्धारित होकर वार्षिक वेतनवृद्धि तारीख 01-07-2006 नियत हुई।

कर्मचारी दिनांक 01-03-2006 से 30-6-2006 तक चार माह लगातार असाधारण अवकाश पर रहा।

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 9 तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक कर्तव्य काल नहीं होने से वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2006 के स्थान पर 01 जुलाई, 2007 को मिलेगी।

उदाहरण - 2. वार्षिक वेतनवृद्धि का नियमन

एक कर्मचारी सहायक ग्रेड-3 वेतनमान 3050-4590 में दिनांक 01-04-2005 से वेतन रु. 3800 पा रहा था (संशोधित 5200-20200 ग्रेड पे 1900) में इनका वेतन निर्धारण रु. 7070 तथा ग्रेड पे 1900 दिनांक 01-01-2006 को निर्धारित होकर वार्षिक वेतनवृद्धि तारीख 01-07-2006 नियत हुई। कर्मचारी को 01 जुलाई, 2006 तथा 01 जुलाई, 2007 की वेतनवृद्धि मिली।

कर्मचारी दिनांक 01-08-2007 से 30-11-2007 तक चार लगातार स्वेच्छा से अनुपस्थित रहा जिसे मृत दिवस माना गया।

म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 9 तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23 मार्च, 2009 के अनुसार संशोधित वेतन ढांचे में 6 माह और अधिक कर्तव्य काल पूरा करने से वार्षिक वेतन वृद्धि 01 जुलाई, 2008 को मिलेगी।

राज्य शासन स्पष्टीकरण

विषय - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के संबंध में स्पष्टीकरण।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये गये हैं। कतिपय विभागों/कर्मचारी संघों/अधिकारियों द्वारा वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण चाहे जो रहे हैं। अन्तः मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 में वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति के साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी निम्नानुसार स्पष्टीकरण प्रसारित किये जाते हैं :-

1. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम-9 के अनुसार, वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि एक सामान अर्थात् प्रत्येक वर्ष की एक जुलाई होगी तथा ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुनरीक्षित वेतन ढांचे में 01 जुलाई को 06 माह या अधिक अवधि की नियमित सेवा पूरी कर ली हो, को वेतनवृद्धि की पात्रता होगी तथा इस अनुसार ऐसे सभी शासकीय सेवक, जिन्होंने दिनांक 02-01-2005 और दिनांक 01-01-2006 के मध्य वेतनवृद्धि अर्जित कर ली हो, की आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01-07-2006 होगी।

2. 01-01-2006 के बाद पदोन्नति के प्रकरणों में वेतन निर्धारण - पदोन्नति के समय सम्बंधित शासकीय सेवक यह विकल्प दे सकता है कि वह उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण करवाए अथवा उस शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाली आगामी वेतनवृद्धि की तारीख यथा उस वर्ष की एक जुलाई से वेतन निर्धारण करवाए। ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित वेतन ढांचे के अन्तर्गत निम्न रीति से उसका वेतन नियत होगा :-

- (अ) ऐसे मामलों में जहाँ शासकीय सेवक, आगामी वेतनवृद्धि की तारीख से वेतन निर्धारण का विकल्प लेता है, वही पदोन्नति की तारीख को उसके विद्यमान वेतन बैंड में वेतन वही रहेगा जो पदोन्नति की तारीख से पूर्व था परंतु उच्च पद का ग्रेड वेतन उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। आगे आगामी वेतनवृद्धि की तारीख यथा एक जुलाई को उसका पुनः वेतन निर्धारण होगा तथा इस तिथि को उसे दो वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाएंगी, एक नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि और दूसरी पदोन्नति के लिये। वेतनवृद्धि की गणना पदोन्नति के पूर्व प्राप्त वेतन के आधार पर की जावेगी। उदाहरण के लिये, यदि पदोन्नति की तारीख से पहले मूल वेतन 100 रुपये है तो पहली वेतनवृद्धि की गणना 100/- रुपये पर की जाए, और फिर दूसरी वेतनवृद्धि की गणना 103/- रुपये पर की जाएगी।
- (ब) ऐसे मामले में जहाँ शासकीय सेवक, उच्च पद की पदोन्नति की तिथि से ही वेतन निर्धारण करने का विकल्प देता है, उन मामलों में उसे पदोन्नति पूर्व के मूल वेतन में 3 प्रतिशत की दर से एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जावेगी एवं उसकी उच्च पद पर वेतनवृद्धि की तारीख अगली एक जुलाई होगी, यदि उसकी पदोन्नति 02 जुलाई से एक जनवरी के बीच हो, तथा यदि उसकी पदोन्नति संबंधित वर्ष की 02 जनवरी से 30 जून के बीच होती है, तो उसे अगले वर्ष की एक जुलाई को वेतनवृद्धि देय होगी अर्थात् यदि किसी शासकीय सेवक की पदोन्नति 02 जुलाई, 2006 से 01 जनवरी, 2007 के मध्य होती है, तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि 01 जुलाई 2007 होगी। यदि उसकी पदोन्नति 02 जनवरी, 2006 से 30 जून, 2006 के मध्य होती है, तो उसकी वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2007 होगी।

3. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 10 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये वेतन तालिकाओं का उपयोग - मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 10 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए वेतन तालिकाएँ दी गई हैं। जब किसी शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण नियम 10 अनुसार दिनांक 01-01-2006 की स्थिति में या विकल्प अनुसार तिथि को किया जाना है, तो इन तालिका का उपयोग किया जा सकता है तथा इसके बाद देय वार्षिक वेतनवृद्धि गणना नियम 9 में दी गई विधि अनुसार होगी।

4. क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण:-

- (अ) क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 /1-4-2006 की स्थिति में लागू क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान में प्राप्त कर रहे वेतन के आधार पर वेतन निर्धारित किया जावेगा तथा क्रमोन्नत वेतनमान /समयमान वेतनमान के सापेक्ष संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित ग्रेड पे भी देय होगी।
- (ब) ऐसे कर्मचारी जिन्हें दिनांक 1-1-2006/4/2006 के पश्चात् क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त हुआ है, को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के नियम 6 के अनुसार विकल्प की सुविधा है अर्थात् वह क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त करने की दिनांक से इस वेतनमान के चयन का विकल्प दे सकता है

। विकल्प न देने की दशा में दिनांक 1-1-2006/1-4-2006 को प्राप्त विद्यमान मूल वेतनमान के आधार पर इन नियमों के तहत वेतन निर्धारण किया जाएगा । तत्पश्चात् क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त होने की दिनांक को उसे केवल क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के सापेक्ष संशोधित वेतन बैंड/वेतनमान में निर्धारित ग्रेड पे देय होगी । जहाँ क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान प्राप्त होने की स्थिति में वेतन बैंड में तब्दीली जरूरी हो ऐसी स्थिति में इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथा जहां वेतन बैंड में वेतन क्रमोन्नत वेतनमान/समयमान वेतनमान के उच्च वेतन बैंड के पद के न्यूनतम से कम होगा तो इस वेतन को उक्त वेतन बैंड में न्यूनतम के बराबर बढ़ा दिया जावेगा ।

5. दिनांक 01-01-2006 से इस आदेश के जारी होने के मध्य पदोन्नत/क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को 3 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । इस आदेश के जारी होने के पश्चात् पदोन्नति/क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान के मामले में संबंधित शासकीय सेवक को 1 माह के भीतर विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति होगी । विकल्प का प्रारूप “प्रपत्र-दो” पर है ।

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार, दिनांक 28 फरवरी, 2009 के संलग्न वेतन नियतन पत्रक “प्रपत्र-एक” अनुसार संशोधित किया जाता है ।

[वित्त विभाग ज्ञाप क्र. एफ-8/2009/नियम/चार, दिनांक 23-03-2009]

मू.नि. 26. वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाने वाली सेवा. - निम्नलिखित प्रावधान वे शर्तें निर्धारित करते हैं, जिसमें सेवा किसी समयमान में वेतनवृद्धि हेतु हिसाब में ली जाती है:-

(अ) समयमान वाले पद पर बिताया गया संपूर्ण कर्तव्य-काल उस समयमान में वेतनवृद्धि हेतु हिसाब में लिया जाता है :

परन्तु उस समयमान में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि निकालने के लिए ऐसी अवधियाँ, जो उस समयमान में वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में नहीं ली जाना हैं, सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि में जोड़ दी जावेंगी ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1. परिवीक्षा समाप्ति के पूर्व वेतनवृद्धि. - जो शासकीय सेवक एक संवर्ग में स्थायी पद मौलिक रूप से धारण किये हो और किसी अन्य पद पर केवल परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो, उसके द्वारा की गई सेवा, उस पद में वेतनवृद्धि हेतु हिसाब में ली जाती है, जिस पद पर वास्तविक रूप से की गई हो, अर्थात् वह पद जिस पर वह परिवीक्षा पर है । अतः ऐसे प्रकरण में शासकीय सेवक को अपना परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुज्ञा है ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. - यदि कोई परिवीक्षाधीन 12 माह से अधिक की परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जाता है, तो वह उन वेतनवृद्धियों को पूर्व प्रभाव से प्राप्त करने

का हकदार होगा, जो उसने सामान्य क्रम में प्राप्त की होती, यदि वह परिवीक्षा पर न होता तो प्राप्त करता ।

शर्तें जिनके अधीन एक शासकीय सेवक की, जो एक पद पर स्थानापन्न है, उस पद से सलग्न समयमान के कर्तव्य पर अनुपस्थिति की अवधि वेतनवृद्धि के लिए गणित की जाएगी ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3 - (1) ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में जो एक पद पर स्थानापन्न रहते हुए किसी दूसरे पद पर स्थानापन्न तौर पर नियुक्त किया गया हो, एक पद से दूसरे पद तक जाने में व्यतीत पदग्रहण-काल की अवधि, उस पद में सेवा की भांति गिनी जाएगी, जिस पद का वेतन वह इस अवधि में प्राप्त करता है और वह अवधि मूल नियम 26 (अ) के अन्तर्गत उसी पद में वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

(2) ऐसे शासकीय सेवक के प्रकरण में जो एक पद पर स्थानापन्न रहते हुए, प्रशिक्षण पर अथवा शिक्षा के पाठ्यक्रम में जाता है तथा प्रशिक्षणाधीन रहते हुए सेवा पर माना जाता है, तो इस प्रकार की सेवा की अवधि उस पद में वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाएगी, जिस पद पर वह प्रशिक्षण अथवा शिक्षा के पाठ्यक्रम के लिए भेजे जाने के पूर्व स्थानापन्न था, यदि इस अवधि में स्थानापन्न वेतन दिया गया हो ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 4. - विलोपित।

[वित्त विभाग क्रमांक 2146-आर-263-चार-नि-1, दिनांक 24-10-1962]

सिविल सेवा (राज्यपाल प्रान्त) प्रत्यायोजन नियम के नियम 4 (1) के अन्तर्गत स्थानीय शासन द्वारा बनाये गये नियम

परिवीक्षाधीन सेवा कब वेतनवृद्धि हेतु गणना में ली जाती है. - उन मामलों में जहाँ परिवीक्षाधीन व्यक्ति को वेतन दिया जाता है, परिवीक्षा अवधि में वेतन में वृद्धि शामिल होती है तथा वेतनमान स्थानीय शासन द्वारा स्वीकृत है, परिवीक्षाधीन सेवा वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाएगी ।

- (बी) (1) नियम 15 के खण्ड (अ) में उल्लेखित कम वेतन वाले पद के अतिरिक्त अन्य पद पर की गई सेवा, चाहे मौलिक हो या स्थानापन्न, भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर की गई सेवा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अलावा अन्यथा लिए गए असाधारण अवकाश को छोड़कर अवकाश, पद को लागू वेतनमान में जिस पर शासकीय सेवक धारणाधिकार रखता है साथ ही साथ पद या पदों को लागू वेतनमान में, यदि कोई हो, जिस पर यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं हुआ होता तो धारणाधिकार कायम रखता, वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाएगी ।
- (ii) चिकित्सा प्रमाण-पत्र के अन्यथा लिए गए असाधारण अवकाश को छोड़कर, समस्त प्रकार के अवकाश की अवधि तथा भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति की अवधि, पद को लागू वेतनमान में वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाएगी, जिस पर शासकीय सेवक अवकाश अथवा प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान के समय स्थानापन्न था तथा

अवकाश या भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर प्रस्थान नहीं करता तो निरन्तर स्थानापन्न बना रहता :

परन्तु राज्य शासन को अधिकार है कि किसी ऐसे प्रकरण में जिसमें उसका समाधान हो जाए कि असाधारण अवकाश शासकीय सेवक के नियंत्रण के बाहर किसी अन्य कारण से अथवा उच्च वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन पर जाने के लिए लिया गया था, यह निर्देश दे सकता है कि असाधारण अवकाश खण्ड (i) या (ii) के अन्तर्गत वेतनवृद्धियों के लिए हिसाब में लिया जावे ।

मू. नि. 26 (बीबी) - [विलोपित]

[वित्त विभाग क्रमांक 767-आर-6-चार-नि- 1 दिनांक 10-4- 1962]

राज्य सचिव आदेश 1. वरिष्ठ सिविल सेवा अनुसूची 1 में प्रयुक्त शब्द "सेवा का वर्ष" की व्याख्या- कौंसिल के राज्य सचिव के निर्णय अनुसार वरिष्ठ सिविल सेवा वेतन संशोधन तथा निवृत्ति वेतन नियम, 1924 की अनुसूची 1 में "सेवा का वर्ष" शब्द की परिभाषा में असाधारण अवकाश तब तक शामिल नहीं होगा, जब तक कि भारत शासन या स्थानीय शासन, जैसा भी मामला हो, के समाधान के बाद अन्यथा आदेशित नहीं करे कि अवकाश का कारण कोई बीमारी थी या वह शासकीय सेवक के नियंत्रण के बाहर था ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक एफ 341-सी.एस.आर/26, दिनांक 25-1-1925]

राज्य सचिव आदेश 2. जेल महानिरीक्षक की स्थानापन्न सेवा.- कौंसिल के राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि जेल महानिरीक्षक के पद पर की गई स्थानापन्न सेवा जो एक प्रान्त में वेतनवृद्धि के लिए हिसाब में ली जाती है, वैसे ही वह सेवा अन्य प्रान्त में उनकी नियुक्ति होने पर हिसाब में ली जावेगी ।

[भारत शासन क्रमांक एम. 5903/28, दिनांक 11-10-1928 नियुक्ति विभाग क्रमांक 5329/57/34/आर-3, दिनांक 17-11 -1928]

राज्य सचिव आदेश 3 - शासकीय सेवकों के वेतन के विनियमन के उद्देश्यों हेतु जो मूल नियम 58 के नीचे संदर्भित राज्य सचिव आदेश में उल्लेखित रियायत का लाभ उठाते हैं, बाबत राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि मूल नियम 26 (बी) में धारणाधिकार के लिए सिविल सर्विस रेग्यूलेशन में जैसी व्याख्या है, वैसी समझी जाना चाहिए ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक 60/24/सी.एस.आर., दिनांक 21-7-1924]

भारत शासन आदेश.- शासकीय सेवक जो सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अवकाश नियमों से शासित हैं- मूल नियम 8 के अधीन भारत शासन ने निर्णय लिया है कि अधिकारी जिसने सिविल सर्विस रेग्यूलेशन में शामिल अवकाश नियमों से शासित रहने का विकल्प लिया है, वह उस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 210 के लाभ का हकदार है और यह कि उसके मामले में उस अनुच्छेद को लागू करना अर्थात् मूल नियम 26 (बी) में "धारणाधिकार" शब्द की जो परिभाषा है के प्रभाव को शून्य करना है ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक एफ. 153/सी.एस.आर./26, दिनांक 25-5-1926,

महालेखा परीक्षक अनुदेश.-स्वीकृत अवकाश से अधिक ठहरना कैसा माना जावे-स्वीकृत
अवकाश से अधिक ठहरने की अवधि मूल नियमों के अन्तर्गत वेतनवृद्धियों के लिए हिसाब में नहीं ली जाती है ।

- (सी) (i) यदि, कोई शासकीय सेवक एक पद पर स्थानापन्न रहते हुए अथवा समयमान वेतन पर अस्थायी पद को धारण करते हुए, किसी उच्च पद पर स्थानापन्न अथवा कोई उच्च अस्थायी पद ग्रहण करने हेतु नियुक्त किया जाता है अथवा वेतन के उसी समयमान पर किसी पद पर नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त किया जाता है, तो उच्च पद में उसकी अस्थायी या स्थानापन्न सेवा, ऐसे निम्न पद पर लागू समयमान में वेतनवृद्धियों के लिए हिसाब में ली जाएगी ।
- (ii) यदि, कोई शासकीय सेवक संवर्ग के बाहर के पद से अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित होने पर किसी अन्य पद पर नियुक्त होता है, जिसका वेतनमान संवर्ग के बाहर के पद के वेतनमान से कम है, लेकिन संवर्ग के बाहर के पद पर स्थानापन्न के पूर्व धारित पद के समयमान की भाँति भी नहीं है, तो संवर्ग के बाहर के पद के उच्च समयमान में की गई सेवा संवर्ग के पद पर लागू समयमान में उन्हीं शर्तों के अधीन हिसाब में ली जावेगी जैसी मूल नियम 22 के परन्तुक (i) (iii) में आने वाले प्रकरणों के लिए निर्धारित की गई है ।

तथापि उच्च पद पर स्थानापन्न सेवा की अवधि जो कि निम्न पद पर वेतन वृद्धि हेतु गणना में ली जाती है, उस अवधि तक प्रतिबंधित होगी, जितनी अवधि तक शासकीय सेवक निम्न पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता, यदि उसकी उच्च पद पर नियुक्ति नहीं हुई होती ।

यह खण्ड उस शासकीय सेवक को भी लागू होता है जो वास्तव में उच्च पद पर नियुक्ति के समय निम्न पद पर स्थानापन्न नहीं था परन्तु उसने ऐसे निम्न पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया होता अथवा उस वेतन के समान समयमान वाले पद पर कार्य किया होता, यदि उसकी उच्च पद पर नियुक्ति नहीं हुई होती ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- इस नियम की मंशा यह है कि यह ध्यान दिए बिना कि उच्च पद उसी विभाग के अन्दर है या उसके बाहर जिससे कि शासकीय सेवक संबंधित है, सुविधा प्रदान करना है ।

- (डी) [विलोपित]
- (ई) **नियमों का विस्तार.-**निम्न पदों पर लागू समयमान में बाह्य सेवा वेतनवृद्धियों हेतु हिसाब में ली जाती है-
- (i) शासकीय सेवा में वह पद जिस पर संबंधित शासकीय सेवक धारणाधिकार रखता है तथा वह पद, यदि कोई हो, जिस पर वह धारणाधिकार ग्रहण किये होता, यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं हुआ होता, तथा
- (ii) वह पद जिसमें शासकीय सेवक बाह्य सेवा में स्थानान्तरण से तत्काल पूर्व स्थानापन्न था,

- (iii) निम्न वेतनमान के मूल संवर्ग में कोई भी पद जिस पर शासकीय सेवक मूल नियम 22 के परन्तुक (i) (iii) में उल्लेखित प्रतिबंधों के अधीन संवर्ग से बाहर के पद से प्रत्यावर्तित होने पर नियुक्त किया गया है ।
- (एफ) पदग्रहण काल वेतनवृद्धि हेतु हिसाब में लिया जाएगा-
- (i) यदि, मूल नियम 106 के खण्ड (अ) या खण्ड (स) के अन्तर्गत है, तो उस पद पर लागू समयमान में जोड़ा जाएगा जिस पर शासकीय सेवक धारणाधिकार रखता है अथवा यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं होता तो धारित किए होता तथा उस पद पर लागू समयमान में भी जोड़ा जाएगा जिसका वेतन शासकीय सेवक इस अवधि में प्राप्त करता है, तथा
- (ii) यदि, वह मूल नियम 105 के खण्ड (ब) के अन्तर्गत है, तो उस पद/उन पदों के समयमान में जोड़ा जाता है, जिसमें पदग्रहण काल के पूर्व के अवकाश का अंतिम दिन वेतनवृद्धियों हेतु गणित होता है ।

विषय- क्रमोन्नत वेतनमान में आगामी वेतनवृद्धि की तिथि ।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश क्रमांक एफ-1-1/वेआप्र/99, दिनांक 22/30 जून, 2000 द्वारा यह निर्णय प्रसारित किया है कि क्रमोन्नत वेतनमान में वेतनवृद्धि की तिथि वही होगी जो वेतनवृद्धि की तिथि क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने के पूर्व रही थी, अर्थात् क्रमोन्नति के पूर्व में की गई खण्ड सेवाएँ जो एक वर्ष से कम हों, क्रमोन्नत वेतनमान में भी वेतनवृद्धि हेतु गिनी जाएँगी ।

यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठोक्त क्रमांक 1343/1985/सी/चार, दिनांक 30-6-2000 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठोक्त किया गया ।

मू.नि. 27. अग्रिम वेतनवृद्धियाँ.-शासन द्वारा जारी सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन, शासकीय सेवक को वेतन के समयमान में समय पूर्व वेतनवृद्धि नियुक्तिकर्ता अधिकारी मंजूर कर सकते हैं ।

राज्य शासन अनुदेश

विषय- वेतनमान में समय से पहले वेतनवृद्धि ।

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 27 में निम्नानुसार प्रावधान था.-

2. वर्तमान में पद निर्माण करने के अधिकार किसी भी प्राधिकारी को नहीं हैं ।

3. अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अब सामान्य अथवा विशेष आदेशों के तहत समय वेतनमान में समय से पहले वेतनवृद्धि स्वीकृत करने संबंधी अधिकार उनके नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को दिये जाये ।

[वित्त विभाग जापन क्रमांक जी-30/1/95 सी/चार, दिनांक 30-12-1995]

अग्रिम वेतनवृद्धियाँ

विषय- शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी

कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धियों के संबंध में ।

सन्दर्भ- इस विभाग के जाप क्रमांक 46/91/1(3)/79 दिनांक 29-1-79, क्र. 383-432/1/79 दि. 24-8-79, क्र. 408/629/1(3)/79 दि. 27-9-79, क्र. 473/629/1(3)/79 दि. 20-11-79, क्र. 102/79/1(3)/80 दि. 20-2-80, क्र. 299/324/1(3)/81 दि. 20-07-81, क्र. 628/846/1(3)/81 दि. 22-12-81, क्र. सी.3-44/83/3/1 दि. 13-1-84, क्र. सी.3-91/84/3/1 दि. 27-6-84, क्र. सी.3-14/86/3/1 दि. 21-4-88 एवं क्र. सी.3-13/95/3/1 दि. 25-7-95

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति /पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली वेतनवृद्धियों की पूर्व व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जाएँगी ।
- (2) दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाएगी ।
2. ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।
3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठोक्त क्रमांक 1453/1869/01/सी/चार, दिनांक 31-07-2001 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3/9/2001/1/3, दिनांक 25-7-2001/7-8-2001 द्वारा जारी तथा शासन के समस्त विभागों को संबोधित]

संदर्भ में अंकित पूर्व में जारी आदेश

(1)

परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से तथा शासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में ऐसे शासकीय कर्मचारी स्वयं या पति/पत्नी जो जीवित दो बच्चों के उपरान्त परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी करा लेते हैं, उन्हें नसबंदी कराने की तिथि से दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जाएँगी तथा जो कर्मचारी तीन जीवित बच्चों के उपरान्त स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी करा लेते हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत की जावेगी ।

2. शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश शासकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त उन कर्मचारियों को भी लागू होगा जो अर्द्ध शासकीय या शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत हो ।

3. यह आदेश दिनांक 15 जनवरी, 1979 से प्रभावशील माने जायेंगे ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक. 46/91/1(3)/79, दिनांक 29-1-79]

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 49/91/1(3)/79, दिनांक 29 जनवरी, 1979 में जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत स्वीकृत लाभ निश्चित वेतन पर नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को किस प्रकार दिया जाए? इस प्रश्न पर राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्हें निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने तक निश्चित वेतन पर रखा गया है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने के कारण नियमानुसार नियमित वेतनवृद्धियाँ देय नहीं होती हैं, उन्हें उपर्युक्त ज्ञापन के अन्तर्गत अग्रिम वेतनवृद्धि के बराबर देय राशि व्यक्तिगत वेतन के रूप में मिलेगी । बाद में जब उस शासकीय सेवक को नियमित वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी तब इस व्यक्तिगत वेतन को वेतन में अग्रिम वेतनवृद्धि के रूप में शामिल किया जाएगा ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 363/432/1(3)/79, दिनांक 24-8-79]

(3)

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने वाले शासकीय सेवकों को दिनांक 15-1-79 से अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 29-1-79 के ज्ञापन क्रमांक 46/91/1(3)/79 में आवश्यक आदेश प्रसारित किए गए हैं । इस आदेश के संदर्भ में विभिन्न विभागों के द्वारा कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा गया है । अतः उक्त शासन आदेशों के तारतम्य में बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार दिया जाता है:-

बिन्दु	स्पष्टीकरण
1. ऐसे पति/पत्नी जिनका एक बच्चा जीवित हो अथवा जो निःसंतान हो, नसबंदी करायें तो क्या यह लाभ उन्हें भी मिलेगा?	हां/पूर्णतः
2. यदि पति एवं पत्नी दोनों शासकीय सेवक हैं और दोनों में से कोई एक नसबंदी करा लेता है तो अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दोनों कर्मचारियों को दिया जाएगा अथवा किसी एक को	एक को जो नसबंदी कराएगा
3. यदि पत्नी शासकीय सेवा में कार्यरत हैं और उसका पति जो शासकीय सेवा में नहीं है, नसबंदी ऑपरेशन करा लेता है तो शासकीय सेवा में कार्यरत उसकी पत्नी को लाभ मिलेगा अथवा नहीं?	लाभ मिलेगा ।
4. शासकीय सेवक को निर्धारित आयु पूर्ण करने तक नसबंदी कराने पर वेतनवृद्धियाँ दी जावेगी अथवा किसी भी आयु तक?	पूर्व घोषित (योग्य दम्पति) आयु सीमा तक
5. अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने से क्या संबंधित शासकीय सेवकों की सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि बदलेगी या नहीं?	यह वेतनवृद्धियाँ विशेष तौर पर अतिरिक्त रूप से दी जाना हैं, अतः सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि के बदलने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

6. क्या अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ सभी श्रेणी के अधिकारियों को या केवल श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को मिलेगा? अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर, इन आदेशों का लाभ सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों को प्राप्त होगा ।
7. परिवीक्षाकाल के दौरान नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा अथवा नहीं? ऐसे शासकीय सेवकों को परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा सकेगा तथा उसे ऑपरेशन के लिए देय वेतनवृद्धि का बकाया भी देय होगा ।

[सामान्य प्रशासन विभाग डी क्रमांक 408/629/1(3)/79, दिनांक 27-9-79]

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा उपस्थित किए गए बिन्दुओं पर सामान्य प्रशासन विभाग के दिनांक 27-9-79 के ज्ञापन क्रमांक 408/629/1(3)/79 में जारी किए गए आदेशों के अनुक्रम में कुछ और बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण दिए जाने का निर्णय लिया गया है:-

	बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	जो शासकीय सेवक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हैं, उन्हें भी क्या अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाना है?	हां, नसबंदी ऑपरेशन कराये जाने पर ऐसे शासकीय सेवकों को वेतनवृद्धियाँ स्वीकार की जाएंगी, उसे वैयक्तिक वेतन माना जायेगा ।
2.	ऐसे कर्मचारी जो अधिकतम वेतन प्राप्त करने के पश्चात् गतिरोध भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें भी क्या यह लाभ दिया जाना है?	जो कर्मचारी अपने वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें शासन आदेश दिनांक 29-1-79 के अन्तर्गत वेतनवृद्धियाँ वैयक्तिक वेतन के रूप में ही दी जाएंगी जो उसी पद पर कार्यरत रहने पर उस कर्मचारी को गतिरोध भत्ता प्रान्त होगा उसमें समायोजित नहीं होगी अर्थात् सामान्य नियमों के अन्तर्गत देय गतिरोध भत्ता तथा उक्त आदेशों के अन्तर्गत देय वैयक्तिक वेतन पृथक-पृथक रूप के प्राप्त होंगे । पदोन्नति पर अवश्य यह व्यक्तिगत वेतन वेतन निर्धारण के लिए बेसिक पे नहीं माना जावेगा ।
3.	ऐसे शासकीय सेवक जो दक्षतावरोध पार करने की स्टेज पर हों, उन्हें इसका लाभ किस प्रकार दिया जावेगा?	ऐसे मामलों में जब तक शासकीय सेवक को दक्षतावरोध पार करने की अनुमति नहीं दी जाती तब तक नसबंदी ऑपरेशन कराने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत तो की जा सकेंगी, परन्तु ऐसी वेतनवृद्धि वैयक्तिक वेतन के रूप में मान्य की जावेगी तथा दक्षतावरोध पार करने की अनुमति दी जाने की तिथि से यह व्यक्तिगत वेतन नियमित वेतनवृद्धियों में परिवर्तित कर दिया जाएगा । अर्थात् जिस तिथि से संबंधित सेवक को दक्षतावरोध पार करने की अनुमति दी जावेगी उस तिथि को उपरोक्त वैयक्तिक वेतन

	उसके वेतन में जोड़ दिया जावेगा ।
--	----------------------------------

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक डी-473/629/1(3)/79. दिनांक 20-1-1979]

(5)

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 46/91/1(3)/79, दिनांक 29 जनवरी, 1979 में जारी किए गए आदेशों के संदर्भ में यह प्रश्न उपस्थित किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने दो जीवित बच्चों के उपरान्त अपनी पत्नी के गर्भवती होते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरा बच्चा होने पर अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ किस प्रकार दिया जाए? इस संबंध में विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा शासकीय सेवक जिसके दो जीवित बच्चे थे और उसने अपनी पत्नी के गर्भवती होते हुए नसबंदी ऑपरेशन कराया तो उसे शासन निर्देशानुसार दो अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता थी । तीसरा बच्चा पैदा होने की दशा में यह माना जाना चाहिए कि उसने तीन जीवित बच्चों के बाद नसबंदी कराई है और इसलिए उसे तीसरा बच्चा पैदा होने की तिथि से एक ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 102/79/1(3)/80, दिनांक 20-2-1980]

शासन द्वारा शासकीय सेवकों को जीवित दो या तीन बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने के संबंध में जारी इस विभाग के उपर्युक्त ज्ञापन के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक को दो जीवित बच्चों के बाद तीसरी प्रसूति में जुड़वाँ बच्चा पैदा हुआ तो पति या पत्नी द्वारा नसबंदी कराने पर उसे अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी या नहीं? इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवक को उपर्युक्त स्थिति में चार बच्चे हो जाने पर भी उसी प्रकार अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी, जैसे कि यदि उन्हें तीसरी प्रसूति में बच्चा पैदा होता तो उसके पश्चात् नसबंदी कराने पर उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त होती ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किये गये हैं ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 628/846/1(3)/81, दिनांक 22-12-81]

शासन द्वारा शासकीय सेवकों को जीवित दो या तीन बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 29-1-79 के उपर्युक्त ज्ञापन के संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक को एक जीवित बच्चे के बाद दूसरी प्रसूति में जुड़वाँ बच्चे पैदा हों तो उसके या उसके पति या पत्नी द्वारा नसबंदी कराने पर उसे एक अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी या दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक को उपर्युक्त स्थिति में तीन बच्चे हो जाने पर भी उसी प्रकार दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी जैसाकि उसे प्रसूति में एक बच्चा पैदा होता तो उसके पश्चात् नसबंदी कराने पर उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धियाँ प्राप्त होती ।

2. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक एफ./81/नि-1/चार, दिनांक 18-1-84 के द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-44/83/3(1), दिनांक 13-1-84]

कुछ विभागों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि क्या तदर्थ रूप से नियुक्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के परिवार नियोजन ऑपरेशन कराने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जा सकेगी या नहीं? इस संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि तदर्थ रूप से नियुक्ति की कालावधि में नसबंदी ऑपरेशन कराने पर उन्हीं कर्मचारियों के प्रकरणों में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 46/91/1(3)/ 79, दिनांक 29-1-79 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नसबंदी ऑपरेशन की तिथि से अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जा सकेंगी जिन्हें इस विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-2/83/3(1), दिनांक 16-8-83 में निहित शर्तों के अन्तर्गत अपने स्थायी पद के वेतनमान में सामान्य वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी, अर्थात् दिनांक 16-8-83 के इस परिपत्र के अनुसार यदि सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारी पूर्व से नियमित रूप से किसी अन्य पद पर स्थायी हो तो उसे मूल पद का वेतन मिलता रहेगा, क्योंकि उसके स्थायी पद का वेतन संरक्षित रहेगा। इसलिए यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि तक इस प्रकार कार्य करता है तो स्थायी पद के वेतनमान में जो वार्षिक वेतनवृद्धि देय होगी उसके साथ उसे परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत की गई अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ भी दिया जाएगा।

2. यह आदेश 15 जनवरी, 1979 से ही लागू माना जाएगा।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1016/84/नि-1/चार, दिनांक 25-7-84 द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित की गई है।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-91/84/3(1), दिनांक 27-6-84]

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 46/91/1(3)/79, दिनांक 29-1-79 में जारी किये गये आदेशों के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि यदि किसी कर्मचारी द्वारा तीन जीवित बच्चों के उपरान्त नसबंदी करा लेने पर विशेष वेतनवृद्धि दी जाती है, परन्तु नसबंदी असफल होने के उपरान्त उसके चौथा बच्चा भी हो जाता है और वह पुनः नसबंदी करा लेता है तो ऐसी स्थिति में अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता होगी या नहीं?

2. इस संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे शासकीय सेवकों को उपर्युक्त स्थिति में चार बच्चे हो जाने पर भी उन्हें पूर्व में स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धि बन्द न की जाकर चालू रखी जाए। परन्तु उपरोक्त नसबंदी ऑपरेशन पुरुष या महिला कर्मचारी द्वारा यदि रजिस्टर्ड प्रायवेट प्रेक्টিशनर से कराया गया हो और प्रमाण-पत्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला परिवार कल्याण अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया गया हो तभी अग्रिम वेतनवृद्धि नियमानुसार चालू रखी जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय महिला कर्मचारी के उपरोक्त नसबंदी प्रकरण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना आवश्यक नहीं होगा। प्रायवेट रजिस्टर्ड चिकित्सक से कराया गया ऑपरेशन यदि असफल होता है तो ऐसे प्रकरण में संबंधित कर्मचारी को अग्रिम वेतनवृद्धि अथवा अन्य लाभ जारी नहीं रखे जायेंगे।

3. यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक एस/387/88/नि-1/चार, दिनांक 19-4-88 के

द्वारा महालेखाकार को पृष्ठांकित किया गया है ।

[कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक सी-3-14/86/3/1, दिनांक 21-4-88]

(10)

विषय- परिवार कल्याण कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 46/91/1(3)/79 दिनांक 29-1-1979 में जारी किए गए आदेश के संदर्भ में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने दो जीवित बच्चों के उपरान्त अपनी पत्नी के गर्भवती होते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी ऑपरेशन कराया है तो उन्हें एक वेतनवृद्धि देय होगी अथवा दो वेतनवृद्धि । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनके दो जीवित बच्चे हों और उसने अपनी पत्नी के गर्भवती होने की दशा में नसबंदी ऑपरेशन कराया हो तो यह माना जाना चाहिए कि उसने तीन जीवित बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराया है और इसलिए उसे तीसरा बच्चा पैदा होने की तिथि से एक ही वेतनवृद्धि की पात्रता होगी ।

संबंधित शासकीय सेवक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह तीसरा बच्चा पैदा होते ही अपने सम्बंधित स्थापना को सूचित करे । यदि किसी शासकीय सेवक द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो भुगतान की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूल की जाएगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3/13/1(3)/95, दिनांक 25-7-95]

विषय- शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी ऑपरेशन कराने पर अग्रिम वेतनवृद्धियाँ बाबत ।

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले शासकीय सेवकों को अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने संबंधी योजना दिनांक 15-1-79 से लागू की गई थी । परिपत्र क्रमांक 46/91/1/3/79, दिनांक 29-1-79 में शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं अथवा पति/पत्नी को दो जीवित बच्चों के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ तथा तीन जीवित बच्चों के बाद नसबंदी परेशन कराने पर एक वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया था । तत्पश्चात् उपरोक्त नीति में संशोधन करते हुए परिपत्र क्रमांक सी-3-9/2001/1/3, दिनांक 7-8-2001 द्वारा एक जीवित बच्चे के बाद नसबंदी ऑपरेशन कराने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ तथा दो जीवित बच्चों के बाद नसबंदी परेशन कराने पर एक वेतनवृद्धि देने का प्रावधान किया गया है ।

2. शासन की नीति के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धि को जोड़कर शासकीय सेवक का वेतन निर्धारित किया जाता है, जो भविष्य में शासकीय सेवक की पदोन्नति होने अथवा वेतनमान पुनरीक्षित होने पर यह वेतनवृद्धि उसी में समाहित हो जाती है ।

3. शासकीय सेवकों द्वारा इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों में याचिकाएँ दायर की गई हैं । कुछ प्रकरणों में मा. न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वीकृत अग्रिम वेतनवृद्धियाँ संबंधित शासकीय सेवक का "व्यक्तिगत वेतन" माना जाना चाहिए ।

4. राज्य शासन द्वारा वर्तमान व्यवस्था परिपत्र क्रमांक सी-3-9/2001/1/3, दिनांक 7-8-2001 द्वारा निर्धारित व्यवस्था को यथावत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिन शासकीय सेवकों द्वारा पूर्व में परिवार कल्याण कार्यक्रम शासन के उक्त निर्देशानुसार अपनाया गया है, उनमें से केवल उन्हीं शासकीय सेवकों की वेतनवृद्धि व्यक्तिगत वेतन मान्य की जावे, जिन्हें न्यायालयों से आदेश प्राप्त हो गया है एवं अपील की समय-सीमा निकल गई है। जिन प्रकरणों की अपील की समय-सीमा है उसमें संबंधित विभाग विधि विभाग से परामर्श कर उपरोक्त विषयक न्यायालयीन आदेश के विरुद्ध अपील/मा. याचिका दायर करने की कार्यवाही तत्काल की जाए। शेष शासकीय सेवकों को उक्त वेतनवृद्धि व्यक्तिगत वेतन मान्य नहीं किया जाये।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-4/2004/3/एक, दिनांक 14-9-2006]

2. डिग्री/डिप्लोमा के संदर्भ में अग्रिम वेतनवृद्धि

विषय- स्नातकोत्तर तथा अन्वेषणात्मक (डॉक्टरेट) उपाधियाँ प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धियों संबंधी योजना में संशोधन।

सन्दर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक डी. 261/292/1(3)/पीसीसी/73, दिनांक 8-5-1973, क्रमांक डी. 308/431/1(3) /वेआप्र/75, दिनांक 19-8-75, क्रमांक डी. 312/440/1(3)/वेआप्र/75, दिनांक 20-8-75, क्रमांक 333/526/1(3)/75, दिनांक 6-9-75, क्रमांक डी. 91/966/1(3) /वेआप्र/75, दिनांक 4-3-76 क्रमांक डी. 272/490/1(3)/वेआप्र/76, दिनांक 4-8-76, क्रमांक डी. 184/487/1(3)/वेआप्र/79, दिनांक 18-10-79, क्रमांक डी. 133/183/1(3)/वेआप्र/87, दिनांक 4-4-87, क्रमांक सी-2/2/92/1(3), दिनांक 18-11-72, क्रमांक सी-3/4/2004/1 (3), दिनांक 28-7-2004.

शासकीय चिकित्सक/अभियंताओं द्वारा स्नातकोत्तर/अन्वेषणात्मक उपाधि प्राप्त करने अथवा अन्य शासकीय सेवकों द्वारा स्नातकोत्तर/अन्वेषणात्मक (पी.एच.डी.) तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा करने पर देय अग्रिम वेतनवृद्धियों संबंधी उपरोक्त सन्दर्भित परिपत्रों को राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए निर्णय लिया गया है कि उच्च शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग एवं तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में ए.आई.सी.टी.ई. के प्रावधान अनुसार स्नातकोत्तर/अन्वेषणात्मक उपाधि प्राप्त करने वाले शासकीय सेवकों को ही वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावे।

2. पैरा 1 के अतिरिक्त अन्य शासकीय सेवकों द्वारा ये उपाधियाँ प्राप्त करने पर इस परिपत्र के दिनांक से वेतनवृद्धि का लाभ प्राप्त न होगा।

3. कृपया शासन के उक्त निर्णय से सभी अधीनस्थ कार्यालयों को अवगत करावें।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3/4/2004/3/एक, दिनांक 14-9-2006]

3. अर्हता प्राप्त निम्न श्रेणी लिपिकों/मुद्रलेखकों को अग्रिम वेतनवृद्धि

जिन निम्न श्रेणी लिपिकों या अंग्रेजी मुद्रलेखकों ने सितम्बर, 1962 से 19 अप्रैल, 1968 की अवधि में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास की है, परन्तु पांच वर्ष से अधिक सेवाकाल होने के कारण उन्हें एक भी वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिला है उन्हें दिनांक 19-4-68 से दो वेतन वृद्धियों का लाभ निम्न श्रेणी लिपिकों के वेतनमान में दिया जावे । यदि ऐसे कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के जापन क्रमांक 6109/2071/20/C.C. दिनांक 19-12-62 के अन्तर्गत केवल एक वेतनवृद्धि का लाभ मिल चुका है तो उन्हें दिनांक 19-4-68 से एक और वेतनवृद्धि का लाभ निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान पर दिया जावे ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 509/CR/52/1/3, दिनांक 17-6-1969]

विषय- निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देना ।
सन्दर्भ - इस विभाग का जापन क्रमांक 758/सी.आर./670/1(3), दिनांक 19 अप्रैल, 1968।

इस विभाग के दिनांक 28 अगस्त, 1971 के जापन क्रमांक 458/सी.आ./101/(3) के अन्तर्गत निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर केवल अर्ह हिन्दी मुद्रलेखक को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है । किन्तु यदि किसी कारणवश अर्ह हिन्दी मुद्रलेखक उपलब्ध न हो ऐसे उम्मीदवार जो इस पद के लिये अन्यथा अर्ह हों, केवल निश्चित वेतनमान (वेतनमान की न्यूनतम राशि तथा महगाई भत्ता) पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकता है तथा वे हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा मान्यता प्राप्त परिषद द्वारा उत्तीर्ण करने की तारीख से नियमित वेतनमान के पात्र होंगे ।

2. चूँकि निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद के लिए तारीख 28.8.71 से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता है । इसलिये इस इस तारीख के बाद नियुक्त हुये व्यक्तियों को, सन्दर्भ में उल्लेखित 19 अप्रैल, 1968 के जापन के अन्तर्गत हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास करने के लिये प्रोत्साहन देने का निर्णय रद्द किया जाता है । इसका तात्पर्य यह है कि तारीख 28.8.71 के बाद नियुक्त किये गये निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखकों को हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होने के कारण दो अग्रिम वेतन वृद्धियां तथा एक मुश्त रुपये 25/- मिलने की पात्रता नहीं होगी । पूर्व में नियुक्त हुये निम्न श्रेणी लिपिकों को तारीख 19-4-68 के आदेशानुसार बराबर सुविधा मिलेगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 471/सी.आर./66/1(3)/72, दिनांक 13 जुलाई, 1973]

(3)

विषय- निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास करने पर अग्रिम वेतनवृद्धियां दिये जाने संबंधी ।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के जापन क्रमांक 471/सी.आर./66/(3)/72 तारीख 13 जुलाई, 1973 में यह आदेश दिये गये हैं कि चूँकि निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद के लिये तारीख 28-8-1971 से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य अर्हता है, इसलिये इस तारीख के बाद नियुक्त हुये व्यक्तियों को तारीख 19 अप्रैल, 1968 के आदेशों के अन्तर्गत हिन्दी मुद्रलेखन की

परीक्षा पास करने के लिये प्रोत्साहन देने का निर्णय रद्द किया जाता है ।

2. राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त अब यह निर्णय लिया गया है कि उक्त आदेश जारी होने की तिथि, यानि तारीख 13 जुलाई, 1973 से ही प्रभावशील माने जायें । तारीख 13 जुलाई, 1973 के पश्चात् नियुक्त किसी भी निम्न श्रेणी लिपिक को प्रोत्साहन के बतौर अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 278/1566/1(3)/73, दिनांक 20-4-1974]

(4)

विषय- निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद के लिये शैक्षणिक अर्हता ।

सन्दर्भ- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 815/1397/1(3)/72 दिनांक 14-12-1972

उपर्युक्त ज्ञापन में निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद के लिए जो अर्हता निर्धारित की गई है उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि "हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से" को प्रमाणित करने के लिए म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद् के प्रमाण-पत्र को अधिकृत माना जाय या जो व्यक्ति 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन कर लेता है उसे अर्ह मुद्रलेखन माना जाये, भले ही उसने बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण न की हो ।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन ने म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही "अर्ह मुद्रलेखन" माना है । परिषद के प्रमाण पत्र के बावजूद नियुक्तकर्ता अधिकारी चाहें तो ऐसे व्यक्तियों का मुद्रलेखन टेस्ट और ले सकता है और टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों का ही चयन कर सकता है । अन्तः निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद में नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के पास म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है ।

(5)

शासन स्पष्टीकरण

सामान्य प्रशासन विभाग

डी . क्रमांक/215/410/एफ/(3)

प्रति,

कमिश्नर,

ग्वालियर संभाग, ग्वालिया ।

विषय- निम्न श्रेणी लिपिकों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास करने पर वेतनवृद्धि दिया जाना ।

सन्दर्भ- आपका दिनांक 1 जनवरी, 1975 ज्ञापन क्रमांक/क्यू/एस.एस/2 ।

जिन व्यक्तियों को इस विभाग के दिनांक 22-8-73 के ज्ञापन क्रमांक 3-12-7/73/3/1 जारी होने के पहिले नियमित वेतनमान में उस समय प्रचलित आदेशों के अनुसार नियुक्त किया गया है उन्हें अब दिनांक 22-8-73 के पहिले निश्चित वेतनमान पर निम्न श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्त किया गया उन्हें विभागीय परीक्षा लेकर 22.8.73 के पहिले ही नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया जा चुका है उन्हें भी कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की अब आवश्यकता नहीं है किन्तु जिन व्यक्तियों को 22-8-73 से पहिले निश्चित वेतन पर नियुक्त किया गया था और वे यदि निर्धारित समय अवधि में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाये है उन्हें अब मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन

परिषद् या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभागीय टेस्ट लेकर ही नियमित वेतनमान में नियुक्त किया जा सकेगा ।

जिन व्यक्तियों ने निर्धारित समयावधि में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी अपने विवेक से अपनी आवश्यकता को देखते हुये मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये और अधिक समय दे सकते हैं ।

(6)

कोष एवं लेखा संचालनालय

विषय- निम्न श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति तथा उनके द्वारा टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की जानकारी वेतनवृद्धि बाबत मार्ग दर्शन ।

सन्दर्भ- आपका ज्ञापन क्रमांक स्था/465, दिनांक 18-2-80

उपरोक्त सन्दर्भ में आदेशानुसार लेख है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को जो दिनांक 28-8-71 को या उसके पश्चात् निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त हुये हैं, उनके लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना (बोर्ड से) एक अनिवार्य अर्हता है । इसमें किसी को छूट देना संभव नहीं है । पूर्व में कोषालयीन लिपिकों को यह परीक्षा उत्तीर्ण करने से मुक्ति देने के लिए शासन को लिखा गया था किन्तु प्रकरण मान्य नहीं किया गया । इस प्रकार ऐसे लिपिकों को उनके द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के कारण नियमित निम्न श्रेणी लिपिक नहीं माना जा सकता है और उन्हें न तो लेखा परीक्षण में भेजा जा सकता है और न ही उनकी ऐसी सेवा पदोन्नति के लिये मान्य की जा सकती है । यही नहीं, उन्हें वेतनमान के वार्षिक वेतन वृद्धियों का लाभ भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वे मात्र नियत प्रारम्भिक मूल वेतन के ही पात्र हैं । अतः कृपया आप अपने संभाग के अन्तर्गत आने वाले ऐसे सभी निम्न श्रेणी लिपिकों को यथाशीघ्र हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने को कहें । यही समस्या के निवर्तन का एकमात्र विकल्प है ।

सामान्य विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3-4/77/3/1 भोपाल, दिनांक 3 जून, 1977 और ज्ञापन क्रमांक 3-1/78/3/1, दिनांक 24 मार्च, 78 द्वारा आयोजित विशेष विभागीय टाईपिंग परीक्षाओं में उत्तीर्ण घोषित निम्न श्रेणी लिपिकों के लिये बोर्ड की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि उक्त विशेष विभागीय टाईपिंग परीक्षाओं को तत्सम मान्यता प्रदान की गई थी ।

(7)

विषय- निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद पर नियत वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट देने सम्बन्धी ।

सन्दर्भ- इस विभाग का दिनांक 17 मई, 1977 का ज्ञापन क्रमांक/3-4/77/3/1 ।

इस विभाग के दिनांक 28 अगस्त, 1971 के ज्ञापन क्रमांक 458/सी.आर.101/1 (3) द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया था किन्तु अर्ह हिन्दी मुद्रलेखकों के आभाव में अन्य उम्मीदवारों को इस शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त करने की छूट दे दी गई थी कि ऐसे व्यक्तियों को मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही उक्त पद में नियमित वेतनमान पर नियुक्त किया जावेगा । इस बीच में उन्हें निश्चित वेतन जो कि निम्न श्रेणी लिपिक के वेतनमान का न्यूनतम है

महंगाई भत्ते के साथ मिलेगा ।

2. इस आदेश के बाद निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद में कई व्यक्तियों की नियुक्तियां निश्चित वेतन पर की गई हैं और उन्हें समय-समय पर शासन द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये अतिरिक्त समय दिया जाता रहा है । शासन द्वारा अन्तिम बार सन्दर्भ में उल्लेखित जापन के द्वारा यह समय 18 जून, 1977 से 3 माह के लिये और बढ़ाया गया है । शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि अभी तक निश्चित वेतन पर नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन और मुद्रलेखन परिषद् की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बदले नियुक्ति अधिकारी द्वारा उनके लिये हिन्दी मुद्रलेखन की विभागीय परीक्षा आयोजित की जावे । ऐसे व्यक्तियों को यह विभागीय परीक्षा उपर्युक्त बढ़ाये हुये समय के भीतर उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जावेंगी । इस विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिये मुद्रलेखन की गति कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिये । नियुक्ति अधिकारी को यह चाहिये कि वे इस परीक्षा को शीघ्रातिशीघ्र आयोजित करें ।

3. सभी नियुक्ति अधिकारियों का ध्यान इस विभाग के दिनांक 18 जून, 1975 के जापन क्रमांक 3-19/5/3/1 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद पर नियुक्ति के लिये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस पद पर किसी ऐसे व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में नियुक्त न किया जाये जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण न हों, किन्तु यह शर्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी । यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा भविष्य में इस निर्णय की अवहेलना की जाती है और किसी ऐसे व्यक्ति को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाता है जो इस पद के लिये शासन द्वारा निर्धारित अर्हताएं नहीं रखता है, तो ऐसी नियुक्तियों को अनियमित माना जावेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी, जिसके लिए उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. क्र. 3-4/77/3/1, दिनांक 3 जून, 1977]

(8)

विषय- निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखन के पद पर नियुक्ति के लिये अर्हताएं ।

सन्दर्भ- इस विभाग का दिनांक 21 नवम्बर, 1977 का जापन क्रमांक एफ क्रमांक 3-13/77/3/1 ।

इस विभाग के उपर्युक्त जापन का अधिक्रमण करते हुये राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि निम्न श्रेणी लिपिक तथा मुद्रलेखन के रिक्त पदों में नियुक्तियां करते समय हिन्दी मुद्रलेखकों तथा हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण नहीं किए उम्मीदवारों के लिए 50-50 प्रतिशत कोटा नहीं रहेगा ।

2. निम्न श्रेणी लिपिक तथा मुद्रलेखन के पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण ही रहेगी ।

4. पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों से निम्नलिखित विषयों में प्रतियोगिता परीक्षा ली जायेगी-

1. सामान्य हिन्दी

2. हिन्दी मुद्रलेखन ।

हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकेंगे जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से ही मुद्रलेखन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं । जो उम्मीदवार म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद से या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण हैं और चयन के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य हिन्दी तथा हिन्दी मुद्रलेखन दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाये । शेष पदों पर ऐसे उम्मीदवार जो सामान्य हिन्दी की परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें तदर्थ रूप से नियत वेतन पर नियुक्त किया जाय, भले ही वे उपर्युक्त परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न हो या चयन के समय हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं । ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति के बाद यदि वे उक्त परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं तो उन्हें मान्यता प्राप्त परिषद की हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी तथा जो उम्मीदवार उक्त परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण हैं किन्तु चयन के लिये आयोजित हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें विभागीय हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी । यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति के बाद दो वर्ष के भीतर उपर्युक्त प्रकार हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पायेंगे तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेगी । जो उम्मीदवार उपर्युक्त अवधि के भीतर हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से नियमित रूप से निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद पर नियुक्त किया जायेगा । जितनी अवधि में नियत वेतन पर नियुक्त किया गया व्यक्ति हिन्दी मुद्रलेखन की उपर्युक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका उतनी अवधि तक उसे नियत वेतन के रूप में उस पद का निम्नतम वेतन ही प्राप्त होगा तथा यह अवधि उसकी वरिष्ठता के लिए भी शुमार नहीं की जायेगी ।

4. इस आदेश के जारी होने की तारीख से निम्न श्रेणी लिपिक तथा मुद्रलेखक के रिक्त पदों में नियुक्तियां शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार ही की जायेंगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 3-7/81/3/1, दिनांक 30 जून, 1981]

(9)

नियत वेतन पर बगैर टायपिंग परीक्षा पास नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को मुद्रलेखन परीक्षा से छूट

हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास न करने के फलस्वरूप नियत वेतन पर कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिकों की कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि-

- (1) ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो शासकीय सेवा में संविलियित किये गये हैं या सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये हैं और जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे अधिक हो गयी है या भविष्य में हो जाय, उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाय और उनकी नियुक्ति नियमित की जाय ।
- (2) संविलियन तथा अन्य तदर्थ निम्न श्रेणी लिपिकों की नियमित संवर्ग में वरिष्ठता छूट के दिनांक से गिनी जायेगी । जो कर्मचारी एक ही दिनांक को छूट प्राप्त करते हैं

उनकी पारस्परिक वरिष्ठता उनकी नियुक्ति के दिनांक से गिनी जावेगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3/83/3/1, दिनांक 29-1-1983]

(10)

विषय- निम्न श्रेणी लिपिक को हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का भुगतान ।

सन्दर्भ- वित्त विभाग को सम्बोधित आपका पत्र क्रमांक वे.नि./85/78, दिनांक 14-3-85

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक 14-3-85 के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 7587/सी आ./670/1(3), दिनांक 19-4-68 के पैरा एक में निहित आदेशानुसार आदेश जारी होने के दिनांक 19-4-68 के पूर्व नियुक्त नि. श्रे.लि. जो अभी तक नि.श्रे.लि. के ही पद पर कार्यरत है और मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनके मामले में इस विभाग के उपरोक्त ज्ञापन में निहित आदेश यथावत लागू रहेंगे अर्थात् उक्त आदेश के अनुसार उन्हें दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता अभी भी आती है ।

[सा.प्र.वि. क्रमांक 263/567/1 (3) /85, दि. 11-6-1985, सम्बोधित संचालक कोष एवं लेखा]

(11)

विषय- दिनांक 22-8-73 के पूर्व नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को नियमित वेतनमान एवं वेतनवृद्धि का लाभ देने के संबंध में ।

दिनांक 22-8-1973 के पूर्व नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 1031/81 में पारित निर्णय दिनांक 16-8-93 एवं माननीय म.प्र. प्रशासनिक अधिकरण याचिका क्र.टी.व्ही./85/88 में पारित आदेश दिनांक 1-12-90 के पालन में लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 22-8-73 के पूर्व हुई है और जिन्होंने हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनकी नियुक्ति के दिनांक से वेतनवृद्धियां स्वीकृत की गई हैं ।

2. शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विभागों के उन समस्त निम्न श्रेणी लिपिकों को भी वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए जिनकी नियुक्ति दिनांक 22-8-73 के पूर्व नियमित चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन कर की गई है और जिन्हें हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण अभी तक वेतनवृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई हैं । ऐसी वेतनवृद्धि की पात्रता उन शासकीय कर्मचारियों को नहीं होगी जिनकी वेतनवृद्धि किसी शास्ति के अधीन रोकी गई है ।

3. अत संबंधित प्रकरणों का सूक्ष्म परीक्षण कर तदनुसार आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

4. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निकाला गया है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ.सी./3-108/3/एक/92, दिनांक 6-7-1995]

(12)

विषय:- निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद पर नियुक्ति- हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने

की अवधि में वृद्धि ।

संदर्भ :- इस विभाग का ज्ञापन क्र. एफ.सी-3/35/84/3/1, दिनांक 15-11-84 एवं ज्ञापन क्र. सी-3-6/91/3/1, दिनांक 24-8-1991

निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद पर नियुक्ति के पूर्व जो लिपिक मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं थे एवं अभी तक उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उनके संबंध में समय-समय पर मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु समय सीमा बढ़ायी जाती रही है एवं वर्तमान में यह समय सीमा इस विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-6/91/3/1, दिनांक 24-8-91 द्वारा दिनांक 31-3-92 तक बढ़ाई गई है ।

2. शासन ने इस संबंध में पुनर्विचार करते हुए अब यह निर्णय लिया है कि अब इनके संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया जावेगा बल्कि इस संबंध में वे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ.सी-3-35/1/3/84, दिनांक 15-11-84 (जिसके द्वारा यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जो शाराकीय सेवा में संविलियत किये गये हैं या सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये हैं और जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक हो गई है या भविष्य में हो जाए, उन्हें हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्रदान की जाए और उनकी नियुक्ति नियमित की जाए) के द्वारा शासित होंगे ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र 44/सी.-3-6/91/3/1 दिनांक 16-1-92]

(13)

विषय:- मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् नियमित वेतनमान एवं नियुक्ति किये जाने के संबंध में ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक-44/सी/3-6/91/3/एक, दिनांक 16-1-92

निम्न श्रेणी लिपिक एवं मुद्रलेखक के पद पर नियुक्ति के लिये मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । जो कर्मचारी यह परीक्षा नियुक्ति के पूर्व उत्तीर्ण नहीं थे एवं अभी तक उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उनके संबंध में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि यदि उक्त परीक्षा में कोई कर्मचारी बैठता है और उसका परीक्षा परिणाम घोषित होने में विलंब होता है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि कौन सी मानी जाए?

शासन से इस संबंध में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त वर्णित स्थिति परीक्षा आयोजन की तिथि से अगले दिन की परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि के रूप में मान्य किया जाये ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सी3-18/95/3 एक, दिनांक 16-10-95]

**4. लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतनवृद्धि -
राज्य शासन आदेश**

विषय:- लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वेतनवृद्धियां देने बाबत् ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक 1/ट्रेनिंग, दिनांक 12-11-1959 तथा ज्ञापन क्रमांक 727-397/चार /नियम/6, दिनांक 16-5-71 ।

वित्त विभाग के उपरोक्त ज्ञापन की कंडिका 4 में लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास करने पर प्रशिक्षणार्थी को उनके वेतनमान में दो अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है किन्तु उसमें ऐसे सामान्य निर्देश नहीं हैं कि जिनके अनुसार उन कर्मचारियों को भी वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा सके जो वेतनमान का अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हों । तृतीय वर्ग के अधिक से अधिक शासकीय कर्मचारी लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि लें इस दृष्टि से राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास कर लेने पर ऐसे तृतीय वर्ग कर्मचारी को पंजी जो अपनी वेतन श्रेणी का अधिकतम वेतन पा रहे हों, वेतनमान के अन्तिम वेतनवृद्धि की दर से दो वेतनवृद्धियां विशेष रूप से स्वीकृत की जायें, किन्तु ये आदेश आगे के प्रकरणों में लागू होंगे । जो प्रकरण पूर्व में निपटाये जा चुके हैं उन्हें न खोला जावे ।

[वित्त विभाग क्रमांक 1998/1184/70/चार-नि-3/71, दिनांक 13-9-1971]

(3)

विषय- लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो वेतनवृद्धियां देने बाबत् ।

सन्दर्भ- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1998/1184/70/चार-नि-3/71, दिनांक 13-9-1971

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन के द्वारा निर्णय लिया गया था कि ऐसे तृतीय वर्ग कर्मचारियों को जो अपने वेतन श्रेणी का अधिकतम वेतन पा रहे हों लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास करने पर उनके वेतनमान की अंतिम वृद्धि की दर से दो वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जायें । कुछ कार्यालयों द्वारा यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि क्या ऐसे कर्मचारियों को भी दो वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जायेंगी जो स्टेगनेशन भत्ता पा रहे हों? इस सम्बन्ध में पूर्ण विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे कर्मचारियों को भी जो स्टेगनेशन भत्ता पा रहे हों उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनके वेतनमान की अंतिम वृद्धि की दर से दो वेतनवृद्धियां स्वीकृत की जायेंगी किन्तु यह वेतन वृद्धियां व्यक्तिगत वेतन के रूप में होंगी और उनकी पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण के लिये मूल वेतन का भाग नहीं मानी जायेंगी अर्थात् पदोन्नति पर बड़े हुए वेतन में इसे खपाया नहीं जावेगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.11-11-79-नि-3 चार, दिनांक 29-6-79]

(4)

लेखापाल के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिये लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य योग्यता है । शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 4-2-90 में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1990 प्रकाशित किये हैं जो दिनांक 1-1-86 से प्रभावशील हैं । इसके अनुसार स्वीकृति पुनरीक्षित वेतनमान के सन्दर्भ में लिये गये निर्णयानुसार अप्रशिक्षित लेखापाल के लिये रु 1200-2040 का वेतनमान स्वीकृत किया जाकर प्रशिक्षित लेखापाल के लिये वेतनमान रु. 1320-2040 निर्धारित किया गया है । यह भी निर्णय लिया गया है कि इन वेतनमानों के प्रभावशील होने पर ऐसे प्रकरणों में अग्रिम वेतनवृद्धियां देय नहीं होंगी । इस संबंध में यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि ऐसे पदों के लिये

जहाँ लेखा प्रशिक्षण प्रान्त करना अनिवार्य न हो परन्तु स्वेच्छा से लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर यदि किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती हो तो क्या वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. 1/ट्रेनिंग/चार/आर-6, दिनांक 12-11-1959 के अन्तर्गत पूर्वानुसार प्रकरणों में अग्रिम वेतनवृद्धियां देय होगी अथवा नहीं?

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम वेतनवृद्धियों के स्थान पर उच्च वेतनमान मान्य करने का निर्णय मात्र लेखापाल के पद तक ही सीमित है, जिसके लिये लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य अर्हता निर्धारित है। अतः ऐसे मामलों में इस विभाग के ज्ञापन क्र. 1/प्रशि/चार आर-6, दिनांक 12-11-1959 के अनुसार लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियां यथावत् दी जा सकेंगी।

[वित्त विभाग क्र. 6311/5876/नि-3/चार/90, दिनांक 11-12-90]

(5)

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1-प्रशिक्षण-नियम, दिनांक 12-11-1959 की कंडिका 4 जो लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किए जाने से संबंधित है, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अब लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कथित वेतनवृद्धियाँ देय नहीं होंगी अर्थात् एतद्वारा वेतनवृद्धियाँ देने की पद्धति समाप्त की जाती है। इसके स्थान पर अब से परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सेवकों को केवल एक अग्रिम वेतनवृद्धि ही देय होगी।

2. उक्त दिनक 12-11-59 की कंडिका 7 में परीक्षा प्रणाली के लिए यह व्यवस्था है कि (अलग -अलग) प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 अंकों से अन्यून एवं कुल योग से 45 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक प्राप्त कर लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को उत्तीर्ण माना जावेगा तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिसने किसी प्रश्न पत्र में 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त कर लिए हैं उसे आगामी परीक्षा में उक्त प्रश्न पत्र में बैठने से मुक्त रखा जावेगा। इस व्यवस्था के स्थान में शासन द्वारा निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है।

परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षणार्थी को अभी भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत से अन्यून तथा कुल (एग्रीगेट) में प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा किन्तु उस अनुत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी जिसने कुल 45 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर लिए हों उसे दुबारा परीक्षा केवल उन्हीं प्रश्न पत्रों की देनी होगी जिनमें उसने 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा एक प्रश्न पत्र में दो बार से अधिक पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

[वित्त विभाग क्रमांक 1000/1910/नि-3/चार/91, दिनांक 11-7-91]

(6)

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक प्रशिक्षण-नियम-से, दिनांक 12-11-1959 द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत किए जाने बाबत निर्देशों को वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1000/1910/नि-3/चार, दिनांक 11-7-91 द्वारा संशोधित किया गया था। तदनुसार दो

वेतनवृद्धियाँ देने की पद्धति समाप्त कर उसके स्थान पर परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शासकीय सेवक को केवल एक अग्रिम वेतनवृद्धि ही देय बताई गई । वित्त विभाग के नवीन आदेश दिनांक 11-7-91 के संदर्भ में कई विभागों से यह परामर्श चाहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने मार्च-जून 1991 सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें सफलता अर्जित की है उन्हें दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी या नहीं इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि मार्च-जून 1991 सत्र में प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने उसी सत्र में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को वित्त विभाग के पूर्व निर्देश दिनांक 2-11-59 के अनुसार दो अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ-74/6302/नि-3/चार/91, दिनांक 6-1-1992]

मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कर्मचारियों को अधीनस्थ लेखा सेवा में उसकी नियुक्ति होने तक या विभाग में ही वेतनमान रुपये 900-1550 (तत्स्थानी नवीन वेतनमान रुपये 1500-2680) में नियुक्त होने तक दो अग्रिम वेतनवृद्धियाँ स्वीकृत की जाएँ, किन्तु मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग में इनकी नियुक्ति हो जाने पर अथवा विभाग में ही वेतनमान रुपये 900-1500 तत्स्थानी पुनरीक्षित देय नवीन वेतनमान रुपये 1500-2680) में नियुक्त होने पर वेतन निर्धारण के आशय के लिए इन वेतनवृद्धियों द्वारा बड़ी हुई राशि को गणना में न लिया जाए । इन अधिकारियों को एस.ए.एस. में नियुक्ति पर्यन्त वरिष्ठ लेखापाल पदनाम दिया जाए ।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 5/70/89/नि-1/चार, दिनांक 21-2-89 द्वारा महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर को अग्रेषित की गई है ।

[वित्त विभाग क्रमांक 536/4632/नि-3/चार, दिनांक 22-2-89]

न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारी को प्रोत्साहनस्वरूप वेतनवृद्धि

राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि शासन के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों में नियुक्त ऐसे प्रभारी अधिकारियों को क्या प्रोत्साहन दिया जाये जो प्रभारी अधिकारी के रूप में अपना कार्य उत्तरदायित्व ढंग से निपटाते हैं एवं जिसके कारण शासन को लाभ होता है ।

इस संबंध में पूर्ण विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि न्यायालयीन प्रकरणों में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले प्रभारी अधिकारियों, जिनकी सतर्कता एवं पहल के कारण शासन को लाभ हुआ हो, को एक विशेष वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाए एवं उन्हें इस संबंध में एक प्रशंसा पत्र भी दिया जाए । इस वेतनवृद्धि का लाभ उनके प्रचलित वेतनमान में उपलब्ध होगा, पदोन्नति के

फलस्वरूप प्रदत्त नये वेतनमान में नहीं । संबंधित प्रभारी अधिकारी को इस प्रोत्साहन की पात्रता का विनिश्चय इस हेतु गठित एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा । इसके सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. अपर मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	सदस्य
3. प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	सदस्य
4. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5. संबंधित विभाग (जिस विभाग के प्रकरण पर विचार किया जाना है) के प्रमुख सचिव/सचिव	सदस्य सचिव

समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी ।

यह परिपत्र वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-6/98/3/1, दिनांक 27-3-1998]

मू.नि. 28. निम्न पद/श्रेणी में प्रत्यावर्तन पर वेतन.- प्राधिकारी जिसने शास्ति के रूप में उच्च पद से निम्न पद या श्रेणी में शासकीय सेवक का स्थानान्तर आदेशित किया है, जैसा वह उचित समझे, उस शासकीय सेवक को निम्न श्रेणी या पद के अधिकतम से अनधिक वेतन मंजूर कर सकता है :

परन्तु इस नियम के अधीन शासकीय सेवक को जो वेतन लेना अनुमत्य किया गया है, वह उस वेतन से अधिक नहीं होगा जो वह नियम 22 सहपठित नियम 26 के खण्ड (बी) या खण्ड (सी), जैसी भी स्थिति हो, लागू होने पर प्राप्त करता ।

राज्य शासन आदेश

मू.नि. 29. कदाचार या अयोग्यता के कारण निम्न पद पर पदावनत होने पर वेतनवृद्धि के लिए पूर्व सेवा की गणना.- (1) यदि, किसी शासकीय सेवक को उसके पद के समयमान में निम्न प्रक्रम पर शास्ति के फलस्वरूप अवनत किया जाता है, तो आदेश देने वाले अधिकारी को अपने आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि यह आदेश कितनी अवधि तक प्रभावशील रहेगा और क्या पुनः स्थापित होने पर अवनति की अवधि उसके भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करेगी, यदि हां, तो कितनी सीमा तक ।

(2) यदि किसी शासकीय सेवक को शास्ति के कारण निम्न सेवा, ग्रेड अथवा पद अथवा निम्न वेतनमान में पदावनत किया जाता है, तो आदेश देने वाला अधिकारी चाहे तो पदावनति कितनी अवधि तक प्रभावशील रहेगी स्पष्ट कर सकता है अथवा नहीं भी । लेकिन जहाँ अवधि स्पष्ट की गई है, प्राधिकारी को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि पुनः स्थापन होने पर पदावनति की अवधि भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करेगी, यदि हां, तो कितनी सीमा तक ।

[वित्त विभाग क्रमांक 791/1628/चार-नि-1-59 दिनांक 24-3-60 तथा पुनः म.प्र. शासन,

[वित्त विभाग क्र. 1927/25/IV-R-I, 1 दिनांक 29-27-60 द्वारा प्रतिस्थापित]

स्थानीय शासन आदेश 1- दण्ड का ऐसा आदेश जिसमें किसी शासकीय सेवक के वेतन को उसको लागू समयमान में निम्न प्रक्रम पर घटाया जा रहा है, स्पष्ट होना चाहिए । अधिकारी को संबंधित शासकीय सेवक के विरुद्ध ऐसा आदेश पारित करने के पहले उसकी सेवा पुस्तक को देखकर यह विनिश्चय कर लेना चाहिए कि उसका वर्तमान वेतन, आगामी वेतनवृद्धि की तिथि तथा अन्य सुसंगत विवरण क्या है, जिससे वित्तीय प्रभाव की कालावधि जो दण्ड के रूप में दी जा रही है, सुनिश्चित हो सके ।

ऐसा आदेश साधारणतः निम्न प्ररूप में होना चाहिए.-

‘अ’.....का वेतन.....दिनांक.....से दिनांक.....तक तथा
रूपये.....

दिनांक से दिनांक.....तक कम किया जाये ।

इस कारण भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्थगित रहेंगी/नहीं रहेंगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक 567/2045/चार, दिनांक 19-3-1941]

स्थानीय शासन आदेश 2- इस प्रकार जब किसी शासकीय सेवक के निम्न प्रक्रम पर या पद पर पदावनत करने से जो स्थान खाली होता है, को मौलिक रूप से भरा जा सकता है, बशर्ते कि यह क्रम उलट सकता है, यदि शासकीय सेवक की अपील पर उसे पुनः उसी पद पर जिस पद से उसे पदावनत किया गया था, बहाल कर दिया जाए ।

स्थानीय शासन आदेश 3- जब किसी शासकीय सेवक के निम्न ग्रेड, पद अथवा समयमान के निम्न प्रक्रम पर घटाने के ऐसे आदेश को अपील सुनने वाले प्राधिकारी के द्वारा पलट दिया जाए तो, यह माना जाएगा कि उस शासकीय सेवक को पदावनत किया ही नहीं गया था । उसके पदावनतिकाल में उसके स्थान पर यदि कोई व्यवस्था की गई हो तो वह तब तक बनी रहेगी जब तक कि पदावनत किया गया शासकीय सेवक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हो जाता जिस पद से वह पदावनत हुआ था ।

मू.नि. 29-क.- जहाँ शासकीय सेवक की वेतनवृद्धि रोकने या उसकी निम्न सेवा, ग्रेड या पद अथवा निम्न समयमान या समयमान के निम्न प्रक्रम पर पदावनत करने संबंधी शास्ति के आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपील या पुनर्विलोकन पर निरस्त अथवा परिवर्तित किया जाता है, तो शासकीय सेवक का वेतन, चाहे इन नियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो, निम्न प्रकार से विनियमित होगा :-

(अ) यदि, आदेश निरस्त किया जाता है तो ऐसे आदेश के प्रभावशील रहने के दौरान शासकीय सेवक को उस वेतन का अंतर जो उसके द्वारा वास्तव में आहरित किया गया है तथा वह वेतन जिसकी उसे पात्रता होती, यदि ऐसा आदेश नहीं दिया गया होता, दिया जाएगा ।

(ब) यदि, आदेश को संशोधित किया जाता है तो उसका वेतन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा, जैसा कि संशोधित आदेश प्रारंभिक अवस्था में ही था ।

स्पष्टीकरण- सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत जारी किए गए आदेश के पूर्व शासकीय सेवक द्वारा प्राप्त किसी अवधि का वेतन यदि संशोधित किया गया है तो अवकाश वेतन एवं भत्ता (यात्रा भत्ता छोड़कर), यदि कोई उस अवधि में पाने की पात्रता है, तो इस संशोधित वेतन के आधार पर पुनरीक्षित किये जायेंगे ।

स्थानीय शासन आदेश- शासकीय सेवक द्वारा निम्न सेवा, श्रेणी या पद या निम्न समयमान में पदावनत होने पर रिक्त हुआ स्थायी पद, पदावनति के ऐसे आदेश से दो वर्ष तक मौलिक रूप से नहीं भरा जाना चाहिए । जहाँ दो वर्ष की समयावधि पश्चात् स्थायी पद की पूर्ति की गई है और उसके पश्चात् मूल पदधारी बहाल किया जाता है, तो उसे किसी अन्य रिक्त स्थायी पद के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, जिस स्थायी पद से यह पूर्व में संबंधित था । यदि ऐसा कोई पद रिक्त नहीं है तो अधिसंख्यक पद जो उचित स्वीकृति से उसकी श्रेणी में निर्मित किया गया है, के विरुद्ध उसे समायोजित किया जाना चाहिए, इस शर्त के साथ कि जब भी श्रेणी में प्रथम स्थायी पद रिक्त होगा, उस समय ऐसा निर्मित पद समाप्त हो जाएगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक 103/108/चार-नि-1, दिनांक 21-5-1962]

मू.नि. 30. स्थानापन्न शासकीय सेवक को बढ़ा हुआ वेतन- स्थानापन्न शासकीय सेवक का वेतन.- (1) अध्याय 6 के उपबंधों के अधीन रहते, शासकीय सेवक जिसे किसी पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है, स्थायी पद (पदावधि पद को छोड़कर) के संबंध में अपने मौलिक वेतन से अधिक वेतन प्राप्त नहीं करेगा, जब तक कि वह पद जिस पर उसे स्थानापन्न नियुक्त किया गया है, इस नियम के परिशिष्ट में उल्लेखित पदों में से एक न हो अथवा जब तक कि ऐसी स्थानापन्न नियुक्ति, पदावधि पद के सिवाय, उसके पद से संलग्न कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से अधिक महत्व के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व वाली न हो, जिस पर उसका धारणाधिकार है अथवा उसका धारणाधिकार कायम रहता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता :

परन्तु स्थानीय शासन, अखिल भारतीय सेवा के सिवाय, अन्य कोई सेवा हेतु जिसका समय-श्रेणी आधार पर गठन नहीं हुआ है और जिसमें इन नियमों के प्रभाव में आने के समय श्रेणी से श्रेणी तक कार्यकारी पदोन्नति की पद्धति प्रचलित है, इस नियम के प्रभाव से छूट प्रदान कर सकता है :

परन्तु यह और भी कि, परिषद के गवर्नर-जनरल इन कौंसिल, किसी सेवा के सामान्य क्रम से बाहर ऐसे पदों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिनके धारकों को इस नियम के उपबंधों के होते हुए भी और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी शासन विनिहित करे, ऐसी सेवा के संवर्ग में स्थानापन्न पदोन्नति दी जा सकती है, जैसी पदोन्नति हेतु सक्षम प्राधिकारी निश्चित करे और उन्हें तदुपरान्त ऐसे पदों से संलग्न विशेष वेतन सहित अथवा रहित वेतन मंजूर कर सकते हैं जो वे उस स्थिति में प्राप्त करते यदि तब भी सामान्य क्रम में होते ।

(2) इस नियम के उद्देश्यों हेतु स्थानापन्न नियुक्ति अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों वाली नहीं समझी जावेगी, यदि उस पद का वेतनमान जिस पर ऐसी नियुक्ति की गई है वही है अथवा उसके समरूप है, जो पदावधि पद के सिवाय, अन्य ऐसे स्थायी पद की है जिस पर वह धारणाधिकार रखता अथवा यदि उसका धारणाधिकार निलंबित न होता तो ग्रहण किए रहता ।

अनुसूची

- (1) जिला तथा सत्र न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी,
- (2) उप-जिलाधीश, प्रथम श्रेणी, मद्रास प्रेसीडेन्सी,
- (3) भारतीय पुलिस, प्रवर श्रेणी,
- (4) महालेखाकार, प्रथम श्रेणी,
- (5) मुख्य अभियंता, भारतीय अभियंता सेवा, राज्य रेलवे,
- (6) प्रवर श्रेणी के सीमा शुल्क कलेक्टर जो रुपये 3000 वेतन पाते हैं,
- (7) तार विभाग के निम्नलिखित वर्ग-
 - (अ) उप सहायक अभियंता, प्रथम श्रेणी,
 - (ब) उप सहायक विद्युतकार, प्रथम श्रेणी,
- (8) आयुक्त, प्रथम श्रेणी, बाम्बे प्रेसीडेन्सी,
- (9) मद्रास राज्य के द्वितीय सचिव ।

राज्य सचिव आदेश- (1) इस कंडिका में अनुबद्ध कार्यकारी नियम मूलतः अनुमोदित है, तथा इसके परन्तुकों को राज्य सचिव द्वारा समय-समय पर किये गये संशोधनों को **"आगे नीचे का नियम"** के नाम से जाना जाता है, प्रचलित प्रथा को अपनाने के लिए प्रकट करते हैं । "नियम" में अन्तर्निहित उद्देश्य यह है कि एक अधिकारी जो अपने नियमित पथ से बाहर है को स्थानापन्न पदोन्नति से वंचित नहीं होना चाहिए जो उसे अन्यथा प्राप्त होती यदि वह अपने मूल पथ पर होता । तथाकथित **"नियम"** किसी स्वतंत्र प्रयुक्ति का नियम नहीं है । किसी एक मामले में जिसमें गवर्नर-जनरल इन कौंसिल अथवा गवर्नर अपना वैयक्तिक विवेक जो 14 अप्रैल, 1922 (गृह विभाग अधिसूचना क्रमांक 195-40-स्था. दिनांक 9 जून, 1942 द्वारा प्रकाशित) के राज्य सचिव नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर प्रयोग करता है, मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रयुक्ति के लिए केवल बनाये गये मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विशेष आदेशों द्वारा स्थानापन्न वेतन को नियमित करना प्रस्तावित है । इस परन्तुक के अधीन प्रत्येक वैयक्तिक मामले में कार्यवाही करने के पहले **"आगे नीचे का नियम"** की प्रयुक्ति में पूर्वगामी शर्तों की पूर्ति होना आवश्यक है । इसका भी अनुसरण किया जाये कि स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ उस अवधि अथवा अवधियों के लिए केवल दिया जाए जिस दौरान **"आगे नीचे का नियम"** की शर्तें परितुष्ट होती हैं ।

नियम- जब पद पर एक अधिकारी को (चाहे उसकी सेवा संवर्ग के भीतर अथवा बाहर) किसी कारण से सेवा संवर्ग में जिससे उसका संबंध है, उच्च वेतनमान अथवा ग्रेड के पद पर उसके क्रम पर स्थानापन्न से रोक दिया जाए तो, उसे उपयुक्त प्राधिकारी के विशेष आदेश द्वारा उस वेतनमान अथवा ग्रेड में प्रोफार्मा स्थानापन्न पदोन्नति से प्राधिकृत किया जा सकता है तथा तदुपरान्त उस वेतनमान अथवा ग्रेड का वेतन मंजूर किया जा सकता है, यदि वह उसे अधिक लाभदायी हो । प्रत्येक अवसर पर जो अधिकारी उसकी सेवा के संवर्ग में उससे कनिष्ठ हो (अथवा यदि वह अधिकारी अदक्षता अथवा अनुपयुक्तता के कारण अधिक्रमित कर दिया गया है अथवा क्योंकि वह अवकाश पर है या सामान्य पथ से बाहर सेवा कर रहा है अथवा अपनी स्वयं की इच्छा से उस वेतनमान या ग्रेड की स्थानापन्न पदोन्नति का परित्याग करता है, तब उसके अगले कनिष्ठ अधिकारी को जो इस प्रकार अधिक्रमित नहीं किया गया है) उस वेतनमान अथवा ग्रेड में स्थानापन्न वेतन आहरित करेगा :

परन्तु अधिकारी जिसे इस नियम के सारभूत भाग के अधीन लाभ दिया जाना है, उससे समस्त वरिष्ठ अधिकारी भी उसी अथवा कुछ उच्च वेतनमान अथवा संवर्ग के भीतर ग्रेड में स्थानापन्न वेतन आहरित कर रहे हैं, जब तक कि उन्हें उपयुक्त कारणों में से एक अथवा अन्य कारणों से अधिक्रमित नहीं किया गया हो :

परन्तु और यह कि, राज्य सचिव के किन्हीं विशेष आदेशों द्वारा आच्छादित मामले के सिवाय, (या तो सामान्य पथ से बाहर समीपवर्ती अधिकारियों की पंक्ति में सबसे वरिष्ठ फिट अधिकारी, अथवा, यदि, ऐसा एक अधिकारी अपने स्वयं की इच्छा से लाभ को छोड़ता है अथवा सामान्य पथ के बाहर उसके पद धारण करने के आधार पर जिससे उसे पंक्ति में उसके ठीक नीचे के अधिकारी की तुलना में कम से कम वेतन तथा पेंशन के मामले में समतुल्य लाभ की सुरक्षा प्राप्त है) एक से अनधिक अधिकारी को इस नियम के अधीन उससे कनिष्ठ द्वारा संवर्ग के भीतर भरी गयी किसी एक स्थानापन्न रिक्ति के मद्दे उच्च वेतनमान या ग्रेड का वेतन आहरित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है ।

(2) पिछली कंडिकाओं में उपवर्णित **"आगे नीचे का नियम"** नीचे वर्णित नियमों अथवा निर्णयों के प्रकाश में प्रयुक्त किया जाना चाहिए-

- (i) एक अधिकारी जो नियमित पथ से बाहर अधिकारी से कनिष्ठ है, को दी गई एकमात्र अनपेक्षित स्थानापन्न पदोन्नति अपने आप में **"आगे नीचे का नियम"** के अधीन दावे का उत्पन्न होना नहीं है ।
- (ii) मूल नियम 30 (1) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति **"सामान्य पथ से बाहर"** का अभिप्राय कठोरता से निर्वचन करने का नहीं है जैसा या तो **"सेवा के संवर्ग के बाहर"** अथवा **"सामान्य वेतनमान से बाहर"** का पद आवश्यक रूप से सन्निहित हो ।
- (iii) यद्यपि, संवर्ग के भीतर कुछ विशेष पद **"आगे नीचे का नियम"** प्रयुक्ति के प्रयोजनार्थ सेवा के सामान्य पथ से बाहर के पद समझे जा सकते हैं । भारतीय कार्यालय में राज्य सचिव का आदेश पत्र क्रमांक एस.एण्ड जी. 5079-44 दिनांक 2 जनवरी, 1945, प्रति गृह विभाग के पत्र क्रमांक 143-44-स्था. दिनांक 26 अप्रैल, 1945 द्वारा अग्रेषित की गई) उलट प्रकार को आच्छादित करने के लिए कोई आदेश नहीं है, जैसे भारत में सरकार द्वारा निर्मित उन पदों को संवर्ग के पद समझना जोकि राज्य सचिव संवर्ग में शामिल स्थायी पदों को प्रतिष्ठा तथा दायित्व में समतुल्य घोषित किया गया है । अब इस समय राज्य सेवा के सचिव के संवर्ग में अस्थायी पदों को जोड़ने के भारत में सरकार की शक्ति को 1935 के संविधान अधिनियम के अधीन वापस ले लिया गया है, सामान्य पथ से बाहर एक अधिकारी को बिना राज्य सचिव की मंजूरी के आगे नीचे का नियम के अधीन लाभ अनुमत्य नहीं किया जा सकता है, यदि एक अधिकारी उससे कनिष्ठ है भारत में सरकार द्वारा निर्मित तथा समतुल्य घोषित पद पर नियुक्त किया गया है ।
- (iv) यदि, किसी विभाग में शासन ने प्रशासकीय पद अथवा प्रवर श्रेणी को पदोन्नति के लिए मेरिट के क्रम में अधिकारियों की सूची अनुमोदित की है, तब वह आदेश **"आगे नीचे का नियम"** के प्रयोजनार्थ वरिष्ठता क्रम का आदेश के समान उनके संवर्ग की

सामान्य वरिष्ठता सूची में शामिल अधिकारियों की वरिष्ठता के आदेश के ऊपर प्रबल होगा ।

3. राज्य सचिव ने यह कहा है कि विशेष (उदाहरणार्थ पदावधि) पदों के धारक जैसे कि गवर्नर अथवा प्रान्तीय सरकार के सचिव को कुछ समय के लिए सामान्य पथ में परिणामतः उनकी पदस्थी के दौरान उच्च वेतनमान या ग्रेड में के पद पर स्थानापन्न पदोन्नति की हानि उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह कि जब वह उस प्रक्रम तक पहुँच जाए जब मौलिक या लंबी स्थानापन्न पदोन्नति का नुकसान सन्निहित हो, तो उचित यह होगा कि **"आगे नीचे का नियम"** के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति की हानि की प्रतिपूर्ति के बजाय विशेष पदों से उन्हें मुक्त करने की व्यवस्था की जाए । **"कुछ समय"** का आशय तीन माह से अनधिक समय माना जाना चाहिए ।

ऐसे मामले में यदि, **"आगे नीचे का नियम"** की शर्तों की पूर्ति नहीं होती है और एक अधिकार को विशेष पद से कुछ समय के लिए अव्यवहारिकता के कारण उसे मुक्त करने से स्थानापन्न पदोन्नति से वंचित किया जाता है तो उसे गवर्नर जनरल इन कौंसिल अथवा गवर्नर की अनुमति से, संबंधित अधिकारी अधिकारी के अनुसार जैसा कि वह केन्द्र में या प्रान्त में सेवारत है, स्थानापन्न पदोन्नति की हानि हेतु ऐसी क्षतिपूर्ति मंजूर की जा सकती हैं, जैसा कि उसे आगे नीचे का नियम के अधीन प्रथम तीन माह से अधिक कुछ समय के लिए लोकहित में विशेष पद धारण करने पर देय होती । इन मामलों में मूल नियम, 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के निबंधन के अनुसार गवर्नर जनरल इन कौंसिल अथवा गवर्नर द्वारा विवरण अथवा घोषणा आवश्यक नहीं होगी तथा यह पर्याप्त होगा यदि वे प्राधिकारी उस आधार पर संबंधित अधिकारी को क्षतिपूर्ति मंजूर करने के लिए वांछित आदेश जारी करें । **"आगे नीचे का नियम"** के मामले में, अवधि के लिए **"आगे नीचे का नियम"** के बराबर क्षतिपूर्ति का लाभ अनुमत्य किया गया है, उच्च वेतनमान या ग्रेड में वेतनवृद्धि के लिए जिन पर अधिकारी स्थानापन्न करेगा, यदि वह लोकहित में विशेष पद धारण नहीं करता, गणना में लिया जाएगा ।

तथापि यदि, ऐसे मामले में **"आगे नीचे का नियम"** की शर्तों की पूर्ति होती है, तो संबंधित अधिकारी को मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन **"आगे नीचे का नियम"** के अधीन देय रियायत मंजूर की जा सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे अधिकारी को विशेष पद पर नहीं रोकना चाहिए, यदि उससे संलग्न वेतन **"आगे नीचे का नियम"** के अधीन, उस तारीख के बाद जिस तारीख से **"आगे नीचे का नियम"** प्रारंभ हुआ है, 6 माह से अधिक के लिए कम है । तथापि, विशेष परिस्थितियों में वैयक्तिक मामले में इस सीमा से अधिक के लिए राज्य सचिव की मंजूरी अनावश्यक है ।

[भारत सरकार वित्त विभाग पत्र क्र. एफ. 2 (25)/स्था.-3-46, दिनांक 2-4-47]

भारत शासन आदेश- द्वितीय परन्तुक की विस्तारिता- इस नियम के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के सन्दर्भ में भारत शासन द्वारा यह कहा गया है कि गवर्नर जनरल को अधिकार इसलिए दिए गये थे कि जिससे वह उन मामलों में उनका प्रयोग कर सके जहाँ एक अधिकारी साधारण पथ में विशेष पद धारण करते हुए समयमान के बाहर के पद पर पदोन्नति के लिए फिट हो जाता है तथा प्रशासकीय कारणों से उसे उसके विशेष पद से स्थानांतरित करना ठीक नहीं पाया गया

हैं। भारत सरकार ने भी पूछ-ताछ की है कि प्रदेश शासन के अधीन भी यदि कोई विशेष पद थे जिन्हें इस नियम की प्रभावशीलता से मुक्त करने की घोषणा अपेक्षित है तथा यदि, ऐसा है तो, स्थानीय शासन को किसी सुरक्षा उपाय की राय के बारे में पूछना चाहिए, जिससे कि अनुपयुक्त वरिष्ठ अधिकारी के विशेष पद की अवधि को समाप्त करने के आदेश में इसका उल्लेख किया जा सके जो अवांछित खर्च का कारण बन गया है तथा लोकहित की दृष्टि से विपरीत हो गया हो, तथा यह भी कि वरिष्ठ नियुक्तियों के संलग्न विशेष वेतन का जिससे यदि वे साधारण पथ में कार्यरत हैं, अनुपयुक्त समझे जाये। भारत शासन को स्थानीय शासन द्वारा अवगत कराया गया था कि वर्तमान में इस शासन में कोई अधिकारी नहीं है जिनके मामले में ऐसी घोषणा आवश्यक थी।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- (1) मूल नियम 30 के उपनियम (1) के द्वितीय परंतुक में प्रयुक्त शब्द 'सेवा के साधारण पथ से बाहर' से यह अभिप्रेत नहीं है कि या तो 'सेवा के संवर्ग के बाहर के समान' अथवा 'साधारण समयमान के बाहर' के समान कठोरता से व्याख्या की जानी चाहिए। शब्दों का ऐसा समूह इसलिए अंगीकृत किया गया था जिससे भारत शासन अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों में जहाँ अपवादित परिस्थितियों को देखी नहीं जा सकती है तथा नियम द्वारा संभवतः व्यवस्था पैदा की जा सकती है, का स्वरूप स्वीकार कर सके।

(2) इस परन्तुक के अधीन पद का विवरण शासकीय सेवक को उस ग्रेड में, जिसमें वह स्थानापन्न होता यदि वह विशिष्ट पद धारण नहीं करता, वेतनवृद्धि हेतु सेवा की गणना कराने के योग्य बनाएगा।

मू.नि. 31. जब शासकीय सेवक का स्थानापन्न वेतन, मौलिक वेतन से कम हो- (1) मूल नियम 30 एवं 35 के उपबंधों के अधीन रहते, शासकीय सेवक जिसकी नियुक्ति किसी पद पर स्थानापन्न रूप से की गई है, उस पद का काल्पनिक वेतन आहरित करेगा।

(2) वेतनवृद्धि या अन्यथा कारण से मौलिक वेतन में वृद्धि होने पर, उस शासकीय सेवक का वेतन उपनियम (1) के अधीन ऐसी वृद्धि की तिथि से फिर से निर्धारित किया जाएगा जैसे कि वह उसी पद पर उस तिथि को स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया हो, यदि ऐसा पुनर्निर्धारण उसके लिए लाभकारी हो।

[वित्त विभाग क्रमांक 1795/1752-चार-नि-1, दिनांक 1-10-59]

परन्तु मूल नियम 22-डी के उपबंध, इस नियम के उपनियम (2) के अन्तर्गत किये गये वेतन के पुनर्निर्धारण के मामले में लागू नहीं होंगे।

[वित्त विभाग क्रमांक 1434-203-चार-नि-1 दिनांक 13-7-62]

टिप्पणी- जहाँ किसी शासकीय सेवक की वेतनवृद्धि उस पद पर जिस पर वह स्थानापन्न है नियम 24 के अधीन बिना इस बात का ध्यान रखे कि मौलिक पद को धारण करते हुए उसकी वेतनवृद्धि कब देय होती है, रोकी जाती है, तो इस नियम के उपनियम (2) के उपबंध उस तिथि के पूर्व लागू नहीं होंगे जब तक ऐसी वेतनवृद्धि रोकने का आदेश अंतिम रूप से निष्प्रभावी नहीं हो जाए। तथापि शासकीय सेवक का उसकी वेतनवृद्धि को रोकने की शास्ति की अवधि के दौरान समय-

समय पर मौलिक वेतन स्थानापन्न पद से अधिक हो जाता है, तो वह उसको मंजूर किया जाएगा ।
[वित्त विभाग क्रमांक 212/377/चार नि-1, दिनांक 22-8-60]

ये उपबंध उन शासकीय सेवकों को भी लागू होंगे, जिनका वेतन स्थानापन्न रूप से धारित पद पर वेतनमान के किसी प्रक्रम पर अथवा दक्षतावरोध प्रक्रम पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण रोका गया है ।

[वित्त विभाग क्रमांक 2245-375-चार-नि-1 दिनांक 22-10-61]

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1.- जहां वेतन में बढ़ोतरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के अधीन है- स्थानापन्न पद पर कार्यरत शासकीय सेवक का वेतन किसी परीक्षा उत्तीर्ण करने या सेवा में एक नियत अवधि पूर्ण करने की शर्त पर वृद्धि योग्य है, तो उसका वेतन, वही वेतन होगा, जो उसके द्वारा पद को मौलिक रूप से धारित किये होने पर समय-समय पर प्राप्त होता ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2.- जब पद का वेतन कम किया गया है- स्थानापन्न पद पर कार्यरत शासकीय सेवक का वेतन, जिसका वेतन उसके आगामी तिथि से घटा दिया गया है घटा हुआ वेतन होगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3.- जब भारतीय चिकित्सा सेवा में बालाधिपति अथवा नियोग बालाधिपति भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, स्थानापन्न पद और बालाधिपति अथवा सामान्य अधिकारी मौलिक पद का वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो, इस भत्ते का देना स्थगित कर दिया जायेगा ।

मू.नि. 31क.- चाहे इन नियमों में उपबंध होने पर भी, शासकीय सेवक का वेतन, जिसकी पद पर पदोन्नति अथवा नियुक्ति त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा त्रुटिपूर्ण है, तो इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी सामान्य अथवा विशेष आदेशों से विनियमित होगा ।

शासकीय सेवक जिसकी पदोन्नति/नियुक्ति किसी पद पर त्रुटिपूर्ण पाई गई है, का वेतन एवं वेतनवृद्धि नियमित करने बाबत् शासनादेश

विषय:- शासकीय सेवकों की आरंभिक भर्ती के पश्चात् उनके अपात्र अथवा अयोग्य पाये जाने की स्थिति

में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही ।

शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि क्या किसी शासकीय सेवक के बारे में यह पता लगने पर कि वह सेवा में अपनी आरंभिक नियुक्ति के लिए अर्ह अथवा पात्र नहीं था, उसे सेवा से हटाया जा सकता है?

2. इस विषय वस्तु के बारे में भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) में परीक्षण कर सम्यक् निर्देश प्रसारित किये गये हैं, जो उच्चतम

न्यायालय द्वारा जिलाधीश विजयनगरम बनाम एम. त्रिपुर सुन्दरी देवी [1990(4) एस.सी.आर. 237] में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किये गये हैं, अतः इस विषय के बारे में राज्य शासन भी निम्नलिखित निर्देश प्रसारित करता है:-

- (अ) जहाँ कहीं भी यह पाया जाए कि कोई शासकीय सेवक भर्ती नियमों आदि की शर्तों के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए अर्ह या पात्र नहीं था अथवा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने झूठी सूचना दी थी या झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो, तो उसे सेवा में बनाये नहीं रखा जाना चाहिए ।
- (ब) ऐसा शासकीय सेवक यदि परिवीक्षाधीन या अस्थायी है, तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाए या उसकी सेवायें समाप्त कर दी जाएँ ।
- (स) यदि ऐसा शासकीय सेवक स्थायी हो गया हो तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 में निर्धारित जाँच कराई जाए एवं आरोप सिद्ध होने पर उसे सेवा से हटाया या बर्खास्त कर दिया जाए, किसी भी दशा में कोई अन्य शास्ति नहीं दी जाए ।
- (द) तथापि इस प्रकार सेवामुत्ता करने / सेवा समाप्त करने / सेवा से हटाने या बर्खास्त करने से ऐसे शासकीय सेवक पर अभियोजन चलाने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-3-22/93/3/एक, दिनांक 30-8-1993]

विषय- शासकीय सेवा में आने के लिए गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही ।

राज्य शासन के भर्ती नियमों में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का चयन शासकीय सेवा के लिए किया जाता है । ऐसे शासकीय सेवकों के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, इत्यादि लागू होते हैं ।

2. शासकीय सेवकों के चयन के समय ही पुलिस चरित्र सत्यापन इत्यादि द्वारा यदि पुष्टि कर ली जाती है कि सेवा में आने वाला व्यक्ति सेवा के लिए अर्ह है । इसके बावजूद कोई व्यक्ति यदि गलत जानकारी प्रस्तुत कर अथवा तथ्यों को छुपाकर शासकीय सेवा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो ऐसे तथ्य प्रकाश में आने पर उसके विरुद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, के अन्तर्गत त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्य शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए ।

उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6/5/2006/3/1 दिनांक 16-11-2006]

मू.नि. 32 [निरस्त]

मू.नि. 33. पद का स्थानापन्न वेतन जिसका वेतन वैयक्तिक है- जब कोई शासकीय सेवक किसी पद पर स्थानापन्न रहे जिसका वेतन वैयक्तिक दर पर किसी अन्य शासकीय सेवक के लिए नियत किया गया है, तो स्थानीय शासन उसे किसी भी दर पर, किन्तु इस प्रकार नियत वेतन से

अनधिक, वेतन आहरण की मंजूरी दे सकता है अथवा यदि इस प्रकार नियत वेतन समयमान में है तो उस समयमान के सबसे निचले प्रक्रम से अधिक नहीं, उसे प्रारंभिक वेतन तथा भविष्य की वेतनवृद्धियाँ जो उस स्वीकृत वेतनमान से अधिक नहीं हो, मंजूर किया जा सकता है ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- यदि कोई शासकीय सेवक, जोकि व्यक्ति: समुद्रपार वेतन आहरण करने के लिए अर्ह है, समयमान में स्थानापन्न पद पर नियुक्त किया जाता है, जिसका वेतन मौलिक पदधारक के लिए व्यक्तिगत रूप से नियत है, तथा समयमान में निचले प्रक्रम पर स्टर्लिंग समुद्रपार वेतन सम्मिलित है, मूल नियम 33 के प्रयोजनार्थ समयमान का न्यूनतम धन स्टर्लिंग समुद्रपार वेतन पद के मौलिक पदधारी हेतु व्यक्ति: वेतन सहित है । इसलिए स्थानीय शासन ऐसे स्थानापन्न शासकीय सेवक को समुद्रपार वेतन पद के मौलिक धारक हेतु व्यक्ति: नियत वेतन सहित वेतन निर्धारण करने की मंजूरी देने हेतु सक्षम है ।

मू.नि. 34.- [निरस्त]

मू.नि. 35. स्थानापन्न वेतन निचली दर पर निर्धारित करने की शक्ति.- स्थानीय शासन किसी स्थानापन्न शासकीय सेवक का वेतन इन नियमों के अधीन देय वेतन से कम पर निर्धारित कर सकता है ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1- चालू कर्तव्यों का प्रभार- इस नियम के अधीन आने वाली श्रेणी वह है, जिसमें शासकीय सेवक केवल चालू कार्यों का कार्यभार ग्रहण करता है, तथा उस पद के सम्पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2- जब किसी शासकीय सेवक को समयमान वेतन पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है, लेकिन उसका वेतन मूल नियम 35 के अधीन समयमान के न्यूनतम से भी कम पर नियत किया गया है, तो मूल नियम 22 के लिए उसे ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि वह उस पद पर वास्तविक रूप से स्थानापन्न है अथवा मूल नियम 26 के लिए उसने उस पद के कर्तव्य निष्पादित किए हैं । ऐसे अधिकारी का स्थायी होने पर प्रारंभिक वेतन मूल नियम 22 (बी) के अन्तर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए तथा आगामी वेतनवृद्धि, जो सामान्य अपेक्षित अवधि के पूरा होने पर देय होती है, स्थायी होने की तिथि से प्राप्त करेगा ।

मू.नि. 36. शासकीय सेवक जो प्रशिक्षण इत्यादि पर है के स्थान पर स्थानापन्न पदोन्नति- मूल नियम 9 (6)(बी) के अधीन जो शासकीय सेवक कर्तव्य पर माना गया है, के स्थान पर स्थानीय शासन स्थानापन्न पदोन्नति देने के आदेश, सामान्य अथवा विशेष रूप से जारी कर सकता है ।

पूरक नियम- मूल नियम 9 (6)(बी) के अन्तर्गत पूरक नियम के अधीन, जो शासकीय सेवक कर्तव्य पर समझे जाते हैं, के रिक्त स्थान पर सक्षम प्राधिकारी स्थानापन्न नियुक्ति अथवा स्थानापन्न पदोन्नति मंजूर कर सकता है ।

मू.नि. 37. वैयक्तिक वेतन समाविष्ट होगा.- सिवाय इसके जब मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी अन्यथा आदेशित न करे, वैयक्तिक वेतन, उतनी राशि तक घटाया जा सकेगा, जितने कि

द्वारा प्राप्तकर्ता के वेतन में बढ़ोतरी हो, और उस समय समाप्त हो जाएगा, जैसे ही उसका वेतन, उसके वैयक्तिक वेतन की राशि के बराबर बढ़ जाए ।

मू.नि. 38. विधान मंडल के शासकीय सदस्यों का वेतन - जो शासकीय सेवक विधान मंडल या राज्य सभा का सदस्य मनोनीत किया जाए, तो वह वैसा कार्य करते हुए, वह वेतन प्राप्त करेगा जो ऐसा मनोनीत नहीं किए जाने की दशा में प्राप्त करता । इसके अलावा वह कौंसिल के सचिव द्वारा निर्धारित यात्रा भत्ता भी अतिरिक्त रूप से प्राप्त कर सकेगा ।

मू.नि. 39. अस्थायी पद का वेतन जो ऐसे व्यक्ति से भरा गया है जो पहले से शासकीय सेवा में नहीं है.- अस्थायी रूप से निर्मित पद जो एक ऐसे व्यक्ति से भरा गया है, जो पहले से शासकीय सेवा में नहीं है, तो पद का वेतन, न्यूनतम के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा जो व्यक्ति की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है जिससे वह पद के कर्तव्यों को दक्षता से निर्वाहित करने में अपने को समर्थ पा सके ।

मू.नि. 40. अस्थायी पद का वेतन जो शासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्ति से भरा गया है- जब एक अस्थायी पद का निर्माण किया गया है जिसे संभवतः ऐसे व्यक्ति से भरा जाना है, जो एक शासकीय सेवक है, का वेतन स्थानीय शासन द्वारा इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए.-

- (अ) किये जाने वाले कार्य का स्वरूप तथा उत्तरदायित्व, एवं
- (ब) उस हैसियत वाले शासकीय सेवक का वर्तमान वेतन पद के लिए उनका चयन हेतु पर्याप्त अधिदिष्ट हो ।

भारत शासन आदेश- यदि अस्थायी पद का वेतन उपरोक्त नियम के अधीन नियमित रेखा में मौलिक वेतन धन मौलिक वेतन के प्रतिशत के समान अभिव्यक्त वृद्धि की राशि के बराबर निर्धारित किया गया है, तो प्रतिशत केवल नियमित रेखा में आहरित मूल वेतन को लागू किया जाना चाहिए न कि समुद्रपार वेतन को ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- मूल नियमों के अधीन, विशेष कार्यभार अथवा भारत में प्रतिनियुक्ति मान्य नहीं है । उस कार्यभार को संभालने के लिए अस्थायी पद निर्मित किया जाएगा । यदि ऐसा विशेष कार्य शासकीय सेवक के सामान्य कार्यभार के अतिरिक्त है, तो नियम 39 एवं 40 लागू होंगे ।

मू.नि. 41 [निरस्त]

मू.नि. 42. [निरस्त]

मू.नि. 43. भारतीय सिविल सेवा के सदस्य अथवा सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी को निर्वाह अनुदान- भारतीय सिविल सेवा के सदस्य अथवा सेना के कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सिविल अवकाश नियमों के अधीन हो को निर्वाह अनुदान की राशि वह होगी जो कौंसिल के राज्य सचिव द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों से निर्धारित की जाए ।

अध्याय 5

वेतन के अतिरिक्त

मू.नि. 44. क्षतिपूरक भत्ता स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी- उन प्रतिबंधों के अध्यक्षीन जो सपरिषद् राज्य सचिव द्वारा परिषद के गवर्नर जनरल या परिषद के गवर्नर के अधिकार पर जैसा भी प्रकरण हो, आदेश द्वारा लगाये जाएं, तथा सामान्य नियम कि क्षतिपूरक भत्ते का नियमन किया जाए जिससे कि यह भत्ता सामान्यतः पाने वाले के लिए लाभ का स्रोत न बन जाए, स्थानीय शासन ऐसा भत्ता उन शासकीय सेवकों को स्वीकार कर सकता है, जो उसके नियंत्रणाधीन है एवं इस संबंध में उसकी राशि तथा किन शर्तों पर यह भत्ता स्वीकृत किया जाए, बाबत नियम बना सकता है ।

राज्य सचिव आदेश 1.- ब्रिटिश आयकर के समान क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान- राज्य सचिव द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब संयुक्त गणराज्य में कोई अधिकारी 6 मास से कम का अवकाश व्यतीत करे तो उस वित्तीय वर्ष में ब्रिटिश आयकर देना अनिवार्य होता है । यद्यपि कर्तव्य पर उस अवधि के बाद रोका जाए तो उस अवकाश वेतन पर आयकर के बराबर क्षतिपूर्ति भत्ता अधिकतम 6 माह तक स्वीकार किया जाए जो यदि उसे कर्तव्य पर रोका जाता तो वह छूट प्राप्त करता ।

(2) यह निर्णय, भारतीय कार्यालय जहाँ यात्रा भत्ता आदि देय होते हैं, पर लागू नहीं होगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक F/17(1)/CSR, दिनांक 29-5-1925]

राज्य सचिव आदेश 2.- भारत परिषद के सदस्यों को साज-सज्जा भत्ता- भारत परिषद राज्य सचिव ने यह निर्णय दिया है कि साज-सामान भत्ता उन व्यक्तियों को जो भारत के निवासी हैं, जब उन्हें यह आदेश हो कि उनकी उनकी भारत परिषद के सदस्य पर नियुक्ति हुयी है, साज-सामान भत्ता 250 पौंड नियत किया जाये । 100 पौंड प्रत्येक आने व जाने का जब वह नियुक्ति पर इंग्लैण्ड जाते हैं और पद समाप्ति पर वापस आते हैं, में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक F.17(1)/CSR, दिनांक 28-7-1924]

राज्य सचिव आदेश 3.- राज्य सचिव एवं उसके सलाहकार क्षतिपूरक भत्ते के संबंध में निम्न नतीजे पर पहुंचे हैं कि-

- (1) क्षतिपूरक भत्ता, भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 247 एवं 250 (3) के परन्तुक के उद्देश्यों हेतु पारिश्रमिक में सम्मिलित समझा जाय ।
- (2) जिन परिस्थितियों के आधार पर भत्ता स्वीकृत था, वस्तुतः बदल गई हैं, इस बात का समाधानकारक प्रमाण उपस्थित होने पर यह वापस लिया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है ।
- (3) इन भत्तों को निरन्तर विनियमित करने वाले नियम भारत शासन द्वारा बनाये जाना चाहिये । जब तक कि अधिनियम की धारा 247(1) (बी) के अन्तर्गत इसके लिये नियम निर्मित करने के अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय राज्य सचिव द्वारा न लिया गया हो ।

- (4) राज्य अधिकारियों के संबंध में निम्न दो सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त (2) में बताये प्रश्न पर निर्णय ले सकते हैं एवं भत्तों के वापस या कम करने हेतु प्राधिकृत कर सकते हैं (यात्रा भत्ते के अतिरिक्त) वे हैं-
- (अ) राज्य सचिव, उन अधिकारियों के प्रकरणों में जिन्हें भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 258 की उपधारा (3) लागू होती है ।
- (ब) अन्य अधिकारियों के मामले में, राज्यपाल उन अधिकारियों के विषय में जो प्रान्त के अधिकारियों से संबंधित मामलों में सेवारत हैं, राज्यपाल अपना व्यक्तिगत निर्णय ले सकते हैं ।

[भारत शासन वित्त विभाग क्रमांक एफ-19(27)-एक्स 1/39, दिनांक 29-8-1939]

भारत शासन आदेश- राज्यपालों की वैयक्तिक स्थापना के सैनिक अधिकारियों हेतु क्षतिपूर्ति भत्ता जिसका खर्च प्रान्त के राजस्व को विकलनीय होता है, मूलभूत नियम 44 के अधीन मंजूरी स्थानीय शासन के सामर्थ्य के भीतर है ।

[भारत शासन, गृह विभाग क्र. एफ-269-32-स्था, दिनांक 21-9-1932]

महालेखा परीक्षक अनुदेश- पहाड़ भत्ता एक क्षतिपूरक भत्ता है- पहाड़ भत्ता क्षतिपूरक भत्ते के अन्तर्गत आता है, राज्य शासन को अधिकार है कि वह मूल नियम 44 के अधीन स्वीकृति प्रदान करे ।

पूरक नियम 1- किसी पद से संलग्न क्षतिपूरक भत्ता उस शासकीय सेवक द्वारा पूर्ण आहरित किया जा सकता है जो उस पद के कर्तव्यों को सम्पादित कर रहा है, और यदि ऐसा शासकीय सेवक किसी ऐसे पद पर स्थानान्तरित होता है जिस पद के साथ उसी प्रकृति के क्षतिपूरक भत्ते जुड़े हुए हैं, तो कार्यग्रहण काल के समय में वह उनका आहरण कर सकता है, बशर्ते यदि भत्ते की दर में भिन्नता है तो वह केवल उनमें से निम्न दर से प्राप्त करेगा ।

पूरक नियम 2 - विशेष मामलों को छोड़कर और बिना शासन की अनुमति से, कोई भी सरकारी सेवक अवकाश काल में मकान किराया भत्ते के सिवाय, क्षतिपूरक भत्ता आहरित नहीं कर सकता है । श्रम विभाग में कार्यरत कर्मचारियों सहित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को कर्तव्य पर रहते क्षतिपूरक भत्ते स्वीकृत हैं, निम्न शर्तों के अध्याधीन अवकाश काल में देय होंगे-

- (i) अवकाश, सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश के रूप में न हो,
- (ii) जैसा कि संबंधित शासकीय सेवक जो मूलभूत नियमों के अवकाश नियम अथवा पुनरीक्षित अवकाश नियम, 1934 से शासित है, क्षतिपूर्ति भत्ता **"औसत वेतन अवकाश"** या **"अर्जित अवकाश"** की अवधि में प्रथम चार मास तक ही देय है;
- (iii) कार्यालय प्रमुख को लिखित में यह प्रमाणित करना चाहिए कि अवकाश अवधि में निजी व्यवसाय की निरन्तर हानि हो रही है, एवं
- (iv) अवकाश अवधि में भत्ता अवकाश वेतन पर आधारित होगा न कि वेतन पर ।

पूरक नियम 2-ए.- सरकारी सेवक गृह भाड़ा भत्ते का आहरण औसत वेतन या पूरे वेतन पर अवकाश की प्रत्येक अवधि में केवल प्रथम चार माह तक ही कर सकता है अथवा मूल नियम 89 के नीचे टिप्पणी 1 में उल्लेखित विशेष छूट के अधीन देय अवकाश में 6 माह के लिये प्राप्त कर सकता

हैं बशर्ते कि (अ) अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व का नहीं हो, (ब) अवकाश ऐसे पद से लिया गया हो जिसके संलग्न ऐसा भत्ता है एवं सरकारी सेवक यह प्रमाणित करे कि मकान पर खर्च अवकाश की अवधि में पूर्व की दर से निरन्तर बना हुआ है और यह कि वह अपना मकान, यदि कोई हो, उस शासकीय सेवक को रहने के लिये बिना किराये के दे सकता है जो उसके पद पर स्थानापन्न है। ऐसे प्रकरणों में स्थानापन्न सरकारी सेवक उस पद के संलग्न गृह भाड़ा भत्ते का आहरण नहीं कर सकता है। तथापि यदि स्थानापन्न सरकारी सेवक किसी कारण से, सक्षम प्राधिकारी उचित समझे तो, जो स्थान उसे दिया गया है, को लेने से इंकार कर दे तो अनुपस्थित सरकारी सेवक को भत्ता प्रदाय नहीं किया जायेगा और स्थानापन्न को प्रदाय किया जायेगा।

पूरक नियम 2-बी.- विलोपित।

पूरक नियम 2-सी.- गृह भाड़ा भत्ते का आहरण इस बात पर आधारित है कि सरकारी सेवक ने पूरी राशि उस खर्च को पूरा करने में लगा दी है जिसके लिये भत्ता स्वीकृत किया गया है। इसलिये गृह भाड़ा भत्ते के दावे के साथ नीचे दिये प्ररूप में एक प्रमाण पत्र स्वयं अधिकारी को (यदि वह राजपत्रित अधिकारी है) या अराजपत्रित स्थापना के मामले में आहरण अधिकारी द्वारा संलग्न किया जाना चाहिये-

“प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी आवास आवंटित नहीं है तथा यह कि मकान पर लेने में किया गया वास्तविक व्यय भत्ते के दावे से कम नहीं है।”

अध्ययन अवकाश पर रहते सरकारी सेवक निम्न प्रमाण पत्र देगा राज्य

शासन अनुदेश

“प्रमाणित किया जाता है कि अध्ययन अवकाश पर गये सरकारी सेवक जिसका गृह भाड़ा भत्ता अवकाश वेतन बिल में आहरित किया गया है, को अपने पूर्व पद पर पुनः पदस्थ किये जाने की संभावना है और यह कि उसका परिवार उसी स्थान पर रह रहा है जहाँ सरकारी सेवक अध्ययन अवकाश पर जाने के पूर्व रहता था”।

[वित्त विभाग क्रमांक 2266/639/चार/नि-1, दिनांक 16-7-1963]

महालेखा परीक्षक अनुदेश- क्षतिपूरक भत्ता केवल चार मास के औसत वेतन पर ही आहरित किया जाना.- अधिकतम अवधि जिसमें सरकारी सेवक क्षतिपूर्ति भत्ता अवकाश काल में प्राप्त कर सकता है, वह चार माह है (अथवा 6 माह यदि अवकाश मूल नियम 89 के नीचे टिप्पणी 1 में दी गई विशेष सुविधा के अन्तर्गत है)। समस्त प्रकार के अवकाश की कुल अवधि असंगत है, लेकिन क्षतिपूर्ति भत्ता उस अवकाश की किसी अवधि में आहरित नहीं किया जा सकता जो कि औसत वेतन अवकाश नहीं है।

सरकारी सेवकों को देय विभिन्न प्रकार के भत्ते

नगर क्षतिपूर्ति भत्ता- [वित्त विभाग के जापन क्रमांक एफ. 8/2009/नियम/चार, दिनांक 28-2-2009 के द्वारा 1-1-2006 से बंद]

गृह भाड़ा भत्ता

विषय- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण ।

संदर्भ - वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ बी- 11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 16-4-1987, एफ बी-11/1/87/आर-2/चार, दिनांक 15-6-1987, एफ बी- 11/1(4)89/नि-2/चार, दिनांक 15-12-1989, एफ आर 17-02-96/चार/ब-9, दिनांक 11-3-1996 एवं एफ-4/2/2003/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003.

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4/2/2003/नियम /चार, दिनांक 15-9-2003 द्वारा स्वीकृत दरों पर गृह भाड़ा भत्ता देय है । राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन ने विचारोपरान्त गृह भाड़ा भत्ता की वर्तमान दरों में पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है । तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की नई दरें वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 16-4-87 एवं ज्ञापन दिनांक 15-6-87 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्नानुसार -पुनरीक्षित की जाती है

क्र.	शहर/कस्बे की आबादी	गृह भाड़ा भत्ते की दर (वेतन बैंड में वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग का प्रतिशत)
1	2	3
1.	7 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु ।	10
2.	3 लाख से 7 लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु ।	7
3.	50,000 से 3,00,000 आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु ।	5
4.	50,000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु ।	3

2. यह आदेश यू.जी.सी. तथा ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे ।

3. निम्नांकित कर्मचारियों/अधिकारियों को इस आदेश के अंतर्गत देय गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी :-

- (क) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवासगृहों में निवासरत हों अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा हो ।
- (ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।
- (ग) संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी ।

4. उपरोक्त गृह भाड़ा भत्ते की दरें दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से प्रभावशील होंगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. 11-12/2010/नियम/चार, दिनांक 1 सितम्बर, 2012]

विषय- मध्यप्रदेश शासन के नई दिल्ली में पदस्थ कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अधिकारियों /कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाना ।

राज्य शासन के कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2002/नियम/चार, दिनांक 15-9-2003 द्वारा दरें पुनरीक्षित की गई है । तदनुसार गृह भाड़ा भत्ते की अधिकतम दर संबंधित शासकीय सेवक के मूल वेतन का 8 प्रतिशत है । दिल्ली एवं मुम्बई जैसे महानगरों में आवास की गंभीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त दिल्ली एवं मुम्बई स्थित मध्यप्रदेश शासन के कार्यालयों में पदस्थ राज्य शासन के कर्मचारियों को मूल वेतन के 30 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया है ।

2. गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति के संबंध में शेष शर्तें इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 4-2/2002/ नियम/चार, दिनांक 15-9-2003 के अनुसार यथावत् रहेगी ।

3. यह व्यवस्था दिनांक 1-1-2007 से लागू होगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. 4-1/2007 नियम चार दिनांक 19 फरवरी, 2007]

आदेश दिनांक 16-4-1987

राज्य शासन के कर्मचारियों को वर्तमान (चौधरी) वेतनमानों को दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित करते समय यह भी निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को वर्तमान में प्राप्त गृह भाड़ा भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया जाए । तदनुसार राज्य शासन के निर्णयानुसार राज्य के 10,000 या इससे अधिक तथा 50,000 से कम की आबादी वाले नगरों (जिनकी सूची संलग्न है) में विभिन्न प्रवर्गों के नियमित स्थापना में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को दिनांक 1 मार्च, 1987 (अर्थात् माह मार्च, 1987 का वेतन जो अप्रैल, 1987 में देय है) से एक मुश्त रुपये 30 प्रतिमाह की दर से गृह भाड़ा भत्ता स्वीकार किया जाए ।

2. निम्न प्रकार के कर्मचारियों को इस गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी-

- (1) जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है अथवा जो किराया रहित शासकीय आवास गृह में हो अथवा जिन्हें किराया रहित आवास गृह के बदले और कोई भत्ता दिया जा रहा है ।
- (2) ऐसे कर्मचारी जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को देय आवास गृह भत्ता प्राप्त हो रहा है ।

(3) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी ।

3. उपरोक्तानुसार गृह भाड़ा भत्ते का भुगतान संबंधित कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा इसका आहरण कार्यालय के वेतन देयक के साथ किया जायेगा । गृह भाड़ा भत्ते पर होने वाला व्यय उसी बजट शीर्ष को विकलनीय होगा जिससे संबंधित कर्मचारी के वेतन तथा भत्ते आहरित किये जाते हैं ।

आदेश दिनांक 15-6-1987

¹[एक ही परिवार के सदस्य जो एक ही साथ एक ही मकान में निवास करते हैं. उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो, और दूसरा कोई राज्य शासन, अन्य राज्य शासन, केन्द्र शासन/संघ/संस्था /मंडल/बैंक/निगम इत्यादि का कर्मी हो तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते की पात्रता होगी ।]

शासन स्पष्टीकरण

(1)

विषय- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 15-6-1987.

वित्त विभाग के उक्त संदर्भ में उल्लेखित ज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता उन शासकीय सेवकों को नहीं है, जो शासन द्वारा आवंटित आवास गृह में निवास करते हैं । कंडिका 6 (सी) के अनुसार जिन कर्मचारियों को शासन द्वारा आवास गृह आवंटित किया जाता है और यदि वे इस सुविधा को अस्वीकार करते हैं, तो उन्हें भी मकान किराये भत्ते की पात्रता नहीं होगी

2. कतिपय विभागों ने यह जानना चाहा है कि यदि कोई शासकीय सेवक शासन द्वारा आवंटित आवास गृह समर्पित कर स्वयं के मकान में निवास करने लगे तो क्या ऐसे कर्मचारी को वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 15-6-87 के अन्तर्गत गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी ।

3. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय सेवक यदि शासन द्वारा आवंटित मकान स्वेच्छा से इंकार कर स्वयं के मकान में स्थानान्तरित हो जाता है अथवा शासकीय सेवक यदि आवंटित शासकीय आवास को छोड़कर स्वयं के मकान में निवास करने को जाता है तथा गृह भाड़ा भत्ते की मांग करता है तो वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों की पूर्ति के अधीन उन्हें गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 21-12-87]

(2)

सन्दर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 16-6-87 तथा समसंख्यक

ज्ञापन दिनांक 21-12-1987

वित्त विभाग के संदर्भ में उल्लेखित ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 की कंडिका 6 (सी) के संबंध में

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 21-12-1987 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कोई शासकीय सेवक यदि शासन द्वारा आवंटित आवास गृह स्वेच्छा से इंकार कर स्वयं के मकान में स्थानान्तरित हो जाता है अथवा शासकीय सेवक यदि आवंटित शासकीय आवास को छोड़कर स्वयं के मकान में निवास करने को चला जाता है तथा गृह भाड़ा भत्ते की मांग करता है तो वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों की पूर्ति के अधीन गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी ।

2. इस विषय पर विभिन्न नगरों में शासकीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आवास सुविधा को ध्यान में लेते हुए और विचार किया जाकर राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि यदि कोई शासकीय सेवक शासन द्वारा आवंटित शासकीय आवास गृह में रहने के बजाय किराये के मकान में रहना तय करता है अथवा यदि वह शासकीय आवास गृह में निवास करता रहा है तथा उसे छोड़कर किराये के मकान में रहने चला जाता है, तो ऐसे शासकीय सेवक को भी वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 15-6-1987 में उल्लेखित शर्तों एवं प्रतिबंधों की पूर्ति के अधीन गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता होगी ।

3. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर पद क्रमांक व 2 में उल्लेखित निर्णयों के अन्तर्गत दी गई सुविधाएं उन शासकीय सेवकों को उपलब्ध नहीं होंगी, जिन्हें शासन ने निःशुल्क आवास की पात्रता दी है । यदि राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट निःशुल्क आवास आवंटित किया जाता है, तो उन्हें अनिवार्यतः उसे लेना होगा अन्यथा उन्हें किसी प्रकार के गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी । शासन यदि ऐसे शासकीय सेवकों को निःशुल्क आवास उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उन्हें निर्धारित दर पर मकान किराये की राशि प्राप्त करने की पात्रता शासन के निर्देशों के अनुसार होगी ।

4. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/1/89/नि-2/चार, दिनांक 20-6-1989]

(3)

सन्दर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/1/87/नि-2/चार, दिनांक 21-12-87 तथा क्रमांक एफ. बी. 11/1/89/नि-2/चार, दिनांक 20-6-89.

वित्त विभाग के उल्लेखित ज्ञापन दिनांक 20-6-89 की कंडिका 3 के अनुक्रम में यह और स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य शासन द्वारा किसी कर्मचारी/अधिकारी के लिये शासकीय आवास गृह (किराया रहित अथवा किराया सहित) आवंटित किया जाता है तो उसे वह आवास गृह अनिवार्यतः लेना होगा अन्यथा उसे किसी प्रकार का गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/1/89/नि-2/चार, दिनांक 24-3-90]

(4)

सन्दर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ बी 11/1/89/नि-2/चार दिनांक 20-6-89.

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन की कंडिका 2 में राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के प्रभावशील होने के दिनांक के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्णय/आदेश जारी होने के

पूर्व के प्रकरणों में लागू नहीं होगा । केवल आदेश दिनांक 20-6-89 के बाद उत्पन्न मामलों में ही उक्त निर्णय लागू होगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/1/89/नि-2/चार, दिनांक 10-08-89]

अनुसूचित क्षेत्र भत्ता

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.आर. 17/01/96 चार/ब-9, दिनांक 11-3-1966 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते के आदेश प्रसारित किये गये हैं ।

2. ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसाओं पर विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के उक्त ज्ञापन दिनांक 11-3-96 द्वारा स्वीकृत अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है-

वेतन श्रेणी	क्षेत्र वर्ग 1	क्षेत्र वर्ग 2	क्षेत्र वर्ग 3
रुपये 2600	120	80	40
रुपये 2601 से 3000	180	120	60
रुपये 3001 से 4600	240	160	80
रुपये 4601 से 5900	300	200	100
रुपये 5901 से 7001	360	240	120
रुपये 7001 से 10000	450	300	150
रुपये 10000 से अधिक	600	400	200

3. इन आदेशों के अन्तर्गत देय अनुसूचित क्षेत्र भत्ता संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार वर्गीकृत विकास खण्डों में देय होगा ।

4. अनुसूचित क्षेत्र भत्ता केवल ऐसे अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवकों को प्राप्त होगा जो नगर निगम नगरपालिका क्षेत्र से 5 किलोमीटर एवं नगर पंचायत क्षेत्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ।

5. अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना के लिए वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान, 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।

6. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998 के अन्तर्गत विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को भी अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की पात्रता निर्धारित प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन होगी । इन कर्मचारियों के लिये उपर्युक्त अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की गणना हेतु वेतन के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि हो तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता (जोकि वित्त विभाग के जापन क्रमांक एल.आर. 17-03/96/चार-ब-9, दिनांक 23-4-1996 अनुसार स्वीकृत किया गया है एवं अंतरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त (जोकि वित्त विभाग के जाप क्रमांक एफ. बी. 8/1/93/नि-2/चार, दिनांक 20-10-93 एवं क्रमांक आर. 17/3/95/चार/ब-9, दिनांक 11-8-95 के अनुसार स्वीकृत की गई हैं) को शामिल किया जाना है ।

7. ये आदेश यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

8. अनुसूचित क्षेत्र भत्ते की यह दरें दिनांक 1 अगस्त, 2003 (अर्थात् माह अगस्त 2003 का वेतन जो सितम्बर 2003 में देय है) से प्रभावशील होगी ।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय अनुसूचित क्षेत्र भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के लिये स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक

न हो ।

10. अनुसूचित क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य सुविधायें पूर्ववत् रहेंगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ-4/6/2002/नियम/चार, दिनांक 22-9-2003]

परिशिष्ट 'अ'

विकास खण्डों का वर्गीकरण

क्र.	जिला	विकास खण्ड	क्र.	जिला	विकास खण्ड
प्रथम श्रेणी के विकास खंड			तृतीय श्रेणी के विकास खंड		
1.	मंडला	मवई	1.	बैतूल	चिचौली
2.	डिंडोरी	बजांग मेहदवानी			आठनेर
					घोड़ाडोंगरी
द्वितीय श्रेणी के विकास खंड			2.	होशंगाबाद	केसला
1.	बैतूल	भीमपुर	3.	शयोपुर	कराहल
2.	मंडला	मोहगांव	4.	रतलाम	बाजना
		घुघरी	5.	मंडला	बिछिया
		नारायणगंज			निवास
3.	डिंडोरी	समनापुर			
4.	छिंदवाडा	हरई	7.	बालाघाट	परसवाड़ा
		बिछुआ			बिरसा
		तामिया	8.	सिवनी	कुरई
5.	सीधी	कुसुमी			घंसौर
6.	धार	गंधवानी	9.	छिंदवाडा	जामई
		डही	10.	अनूपपुर	पुष्पराजगढ़
		बांकानेर	11.	उमरिया	पाली
7.	झाबुआ	कट्ठीवाडा	12.	धार	नालछा
		सैंधवा			बाग
8.	खरगोन	भगवानपुरा			निसरपुर
9.	बड़वानी	पाटी			तिरला
					धरमपुरी
			13.	झाबुआ	रामा
					राणापुर
					थांदला
					जोबट
					उदयपुर
					मेघनगर
					भाभरा
			14.	खरगोन	झिरन्या
					सेगाँव
					भीकनगांव
			15.	बड़वानी	पानसेमल

					राजपुर
--	--	--	--	--	--------

आदेश दिनांक 25-1-1986

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए इस विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 11-1-1984 द्वारा विभिन्न विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे । राज्य शासन द्वारा उक्त ज्ञापन के अधीन देय अनुसूचित क्षेत्र विशेष भत्ते एवं आवास गृह भत्ते का भुगतान सुधार रूप से किये जाने की दृष्टि से सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये हैं -

1. अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ सभी विभागों तथा सभी श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को निम्नानुसार पुनरीक्षित दरों पर विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता दिया जाये-

(अ) आवास गृह भत्ता-

- (1) क्षेत्र वर्ग एक के संपूर्ण क्षेत्र के लिए (उसमें समाविष्ट विकास खण्डों सहित) - मूल वेतन का 10 प्रतिशत
- (2) क्षेत्र वर्ग दो के विकास खण्डों के लिए- मूल वेतन का 7 प्रतिशत
- (3) क्षेत्र वर्ग 3 के विकास खण्डों के लिए- मूल वेतन का 5 प्रतिशत

टीप- आवास गृह भत्ता तभी देय होगा जब संबंधित कर्मचारी को शासन की ओर से आवास सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई हो ।

यदि संबंधित कर्मचारी को शासन की ओर से आवास गृह आवंटित किया गया हो तो उससे आवास गृह के लिए निम्नानुसार किराया वसूल किया जायेगा-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (अ) वर्ग तथा वर्ग 2 क्षेत्रों के लिए | कुछ नहीं |
| (अ) वर्ग 3 के क्षेत्रों के लिए | निर्धारित दर से $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम |

यदि पति/पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ हो तो आवास गृह भत्ता उनमें से केवल एक को ही दिया जायेगा ।

(ब) विशेष भत्ता-

- | | |
|--|------------------------|
| (अ) वर्ग 1 के संपूर्ण क्षेत्र के लिए | मूल वेतन का 15 प्रतिशत |
| (ब) वर्ग 2 के क्षेत्र के विकास खण्डों के लिए | मूल वेतन का 10 प्रतिशत |
| (स) वर्ग 3 क्षेत्र के विकास खण्डों के लिए | मूल वेतन का 5 प्रतिशत |

आवास गृह भत्ता/विशेष भत्ते के लिए उच्चतर सीमा का कोई बंधन नहीं रहेगा ।

टीप- मूल वेतन से आशय मूल नियम 9(21)(a)(i) के अन्तर्गत देय वेतन से है ।

2. अबूझमाड़ विकास खण्ड क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी. 5/800/1(3)/वे.आ.को./76, दिनांक 7 फरवरी, 1977 में उल्लेखित सीमा एवं प्रतिबंधों के अधीन क्षतिपूर्ति भत्ते देय होंगे । प्रतिबंध यह होगा कि अबूझमाड़ विकास खण्ड के लिए देय क्षतिपूर्ति भत्ते तथा इन आदेशों के अन्तर्गत देय विशेष भत्ते की राशि कुल मिलाकर संबंधित

कर्मचारी/अधिकारी के मूल वेतन से अधिक न हो ।

टीप- इन आदेशों के अन्तर्गत दिये जाने वाले विशेष भत्ते में बस्तर जिले में देय विशेष भत्ते की राशि शामिल नहीं होगी, किन्तु पाण्डे वेतनमान तो आधार पर सामान प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 343/225/ 1(3)/वे.आ.को./74 दिनांक 3 मई, 1974 तो अन्तर्गत देय बस्तर विशेष भत्ते की राशि से अधिक होती है तो वह विद्यमान दरों से विशेष भत्ता मिलता रहेगा एवं उन मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत देय विशेष भत्ता देय नहीं होगा ।

(यह टीप वर्तमान टीप के स्थान पर वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/83/नि-2/चार, दिनांक 29 मार्च, 1986 जोड़ी गई)

3. इन आदेशों के अन्तर्गत देय विशेष भत्ता पुनरीक्षित (चौधरी) वेतनमानों पर आधारित मूल वेतन पर देय होगा । ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में जो पुनरीक्षित (चौधरी) वेतनमानों के अलावा अन्य वेतनमानों में वेतन प्रान्त कर रहे हैं, मूल वेतन से आशय मूल नियम 9(21)(a)(i) के अन्तर्गत देय वेतन से है ।

4. इन आदेशों के अन्तर्गत देय विशेष भत्ता केवल उन्हीं शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों को देय होगा जो अपने गृह नगर/ग्राम से 8 किलो मीटर से अधिक दूरी पर पदस्थ हो । परन्तु आवास गृह भत्ता सभी कर्मचारियों को देय होगा भले ही वे अपने गृह नगर/ग्राम से 8 किलो मीटर के अन्दर ही पदस्थ हों ।

टीप- गृह नगर/ग्राम वही माना जावेगा जो कर्मचारी द्वारा दिनांक 11-1-84 से पूर्व घोषित किया गया है, साथ ही गृह नगर/ग्राम से आशय न केवल घोषित गृह नगर/ग्राम से है, वरन् ऐसे स्थान से भी है जहाँ कर्मचारी ने अपने अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम अचल सम्पत्ति (भूमि अथवा भवन) अर्जित कर ली हो ।

(यह टीप वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 11/3/86/नि-2/86, दिनांक 7-5-86 द्वारा जोड़ी गई)

5. यदि किसी क्षेत्र विशेष या परियोजना विशेष में किसी अन्य प्रकार का भत्ता मिलता हो तो वह इन आदेशों के अनुसार देय भत्तों में शामिल माना जायेगा । अपवाद केवल यह होगा कि ऐसे अन्य भत्ते इन आदेशों के तहत देय सत्तों से अधिक हों तो कर्मचारी को यह अधिकार होगा कि ऐसे अन्य भत्तों का वरण करे और इन आदेशों के अधीन देय विशेष भत्ता तथा आवास गृह भत्ता न ले ।

6. इन आदेशों के अधीन देय विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता केवल शासकीय कर्मचारियों को देय होगा । यदि कोई स्वायत्तशासी निकाय/स्थानीय संस्था यह भत्ता अपने कर्मचारियों को देना चाहे तो वे अपने स्वयं के साधनों के आधार पर निर्णय लेंगे । राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई राशि उन संस्थाओं/निकायों को उपलब्ध नहीं कराई जायेगी । परन्तु यदि कोई शासकीय कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाता है तो उसे इन आदेशों के अन्तर्गत विशेष भत्ता आवास गृह

भत्ता पात्रतानुसार देय होगा ।

7. इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित दरों से देय विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता दिनांक 1 जनवरी, 1986 से भुगतान किया जायेगा । दिनांक 31-3-86 तक वर्तमान प्रणाली के अनुसार तथा आदिम जाति एवं-हरिजन कल्याण विभाग के माध्यम से ही इन सुविधाओं पर होने वाले व्यय का भुगतान किया जायेगा । चालू वर्ष 1985-86 में आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग के बजट में 'माँग संख्या 33 शीर्ष 228 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण-10 निर्देशन और प्रशासन-806 आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर का उन्नयन तथा पुनर्गठन, अन्य प्रभार' के अन्तर्गत रु. 8.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है । उक्त प्रावधान का आदिम जाति एवं हरिजन कल्याण विभाग द्वारा समानुपातिक आधार पर संबंधित विभागों को उनके कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आवंटन किया जायेगा ।

8. इन आदेशों के अन्तर्गत 1-4-86 से पुनरीक्षित दरों से देय विशेष भत्ता/आवास गृह भत्ता वेतन के साथ ही आहरित किया जायेगा और बजट में उसी माँग संख्या एवं बजट लेखा शीर्ष/उपशीर्ष में विकलित किया जावेगा, जहाँ संबंधित कर्मचारी का वेतन आहरण विकलित किया जाता है । वर्ष 1986-87 से इन सुविधाओं पर होने वाला व्यय प्रावधान सामान्य व्यय के रूप में संबंधित विभाग की माँग संख्या/लेखे के शीर्ष के अधीन लेखे की इकाई 'वेतन' के अन्तर्गत एक पृथक गौण शीर्ष "अनुसूचित क्षेत्रों में पदस्थ कर्मचारियों को देय भत्ते" में किया जायेगा और तदनुसार व्यय को लेखों में अंकित किया जायेगा ।

9. दिनांक 31-12-88 तक देय विशेष भत्ते तथा आवास गृह भत्ते की अवशेष राशि का भुगतान किस ढंग से किया जावेगा इस बारे में आदेश पृथक से जारी किये जावेंगे ।

10. इन आदेशों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1986 से देय विशेष भत्तों/आवास गृह भत्तों के लिये विकास खण्डों का वर्गीकरण वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 11-1-84 के अनुसार ही रहेगा, किन्तु दिनांक अप्रैल, 1986 से विकास खण्डों का श्रेणीवार वर्गीकरण संशोधित किया जा सकेगा और तत्पश्चात् संशोधित वर्गीकरण के अनुसार ही इन भत्तों का भुगतान किया जायेगा साथ ही विकास खण्डों के पुनः वर्गीकरण के प्रभावशील होने के साथ-साथ कंटीनजेंसी एवं वर्कचार्ज सेवा के कर्मचारियों को भी अन्य नियमित वेतनमानों में कार्यरत कर्मचारियों की भांति ही विशेष भत्ता तथा आवास गृह भत्ता देय होगा ।

11. शैक्षणिक सुविधायें, अतिरिक्त अर्जित अवकाश तथा अवकाश यात्रा रियायत इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 11-1-84 के अनुसार यथावत जारी रहेगी ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.बी. 11/3/33/नि-2/चार, दिनांक 25-1-86]

शासकीय कर्मचारियों को वाहन भत्ता

विषय- वाहन/परिवहन भत्ते की स्वीकृति ।

संदर्भ- इस विभाग का परिपत्र सी-2/1/03/3/3/एक, दिनांक 15-09-2003

इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा बी-1 (भोपाल, इंदौर) तथा बी-2 (ग्वालियर, जबलपुर) श्रेणी के नगरों में पदस्थ कार्यभारित एवं आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए सभी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ऐसे शासकीय सेवक जो नगर निगम/नगरपालिका की सीमा में रहते हो, को 50 रु (पचास रुपये) प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया था ।

2. राज्य शासन द्वारा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर मुख्यालयों पर पदस्त तथा इन नगर निगमों की सीमा में निवासरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा सहित) को कंडिका 1 में उल्लेखित वाहन भत्ते के स्थान पर रुपये 200/- (दो सौ रुपये प्रतिमाह तथा ऐसे निःशक्त कर्मचारियों को रुपये 350/- (तीन सौ पचास रुपये प्रतिमाह की दर से परिवहन भत्ता निम्नांकित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है:-

- (क) आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के अवकाशों की अवधि में परिवहन भत्ता देय नहीं होगा ।
- (ख) परिवहन भत्ता स्वीकृति के लिये स्वयं वाहन रखने की शर्त का प्रतिबंध नहीं होगा ।

3. ऐसे प्रत्येक शासकीय सेवक, जिन्हें परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया है, के वेतन देयक में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रमाणीकरण अभिलिखित किया जाना चाहिये -

"प्रमाणित किया जाता है कि उन समस्त कर्मचारियों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. सी/2-1/1/3/2012 दिनांक 11-9-2012 में निर्धारित सभी शर्तें पूरी की गई हैं जिनका परिवहन भत्ता इस देयक में आहरित किया गया है ।"

4. यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2012 से प्रभावशील होंगे ।

5. यह आदेश वित्त विभाग भू.ओ.क्र. 1712/12/नि./चार, दिनांक 31-08-2012 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी किये गये हैं ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-2-1/1/3/2012, दिनांक न 11-9-2012]

(3)

विषय- निगम/मंडल के कर्मचारियों को वाहन भत्ता ।

मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक डी-2031/2574/26-2/82, दिनांक 3-4-82/3-5-82 द्वारा शासकीय सेवा में कार्य कर रहे विकलांग कर्मचारियों को 10 रु. प्रतिमाह की दर से उनके कार्यस्थल पर जाने तथा निवास तक वापस आने के लिए वाहन भत्ता दिनांक 1-1-82 (माह जनवरी 1982 का वेतन जो दिनांक 1-2-82 को देय है) से भुगतान की स्वीकृति प्रसारित की गई है ।

2. कुछ दिनों से राज्य शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि शासकीय कर्मचारियों की भांति राज्य शासन के अधीन गठित निगमों/बोर्डों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को जो विकलांग हों, 10 रु. प्रतिमाह की दर से वाहन भत्ते की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

3. पूर्ण विचार के पश्चात् राज्य शासन के यह आदेश हुए हैं कि राज्य शासन के अधीन गठित निगमों/बोर्डों/नगर निगम/नगरपालिका एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्य कर रहे विकलांग कर्मचारियों को शासन के कर्मचारियों के अनुरूप 10 रु. प्रतिमाह की दर से भत्ता स्वीकृत किया

4. इस भत्ते के भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नांकित शर्तें निर्धारित की गई हैं-

- (1) नियमित स्थापनाओं के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी जो दृष्टिहीन हो अथवा शरीर के ऊपरी या निचले भाग वाले अंगों की असमर्थता के कारण शारीरिक रूप से विकलांग हो,
- (2) शरीर के ऊपरी या निचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियों न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी/आंशिक असमर्थता के साथ हो,
- (3) वाहन भत्ते की स्वीकृति जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगी,
- (4) यह भत्ता (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) कार्यग्रहण अवधि तथा निलंबन काल में स्वीकार्य नहीं होगा,
- (5) यह भत्ता सामान्य कर्मचारियों को स्वीकृत वाहन भत्ते के अतिरिक्त होगा,
- (6) भत्ते का भुगतान पात्र कर्मचारियों को उन्हीं कार्यालयों द्वारा किया जावेगा जहाँ कि वे कर्मचारी कार्यरत हैं और इस संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित कार्यालय की स्थापना व्यय के मद से उसी प्रकार की जाएगी जैसी कि सामान्य भत्ते पर होने वाले व्यय की पूर्ति की जाती है ।

5. कृपया अपने विभाग के अन्तर्गत कार्य कर रहे निगमों/बोर्डों/नगर निगमों/नगर पालिका तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं को इस संबंध में आवश्यक निर्देश प्रसारित करने की व्यवस्था करें । [समाज कल्याण विभाग क्रमांक डी-4089/1567/26-2/83, दिनांक 3-8-1983]

कार्यभारित/नियमित स्थापना में कार्यरत दृष्टिहीन, मूक, बधिर, मानसिक रूप से अविकसित, अस्थि बाधित या समय-समय पर विकलांग की श्रेणी में शामिल अन्य विकलांगों को अपने कार्यस्थल पर आने तथा जाने के लिये आमतौर से शारीरिक सहायता की आवश्यकता होती है । राज्य शासन ने ऐसे विकलांग कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 5 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम रु. 50 और अधिकतम रु. 100 विकलांग वाहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया है-

- (1) यह भत्ता अन्य भत्तों के अतिरिक्त देय होगा ।
- (2) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ते की पात्रता तभी होगी जब उनके शरीर के ऊपरी या निचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियों न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी/आंशिक असमर्थता के साथ हों ।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को वाहन भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा ।

(4) दृष्टिहीन कर्मचारी के मामले में भी यह भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा ।

(5) यह भत्ता अवकाश, (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) कार्यग्रहण अवधि तथा निलंबन काल में स्वीकार्य न होगा ।

(6) यह आदेश 1 अप्रैल, 1995 (माह अप्रैल 95 का वेतन माह मई 95 में देय) से लागू होगा

2. वाहन भत्ते का भुगतान पात्र कर्मचारियों को उन्हीं कार्यालयों द्वारा किया जावेगा जहाँ कि ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं और इस संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित कार्यालय की स्थापना व्यय मद से उसी प्रकार की जावेगी जैसे कि सामान्य वाहन भत्ते पर होने वाले व्यय की पूर्ति की जाती है ।

[समाज कल्याण विभाग क्रमांक 1190/एफ-3/153/94/26-1, दिनांक 16-6-1995]

(5)

मध्यप्रदेश शासन

समाज कल्याण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन

आदेश

भोपाल, दिनांक 4-9-2004

क्रमांक एफ 3-14/2004/26-2.- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश क्रमांक डी. 2309/जी-9 /26-2/91 दिनांक 5-7-91 एवं क्रमांक 1190/एफ-3/163/94/25-1, दिनांक 16/20 जून, 1995 द्वारा विकलांग शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्वीकृत विकलांग वाहन भत्ते की दरें दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के आधार पर विकलांग भत्ते की दरें निम्नानुसार निर्धारित करता है-

- | | |
|--|--------------------|
| 1. राजपत्रित अधिकारी | रुपये 250 प्रतिमाह |
| 2. अराजपत्रित अधिकारी/तृतीय श्रेणी कर्मचारी/
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | रुपये 150 प्रतिमाह |

2. उपरोक्त विकलांग वाहन भत्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा-

- (1) यह भत्ता अन्य भत्तों के अतिरिक्त देय होगा ।
- (2) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ते की पात्रता तभी होगी जब उसके शरीर के ऊपरी या निचले दोनों भाग वाले अंगों में विकृतियों न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी /आंशिक असमर्थता के साथ हों ।
- (3) शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी को वाहन भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा ।
- (4) दृष्टिहीन कर्मचारी के मामले में भी यह भत्ता जिले के सिविल सर्जन के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकार्य होगा ।
- (5) यह भत्ता अवकाश, (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) निलंबन काल में स्वीकार्य न

होगा ।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

3. वाहन भत्ते का भुगतान पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के उन्हीं कार्यालयों द्वारा किया जावेगा जहाँ कि वे कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं, और इस संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति संबंधित कार्यालय की स्थापना व्यय के मद से उसी प्रकार की जावेगी जैसे कि सामान्य वाहन भत्ते पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है ।

4. प्रकरण में वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 958/04/नि-2/चार, दिनांक 1-7-2004 द्वारा सहमति प्राप्त की गई ।

(6)

विकलांगता के बारे में स्पष्टीकरण

वाहन भत्ते की पात्रता उन समस्त विकलांग कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक डी-2031/2574/26-2/82, दिनांक 3-4-82/3-5-82 एवं क्रमांक 1868/382/26-2/84, दिनांक 12-4-84 में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी, चाहे वे जन्म से विकलांग हों अथवा जो बाद में बीमारी या दुर्घटना के कारण विकलांग हो गये हों । उक्त कर्मचारी शासकीय सेवा में आने के पूर्व से विकलांग हों अथवा शासकीय सेवा में आने के पश्चात् । उक्त स्थिति वाहन भत्ते की पात्रता को प्रभावित नहीं करती ।

2. स्थायी विकलांगता से तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति विकलांग हुआ है, विकलांगता उपचार एवं ऑपरेशन से दूर होना संभव नहीं है एवं उसकी विकलांगता जीवन पर्यन्त रहेगी अर्थात् विकलांगता स्थायी है । अस्थायी विकलांगता से यह तात्पर्य है कि संबंधित व्यक्ति की विकलांगता की ऐसी स्थिति है जो उपचार एवं ऑपरेशन से दूर हो सकती है । अतः उपचार एवं ऑपरेशन से संबंधित विकलांग कर्मचारी की विकलांगता दूर हो जाने पर उसे वाहन भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।

3. विकलांगता चार प्रकार की होती है जो निम्नांकित प्रतिशत पर भारत सरकार द्वारा परिभाषित की गई है:-

(1) स्थायी	100 प्रतिशत
(2) गंभीर	75 प्रतिशत
(3) मॉडरेट (सामान्य)	40 प्रतिशत
(4) माइल्ड (अल्प)	40 प्रतिशत से कम

4. वाहन भत्ता विकलांग कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से शासन के आदेशानुसार दिया जाना चाहिए । शासन आदेश जारी होने के दिनांक से वाहन भत्ता देने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, बशर्त विकलांग कर्मचारी ने ऐसी मांग की हो एवं विकलांगता संबंधी मेडिकल सर्टिफिकेट के अनुसार विकलांगता शासनादेश जारी होने के दिनांक से या इसके पूर्व की हो । शासनादेश जारी होने के पूर्व वाहन भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[उपरोक्त स्पष्टीकरण समाज कल्याण विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2249/244/26-2/88,(दिनांक 7-7-88 द्वारा संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी भाग, विभाग को दिया गया]

चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को वर्दी धुलाई भत्ता

मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-2/88/दो-ए (3), दिनांक 20-6-89 द्वारा प्रति दो माह में रु. 15 वर्दी धुलाई भत्ता देने के आदेश है। अब राज्य शासन द्वारा रुपये 7.50 के स्थान पर आदेश जारी होने के दिनांक के आगामी माह से रुपये 15 प्रतिमाह भुगतान करने के आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किये जाते हैं कि वे नियमित रूप से कार्यालय में वर्दी पहन कर आयें।

[गृह (सामान्य) विभाग क्रमांक एफ 4-4-93/दो-ए (3), दिनांक 4-12-1993] गृह (सामान्य) विभाग के ज्ञापन क्रमांक 387/681/2008/दो-ए (3), दिनांक 1 मार्च, 2008 के द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2008 से वर्दी धुलाई भत्ता रु.50/ कर दिया गया है।

पटवारियों को स्टेशनरी भत्ता

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1300/24-27/80/9 दिनांक 3/8/1981 द्वारा प्रत्येक पटवारी को पांच रुपये प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता स्वीकार किया गया था, परन्तु स्टेशनरी आदि के मूल्य में बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप इस राशि को बढ़ाकर रुपये 100 प्रतिमाह कर दिया गया है।

यह पुनरीक्षित दर दिनांक 3 जून 1997 से प्रभावशील है।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ.आर. 17/03/चार/ब-7/97, दिनांक 4-6-1997]

साईकिल भत्ता

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ने अपने आदेश क्रमांक डी-305/910/89/नि-1/चार, दिनांक 1-8-89 द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को रुपये 12 प्रतिमाह की दर से साईकिल भत्ता स्वीकृत किया है। वर्तमान में यह दर रु. 4 प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर अब रुपये 12 किया गया है।

दफ्तरियों को विशेष वेतन

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि दफ्तरी के पद के साथ देय विशेष वेतन रुपये 20 प्रतिमाह को बढ़ाकर रुपये 50 प्रतिमाह किया जाय।

यह आदेश दिनांक 1-4-1997 से प्रभावशील होगा।

[वित्त विभाग क्रमांक 372/109/97/सी/चार, दिनांक 4-3-1997]

चिकित्सकों को अव्यवसायी भत्ता

विषय- प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतन एवं अन्य सुविधायें देने हेतु म.प्र. मेडिकल

टीचर्स एसोसिएशन की माँग ।

स्वास्थ्य सुविधाओं एवं चिकित्सा सेवाओं में सुधार संबंधी आधारों को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षकों पर निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों के चिकित्सा शिक्षकों के हित में निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं :-

- (1) चिकित्सा शिक्षकों पर निजी प्रेक्टिस करने का प्रतिबंध पूर्ववत् रहेगा । उन्हें केन्द्र के समान वेतन तथा महंगाई भत्ते पर 25 प्रतिशत अव्यवसायिक भत्ता दिया जाएगा, परन्तु यह अव्यवसायिक भत्ता सेवानिवृत्ति तथा अन्य सेवा लाभों के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा ।
- (2) केन्द्र के चिकित्सा शिक्षकों के समान प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों को रुपये 500 रुपये पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह पुस्तकें, जनरल आदि क्रय करने हेतु एकेडेमिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
- (3) परीक्षा आदि लेने के लिए वर्ष में 15 दिन के विशेष अवकाश की पात्रता होगी ।

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1291/एसआर-681/98/ब-9, दिनांक 17-9-1998 द्वारा महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

3. यह आदेश माह अगस्त, 1998 से प्रभावशील होगा ।

[चिकित्सा शिक्षा विभाग क्रमांक एफ. 1-24-98/पचपन/चि.शि.-एक, दिनांक 2-9-1998]

संशोधन

प्रदेश के चिकित्सा शिक्षकों की निजी प्रेक्टिस पर प्रतिबंध लगाने के फलस्वरूप चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सीय शिक्षकों को केन्द्र के समान वेतन तथा महंगाई भत्ते पर 25 प्रतिशत अव्यवसायिक भत्ता स्वीकृत किया गया है ।

2. राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-9-98 में एतद् द्वारा आंशिक संशोधन करते हुए चिकित्सीय शिक्षकों को अव्यवसायिक भत्ता उनकी सेवानिवृत्ति पर तथा अन्य सेवा लाभों के लिए "वेतन" के रूप में मान्य करने की स्वीकृति प्रदान करता है ।

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 781/एसआर/662/11/ब-9, दिनांक 15-7-99 द्वारा महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है ।

4. यह आदेश दिनांक 1-8-1998 से प्रभावशील होगा ।

[चिकित्सा शिक्षा विभाग क्रमांक एफ.1-25-98/चि.शि./एक, दिनांक 5-7-1999]

मू.नि. 45. शासकीय आवासों की व्यवस्था--स्थानीय सरकार अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन सेवारत अधिकारियों के निवास के उपयोग में आने वाले ऐसे भवन जो शासन की सम्पत्ति हैं या किराये पर लिये गये हैं या उनका कोई भाग जैसा कि शासन इस प्रयोजन हेतु उचित समझे, के आवंटन हेतु नियम बना सकता है। इस प्रकार के नियम विभिन्न सिद्धांतों का निर्धारण करने वाले हों जिनका अनुपालन विभिन्न क्षेत्रों के लिए या आवासों के विभिन्न वर्गों के लिए हो, और ऐसी परिस्थितियों का भी निर्धारण कर सके जिनके अन्तर्गत एक अधिकारी का किसी आवास पर आधिपत्य समझा जाये।

टीप-स्थानीय शासन द्वारा बनाये गये नियम कृपया परिशिष्ट 16 में देखिये।

मू.नि. 45-क. लायसेंस शुल्क का निर्धारण एवं वसूली- (1) यह नियम पहली अप्रैल, 1924 से उन सेवा के सदस्यों को एवं उन शासकीय सेवकों को, जो इस नियम की अनुसूची में सम्मिलित पदों को धारण किये हैं, एवं उन शासकीय सेवकों को जो मौलिक रूप से उन पदों को धारण किये हुए हैं, जो सेवा के संवर्ग में सम्मिलित हैं, को लागू होंगे।

(ii) लायसेंस शुल्क निर्धारण के प्रयोजनार्थ शासन के स्वामित्व के निवास गृहों के पूँजीगत मूल्य में सम्मिलित है स्वच्छता, जल प्रबंध एवं विद्युत स्थापन तथा फिटिंग्स, लेकिन भूमि का मूल्य (उसकी तैयारी में लगने वाले व्यय को सम्मिलित करते हुए) छोड़ दिया जाएगा एवं या तो होगा-

(क) निवास-गृह का उपार्जन या उसके निर्माण करने पर हुआ व्यय तथा उपार्जन या निर्माण के बाद का पूँजी व्यय, या यदि यह ज्ञात न हो तो

(ख) निवास-गृह का वर्तमान मूल्य
परन्तु यह कि-

(i) निवास-गृहों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाये, इस संबंध में स्थानीय शासन नियम बना सकता है।

(ii) कौन-सा व्यय उक्त उपखण्ड (क) के उद्देश्यों हेतु निवास-स्थान के निर्माण में किया गया समझा जाए, इस संबंध में भी स्थानीय शासन नियम बना सकता है।

(iii) ऊपर परन्तुक (i) में संदर्भित नियमों के अन्तर्गत स्थानीय शासन, उन कारणों को लिपिबद्ध करते हुए, किसी विशिष्ट इलाके में, किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के निवास-गृहों का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार किये गये पुनर्मूल्यांकन के आधार पर किसी या ऐसे सभी निवास-गृहों का पूँजीगत मूल्य पुनरीक्षित कर सकता है।

(iv) पूँजीगत लागत की गणना किस प्रकार से की जावे, इसमें (1) सिवाय उन मामलों के जो वास्तव में सीधे कार्य पर हुए हैं, जहाँ निवास-गृह का निर्माण सरकार द्वारा किया गया था, व्यय जो स्थापन, औजार एवं संयंत्र पर किये गये हैं, शामिल नहीं होंगे। अथवा (2) अन्य मामलों में ऐसे व्यय की अनुमानित लागत।

(v) स्थानीय शासन कारणों को अभिलिखित करते हुए निवास-गृह के किसी भाग के पूँजीगत मूल्य का अपलेखन कर सकता है-

- (1) जब आवास-गृह का एक भाग उस अधिकारी द्वारा, जिसको आवंटित किया गया है, शासकीय एवं अशासकीय कार्य से मिलने आने वाले व्यक्तियों के स्वागतार्थ पृथक रखा गया है,
- (2) जब यह समाधान हो जाए कि उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया पूँजीगत मूल्य, जो सुविधा प्रदान की गई है उसके उचित मूल्य से अधिक है ।
- (vi) स्थानीय शासन यह भी नियमों द्वारा विनियमित कर सकता है कि स्वच्छता, जल प्रदाय, विद्युत स्थापन एवं फिटिंग्स के मूल्य निर्धारण में इस उद्देश्य के लिए फिटिंग्स किसको माना जाए ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- मूल नियम 45-क (ii) के नीचे परन्तुक (i) एवं (ii) के अन्तर्गत प्रश्न उठता है कि क्या स्थानीय शासन निवास-गृह के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने हेतु सक्षम है, जिसका पूँजीगत मूल्य ज्ञात हो । भारत शासन ने निम्न व्याख्या की है-

नियम का मूल भाग लायसेंस शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य के लिए आदेश देता है, निवास-गृह के पूँजीगत मूल्य में नीचे दिये गये व्यय में से कोई व्यय शामिल माना जाए-

- (क) निवास-गृह को उपार्जित करने अथवा निर्मित करने में आया खर्च अथवा कोई पूँजीगत व्यय जो निवास-गृह को उपार्जित करने अथवा निर्मित करने में किया गया है अथवा यह ज्ञात न हो तो
- (ख) निवास-गृह का वर्तमान मूल्य ।

परन्तुक का खण्ड (i) स्पष्टतः और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उक्त (ख) के अनुसार मूल्य निर्धारण करना जहाँ कारण जो (क) में दिये गये हैं, वह ज्ञात नहीं हैं । खण्ड (iii) जो खण्ड (i) के असमान है वह मूल परन्तुक है, जो नियम मूल भाग के चालन को बदलता है, स्थानीय शासन को अधिकार देकर कि वह पूँजी व्यय को (क) के अनुसार मूल भाग का स्थानापन्न कर सकता है, उस मामले में जहाँ (क) में दिये गये कारण ज्ञात हैं । नवीन पूँजी व्यय जो वर्तमान मूल्य को निरूपण करते हैं परन्तुक (i) के अधीन नियम के आधार पर गणित किये जायेंगे, प्रारंभिक उद्देश्य के निर्धारण के लिये वर्तमान मूल्य उन मामलों में जिसमें (ख) मूल भाग लागू है ।

(iii) निवास-गृह का मानक लायसेंस शुल्क निम्न प्रकार से गणित किया जाए-

- (क) (i) पट्टे पर लिये गये निवास- गृहों के मामले में मानक लायसेंस शुल्क होगा पट्टेदाता

को दी गई राशि,

- (ii) अधिगृहीत किये गये भवन के प्रकरण में, मानक लायसेंस शुल्क होगा भवन के मालिक को क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि,

और दोनों ही प्रकरणों में वह अतिरिक्त राशि, जो पट्टे या अधिग्रहण काल में, जैसी भी स्थिति हो, ऐसा कार्य जो साधारण तथा विशेष मरम्मत तथा अनुरक्षण एवं वृद्धि तथा परिवर्तन पर पूँजीगत लागत जो भी शासन को वहन करना पड़े, और ऐसे पूँजीगत मूल्य पर ब्याज, नगरपालिका एवं अन्य कर जो भवन या सम्पत्ति कर की श्रेणी में आते हैं तथा ऐसे भवनों पर शासन द्वारा देय हैं, आदि व्ययों को वहन करने के लिये स्थानीय शासन नियमों के अन्तर्गत जैसा विनिहित करे ।

(ख) शासन स्वामित्व के निवास-गृहों के प्रकरणों में, मानक लायसेंस शुल्क की गणना भवन के पूँजीगत मूल्य के आधार पर की जाएगी एवं या तो होगी-

- (i) परिषद के राज्य सचिव द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज की दर के बराबर पूँजीगत मूल्य का प्रतिशत + नगरपालिका एवं अन्य कर जो मकान अथवा सम्पत्ति कर की प्रकृति के हैं, को जोड़कर जो उन निवास-गृहों के लिये शासन द्वारा देय हैं तथा साधारण एवं विशेष अनुरक्षण एवं मरम्मत दोनों के लिए किया गया व्यय, यह सब जोड़कर स्थानीय शासन द्वारा नियमों के अधीन निश्चित किया जाएगा, अथवा
- (ii) पूँजीगत मूल्य का 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो भी कम हो ।

भारत शासन आदेश- शब्द "सम्पत्ति कर" जैसा कि नियम में प्रयुक्त किया गया है, सामान्य अर्थ के रूप में व्याख्या की जाएगी । इसका पारिभाषिक अर्थ किसी विशेष अधिनियम अथवा संहिता में दिया गया है, उसके अनुसार निर्वचन नहीं किया जाएगा । ऐसे कर मानक लायसेंस शुल्क के सभी मामलों में शामिल नहीं होंगे और अधिभोगी से इस बात के होते हुए भी कि यह स्थानीय नियम अथवा प्रथा द्वारा प्रथम आग्रह पर मालिक अथवा अधिभोगी द्वारा देय है, वसूल किये जायेंगे ।

यह आदेश उन सभी शासकीय सेवकों को भी लागू होंगे, जिनको शासकीय निवास बिना लायसेंस शुल्क दिया गया है ।

[भारत शासन, वित्त विभाग पत्र क्रमांक एफ-25(27)/एक्स-2-42 दिनांक 26-6-42]

महालेखा परीक्षक अनुदेश- ब्याज की दर- निम्न तालिका में दी गई ब्याज की दर मूल नियम 45 (क) एवं 45 (ख) के खंड III (b) के अन्तर्गत आवासों के मानक लायसेंस शुल्क की गणना करने में लागू की जाएगी-

आवास अधिगृहीत करने या निर्मित करने का दिनांक	ब्याज की दर	
	12 जून 1922 को या पूर्व गृहीत भवन	19 जून 1922 के पश्चात् गृहीत भवन
1 अप्रैल, 1919 के पूर्व	3 $\frac{1}{2}$ %	4 प्रतिशत
1 अप्रैल, 1919 से 31 जुलाई 1921	3 $\frac{1}{2}$ %	5 प्रतिशत
2 अगस्त से 31 दिसंबर 1921	3 $\frac{1}{2}$ %	6 प्रतिशत
1 जनवरी 1922 से अंतिम आदेशों तक	6 प्रतिशत	6 प्रतिशत

(ग) दोनों ही मामलों में मानक लायसेंस शुल्क एक कैलेंडर माह के लिए होगा तथा उपरोक्त गणनानुसार वार्षिक लायसेंस शुल्क का 12वें भाग के बराबर होगा, परन्तु विशेष बस्तियों में अथवा विशेष निवास स्थान के वर्गों के लिए स्थानीय शासन मानक लायसेंस शुल्क एक मास से अधिक अवधि के लिए भी निर्धारित कर सकता है, परन्तु एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं । जहाँ राज्य शासन इस परन्तुक के अधीन कार्यवाही कर इस प्रकार मानक लायसेंस शुल्क का निर्धारण करता है, तो मानक लायसेंस शुल्क वार्षिक अनुमति शुल्क से अधिक नहीं होगा ।

- (iv) जब शासन किसी अधिकारी को ऐसा निवास-गृह देता है जो पट्टे पर लिया गया है

या अधिगृहीत किया गया है अथवा वह उसकी सम्पत्ति है, तो निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाएगा:-

- (क) निवास-गृह की श्रेणी जो अधिकारी की स्वयं की प्रार्थना पर दी गई है, को छोड़कर, उस अधिगृहीता की हैसियत से अधिक नहीं होगी।
- (ख) जब तक कि इन नियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, वह अधिकारी भुगतान करेगा (1) निवास-गृह का लायसेंस शुल्क। ऐसा लायसेंस शुल्क जो उक्त खण्ड III में परिभाषित मानक लायसेंस शुल्क है अथवा मासिक उपलब्धियों का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, तथा (2) उस निवास-गृह से संबंधित नगरपालिका एवं अन्य भवन कर जो सम्पत्ति कर की प्रकृति के न हों।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- जब केन्द्र शासन के स्वामित्व का उच्च वर्गीय निवास गृह आवंटित किया गया हो- शासकीय सेवक जिसे उसकी स्वयं की प्रार्थना पर केन्द्रीय शासन द्वारा पट्टे पर लिया गया अथवा उसके स्वामित्व का निवास स्थान दिया गया है, जिसकी वह पात्रता रखता है, उससे उच्च श्रेणी का अथवा पात्र श्रेणी का निवास उपलब्ध हो तो उस निवास स्थान हेतु पूर्ण मानक लायसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा तथा मूल नियम 45-क तथा 45-ख के खण्ड (iv) (ख) में दी गई 10 प्रतिशत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(ग) उक्त उपखण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, स्थानीय शासन-

- (i) किसी भी समय जब खण्ड III के उपबंधों के अधीन मानक लायसेंस शुल्क की गणना कर ली गई है, निम्नलिखित प्रतिबंधों के अध्यधीन रहते, लायसेंस शुल्क के निर्धारण के लिये आवास गृहों का समूह बनाया जाएगा, -चाहे वे किसी विशेष क्षेत्र में हों या विशेष वर्ग या वर्गों के हों

- (1) निर्धारण का आधार एक समान होगा, एवं
- (2) किसी अधिकारी से ली जाने वाली राशि उसके मासिक उपलब्धियों का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (ii) उक्त उपखण्ड (ख) में निर्धारित से अधिक लायसेंस शुल्क सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उस अधिकारी से वसूल किया जा सकता है-

- (1) जिस स्थान पर उसे निवास दिया गया है, वहां उसे कर्तव्य पर रहना आवश्यक नहीं है अथवा वहां रहने की उसे अनुमति नहीं दी गई है, अथवा
- (2) जिसे उसकी स्वयं की प्रार्थना पर दिया गया है जो उसके द्वारा धारित पद के उपयुक्त स्तर से अधिक है, अथवा
- (3) जो क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त कर रहा है (जो जीवन निर्वाह महंगाई के कारण स्वीकृत हुआ है), अथवा
- (4) जो निवास उसे दिया गया है उसे उसको भाड़े पर देने की अनुमति दी गई है, अथवा
- (5) जो निवास उसे दिया गया है, उसे बिना अनुमति वह भाड़े पर दे देता है, अथवा
- (6) आवंटन निरस्त होने पर भी जो आवास रिक्त नहीं करता है।

(घ) जब किसी आवास का मानक लायसेंस शुल्क उन कारणों को अभिलिखित करते हुए उसके

आवंटन के समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो शासकीय सेवक वह लायसेंस शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि शासन निर्माण की वास्तविक लागत अथवा अधिग्रहण के मूल्य के आधार पर विनिहित करे। इसके साथ उस भवन के अन्दर फिटिंग्स पर जो खर्च हुआ है एवं अन्य क्षति एवं उससे संबंधित अनुमानित दायित्व + उस पर 10 प्रतिशत जोड़कर अथवा उसकी मासिक उपलब्धियों का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो।

(ii) इस प्रकार निर्धारित किया गया लायसेंस शुल्क तब तक प्रभावशील रहेगा जब तक कि भवन का कार्य पूर्ण हो जाने पर मानक लायसेंस शुल्क का निर्धारण न हो जाए, जो किसी भी दशा में बढ़ाया नहीं जाएगा।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1.- परिलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक लायसेंस शुल्क की वसूली- मूल नियम 45-क एवं 45-ख के खण्ड (iv) (ग) (ii) के अधीन स्थानीय शासन शासकीय सेवकों की उपलब्धियों का 10 प्रतिशत से अधिक लायसेंस शुल्क वसूल कर सकता है, लेकिन खण्ड III में परिभाषित मानक लायसेंस शुल्क से अधिक नहीं।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2.-उपरोक्त महालेखा परीक्षक अनुदेश 1 में दी गई व्यवस्था मूल नियम 8 के अन्तर्गत कौंसिल के महाशासक द्वारा दी गई होने से राज्य सचिव के अधिकारियों पर, चाहे वे अवकाश पर हों या जिन्हें कर्तव्य स्थल से अन्यत्र शासकीय आवास लेने की अनुमति दी गई है, मूल नियम 45-क के खण्ड (iv) (ग) (ii) में कुछ भी होते हुए, लागू होगी।

- (v) विशेष परिस्थितियों में स्थानीय शासन कारणों को अभिलिखित करते हुए-
- (क) किसी भी अधिकारी या अधिकारी के वर्ग को विशेष या सामान्य आदेशों के द्वारा निः शुल्क आवास आवंटित कर सकता है, या
- (ख) अधिकारी से वसूली योग्य लायसेंस शुल्क में किसी विशेष आदेशान्तर्गत छूट दे सकता है या कमी कर सकता है, या
- (ग) भवन कर या सम्पत्ति कर के अलावा, नगरपालिका के अन्य कर में सामान्य या विशेष आदेशान्तर्गत छूट दे सकता है या कमी कर सकता है।
- (vi) जल प्रदाय, स्वच्छता, विद्युत स्थापन एवं फिटिंग्स के अतिरिक्त यदि आवास गृह में ऐसी सुविधायें जैसे फर्नीचर, टेनिस कोर्ट या बगीचा जिसका संधारण शासन के खर्च पर किया जाता है, उपलब्ध किया गया है। तो खण्ड (iv) के अन्तर्गत देय लायसेंस शुल्क के अलावा इनके लिये भी लायसेंस शुल्क वसूल किया जाएगा। किरायेदार को उपभोगित जल तथा विद्युत ऊर्जा के खर्च का भुगतान करना होगा। स्थानीय शासन ऐसे नियम बना सकता है जिसमें विहित हो कि अतिरिक्त लायसेंस शुल्क और व्यय का निर्धारण किस प्रकार हो ओर ऐसे नियम जो विशेष परिस्थितियों में जिनके लिये लिखित कारण बताये जायें, अतिरिक्त लायसेंस शुल्क या व्यय में कटौती या छूट देने के लिये भी अधिकृत कर सके।

भारत शासन आदेश- भारत शासन ने निर्णीत किया है कि फर्नीचर में फ्रिज एवं पोर्टेबल जल या विद्युत तापक को भी शामिल माना जाये।

स्थानीय शासन आदेश- उपर्युक्त नियमों के उद्देश्यों हेतु फ्रिज तथा जल-विद्युत तापक को विशेष सेवाएं समझा जावेगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- लायसेंस शुल्क निर्धारण में स्थल के मूल्य पर प्रश्न उपस्थित हुआ है । मूल नियम 45-क (6) के संदर्भ में नियम 45-क के खण्ड II में विशेष सुविधाओं में स्थल का मूल्य तथा इसी प्रकार से भवन से लगे हुए मैदान को गणना में लिया जाए अथवा नहीं । इसमें समानता का आधार नहीं होने से विशेष सुविधा के स्थानों के स्थल का मूल नियम 45-क (6) के अधीन स्थल का मूल्य लायसेंस शुल्क की गणना में छोड़ दिया जाए ।

(vii) सिवाय उनके जिनका उल्लेख इस नियम में किया गया है, स्थानीय शासन नियमों द्वारा यह विहित कर सकता है कि यह नियम किसी भी तिथि से जो पहली अप्रैल, 1924 से पहले की नहीं होगी, किसी ऐसे शासकीय सेवक या सेवकों के वर्ग पर लागू होंगे ।

(viii) इन नियमों में की कोई भी बात, उन सेवकों पर इस प्रकार लागू होगी जो भारत में सम्राट के सेवकों जिनको शासन द्वारा आवास के लिये स्थान दिये गये हैं और जिन्हें कौंसिल के महाशासक के आदेश से लायसेंस शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा गया है या भारत में सम्राट के उन सेवकों द्वारा ऐसे किराये या खर्चों की राशि वसूल होगी, जिनके मामलों में इस प्रकार भुगतान योग्य राशि कौंसिल में राज्य के सचिव द्वारा निर्धारित की गई है ।

भारत शासन आदेश 1. [निकाल दिया गया]

भारत शासन आदेश 1- भारत शासन ने निर्णित किया है कि उन अधिकारियों के संबंध में जिन्हें रेलवे प्रशासन ने आवास की व्यवस्था की है तथा रेल अधिकारी जिन्हें प्रान्तीय सरकार ने आवास व्यवस्था की है, से निम्नानुसार लायसेंस शुल्क वसूली की प्रक्रिया अपनाई जावे-

- (1) **रेलवे क्वार्टर्स जो विशिष्ट रूप से पुलिस विभाग के लिए निर्मित किये गये हैं-** इन मामलों में रेल विभाग (रेलवे बोर्ड) परिपत्र क्रमांक 932, दिनांक 10-10-1936 के उपबंध लागू होंगे ।
- (2) **प्रान्तीय रेलवे क्वार्टर्स जो आपसी सहमति से मध्यप्रदेश शासन के सिविल सेवकों द्वारा अधिगृहीत हैं-** लायसेंस शुल्क भूमि के मूल्य को छोड़कर, पूँजीगत मूल्य का 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, परन्तु वेतन का 10 प्रतिशत तक ।
- (3) **मध्यप्रदेश शासन के क्वार्टर्स जो आपसी सहमति से रेलवे कर्मचारियों द्वारा अधिगृहीत हैं-** इन मामलों में सिविल सेवा नियम लागू होंगे । उदाहरणार्थ, लायसेंस शुल्क भूमि के मूल्य को छोड़कर, पूँजीगत मूल्य का 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, परन्तु वेतन का 10 प्रतिशत तक ।

[भारत शासन, रेलवे विभाग (रेलवे बोर्ड) पृष्ठांकन क्रमांक 5464 एफ, दिनांक 6-6-1936]

टीप- स्थानीय शासन द्वारा निर्मित पूरक नियमों हेतु कृपया परिशिष्ट 16 देखें ।

मू.नि. 45-ख. लायसेंस शुल्क का निर्धारण एवं वसूली.-(I) शासकीय सेवक जिन पर नियम 45-क लागू होता है या उक्त नियम के खण्ड (vii) के उपबंधों के अधीन लागू किया गया है, अथवा स्टेट रेलवे की सम्पत्ति हैं या रेल राजस्व के व्यय पर निर्मित होकर किराये पर दिये गये हैं, को छोड़कर, यह नियम शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं ।

(II) खण्ड III के उपखण्ड (ख) के उद्देश्यों हेतु, शासन स्वामित्व के आवास गृहों की पूँजीगत लागत में विशेष सुविधायें और अधिष्ठापन (फर्नीचर, टेनिस कोर्ट, स्वच्छता, जल वितरण या विद्युत स्थापन तथा फिटिंग्स का मूल्य या लागत) इसमें शामिल नहीं है, और या तो-

(क) आवास गृह का अधिग्रहण अथवा निर्माण की लागत, जिसमें भूमि की कीमत तथा उसकी तैयारी पर किया गया खर्च, उसके उपार्जन के पश्चात् किया गया पूँजीगत व्यय, सम्मिलित होगा या जब यह ज्ञात न हो तो,

(ख) आवास गृह का वर्तमान मूल्य, जिसमें भूमि भी शामिल है, पूँजीगत लागत होगी । परन्तु यह कि-

- (1) आवास स्थान सहित भवन का मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, इस बाबत् स्थानीय शासन नियम बना सकता है ।
- (2) उपरोक्त खण्ड (क) में स्थान/निर्माण में कौन सा व्यय इस उद्देश्य हेतु शामिल किया जाए, इस बाबत् स्थानीय शासन नियम बना सकता है ।
- (3) कारणों को अभिलिखित करते हुए स्थानीय शासन, सभी प्रकार के निर्दिष्ट क्षेत्रों या वर्गों के आवासों का उपरोक्त परन्तुक (1) के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकित करने तथा तदनुसार पूँजी व्यय में संशोधन करने के लिए, इन नियमों में आदेशित कर सकता है ।
- (4) पूँजीगत लागत की गणना किसी भी प्रकार से की जावे, परन्तु इसमें (1) कोई व्यय जो स्थापन और औजार एवं संयंत्र पर किया गया है, शामिल नहीं होगा । सिवाय उनके जो वास्तव में सीधे कार्य पर उन मामलों में किये गये हों, जहाँ आवास गृहों का निर्माण सरकार द्वारा किया गया है, या (2) अन्य प्रकरणों में ऐसे व्यय की अनुमानित राशि ।
- (5) उन कारणों को जो लिपिबद्ध किये जावें, राज्य शासन किसी आवास गृह की पूँजीगत लागत के किसी विशिष्ट भाग का अपलेखन कर सकता है-

(1) जब आवास गृह का एक भाग उस अधिकारी द्वारा जिसे आवास गृह आवंटित किया गया है, शासकीय व अशासकीय कार्य से मिलने आने वाले व्यक्तियों के स्वागतार्थ रखा गया है, का उपयोग निवास के लिए नहीं किया जा रहा है, या

(2) जब यह समाधान हो जाए कि उपरोक्त नियमों के अधीन निर्धारित किया गया पूँजीगत मूल्य उपलब्ध किये गये आवास स्थान के उचित मूल्य से काफी अधिक है ।

(6) स्वच्छता, जल प्रदाय और विद्युत स्थापन एवं फिटिंग्स की लागत या मूल्य का निर्धारण करने में स्थानीय सरकार नियमों द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस प्रयोजन के लिए फिटिंग्स किसको माना जाए ।

(III) निवास गृहों का मानक लायसेंस शुल्क निम्नानुसार गणित किया जाएगा-

(क) (1) पट्टे पर लिए गए आवास का लायसेंस शुल्क वह होगा जो राशि पट्टेदाता को दी गई ।

- (2) अधिगृहीत आवास का मानक लायसेंस शुल्क वह होगा जो मकान के मालिक को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया गया है ।
इसमें ऐसे व्यय भी जोड़े जाएंगे जो आवास के साधारण या विशेष रख-रखाव, रक्षा, सुधार, पूंजी व्यय, परिवर्तन या परिवर्धन पर व्यय, पूंजी व्यय पर ब्याज, नगरपालिका या अन्य संस्था का भवन कर, सम्पत्ति कर जो शासन द्वारा देय है ।
- (ख) शासन स्वामित्व के आवासों के मामले में, उसके पूंजी व्यय के आधार पर मानक लायसेंस शुल्क गणित किया जाएगा तथा उसमें कौंसिल के महाशासक द्वारा समय-समय पर घोषित ब्याज दर के प्रतिशत का पूंजी व्यय तथा नगरपालिका या अन्य संस्था का भवन कर तथा सम्पत्ति कर जो ऐसे आवास पर भारित हो तथा स्थानीय शासन के नियमों से रख-रखाव तथा सुधार के व्यय शामिल होंगे ।
- (ग) उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों में, वार्षिक शुल्क के 12वें भाग के बराबर मासिक लायसेंस शुल्क गणित किया जाएगा, परन्तु स्थानीय शासन एक मास के समय से अधिक, किन्तु एक वर्ष से अनधिक, किसी क्षेत्र या वर्ग विशेष के लिए अनुमति शुल्क का निर्धारण कर सकता है, परन्तु खण्ड (1) में बताये अधिभोगी एक वर्ष के अनुपातिक शुल्क से अधिक नहीं होगा ।

भारत शासन आदेश-सम्पत्ति कर की परिभाषा अन्य किसी अधिनियम में बताए, अनुसार नहीं होगी बल्कि इन नियमों में बताए अनुसार होगी । इसलिए अधिवासी द्वारा अन्य सुविधाओं के कर शामिल नहीं माने जायेंगे । ऐसे अन्य कर जो यद्यपि आवास के मालिक पर भार हों, परन्तु फिर भी मानक लायसेंस शुल्क से अलग होंगे तथा अधिवासी द्वारा दिए जायेंगे ।

यह निर्देश बिना अनुमति शुल्क पर दिए गए शासकीय आवासों पर अधिवासी शासकीय सेवकों को लागू होंगे ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-25/27एक्स/1142, दिनांक 26-6-1942]

- (iv) शासन स्वामित्व के या अधिगृहीत किए गए या पट्टे पर लिए गए आवास, जब शासकीय सेवकों को आवंटित किये जाएं, तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए :-
- (क) उस अधिकारी के स्वयं के निवेदन को छोड़कर, उस अधिकारी के स्तर से उच्च स्तर वाला वह आवास नहीं हो ।
- (ख) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, (1) वह उस आवास का खण्ड (III) के अनुसार मानक लायसेंस शुल्क या उसके वेतन का 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, भुगतान करेगा, तथा (2) भवन कर तथा सम्पत्ति कर के अलावा अन्य नगरपालिका कर जो शासन द्वारा देय हो, वह भुगतान करेगा ।
- (ग) उपयुक्त खण्ड (ख) में कुछ भी होते हुए, स्थानीय शासन-
- (i) खण्ड (III) के अन्तर्गत मानक लायसेंस शुल्क का निर्धारण के बाद किसी भी समय वर्ग विशेष या क्षेत्र के आवासों का अनुमति शुल्क निर्धारित करने के उद्देश्य से

आवासों का समूहीकरण कर सकता है, किन्तु-

- (1) निर्धारण का आधार समान हो, तथा
 - (2) शासकीय सेवक से ली जाने वाली धनराशि उसके वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक न हो ।
- (ii) शासकीय सेवकों के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक लायसेंस शुल्क लेने का उपबंध किया जा सकता है
- (1) जो, उसके प्रशासकीय नियंत्रणाधीन नहीं है, या
 - (2) जिनको निवास के स्थान पर रहना आवश्यक नहीं है या जो कर्तव्य स्थल पर नहीं रहते हैं, या
 - (3) उसके स्वयं के आवेदन पर निवास आवंटित किया गया है जो कि उसके पदेन हैसियत से उच्च स्तर का निवास स्थान है, या
 - (4) जो, उस स्थान पर क्षतिपूर्ति भत्ता निर्वाह अनुदान महंगाई की वजह से प्राप्त कर रहा है ।
- (घ) (i) जिस आवास का लायसेंस शुल्क निर्धारित नहीं हो पाया है, उस आवास के आवंटन के साथ ही आदेश में स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शासकीय सेवक ऐसे आवंटित आवास के लिए आवास निर्माण व्यय या अधिगृहीत व्यय तथा अन्य हानि का 10 प्रतिशत, नियमानुसार पूँजी व्यय पर निर्धारित होने वाला अनुमति शुल्क या उसके मासिक वेतन का 10 प्रतिशत, इसमें से जो भी कम हो, अनुमति शुल्क देगा ।
- (ii) अंतरिम निर्धारित अनुमति शुल्क, भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा तथा बीच में किसी भी स्थिति में बढ़ाया नहीं जायेगा ।
- (v) विशेष परिस्थितियों में उन कारणों से जो अभिलिखित किये जाएँ, स्थानीय शासन-
- (क) किसी शासकीय सेवक को या शासकीय सेवकों के किसी वर्ग को सामान्य या विशेष आदेश द्वारा लायसेंस मुक्त आवास दे सकता है, या
- (ख) किसी भी शासकीय सेवक से वसूल किये जाने वाले लायसेंस शुल्क में छूट दे सकता है या कमी कर सकता है, या
- (ग) भवन कर या सम्पत्ति कर को छोड़कर, शासकीय सेवक से वसूल होने वाले नगरपालिका या अन्य कर में छूट दे सकता है या कमी कर सकता है ।
- (vi) यदि किसी आवास गृह में एक या अधिक निम्न या ऐसी ही सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे फर्नीचर एवं विद्युत प्रदाय अथवा सेनीटरी प्रयोजन के अधिष्ठापन (फिटिंग्स सहित), टेनिस कोर्ट या बगीचे का संधारण, जहाँ शासकीय व्यय पर किया जाता है, तो इनके लिए लायसेंस शुल्क पृथक से वसूल किया जाएगा, जो खण्ड के अन्तर्गत देय लायसेंस शुल्क के अतिरिक्त होगा । उपभोक्ता को जल तथा विद्युत ऊर्जा का खर्च वहन करना होगा । स्थानीय शासन ऐसे नियम बना सकता है जिसमें विहित हो कि अतिरिक्त लायसेंस शुल्क और अन्य खर्चों का नियमन किस प्रकार से

किया जाए तथा ऐसे नियम जो विशेष परिस्थितियों में, जिनके लिए लिखित कारण बताए जायें, अतिरिक्त लायसेंस शुल्क या व्यय में कमी या छूट देने के लिए भी अधिकृत कर सके ।

- (vii) इन नियमों में कुछ भी निहित क्यों न हो, भारत में सम्राट के उन सेवकों से जिनको शासन द्वारा रहने के लिए आवास गृह दिये गये हैं और जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल के आदेश से लायसेंस शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उनसे इस प्रकार की अदायगी के लिए कहा जाय अथवा भारत में सम्राट के उन सेवकों जिनके मामले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन कौंसिल द्वारा लायसेंस शुल्क के खर्च की राशि का निर्धारण किया गया है, से इस प्रकार की राशि की वसूली पर प्रभाव पड़े, लागू होंगे ।

मू.नि. 45-ग लायसेंस शुल्क की वसूली के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों.-नियम 45-क तथा 45-ख के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों से तात्पर्य है-

- (1) वेतन,
- (2) सामान्य राजस्व और फीस से होने वाला भुगतान यदि ऐसा भुगतान पद के अधिकृत पारिश्रमिक का एक भाग है और मासिक वेतन तथा भत्तों में निश्चित बढ़ोतरी के रूप में प्राप्त होता है,
- (3) यात्रा भत्ता, वर्दी भत्ता, परिधान भत्ता, साज-सज्जा भत्ता, विशेष सज्जा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, वर्दी अनुदान, घोड़ा तथा जीनसाजी के लिए अनुदान, अव्यवसायी भत्ता, परियोजना भत्ता चाहे भारत या राज्य की संचित निधि से या किसी स्थानीय निधि से प्राप्त होता हो, को छोड़कर, अन्य सभी क्षतिपूरक भत्ते,
- (4) विनिमय क्षतिपूर्ति भत्ता,
- (5) सिविल सेवा नियमावली के अध्याय XXXVIII के उपबधों के अध्यक्षीन पेंशन या कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अधीन प्राप्त क्षतिपूर्ति, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया हो, को छोड़कर, पेंशन,
- (6) निलंबित शासकीय सेवक जो जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा है, के मामले में उसको निलंबन काल में शासकीय आवास गृह उसी लायसेंस शुल्क पर जो वह ऐसे निलंबन के पूर्व अदा कर रहा था, रहने की अनुमति होगी,
- (7) महंगाई वेतन;

इसमें वह भत्ते सम्मिलित नहीं हैं जो विक्टोरिया क्रॉस, मिलिट्री क्रॉस, किंग्स पुलिस मेडल, भारतीय पुलिस मेडल, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इण्डिया या इण्डिया ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्बद्ध है ।

स्थानीय शासन व्यवस्था-जो शासकीय सेवक फीस प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त करने की उसे अनुमति दी गई है, वह 'फीस' मूल नियम 45-ग के उद्देश्यों हेतु उसके वेतन में सम्मिलित समझी जावेगी ।

स्थानीय शासन आदेश- इस नियम में प्रयुक्त शब्द "पेंशन" से आशय कम्प्यूटेशन के स्वीकृत पेंशन से हैं ।

मू.नि.- 46(क) शुल्क (फीस).- नियम 46-क के अधीन गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा निर्मित नियमों की शर्त पर स्थानीय शासन किसी शासकीय सेवक को अनुमति दे सकता है कि वह किसी निजी व्यक्ति या निकाय या लोक निकाय, (ऐसी निकाय जो स्थानीय निधि का संचालन करती है, सहित) के लिए कोई विशिष्ट सेवा या सेवाओं की श्रृंखला का निष्पादन करे और बदले में यदि सेवा महत्वपूर्ण है तो पारिश्रमिक के रूप में आवर्ती या अनावर्ती भुगतान प्राप्त करे, बशर्ते कि ऐसा करने से उसके शासकीय कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्व पर असर न पड़े ।

मू.नि. 46(ख). मानदेय.- स्थानीय शासन किसी भी शासकीय सेवक को ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए पारिश्रमिक के बतौर मानदेय स्वीकार करने या प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, जो आकस्मिक या संविधान प्रकृति का है और या तो इतना श्रमसाध्य हो या ऐसी विशिष्ट योग्यता का हो जिसके लिए विशेष इनाम दी जाए । विशेष कारणों को छोड़कर, जो लिपिबद्ध किए जाएँ, यदि कार्य के लिए स्थानीय शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है और उसकी राशि पहले से तय नहीं है, तो मानदेय स्वीकृत करने या स्वीकार करने की मंजूरी नहीं देनी चाहिए ।

स्थानीय शासन नियम 1.- जब एक विभाग में कार्य करते हुए किसी शासकीय सेवक को दूसरे विभाग से मानदेय प्राप्त करने दिया जाता है, तब उसकी मंजूरी और भुगतान की प्रक्रिया यह होगी कि वह जिस विभाग में कार्यरत है वही से उसे अन्य विभाग में कार्य करने की इजाजत दे दी जाए तथा जिस विभाग का उसने ऐसा कार्य किया है, वही से भुगतान प्राप्त करने दिया जावे । यदि ऐसा हो जाता है तो पृथक से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

स्थानीय शासन नियम 2.- मानदेय भुगतान स्वीकृति की संसूचना-सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना भुगतान न हो सके तथा कारणों पर निगरानी रखने के उद्देश्य से जैसे ही मानदेय की अनुमति प्राप्त हो, वैसे ही स्वीकृति की एक प्रति आडिट कार्यालय को भेज देना चाहिए, न कि भुगतान के समय ।

परीक्षाओं के मामले में परीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के नाम तथा दर जिससे मानदेय दिया जाना है, स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट करना पर्याप्त होगा ।

स्थानीय शासन नियम 3.- एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि मूल नियम 46-ख के अन्तर्गत क्या मानदेय एक शासकीय सेवक को स्वीकार किया जा सकता है, जहाँ (1) कार्य में अस्थायी वृद्धि हुई है, (2) निगम या कंपनी आदि की स्थापना के कारण सामान्य कार्यभार से अधिक समय तक अधिकारी को बैठना पड़ता है जो उसके सामान्य कर्तव्यों का एक भाग है, एवं (3) अपने कर्तव्यों के साथ-साथ किसी दूसरे स्वीकृत पद का कार्य करना पड़ रहा हो । इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि-

- (1) कार्य में अस्थायी वृद्धि पर मानदेय देय नहीं है, क्योंकि यह शासकीय कार्य की एक सामान्य घटना है तथा मूल नियम 11 में दिए गए सामान्य सिद्धान्तों का ही एक भाग हैं ।

- (2) उन अधिकारियों को भी मानदेय स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जो किसी निगम या कंपनी की स्थापना के कार्य में संलग्न किये गये हैं। यह उनका वैधानिक कर्तव्य है, चाहे उन्हें अतिरिक्त समय में बैठकर कार्य करना पड़ता हो।
- (3) मानदेय जैसा कि मूल नियम 9 (9) में परिभाषित है, एक आवर्ती या अनावर्ती प्रकार का भुगतान है, जो शासकीय सेवक को भारत की या राज्य सरकार की संचित निधि से किसी आकस्मिक या अन्तराल पर आने वाले कार्य करने के एवज में स्वीकृत किया जाता है। जब एक पद स्वीकृत हुआ है तो उसके कार्य एवं कर्तव्य आकस्मिक या अन्तराल नहीं कहे जा सकते। अतः जब एक कर्मचारी को अपने कार्य के साथ-साथ उक्त पद के कार्य को भी करने हेतु कहा जाता है, तब ऐसा माना जावेगा कि वह आकस्मिक या अन्तराल वाले कार्यों को नहीं कर रहा है, चाहे उसे कुछ समय के लिए उस पद के कार्यों को करने हेतु कहा जाए। इस प्रकार मूल नियम 46-बी के अन्तर्गत दूसरे पद का अतिरिक्त कार्य करने के बदले में मानदेय स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

[वित्त विभाग क्रमांक 277-आर-316-चार-नि-2, दिनांक 5-2-1971]

मू.नि. 46(ग). शुल्क तथा मानदेय.-शुल्क तथा मानदेय दोनों प्रकरणों में मंजूर करने वाला प्राधिकारी, मूल नियम 11 की सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए, जिन कारणों पर अतिरिक्त पारिश्रमिक देना मान्य करता है, वे कारण लिपिबद्ध कर मंजूर कर सकता है।

भारत शासन आदेश- सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को मानदेय- सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारी जो परीक्षक का कार्य करें, उन्हें सामान्य राजस्व से मूल नियम 46 के अन्तर्गत मानदेय मंजूर करने के स्थानीय सरकार के अधिकारों पर मूल नियम 46क या 47 में प्रतिबद्ध लगाने का इरादा नहीं है। यह भारत शासन ने तय किया है।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1-कारणों को लिपिबद्ध करना- शुल्क या मानदेय मंजूरी पर शासन का नियंत्रण रहे, इस दृष्टि से कारण लिपिबद्ध करना चाहिए तथा प्रत्येक कारण में ऐसी स्वीकृतियाँ लेखा परीक्षा अधिकारी को परीक्षण हेतु भेजी जाना चाहिए।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2 - व्याख्याताओं तथा परीक्षकों को मानदेय -शासन के अधीन उसकी क्या हैसियत है, इस बात पर ध्यान दिए बिना, जब किसी अधिकारी का चयन शुद्ध व्यक्तिगत आधार पर परीक्षक अथवा व्याख्याता हेतु किया गया हो, तथापि इन्हीं आधारों पर उसकी पश्चातवर्ती वर्षों में नियुक्ति हो अथवा कुछ वर्षों के लिए हो, मानदेय का भुगतान मूल नियम 46 के अनुसार व्यवहारित किया जाना चाहिये न कि आवर्ती प्रभार के समान।

स्थानीय शासन व्यवस्था- शुल्क का भुगतान सीधे अथवा शासन के माध्यम से होना, शासन मंजूरी-शासकीय सेवक को शुल्क मंजूर करने के प्रत्येक स्वीकृत आदेश में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि शुल्क का भुगतान शासकीय सेवक को सीधे ही किया जाएगा या शासन के माध्यम से।

मू.नि. 46-क. सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारियों को मानदेय अथवा शुल्क- गवर्नर जनरल इन कौंसिल ऐसी शर्तें एवं सीमायें निर्धारित करने वाले नियम बना सकती हैं, जिनके तहत

सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारी, व्यवसायिक उपस्थिति को छोड़कर, सेवाओं के लिए शुल्क प्राप्त कर सकें ।

भारत शासन आदेश- भारत शासन का विचार है कि किसी विधान के द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन, शासकीय सेवक को बिना अतिरिक्त भुगतान के करना चाहिए । इसलिए कोई कारण नहीं है कि सिविल सर्जन या अन्य चिकित्सा अधिकारी को टी डिस्ट्रिक्ट एमिग्रान्ट्स लेबर एक्ट तथा उसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन उनके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शुल्क दिया जाए । तथापि यदि आसाम को उत्प्रवासन से संबंधित मामलों के संबंध में कर्मचारियों या नियोक्ता संघों को सहायता देने चिकित्सा अधिकारियों को कहा जाए जो कि उनके वैधानिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, तो स्थानीय शासन यदि उपयुक्त समझे, ऐसे कार्यों हेतु उन्हें शुल्क ग्रहण करने की अनुमति दे सकता है ।

मू.नि. 47 मानदेय मंजूर करने के लिए नियम बनाने की शक्ति.- नियम 47-क के अन्तर्गत गवर्नर जनरल इन कौंसिल द्वारा निर्मित नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, स्थानीय शासन ऐसे नियम बना सकता है, जिसमें ऐसी शर्तें और सीमाएं विहित की जाएं जिनके अधीन अधीनस्थ प्राधिकारी मानदेय मंजूर करने अथवा ग्रहण करने की तथा सिविल सेवा के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक उपस्थिति के लिए स्वीकार्य शुल्क को छोड़कर, शुल्क ग्रहण करने संबंधी मंजूरी दे सके ।

पूरक नियम 1. सामान्य नियम.-नीचे पूरक नियम 2 से 8 में उल्लेखित उपबंधों के अध्यधीन, कोई भी सक्षम प्राधिकारी अपने प्रशासकीय नियंत्रणाधीन किसी शासकीय सेवक को मानदेय की मंजूरी या ऐसे शासकीय सेवक द्वारा मानदेय या शुल्क ग्रहण करने की मंजूरी दे सकता है । कोई भी शासकीय सेवक इस प्रकार की मंजूरी के बिना मानदेय या शुल्क ग्रहण नहीं कर सकता है ।

पूरक नियम 2. कार्य हाथ में लेने के लिए स्वीकृति आवश्यक.- शासकीय सेवक कोई ऐसा कार्य, जो उसके शासकीय कर्तव्यों से संबंधित नहीं है तथा जिसके लिए उसको शुल्क देने का प्रस्ताव है, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं ले सकेगा ।

अपवाद 1. संचालक, लोक शिक्षण, शाला निरीक्षक अथवा महाविद्यालयों के प्राचार्य, जैसी भी स्थिति हो, उनके नियंत्रणाधीन शासकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नियुक्त शिक्षण स्टाफ के सदस्यों को वैयक्तिक विद्यार्थियों की निजी ट्यूशन ग्रहण करने की मंजूरी दे सकते हैं, बशर्ते कि वे परिशिष्ट II भाग II के क्रमांक 73 एवं 73-ए के अधीन ट्यूशन कार्य के लिए शुल्क ग्रहण करने की मंजूरी देने की शक्ति रखते हों ।

संचालक, लोक शिक्षण, उपरोक्त अधिकारियों को निजी संस्थाओं में ट्यूशन कार्य करने की अनुमति भी दे सके हैं, बशर्ते कि ट्यूशन कार्य के लिए देय शुल्क की मंजूरी परिशिष्ट II भाग II के क्रमांक 73 के अनुसार उनकी शक्ति के अन्दर हो ।

अपवाद 2. संचालक, लोक शिक्षण, उनके नियंत्रणाधीन शासकीय सेवकों को विद्यार्थियों अथवा शिक्षकों के उपयोगितार्थ पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दे सकते हैं कि लेखक पुस्तक को प्रत्येक प्रकरण में रुपये 1500 से अनधिक एकमुश्त में निर्वतन कर दे (परिशिष्ट II भाग II के क्रमांक 73-सी के अनुसार) तथा पुस्तक के विक्रय में कोई हित नहीं रखे ।

अपवाद 2अ. संचालक, तकनीकी शिक्षा, उनके नियंत्रणाधीन शासकीय सेवकों को विद्यार्थियों अथवा शिक्षकों के उपयोगितार्थ पाठ्य पुस्तकें तैयार करने की अनुमति इस शर्त के अधीन दे सकते हैं कि लेखक पुस्तक को प्रत्येक प्रकरण में रुपये 1500 से अनधिक एकमुश्त में निर्वतन कर दे (परिशिष्ट II भाग II के क्रमांक 73-सी के अनुसार) तथा पुस्तक के विक्रय में कोई हित नहीं रखे ।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 886-506-चार-नि-2, दिनांक 5-5-67]

अपवाद 3. संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, उनके विभाग के अधिकारियों को बूचड़खानों की जाँच पड़ताल करने तथा इसके लिए स्थानीय संस्थाओं से फीस लेने की निम्न शर्तों पर अनुमति दे सकते हैं-

- (1) कि शासकीय कार्य के निर्धारित घंटों के अतिरिक्त समय में यह कार्य किया जाए तथा विभाग के मौलिक कार्यों में कोई बाधा न पड़े, तथा
- (2) कि प्रतिमास कुल फीस 25 रुपये से अधिक न हो ।

अपवाद 4. परीक्षा कार्य जिसके लिए शुल्क तथा मानदेय दिया जाता है- निम्नांकित प्रकरणों में कोई कार्य या उसके लिए फीस या मानदेय प्राप्त करने के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है-

- (1) यदा-कदा किया जाने वाला साहित्यिक कार्य तथा अनुसंधान कार्य ।
- (2) [विलोपित]
- (3) भारत शासन या राज्य शासन या किसी विधि मान्य या राज्य या भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड हेतु परीक्षा कार्य ।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्रमांक 5122/चार/नि-2, दिनांक 21-11-1961]

अपवाद 5. विशेषज्ञ साक्ष्य तथा कमीशन.- जब कभी किसी शासकीय सेवक को न्यायालय में कमिशनर के रूप में कार्य हेतु या किसी तकनीकी मामले पर साक्ष्य हेतु तलब किया जाए, तो उसे पालन करना चाहिए, बशर्ते कि वह प्रकरण ऐसा नहीं हो जो उसके पदेन कर्तव्यों में शामिल है । वह न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसने फीस प्राप्त करने के लिए विभाग प्रमुख से मंजूरी प्राप्त कर ली हो ।

पूरक नियम 3. मध्यस्थ की तरह कार्य-कोई शासकीय सेवक ऐसे किसी प्रकरण में मध्यस्थता का कार्य नहीं कर सकता है, जो उसके द्वारा धारित न्यायिक कार्यपालिका पद के कारण उसके समक्ष आने वाला है ।

पूरक नियम 4. शिक्षण शुल्क मंजूरी की सीमायें. - शिक्षा सेवा में के किसी शासकीय सेवक को जब निजी शिक्षण हेतु शुल्क प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी देने की शक्ति की वितीय सीमायें ऐसे शासकीय सेवक को किसी विशिष्ट शिक्षण सत्र या विश्रामावकाश की अवधि में प्राप्त कुल राशि पर लागू होंगी ।

पूरक नियम 5. सामान्य राजस्व में अंश जमा करना.- शासकीय सेवकों को भुगतान किये गये शुल्क का एक तिहाई भाग साधारणतः सामान्य राजस्व में जमा किया जाए और शेष दो-तिहाई भाग संबंधित शासकीय सेवक को नगद दिया जाए ।

पूरक नियम 5 वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ.बी.- 1-75-नि-2-चार, दिनांक 11-11-75 द्वारा जोड़ा गया तथा दिनांक 1-10-75 से लागू]

पूरक नियम 6. मानदेय मंजूरी की शर्त. - शासकीय सेवकों के पदेन कर्तव्यों के कार्य साधारणतः कितने ही विशिष्ट क्यों न हों, उन्हें मानदेय की मंजूरी नहीं दी जाएगी ।

पूरक नियम 7. परीक्षा कार्य हेतु मानदेय.- निम्नांकित परीक्षाओं के कार्य, जिनके लिए पारिश्रमिक एक निश्चित दर से देना मंजूर है, इसलिए ये कार्य किए जा सकते हैं तथा इनके लिए बिना कोई विशेष मंजूरी मानदेय प्राप्त किया जा सकता है

- (क) म.प्र. बोर्ड ऑफ हाईस्कूल एजुकेशन द्वारा ली जाने वाली हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा ।
- (ख) पुरुष तथा महिला के लिए वर्नाक्यूलर टीचर्स सर्टिफिकेट परीक्षा ।
- (ग) सेकेण्डरी ग्रेड महिला हाउबाग (जबलपुर) ट्रेनिंग कालेज परीक्षा ।
- (घ) शासकीय इंजीनियरिंग स्कूल नागपुर के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की अंतिम परीक्षाएँ ।
- (ङ) शार्टहैंड तथा टाईप राईटिंग परीक्षा ।
- (च) लोक सेवा आयोग की परीक्षायें, तथा
- (छ) पोस्ट तथा टेलीग्राफ विभाग की अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र तैयार करना तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना । तथापि इस परीक्षा के निरीक्षण कार्य हेतु प्रांतीय शासकीय सेवकों को अनुमति नहीं दी जायेगी ।

[शिक्षा विभाग क्रमांक 692/एजू/एस., दिनांक 23-4-1942]

पूरक नियम 8. धनराशि का निर्धारण.- नियत पारिश्रमिक की दरें विहित किये गये प्रकरणों को छोड़कर, फीस या मानदेय की धनराशि जिस उद्देश्य हेतु दी जा रही है, उसके बदले में की जाने वाली सेवा के मूल्य को सम्मान देते हुए निर्धारित करना चाहिए ।

क्रमांक एफ 12-12-2010/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय ।

विधि एवं विधायी कार्य विभाग की विभागीय नियमावली के प्रावधानों के तहत माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में शासन के द्वारा/विरुद्ध दायर याचिकाओं /वादों में उक्त नियमावली में वर्णित कर्तव्यों के निष्पादन हेतु प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है । इस प्रकार नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को संबंधित शासकीय अभिभाषक, विभागाध्यक्ष कार्यालय एवं मंत्रालय आदि के सतत् संपर्क में रहते हुए अपने कर्तव्यों का समयावधि में निष्पादन करना पड़ता है । इन शासकीय सेवकों द्वारा उनको इस प्रकार सौंपे गये प्रभारी अधिकारियों के दायित्वों का निर्वहन उनको सौंपे गये चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त करना पड़ता है । इस अतिरिक्त कार्य हेतु शासकीय सेवकों को वर्तमान में कोई मानदेय देय नहीं है ।

2. प्रभारी अधिकारियों द्वारा शासन के हित को संरक्षित करने हेतु अतिरिक्त रूप से किए जा रहे इस महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने प्रभारी अधिकारियों हेतु निम्नलिखित दरों पर मानदेय स्वीकृत करने का निर्णय लिया है:-

स. क्र. विवरण	मानदेय की दर (प्रति प्रकरण)
1. उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रुपये 1000/-
2. उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिए	रुपये 1500/-

3. उक्त मानदेय निम्नांकित शर्तों के अधीन देय होगा:-

- (1) यह मानदेय उसी अधिकारी को देय होगा, जिसके द्वारा यह कार्य अपने चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है ।
- (2) उक्त मानदेय भुगतान की पात्रता प्रकरण के प्रारंभ से लेकर निर्णय पर अनुभवी कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श तक के लिए होगी । उक्त प्रक्रिया के मध्य प्रभारी अधिकारी के बदलने पर मानदेय प्रकरण के स्टेज के आधार पर निम्नानुसार देय होगा -
 1. जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही तक - 50 प्रतिशत
 2. जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय तक - 30 प्रतिशत
 3. निर्णय उपरांत की कार्यवाही के लिए - 20 प्रतिशत
- (3) ऐसे प्रकरणों, जो विषयवस्तु में समान हैं तथा जिनके लिए एक ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को अधिकतम

दो प्रकरणों के लिए ही मानदेय देय होगा ।

- (4) किसी भी प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार देय मानदेय की अधिकतम प्रतिमाह सीमा रुपये 10,000/- होगी ।
 - (5) उक्त मानदेय संबंधित शासकीय सेवक के वेतन मद को विकलनीय होगा ।
4. यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अश्विनी कुमार राय)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मू.नि. 48. बिना मंजूरी अतिरिक्त पारिश्रमिक कब स्वीकार्य.- कोई भी हकदार शासकीय सेवक अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, शासन के विशेष या सामान्य आदेश के बिना प्राप्त कर सकता है.-

- (क) प्रीमियम, जो लोक स्पर्धा में निबन्ध या किसी योजना हेतु इनाम दिया जाए ।
- (ख) न्याय प्रशासन के संबंध में दी गई सूचना या विशेष सेवा अपराधी को पकड़वाने हेतु इनाम ।
- (ग) किसी भी अधिनियम या रेग्यूलेशन या नियमों के अधीन देय इनाम ।
- (घ) आबकारी कानूनों के संबंध में की गई सेवा का इनाम ।
- (ङ) किसी विशेष या स्थानीय कानून या शासनादेश के अधीन शासकीय सेवक के पदेन कर्तव्यों में किए गए कार्य हेतु कोई देय फीस ।

मू.नि. 48-क. स्थानीय शासन की अनुमति के बिना तथा स्थानीय शासन द्वारा विहित शर्तों के अधीन, कोई भी शासकीय सेवक जो कर्तव्याधीन विज्ञान या तकनीकी अनुसंधान में संलग्न है, उसके द्वारा किए गए अनुसंधान हेतु न तो कोई पेटेन्ट प्राप्त करेगा और न उसके लिए आवेदन देगा या न किसी अन्य व्यक्ति को पेटेन्ट प्रान्त करने या आवेदन देने हेतु अधिकृत करेगा ।

विज्ञान तथा तकनीकी अनुसंधान कार्य में कर्तव्याधीन शासकीय सेवकों द्वारा "पेटेन्ट" प्राप्त करने की अनुमति के सामान्य निर्देश-

स्थानीय शासन व्यवस्था- इन निर्देशों में -

1. (1) **"अनुसंधानकर्ता"** से विज्ञान या तकनीकी अनुसंधान में कर्तव्याधीन शासकीय सेवक तात्पर्यित है ।
- (2) **"विभाग"** से किसी अनुसंधान संगठन के प्रभार का राज्य शासन का विभाग तात्पर्यित है ।
- (3) **"अनुसंधान संगठन"** से अन्य रोजमर्रा के कार्यों के अतिरिक्त अनुसंधान का कार्य करने वाली स्थापना को शामिल करते हुए, अनुसंधान कार्य करने वाली राज्य शासन की विज्ञान तथा तकनीकी स्थापना तात्पर्यित है ।
- (4) **"सचिव"** से वाणिज्य तथा उद्योग विभाग का सचिव तात्पर्यित है ।

2. प्रान्तीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना ऐसा अनुसंधानकर्ता पेटेन्ट हेतु अभिकर्ता की नियुक्ति नहीं कर सकता या खण्ड 4 में संदर्भित के सिवाय, किसी को आविष्कार का भेद नहीं दे सकता या ऐसे आविष्कार से संबंधित व्यक्ति से नहीं मिल सकता या इसका पूर्ण विवरण फाइल नहीं कर सकता या इसे मुद्रित नहीं करवा सकता या पेटेन्ट को किसी अन्य देश या राज्य को नहीं दे सकता है ।
3. प्रान्तीय सरकार के द्वारा जब तक खण्ड 18 के अनुसार कोई निर्णय नहीं कर लिया जाता है, तब तक उस अनुसंधान को जो अनुसंधानकर्ता ने किया है, गोपनीय रखा जायेगा तथा उसे राज्य के लिए तथा राज्य के हित में निहित समझा जायेगा ।
4. प्रान्तीय सरकार द्वारा विहित शर्तों के अधीन, भारतीय राज्य या अन्य देशों में पेटेन्ट प्राप्ति हेतु अनुसंधानकर्ता समस्त कार्यवाही करेगा जैसी कि उसे निर्देशित की जावे । प्रत्येक अधिकार के बारे में जिस संस्था में वह अनुसंधान कर रहा है, उसके प्रमुख अधिकारी को अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचना दी जाना चाहिए ।
5. अनुसंधान प्रमुख अधिकारी अनुसंधान का पेटेन्ट प्राप्ति के आवेदन पत्र के साथ या बिना आवेदन पत्र के सूचना मिलते ही उसे निम्नानुसार विवरण के साथ विभाग को भेजेगा:-

- (1) अनुसंधान तथा अनुसंधानकर्ता के पदेन कर्तव्यों के संबंध में, यदि कोई हो,
- (2) सरकारी खर्च पर दी गई सुविधाएं जो अनुसंधानकर्ता ने प्राप्त की है,
- (3) जो परिणाम प्राप्त हुआ है क्या वह इस प्रकार का है कि उसे पेटेन्ट करवाने के बजाय प्रकाशित किया जावे,
- (4) विदेश के किसी देश में अनुसंधान का पेटेन्ट करवाया जाना;
- (5) संबंधित विभाग तथा शासन की अनुमानित आवश्यकता;
- (6) जन कल्याण में योगदान की संभावनायें, तथा
- (7) आगामी यथोचित कार्यवाही, यदि कोई होना है, उसके लिए अनुशंसा ।

6. अनुसंधान संस्था में कार्यरत पदेन प्रमुख अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् अन्तःकालीन विवरण के साथ पेटेन्ट के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है बशर्ते कि यदि अनुसंधान संस्था का प्रमुख अधिकारी वह व्यय उसका अनुसंधानकर्ता है, तो ऐसे मामले में प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति के बिना ही पेटेन्ट हेतु आवेदन पत्र दिया जा सकता है ।
7. प्रान्तीय सरकार, एतद्वारा प्रत्येक अनुसंधान संस्था के प्रमुख को अधिकृत कर सकती है कि वह स्वविवेक से उसका अधीनस्थ अनुसंधानकर्ता मूल नियम 48क के अधीन पेटेन्ट के लिए अन्तःकालीन विवरण के साथ आवेदन पत्र दे सके, बशर्ते कि प्रतिरक्षा या संबंधित विभाग के लाभ के लिए उपयोगी होने वाले अनुसंधान को यदि संस्था प्रमुख अनुमति देना उचित नहीं समझे, तो उसे सभी कागजातों के साथ विभाग को भेज देना चाहिए ।
8. उपरोक्त खण्ड 6 के अधीन यदि अनुसंधानकर्ता चाहे तो परिशिष्ट में बताये प्रपत्र में चार प्रति में आवेदन पत्र संस्था प्रमुख को भेजना चाहिए ।
9. अनुसंधान संस्था का प्रमुख यदि अनुमति देना उचित समझे तो प्रपत्र की चार प्रतियाँ में हस्ताक्षर करके, एक प्रति अपने पास रखे, एक प्रति अनुसंधानकर्ता को लौटा दे तथा दो प्रतियाँ विवरण सहित संबंधित विभाग को भेज दे ।
10. अनुसंधान संस्थान के प्रमुख को अनुमति प्राप्त करने हेतु यदि आवेदन पत्र दिया जाता है तो

वह विवरण सहित दो प्रतियों में उसकी राय के साथ खण्ड 5 (1) लगायत (7) के अनुसार संबंधित को गोपनीय रूप से भेजेगा ।

11. अनुसंधान संस्था के प्रमुख से अनुसंधान की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित विभाग उसकी जाँच करे । यदि विभाग के विचार से उसे पेटेन्ट करवाने के बजाय प्रकाशित करना उचित समझा जाता है तो पेटेन्ट प्राप्ति के आवेदन को अमान्य किया जा सकता है । प्रकाशन या अन्य प्रकार से उस अनुसंधान के निपटारे के संबंध में विभाग कार्यवाही कर सकता है । इस प्रकार विभाग द्वारा अमान्य कर दिये जाने पर अन्तःकालीन विवरण के साथ दिये गये पेटेन्ट के आवेदन पत्र को अनुसंधानकर्ता परित्याग कर देगा । अन्य मामले में जो अनुसंधान संस्था से सूचना प्रान्त हुई है, उसे विभाग द्वारा 15 दिनों के अन्दर अनुशंसा के साथ निम्नानुसार गोपनीय तरीके से सचिव को भेजे-
 - (1) यदि अनुसंधान के पेटेन्ट हेतु आवेदन पत्र नहीं है तो अनुसंधान के आविष्कार का सम्पूर्ण विवरण,
 - (2) यदि अन्तःकालीन विवरणों के आधार पर आवेदन पत्र दिया गया है तो प्रत्येक की एक-एक प्रति तथा अन्तःकालीन विवरणों की एक प्रति, जो पेटेन्ट ऑफिस में दिया गया है,
 - (3) अन्तःकालीन विवरणों के आधार पर पेटेन्ट कराने हेतु आवेदन पत्र अनुमति हेतु दिया गया हो तो संपूर्ण विवरण की एक प्रति ।
12. शासन के संबंधित विभाग में उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर वाणिज्य तथा उद्योग विभाग मूल नियम 48-क के अन्तर्गत अनुमति सशर्त या बिना शर्त देने पर विचार करेगा ।
13. यदि शासन का समाधान हो जाए कि अनुसंधानकर्ता के शासकीय पदेन कार्य आविष्कार से संबंधित नहीं है या विभाग के तकनीकी क्षेत्र के नहीं है, तो मूल नियम 48-क के अधीन पेटेन्ट की अनुमति किसी शर्त के बिना दे सकता है ।
14. यदि शासकीय सेवक के पदेन कार्यभार के दौरान या शासकीय खर्च पर प्राप्त सुविधाओं के आधार पर अनुसंधान/आविष्कार किया गया है, तो शासन यह निर्णय कर सकता है कि उसका प्रार्थना-पत्र पूर्ण विवरण के साथ कलेक्टर के माध्यम से पेटेन्ट हेतु भेज दिया जावे ।
15. पेटेन्ट हेतु आवेदन पत्र विवरण सहित प्रस्तुत किये जाने बाबत शासन का निर्णय होने पर, सचिव, यदि आवश्यक समझे तो आगे और विशेष विवरण अनुसंधानकर्ता से मंगा सकता है, ताकि अन्तःकालीन विवरण तैयार करने के 9 महीने के भीतर संपूर्ण विवरण तैयार हो सके । ऐसा पेटेन्ट प्रान्तीय शासन के हित में रहेगा तथा प्रान्तीय शासन को अपेक्षित समय में अधिकार सौंप दिये जायेंगे, ऐसा समझौता हुआ है, यह माना जाकर पेटेन्ट के लिए अनुसंधानकर्ता के नाम पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।
16. पेटेन्ट हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा उसका अनुसरण करने हेतु पूर्ण विवरण तथा मानचित्र अनुसंधान संस्था द्वारा, यदि उनके पास सुविधा उपलब्ध हो तो तैयार किये जावेंगे, या अन्यथा मामले में सचिव या किसी नियुक्त शासन के अभिकर्ता द्वारा तैयार किये जावेंगे ।
17. स्वीकृति के पश्चात् जिन आवेदन-पत्रों पर सचिव को अनुसरण करना है, उसका शुल्क प्रान्तीय सरकार देगी ।
18. संपूर्ण विवरण प्रस्तुत होने पर शासन का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के द्वारा विचार किया जावेगा कि-

- (1) आम जनता को निःशुल्क लाभ मिल सके इस उद्देश्य से क्या आविष्कार को प्रकाशित किया जावे, अथवा
 - (2) पेटेन्ट कराने की दशा में क्या उसका उपयोग केवल प्रान्तीय सरकार ही करेगी, अथवा
 - (3) अनुसंधानकर्ता को लाभ मिल सके, इसलिए क्या उसका पेटेन्ट कर दिया जाये ।
19. यदि शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग या संबंधित विभाग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आम जनता को निःशुल्क लाभ मिले, इसलिये आविष्कार को प्रकाशित किया जावे तब मूल नियम 48-क के अधीन अनुसंधानकर्ता को अनुमति नहीं देने की सूचना दी जा सकती है तथा ऐसे पेटेन्ट के आवेदन पत्र पर सचिव स्तर से ऊपर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है । सभी प्रकरणों में शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग संबंधित विभाग से परामर्श करके अनुग्रह राशि का निर्धारण करके संबंधित विभाग को सूचना देगा ।
20. यदि शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग पेटेन्ट का स्वयं उपयोग करने का निर्णय लेता है, तो सचिव आगामी कार्यवाही करके पेटेन्ट प्राप्त करने का काम करेगा ताकि प्रान्तीय सरकार को अनुसंधानकर्ता के अधिकार दिये जा सके ।
21. शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग सभी प्रकरणों में जब पेटेन्ट का स्वयं उपयोग करने का निर्णय लेता है तो वह यह भी निर्णय लेगा कि पेटेन्ट का उपयोग किस प्रकार होगा ।
22. यदि शासन का वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अनुसंधान/आविष्कार को शासन या आम जनता के उपयोगतार्थ निःशुल्क प्रकाशित करना हितकारी नहीं समझता है, तो वह उसे अनुसंधानकर्ता को वापस लौटा देगा ताकि अनुसंधानकर्ता उसका उपयोग निम्न शर्तों के अधीन अपने लाभार्थ कर सके.-
- (1) आविष्कार पर बिना कीमत चुकाये या किसी शर्त पर जैसी विहित की जावे, प्रान्तीय सरकार अपना अधिकार सुरक्षित रख सकती है, या
 - (2) आविष्कारकर्ता शासन की पूर्वानुमति के बिना आविष्कार को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देगा या अन्य व्यक्ति से लेनदेन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को इस बाबत अनुज्ञप्ति भी नहीं देगा ।

परिशिष्ट क

**पेटेन्ट ऑफिस को सीधे भेजने हेतु विशेष विवरणों सहित आवेदन-पत्र
प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र
(चार प्रतियों में भरा जाए)**

मैं/हम.....के संबंध में अन्तःकालीन विवरणों सहित भारतीय पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देने हेतु निवेदन करते हैं । ऐसी स्वीकृति के लिए मैं/हम निम्नानुसार सहमत होकर घोषणा करते हैं कि-

1. मैं/हम घोषणा करते हैं कि यह मेरे/हमारे कार्यभार पदेन कर्तव्यों तथा शासकीय खर्च से दी गई सुविधाओं तथा अनुसंधान के आधार पर हुआ है ।
2. अनुसंधान के अन्तःकालीन विवरणों या आविष्कार के विवरणों की चार प्रतियां कंट्रोलर ऑफ पेटेन्ट एण्ड डिजाइन्स, कोलकाता को आदेशित करने हेतु संलग्न हैं । आवेदन-पत्र भेजने के

तत्काल बाद मैं/हम कंट्रोलर ऑफ पेटेन्ट एण्ड डिजाइन्स को अभिलेखों की दो प्रतियां अग्रेषित करेंगे ।

3. मैं/हम अपने नाम से पेटेन्ट का आवेदन-पत्र इस समझ के आधार पर दे रहे हैं कि पेटेन्ट स्वीकृति पर मैं/हम इसे गवर्नर (जिसे इसके आगे इसमें प्रान्तीय सरकार कहा गया है) के ट्रस्ट के रूप में धारित रखेंगे तथा उसे प्रान्तीय सरकार को जब भी कभी वैसा करने की अपेक्षा की जाए, दे देंगे ।
4. मैं/हम पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र को वापस ले लेंगे, यदि वैसा करने को आदेशित किया जायेगा ।
5. प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के बिना या निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना मैं/हम इस आविष्कार के संबंध में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं करेंगे ।
6. प्रान्तीय सरकार की पूर्वानुमति के बिना मैं/हम इस आविष्कार के संबंध में अन्य किसी देश या भारतीय राज्य में पेटेन्ट के लिए आवेदन-पत्र नहीं देंगे ।

दिनांक.....

अनुसंधानकर्ता/आविष्कारक के हस्ताक्षर/पद)

भारत में मेरा/हमारा पता.....

अनुमति दी जाती है

दिनांक.....

(अनुसंधान संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर-पद)

एक प्रति प्राप्त

दिनांक.....

(अनुसंधान संस्था के प्रमुख के

हस्ताक्षर/पद)

[सी.पी. एण्ड बरार शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग क्रमांक
3984/1453/7, दिनांक 6-7-1948]

मू.नि. 48-ख. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि कौन-सा शासकीय सेवक ऐसा शासकीय सेवक है, जिसे मूल नियम 48-क लागू होता है, तो इस संबंध में स्थानीय शासन का निर्णय अंतिम होगा ।

मू.नि. 48-ग. निरस्त ।

अध्याय 6

नियुक्तियों का संयोजन

मू.नि. 49. दो अथवा अधिक पदों पर नियुक्त शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते- राज्य शासन किसी सरकारी सेवक को जो किसी पद को मौलिक अथवा स्थानापन्न हैसियत में धारण किए हुए है, अस्थायी उपाय के रूप में उसी शासन के अधीन एक ही समय पर एक अथवा अधिक अन्य, स्वतंत्र पदों पर स्थानापन्न नियुक्त कर सकता है । ऐसे मामले में दोहरे प्रभार की चाहे जितनी भी अवधि क्यों न हो, अतिरिक्त वेतन देय नहीं होगा :

परन्तु यह कि, यदि किसी विशिष्ट मामले में जहाँ शासकीय सेवक को उसके मूल पद के अलावा उच्च पद का प्रभार लेने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है तो, सक्षम प्राधिकारी शासकीय सेवक को एक वर्ष की अवधि तक का निर्धारित दर से दोहरा कार्यभार स्वीकृत कर सकता है ।

दोहरे चार्ज के दौरान अधिकारों की वैधानिक स्थिति
राज्य शासन अनुदेश
उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृति के अधिकार
राज्य शासन आदेश

विषय : - उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने हेतु दोहरा कार्य भत्ते का पुनरीक्षण ।

संदर्भ : - इस विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-25/10/94 /सी/चार, दिनांक 28-12-1994,

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञाप में निहित प्रावधानानुसार एक शासकीय सेवक को अपने कार्य के अलावा दूसरे उच्च पद के अतिरिक्त कार्य करने के लिये दोहरा कार्य भत्ता दिये जाने के प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

1. दोहरा कार्य भत्ता उच्च पद के "ग्रेड पे" के 20 प्रतिशत के बराबर देय होगा ।
 2. उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने की अवधि 15 दिन से कम होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा । किसी भी प्रकरण में इस भत्ते की अवधि एक साल से अधिक नहीं होगी ।
 3. दोहरा कार्यभत्ता उसी स्थिति में देय होगा जब किसी शासकीय सेवक को अपने कार्य के साथ-साथ अन्य उच्च पद के कार्य करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा लिखित में आदेशित किया गया हो । यह भत्ता उन प्रकरणों में देय नहीं होगा जहां उच्च पद उसे निर्मित करने के दिनांक से अथवा विगत 1 वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त रहा हो ।
 4. दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति का आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में जारी किया जायेगा ।
 5. यह भत्ता पे-बैंड-4 के पदों एवं उससे उच्च पदों पर कार्य निर्वहन करने की स्थिति में देय नहीं होगा ।
- 2, दोहरा कार्य भत्ता की स्वीकृति करने के पूर्ण अधिकार विभागाध्यक्ष को होंगे ।
- 3, यह आदेश जारी होने की दिनांक से लागू होंगे ।

[वित्त विभाग क्र. एफ-4-7/2009/नियम चार, दिनांक 18.12.2009]

प्रपत्र

उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने के संबंध में विवरण/अनुशंसा/स्वीकृति

1. अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम, पे-बैंड एवं ग्रेड-पे, जिसको दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाना है ।
2. दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत करने की अवधि
3. उच्च पद का नाम, पे-बैंड और ग्रेड-पे, जिसके पद के कार्य के लिये व्यवस्था की गई है ।
4. उपरोक्त व्यवस्था हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश का क्रमांक एवं दिनांक । (कृपया आदेश की प्रति संलग्न करें)

हरताक्षर सक्षम

अध्याय 7

भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति

मू.नि.- 50. राज्य शासन की पूर्वानुमति के बिना किसी भी शासकीय सेवक को भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

मू.नि. 51. (1) जब किसी शासकीय सेवक को उचित स्वीकृति से भारत में उसके द्वारा धारित पद के संबंध में या किसी भी विशिष्ट कर्तव्य के संबंध में जिस पर वह अस्थायी तौर पर रखा गया है, भारत के बाहर अस्थायी तौर पर कर्तव्य पर भेजा जाता है तो शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसे वही वेतन आहरित करने की अनुमति दी जाएगी जो वह भारत में रहकर प्राप्त करता:

बशर्ते कि शासकीय सेवक जिसे प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है, पहले से ही भारत के बाहर औसत वेतन अवकाश पर है, तो शासन उससे अपेक्षा करेगा कि यह निरन्तर अवकाश पर ही बना रहे । ऐसे प्रकरण में उक्त अवधि के दौरान अवकाश वेतन के अलावा उसे यदि वह भारत में कर्तव्यस्थ रहते जो वेतन प्राप्त करता का छठवां भाग मानदेय के रूप में प्राप्त करेगा । भारत में आने एवं जाने का जहाज किराया वह स्वयं वहन करेगा ।

(2) प्रतिनियुक्ति पर रहते शासकीय सेवक को क्षतिपूर्ति भत्ते की उतनी राशि स्वीकार की जा सकती है जितनी शासन उचित समझे ।

(3) वेतन, मानदेय अथवा क्षतिपूरक भत्ता जो उक्त उपनियम (1) अथवा (2) के अन्तर्गत देय है, के बराबर विदेशी मुद्रा की गणना उसी दर से की जाएगी, जैसा शासन आदेश द्वारा विहित करे ।

मूल नियम 51-क. जब किसी शासकीय सेवक को उचित स्वीकृति से किसी नियमित रूप से निर्मित स्थायी अथवा अस्थायी पद पर, जो उस सेवा संवर्ग जिससे वह संबंधित है, के अधीन पद से भिन्न है, कार्यग्रहण करने के लिए भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो, उसका वेतन राज्य शासन के आदेश से विनियमित होगा ।

[वित्त विभाग (आर) फाईल क्र. 13-12-1952]

राज्य सचिव आदेश 1- पुलिस अधीनस्थों, - मूल नियमों 50 एवं 51 के संबंध में उसमें संदर्भित उद्देश्यों हेतु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों की भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित नियमों से विनियमित होगी-

भारत शासन अथवा उन मामलों में जहां व्यय प्रांतीय राजस्व से होगा, स्थानीय शासन किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को भारत के बाहर किसी भी देश में अपराधी या पागल के साथ अथवा उसको सुपुर्दगी में लेने अथवा कोई अन्य कार्य जो उसके पुलिस अधिकारी के कर्तव्य का एक हिस्सा है, भेज सकता है, तथा इस प्रकार भेजे गये अधिकारी को स्वीकार कर सकता है-

(ए) भारत में अनुपस्थिति की संपूर्ण अवधि का पूर्ण वेतन, साथ में,

(बी) वास्तविक यात्रा व्यय, एवं जब वह भारत से बाहर किसी भी देश में रहे तो निम्नांकित दर से निर्वाह भत्ता निम्न से अधिक नहीं -

पद	(शिलिंग पैसे) प्रतिदिन
(1) निरीक्षक श्रेणी के अधिकारी	22-06
(2) सार्जेंट श्रेणी के अधिकारी	15-00
(3) कान्सटेबल श्रेणी के अधिकारी	15-00

राज्य शासन इस नियम के अंतर्गत, अपने अधिकार ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उप-पुलिस महा-निरीक्षक या प्रेसीडेंसी शहरों तथा रंगून के पुलिस आयुक्त से निम्न पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकता है ।

[भारत शासन (वित्त) क्र./1224/सी.एल.आर. दिनांक 10-11-1922]

राज्य सचिव आदेश 2- सम्मेलन और सभाएं- राज्य सचिव ने, जिन सेवाओं को प्रत्यायोजन नियमावली, 1926 में स्थानीय शासन के नियंत्रणाधीन नहीं किया है अर्थात् अखिल भारतीय सेवा से संबंधित अधिकारी के लिए तथा अवकाश की अवधि में यूनाइटेड किंगडम या यूरोप महाद्वीप में भारत शासन या स्थानीय शासन के प्रतिनिधि या अशासकीय दर्शक के रूप में सम्मेलनों तथा सभाओं में भाग लिया हो उन अधिकारियों को पारिश्रमिक प्रदान करने हेतु ये नियम बनाये हैं -

- (1) भारत शासन या स्थानीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त ऐसे अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जावेगा और उन्हें सामान्य यात्रा-व्यय के साथ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।
- (2) जिन्हें केवल दर्शक रूप में, न कि प्रतिनियुक्ति पर, समझा जायेगा उन्हें यात्रा व्यय और जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा सकता है तथा जो शासकीय प्रतिनिधि नहीं हों, उन्हें सम्मेलन के प्राधिकारियों द्वारा किये गये अनुशंसा अनुसार भारतीय कार्यालय सेवा देने को तत्पर रहेगा ।

[राज्य सचिव क्र. 5/समुद्रपार, दि 20-12-1928, भारत शासन वित्त क्र. 4/2/आर-1/29, दिनांक 9-2-1929]

राज्य सचिव आदेश 3- राज्य सचिव ने निर्णीत किया है कि शासकीय सेवक के अधिकारी जो **राकफेलर फाउण्डेशन फेलोशिप** रखते हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति पर समझा जावे तथा उनके प्रकरण में निम्न शर्तें की जावें-

- (1) समुद्रपार वेतन प्राप्त अधिकारी को भारतीय पूर्ण वेतन माइनस समुद्रपार का वेतन या संबंधित अधिकारी के विकल्प पर आधारित समुद्रपार वेतन सहित उसके वेतन का तीन चौथाई ।
- (2) भारतीय कार्यालय नियमावली विनियम 11 के अधीन यूरोप या अमेरिका में कर्तव्यरत रहने वाले प्रथम या द्वितीय श्रेणी के, जैसी भी स्थिति हो, अधिकारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता देय है । यह उन्हें साधारणतः 1 वर्ष हेतु देय है ।
- (3) राकफेलर स्टार्डफेड (छात्रवृत्ति)- वे भारतीय कार्यालय नियमावली के खण्ड 4 के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका भत्ता या अध्ययन अवकाश भत्ता की पात्रता नहीं रखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंडल द्वारा स्वीकृत अवकाश अवधियों में से प्रतिनियुक्ति की अवधि का अवकाश समाप्त होगा ।

[भारत शासन शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग क्र. 961/स्वास्थ्य, दि. 18/22 मई, 1929]

राज्य सचिव आदेश 4- प्रतिनियुक्ति कब अवकाश में तब्दील हो सकती है- राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि अधिकारी जो पहले से ही भारत से बाहर औसत वेतन पर अवकाश पर है, यदि औसत अवकाश वेतन अन्यथा उन्हें देय हो तो प्रतिनियुक्ति औसत वेतन धन भारतीय वेतन के छठवें भाग का एक मानदेय इस शर्त पर कि दोनों ओर का किराया अधिकारी द्वारा वहन किया जायगा, परिवर्तित किया जा सकता है ।

[भारत शासन वित्त विभाग पत्र क. एफ- 120-सीएसआर-25, दिनांक 4-11-1925
तथा एफ-4-आर-1-29, दिनांक 11-1-1929]

राज्य सचिव आदेश 5- अ नियम 50 का क्षेत्र- उक्त राज्य सचिव आदेश में सन्निहित आदेशों

के संदर्भ में, राज्य सचिव ने नियम बनाये हैं कि मूल नियम 50 का निबन्धन उन मामलों में जहां अधिकारियों ने अवकाश एवं मानदेय भारत के बाहर कर्तव्य की अवधि के दौरान वेतन का एक छठवां भाग के अपहरण का विकल्प दिया है, में लागू माना जाने के समान व्याख्या की जानी चाहिए अर्थात् यह विकल्प केवल उस शासकीय सेवक द्वारा लिया जा सकता है जिसकी भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो ।

[भारत शासन, वित्त विभाग पत्र क्र. एफ-101-सी.एस.आर-26, दिनांक 30-7-1926]

राज्य सचिव आदेश 6- सिविल सर्विस रेग्युलेशन नियमों के अधीन अधिकारी- परिषद राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि अधिकारी जो सिविल रेग्युलेशन के अधीन सेवारत है, प्रतिनियुक्ति काल

में अवकाश उपयोग का लाभ लेने के योग्य हो सकते हैं, यदि वे ऐसा चाहें तो, तथा उनके वेतन का एक छठवां भाग मानदेय प्राप्त का । उनके मामले में पूर्ण वेतन पर अवकाश औसत वेतन पर अवकाश का स्थान लेगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग पृष्ठांकन क्र. एफ-139-सी.एस.आर-27, दिनांक 28-4-1927]

राज्य शासन आदेश -7 पेंशनों के प्रयोजनार्थ अवधि अवकाश के समान समझी जाए- परिषद के राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि उपरोक्त राज्य सचिव आदेश 5 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति अवधि जो औसत वेतन अवकाश में तब्दील की गई है, पेंशन हेतु अवकाश के समान न कि प्रतिनियुक्ति के समान गणना में ली जाना चाहिये ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक एफ-132-सी.एस.आर-25, दिनांक 19-11-1925]

राज्य सचिव आदेश 8- कुछ मामलों में स्वीकृत निर्वाह तथा यात्रा भत्ता- मूल नियम 51 के संदर्भ में, परिषद में भारत के लिए राज्य सचिव ने अधिकारियों के लिए जो भारत शासन राज्य सचिव अथवा भारत के उच्चायुक्त के अधीन सेवारत हैं, जब यूरोप अथवा अमेरिका में कर्तव्य पर हों, निर्वाह तथा यात्रा भत्ता की स्वीकृति को शासित करने के लिए संशोधित नियम (परिशिष्ट XVIII) जारी किये हैं ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्रमांक एफ-220-सी.एस.आर दिनांक 14-11-1924
तथा एफ-220-सी.एस.आर-24, दिनांक 2-2-1925]

राज्य सचिव आदेश 9- भारतयिं कार्यालय चिकित्सा मंडल में उपस्थिति हेतु यात्रा के लिए भत्ता- राज्य सचिव आदि के अधीनस्थ यूरोप तथा अमेरिका में कर्तव्यस्थ अधिकारियों को जब भारतीय कार्यालय में चिकित्सा मंडल के समक्ष परीक्षण हेतु उपरिथत होना पड़े तब उन्हें दिये जाने वाले यात्रा भत्ता के संबंध में राज्य सचिव ने निर्णीत किया है कि उन्हें युनाइटेड किंगडम में जिस श्रेणी की उन्हें पात्रता है उस श्रेणी का रेलवे यात्रा का किराया भुगतान किया जायेगा, परन्तु जीवन निर्वाह भत्ता तथा होटल व्यय देय नहीं होगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-116/सी.एस.आर -15, दिनांक 18-4-1982]

राज्य सचिव आदेश 10- विनियम दर- कौंसिल के राज्य सचिव ने निर्णीत किया है कि कौंसिल के राज्य सचिव द्वारा निर्मित नियमों के ही अनुरूप राज्य सचिव द्वारा निर्मित विनियम दर है तो वह दर 1 शिलिंग 6 पैस आगामी आदेश पर्यन्त होगा ।

[भारत शासन, वित्त क्र. एफ-15/आर-1, दिनांक 25-2-1928]

भारत शासन आदेश 1- जिन कर्मचारियों को भारत के साथ-साथ भारत के बाहर भी आयोगों तथा समितियों के प्रभार में रखा गया है, उन्हें 'वेतन' जैसा कि भारत में कर्तव्य पर होकर वह लेता उसी प्रकार मू.नि. 51 तथा मू.नि. 9(2) के परन्तुक (ए) का अर्थ लगाया जाना चाहिए ।

[भारत शासन, वित्त क्रमांक एफ-4/2/आर-1/30, दिनांक 27-7-1931]

भारत शासन आदेश 2- भारत के बाहर सेवा हेतु आदेशित शार्ट-टर्म-कान्ट्रेक्ट के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का वेतन मू.नि. 51 के अधीन सामान्य सेवा नियमावली से विनियमित होता है ।

भारत में सेवा हेतु शार्ट-टर्म-कान्ट्रेक्ट के अधीन भर्ती किये गये अधीनस्थ सेवकों पर भी उपर्युक्त आदेश लागू होगा ।

[भारत शासन, वित्त क्रमांक एफ-4/28/आर-1/31, दिनांक 28-11-1931,

नियुक्ति विभाग क्र. 4202/2995/3, दिनांक 12-12-1931,

भारत शासन वित्त क्र. एफ-4/2B/आर 1/31, दिनांक 14-7-1932]

सिविल सर्विसेज (गवर्नर्स प्राप्त) प्रत्यायोजित नियमों के नियम 4 (1) अंतर्गत स्थानीय शासन द्वारा निर्मित नियम--

- (1) मध्यप्रदेश से "राकफेलर फाउण्डेशन फेलोशिप" के अंतर्गत चुने जाने वाले प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवकों के अधिकारियों तथा विशेष प्राधिकारियों के लिए भी उपर्युक्त राज्य सचिव आदेश 4 में बताई शर्तें लागू करने हेतु स्थानीय शासन ने निर्णय लिया है ।
- (2) जिन अधिकारियों की सेवाएं प्रत्यायोजन नियमों, 1926 के अधीन स्थानीय शासन को दी गई हैं, अर्थात् प्रांतीय तथा अधीनस्थ सेवा के विशिष्ट पदों पर पदस्थ अधिकारियों के संबंध में उपरोक्त राज्य सचिव आदेश-3 में निर्मित नियम लागू करने का स्थानीय शासन ने निर्णय लिया है ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1.- मूल नियम 5 क और मूल नियम 9 (2) अ) में परिभाषित

“वेतन जो भारत में कर्तव्य पर होता तो प्राप्त करता” इसकी परिभाषा “वेतन” के संदर्भ में मूल नियम 9(21) में यथा परिभाषित समझी जाना चाहिए ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. प्रतिनियुक्ति अवधि. - शासकीय सेवक के भारत के बाहर प्रतिनियुक्त होने पर जिस तिथि को वह भारत में प्रभार का हस्तांतरण करता है, उस तिथि से उस तिथि तक जब वह वापस प्रभार ग्रहण करे, प्रतिनियुक्ति का समय माना जाएगा या यदि प्रतिनियुक्ति के समय वह पहले से ही भारत के बाहर अवकाश पर है तो, उसके द्वारा कर्तव्य पर व्यतीत समय प्रतिनियुक्ति का समय माना जाएगा ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 3. अवकाश में हस्तक्षेप प्रतिनियुक्ति अवकाश पर प्रभाव. - यदि कोई शासकीय सेवक भारत के बाहर अवकाश पर है और उसे वैसे ही यदि यूरोप या अमेरिका में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ कर दिया जाता है तो, ऐसा करना उसके अवकाश में हस्तक्षेप किया माना जाना चाहिए । साधारणतः प्रतिनियुक्ति में उसका अवकाश बढ़ाया जा सकता है, परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति उसे पुनः नये सिरे से अवकाश पर जाने का हक प्रदान नहीं करती है । मूल नियम 81 (बी) में प्रयोज्य “किसी भी एक समय” इसका “स्वीकृत अवकाश की प्रत्येक पृथक अवधि के अवकाश में” ऐसा अर्थ समझा जाना चाहिए ।

टिप्पणी- राज्य सचिव इत्यादि के अधिनस्थ सेवा के अधिकारियों के अमेरिका या यूरोप में कर्तव्यरत होने पर उनके यात्रा भत्ता इत्यादि के बारे में परिशिष्ट XVIII देखें ।

अध्याय 8

पदच्युति पृथक्करण तथा निलंबन

मू.नि. 52. बरखास्त या हटाये गये शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते.- शासकीय सेवक जिसे सेवा से बरखास्त या हटा दिया गया है, के वेतन एवं भत्ते, ऐसी बरखास्तगी या हटा दिए जाने के दिनांक से बन्द हो जाते हैं ।

मू.नि. 53. निलंबनाधीन शासकीय सेवक के वेतन एवं भत्ते.- (1) निलंबनाधीन शासकीय सेवक अथवा नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के आदेश से निलंबित माना गया शासकीय सेवक निम्नलिखित भुगतान पाने का हकदार होगा -

- (i) भारतीय चिकित्सा विभाग के कमीशन प्राप्त अधिकारी या सिविल नौकरी के वारण्ट अधिकारी जो सैनिक कार्य के लिए वापिस लौटने के दायी हैं, के मामले में, वह वेतन तथा भत्ते जिसकी उसे पात्रता होती यदि उनका निलंबन सैनिक नियुक्ति के दौरान हुआ होता ।
- (ii) अन्य किसी शासकीय सेवक के मामले में -

(क) उस अवकाश वेतन के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता जिसे शासकीय सेवक अर्द्ध औसत वेतन अथवा अर्द्ध वेतन अवकाश पर होने की दशा में प्राप्त करता और इसके अलावा महंगाई भत्ता, यदि उसे अवकाश वेतन के आधार पर देय हो :

परन्तु जहाँ निलंबन अवधि तीन मास से अधिक हो जाए, प्राधिकारी जिसने निलंबित किया है अथवा किया गया माना गया है, प्रथम तीन मास के पश्चात् किसी भी समय के लिए जीवन निर्वाह भत्ते की राशि में निम्नानुसार फेरफार करने के लिए सक्षम होगा -

(i) यदि उस प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि सीधे शासकीय सेवक के कारण से नहीं, लम्बी हो गई है कारणों को अभिलिखित करते हुए निर्वाह भत्ते की राशि 50 प्रतिशत से अनधिक उचित राशि तक बढ़ा सकता है ।

(iii) यदि उस प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि सीधे शासकीय सेवक के कारणों से लम्बी हो गई है कारणों को अभिलिखित करते हुए निर्वाह भत्ते की राशि को 50 प्रतिशत से अनधिक उचित राशि तक कम कर सकता है ।

(iv) महंगाई भत्ते की दर उपरोक्त (i) अथवा (ii) के अनुसार बढ़ी अथवा घटी हुई, जैसी भी स्थिति हो, निर्वाह भत्ते की राशि पर आधारित होगी ।

(ख) अन्य कोई क्षतिपूर्ति भत्ते, जो समय-समय पर शासकीय सेवक को उसके निलंबन की तारीख पर वेतन के साथ देय थे, वे तभी देय होंगे यदि उनकी शर्तें निलंबनकाल में पूरी होती हों

परन्तु जब तक उक्त प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि क्षतिपूर्ति भत्ते के उद्देश्य हेतु शासकीय सेवक पर व्यय मार निरन्तर बना हुआ है, शासकीय सेवक को उन क्षतिपूर्ति भत्तों की पात्रता नहीं होगी ।

(2) उपनियम (1) के अध्याधीन कोई सी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित शासकीय सेवक यह प्रमाण-पत्र नहीं दे दे कि वह किसी भी अन्य स्थापना, व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति में संलग्न नहीं रहा है ।

स्थानीय शासन व्यवस्था-- गृह भाड़ा भत्ता जो शासकीय सेवक को भाड़ा मुक्त आवास के एवज में मंजूर किया जाता है, निलंबनकाल में शासकीय आहरित नहीं कर सकता है ।

मू.नि. 53-क. [निकाल दिया गया है]

मू.नि. 54. बहाली पर वेतन एवं भत्ते. - (1) जब किसी शासकीय सेवक को जिसे पदच्युत, निष्कासित अथवा अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर दिया गया था, अपील या समीक्षा के परिणामस्वरूप बहाल कर दिया जाता है अथवा जब वह निलंबनाधीन था तब अधिवार्षिकी पर उसकी सेवानिवृत्ति नहीं हुई होती तो इस प्रकार बहाल कर दिया गया होता तो बहाली का आदेश करने वाला सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा तथा विशिष्ट आदेश करेगा-

(अ) कि पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित उसकी पूर्वगामी निलंबन अवधि, जैसी भी स्थिति हो, शासकीय सेवक को कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अवधि के अदा किए जाने वाले वेतन एवं भत्तों के बारे में, तथा

(ब) कि क्या उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जावेगी अथवा नहीं ।

(2) जहाँ बहाली का आदेश देने हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि शासकीय सेवक जिसे पदच्युत, निष्कासित अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था, पूर्णतः दोषमुक्त है, तो उपनियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस शासकीय सेवक को पूर्ण वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए वह हकदार होता, यदि उसे, जैसी भी स्थिति हो, पदच्युत, निष्कासित अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा निलंबित नहीं किया गया होता तो

परन्तु यह कि, जहाँ ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि शासकीय सेवक के विरुद्ध संस्थित की गई कार्यवाही की समाप्ति में विलंब शासकीय सेवक के सीधे आरोपीय कारणों से हुआ है, तो वह इस संबंध में उसे अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद इस संबंध में सूचना मिलने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर तथा अभ्यावेदन पर विचार कर, यदि कोई उसने प्रस्तुत किया हो, उपनियम (7) के प्रावधानों को ध्यान में रखकर कारणों को अभिलिखित कर निर्देश देगा कि शासकीय सेवक को ऐसी विलंब की अवधि के लिए ऐसा वेतन एवं भत्तों की वह राशि जो संपूर्ण न हो, जैसा वह निर्धारित करे, अदा की जावेगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन आने वाले प्रकरणों में पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पूर्वगामी अवधि सहित कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि के समान मानी जायेगी ।

(4) जहाँ सेवा से पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अपीलीय अथवा पुनर्विलोकन प्राधिकारी के द्वारा इस आधार पर अपास्त कर दिया गया है कि संविधान की धारा 311 के खण्ड (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है तथा आगे और कोई जाँच की जाना प्रस्तावित नहीं है सहित उपनियम (2) द्वारा आच्छादित मामलों के अलावा अन्य मामलों में शासकीय सेवक को उपनियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहते, वेतन एवं भत्तों की ऐसी राशि जो संपूर्ण न हो, जिसके लिए वह हकदार होता, यदि उसे ऐसी पदच्युति निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति अथवा निलंबन के पहले, जैसा भी मामला हो, पदच्युति, निष्कासित अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त या निलंबित नहीं किया जाता, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे, शासकीय सेवक को प्रस्तावित मात्रा की सूचना देकर तथा उसके अभ्यावेदन पर विचार कर, यदि कोई उसके द्वारा इस संबंध में ऐसी अवधि के अंदर प्रस्तुत किया जाए, जैसा कि सूचना पत्र में निर्दिष्ट किया गया है जो किसी भी स्थिति में सूचना प्राप्ति के दिनांक से 60 दिवस से अधिक नहीं हो, अदा की जाएगी :

परन्तु यह कि, शासकीय सेवक को इस उपनियम के अधीन कोई भुगतान, उन शासकीय सेवकों को छोड़कर, जो वृत्ति शोधन अधिनियम, 1936 (1936 का क्रमांक 4) के उपबंधों से शासित होते हैं, उस तिथि से जब अपीलीय प्राधिकारी अथवा पुनर्विलोकन प्राधिकारी के आदेश द्वारा ऐसे शासकीय सेवक को पुनः शासकीय सेवा में स्थापित किया गया है अथवा शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्त होने के तुरन्त पूर्व तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, के तुरन्त पूर्व तीन वर्ष की अवधि के लिए सीमित रहेगा ।

(5) उपनियम (4) के अधीन आने वाले मामलों में पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्वगामी निलंबन अवधि सहित कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अवधि, जैसी भी स्थिति हो, जब तक सक्षम प्राधिकारी ऐसा विशिष्ट रूप से निर्देशित न करे कि उसे किसी निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु वैसा माना जावे, कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं मानी जायेगी :

परन्तु यह कि, यदि शासकीय सेवक ऐसा चाहे तो उक्त प्राधिकारी निर्देशित कर सकता है कि पदच्युत, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्वगामी निलंबन अवधि सहित, जैसी भी स्थिति हो, कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अवधि, शासकीय सेवक को देय एवं स्वीकार्य किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित की जा सकती है ।

(6) उपनियम (2) अथवा उपनियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन शर्तों के अधीन होगा, जिन शर्तों के अधीन ऐसे भत्ते स्वीकार्य हैं ।

(7) उपनियम (2) के परन्तुक के अन्तर्गत अथवा उपनियम (4) के अधीन निश्चित की गई राशि नियम 53 के अधीन स्वीकार्य निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम नहीं होगी ।

(8) बहाली पर इस नियम के अधीन शासकीय सेवक को कोई भुगतान उस राशि के समायोजनाधीन होगा जोकि उसने पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसी भी स्थिति हो, के दिनांक और बहाली के दिनांक के मध्य अवधि में किसी नियोजन से अर्जित किया हो । जहाँ इस नियम के अन्तर्गत देय राशियां अन्यत्र नियोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर अथवा उससे कम हैं तो शासकीय सेवक को कुछ भी अदा नहीं किया जावेगा ।

मू.नि. 54-क.- (1) जहाँ किसी शासकीय सेवक की पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाती है, तथा उस शासकीय सेवक को किसी आगामी कार्यवाही के बिना बहाल कर दिया जाता है तो कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि नियमित की जाएगी तथा शासकीय सेवक को न्यायालय के निर्देशों के अधीन यदि कोई हो, उपनियम (2) अथवा (3) के उपबंधों के अनुसार वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जायेगा ।

(2) (1) जहाँ किसी शासकीय सेवक की पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर रद्द की गई है कि संविधान की धारा 311 (2) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है, तथा जहाँ उसे गुणों के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया गया है तो शासकीय सेवक को मूल नियम 54 के उपनियम (7) के उपबंधों के अनुसार वेतन एवं भत्तों की ऐसी राशि जो संपूर्ण न हो जिसे पाने का वह हकदार होता यदि उसे ऐसी पदच्युति, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पहले, जैसी भी स्थिति हो, पदच्युत निष्कासित अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्त या निलंबित नहीं किया गया होता, जैसाकि सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे शासकीय सेवक को प्रस्तावित मात्रा की सूचना देने उपरान्त तथा इस संबंध में ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, जोकि किसी भी दशा में सूचना तामील होने के दिनांक से 60 दिवस से अधिक नहीं होगी, उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरान्त अदा की जायेगी :

परन्तु शासकीय सेवक को इस उपनियम के अनुसार अदा की जाने वाली राशि, उन शासकीय सेवकों को छोड़कर, जो वृत्ति भुगतान अधिनियम 1936 (1936 का क्रमांक 4) के उपबंधों के द्वारा शासित होते हैं, तुरन्त पूर्वगामी दिनांक को तीन वर्ष के अवधि तक के लिए सीमित रहेगी, जिस दिनांक को न्यायालय का आदेश पारित किया गया था अथवा ऐसे शासकीय सेवक के अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति के दिनांक से, जैसी भी स्थिति हो ।

(ii) ऐसी पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्वगामी निलंबन अवधि सहित पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसी भी स्थिति हो, तथा न्यायालय के निर्णय के दिनांक के मध्य की अन्तर्वर्ती अवधि मूल नियम 54 के उपनियम (5) में निहित प्रावधानों के

अनुसार नियमित की जावेगी ।

(3) यदि शासकीय सेवक की पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, न्यायालय द्वारा प्रकरण के गुणों के आधार पर रद्द कर दी गई है, तो ऐसी पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्वगामी निलंबन अवधि राहित पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसी शी स्थिति हो, तथा बहाली के दिनांक के मध्य अन्तर्वर्ती अवधि सभी प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जावेगी तथा उसे पूर्ण वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जायेगा जिसके लिए वह पाने का हकदार होता यदि उसे, जैसी भी स्थिति हो, पदच्युति, निष्कासित अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं किया गया होता ।

(4) उपनियम (2) अथवा उपनियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन शर्तों के अध्यक्षीन होगा, जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते स्वीकार्य हैं ।

(5) शासकीय सेवक को उसकी बहाली पर इस नियम के अधीन किया जाने वाला कोई भुगतान उस राशि के समायोजनाधीन होगा, यदि कोई हो, जोकि उसके द्वारा पदच्युति, निष्कासन अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दिनांक एवं बहाली के दिनांक के मध्य नियोजन से अर्जित की गयी हो । जहाँ इस नियम के अन्तर्गत स्वीकार्य उपलब्धियां अन्यत्र नियोजन के दौरान अर्जित राशि से कम हैं अथवा बराबर हैं तो, शासकीय सेवक को कुछ भी अदा नहीं किया जावेगा ।

मू.नि. 54-ख.-(1) जब किसी निलंबित शासकीय सेवक को बहाल किया जाए अथवा इस तरह बहाल किया जाता किन्तु निलंबनाधीन रहने के समय ही अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति होने के कारण बहाल हुआ मान लिया गया है, तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी विचार करेगा और विशिष्ट आदेश करेगा कि

(अ) बहाली तक निलंबित अथवा अधिवार्षिकी आयु पर उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि की अवधि के बारे में जैसी भी स्थिति हो, शासकीय सेवक को अदा किये जाने वाले वेतन तथा भत्तों के संबंध में तथा

(ब) क्या उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जावे अथवा नहीं ।

(2) मूल नियम 53 में निहत किसी बात के होते हैं, भी वहाँ निलंबनाधीन शासकीय सेवक की अनुशासनात्मक अथवा न्यायालयीन कार्यवाहियाँ जोकि उसके विरुद्ध संस्थित की गई हैं, अंतिम निष्कर्ष के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि के समान मानी जायेगी तथा उसके परिवार को उस अवधि के लिए पूर्व में संदत्त किये गये जीवन निर्वाह भत्ते का सामायोजन करने के उपरान्त पूर्ण वेतन एवं भत्ते दिये जायेंगे जिन्हें पाने का वह हकदार होता, यदि उसको निलंबित नहीं किया जाता तो ।

(3) जहाँ बहाली का आदेश करने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलंबन पूर्ण रूपेण अनुचित था तो शासकीय सेवक को उपनियम (8) के उपबधों के अध्यक्षीन रहते, पूर्ण वेतन एवं भत्ते जिनको पाने का वह हकदार होता, यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता, अदा किए जायेंगे :

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि शासकीय सेवक विरुद्ध संस्थित

कार्यवाहियों के समापन में ऐसे कारणों से विलम्ब हुआ है जो सीधे शासकीय सेवक को आरोपीय हैं, तो वह उसको अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का एक अवसर देने के पश्चात् इस संबंध में उस पर सूचना की तामील होने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो पर विचार करने के उपरान्त कारणों को अभिलिखित करते हुए निर्देशित करेगा कि शासकीय सेवक को केवल ऐसी विलम्ब की अवधि हेतु ऐसे वेतन एवं भत्तों की ऐसी राशि जो संपूर्ण न हो जैसा वह निर्धारित करे, अदा की जावेगी ।

(4) उपनियम (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में निलंबन की अवधि समस्त प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि के समान मानी जावेगी ।

(5) उपनियम (2) तथा (3) के अन्तर्गत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में शासकीय सेवक को उपनियम (8) तथा (9) के उपबंधों की शर्त के अधीन पूर्ण वेतन एवं भत्तों की ऐसी राशि जो संपूर्ण न हो जिसको पाने का वह हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया जाता जैसा कि सक्षम प्राधिकारी विनिश्चित करे शासकीय सेवक को प्रस्तावित मात्रा का नोटिस देकर तथा इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने उपरान्त ऐसी अवधि के अन्दर जैसाकि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है जो किसी भी स्थिति में उस पर नोटिस की तामील होने के दिनांक से 60 दिवस से अधिक न हो अदा की जावेगी ।

(6) जहाँ अनुशासनात्मक अथवा न्यायालयीन कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने से पहले ही निलंबन समाप्त कर दिया जाता है शासकीय सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों के समाप्त होने के पूर्व उपनियम (1) के अन्तर्गत जारी कोई आदेश की कार्यवाहियां समाप्त होने पर उपनियम (1) में उल्लेखित प्राधिकारी द्वारा पुनरावलोकन किया जाएगा जो उपनियम (3) अथवा (5) जैसी भी रिहाति हो, के उपबंधों के अनुरूप आदेशित करेगा ।

(7) उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामले में निलंबन अवधि जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाए कि वह किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु वैसी मानी जावेगी कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि के समान नहीं मानी जावेगी

परन्तु यह कि शासकीय सेवक ऐसा चाहे तो उक्त प्राधिकारी आदेशित कर सकता है कि निलंबन अवधि शासकीय सेवक को देय तथा स्वीकार्य किसी भी प्रकार के अवकाश में परिवर्तित की जा सकेगी ।

(8) उपनियम (2) तथा उपनियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी शर्तों के अधीन होगा, जिन शर्तों के अधीन ऐसे भत्ते स्वीकार्य हैं ।

(9) उपनियम (3) के प्रावधानों के अधीन अथवा उपनियम (5) के अधीन निर्धारित राशि, मूल नियम 53 के अधीन देय निर्वाह भत्ता अथवा अन्य भत्तों से कम नहीं होगी ।

भारत शासन आदेश- विलोपित ।

स्थानीय शासन आदेश 1. पदच्युत, पृथक या अनिवार्य सेवानिवृत्त किये गये शासकीय सेवक द्वारा रिक्त हुए पद को, ऐसी पदक्करण, पृथकरण या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जैसी भी स्थिति हो, की तारीख से दो वर्षों अवधि समाप्त होने तक मौलिक रूप से नहीं भरा जाना चाहिए । जहाँ यदि ऐसे दो वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद स्थायी पद की पूर्ति कर दी गई हो तथा उसके बाद उस स्थायी पद का मूल पदधारी व्यक्ति पुनः स्थापित होता है, तब उसे जिस पद से वह पहले संबंधित था उसी ग्रेड में रिक्त किसी भी मौलिक पद पर उसे रखना चाहिए । यदि ऐसा पद रिक्त नहीं हो तो इस हेतु इस ग्रेड में उपयुक्त स्वीकृति से निर्मित किए जाने वाले अतिरिक्त (सुपरन्युमेरी) पद (जिसके साथ शर्त हो कि ग्रेड में जैसे ही कोई पद रिक्त होगा यह अतिरिक्त पद समाप्त कर दिया जाएगा) पर रखा जाना चाहिए ।

[मध्यप्रदेश शासन, वि.वि. क्र. 1368/18 नि-1/चार, दिनांक 26-6-61]

स्थानीय शासन आदेश 2. यदि किसी शासकीय सेवक का पदच्युति या निलंबन आदेश अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो निलंबन या पदच्युति से पुनःस्थापन तक का समय ऐसा समझा जाना चाहिए जैसेकि वह कर्तव्य पर नहीं था । उस शासकीय सेवक के बेरोजगार रहने की समयावधि में उसके रिक्त पद की पूर्ति की जो व्यवस्था की गई थी वह व्यवस्था उसके पुनःस्थापन पर इयूटी ज्वाइन करने की तारीख से प्रत्यावर्तित कर देनी चाहिए ।

स्थानीय शासन आदेश 3. निकाल दिया गया ।

[मध्यप्रदेश शासन, वि.वि. क्र. 1501/2769/84/चार/नि-1, दिनांक 13-8-84]

मू.नि.- 55. निलंबित शासकीय सेवक को अवकाश.- निलंबनाधीन शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

भारत शासन आदेश.- भारत शासन ने निर्णय लिया है कि अपील में यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबन आदेश को समाप्त कर दिया जाता है और साथ ही आदेश दिया जाता है कि निलंबन काल को किसी अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाए, तब ऐसे प्रकरण में वैसा आदेश देने पर मूल नियम 55 कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है । भारत शासन ने यह भी निर्णीत किया है कि ऐसे प्रकरणों में मूल नियम 54 के अधीन कार्यवाही की जाना चाहिए जिसमें सभी प्रकरण आते हैं, जिनमें निलंबन या पदच्युति को पुनर्विचारित या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः न्यायोचित नहीं माना जाता है । मूल नियम 54 का उपनियम (ख) निलंबन अवधि को अवकाश मानने से मना नहीं करता है तथा पुनर्विचारित या अपीलीय प्राधिकारी को अधिकार देता है कि वह ऐसे प्रकरण में निलंबन अवधि में अवकाश काल की भांति अनुपातिक वेतन तथा भत्ते देना निर्देशित कर सकता है, जैसेकि शासकीय सेवक यदि अवकाश पर होता तो प्राप्त करने का वह हकदार होता ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 47/सी.एस.आर./27, दिनांक 14-2-1927]

राज्य शासन अनुदेश

(1)

विषय- शासकीय सेवकों को सेवा से हटाये जाने के बाद उनकी पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया । उपर्युक्त

विषय पर सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1876/2480/1 (3), दिनांक 4-9-1959 द्वारा जारी किये गए अनुदेशों के तारतम्य में यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी किसी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक आधार पर नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक (अपराध एवं रेलवे) मध्यप्रदेश को भेजी जाना चाहिए, जिससे कि वे उस कर्मचारी का नाम "पुलिस क्रिमिनल इंटेलीजेंस गजट" में छाप सकें और जिला विशेष शाखा उसे अपने यहां अंकित कर उसके पूर्व इतिहास तथा आचरण के परीक्षण के मौके पर उसका उपयोग कर सकें। इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी भी किसी ऐसे शासकीय सेवक को किसी अन्य विभाग में नौकरी देने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास आदि की जाँच कराई जाएगी तो उस समय नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्व में सेवा से हटाये जाने का कारण मालूम हो सके। यह सूचना पाने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उपर्युक्त आदेशानुसार पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से पूछताछ कर सकेगा।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 2103/1087/1(3), दिनांक 2-11-1970]

(2)

उपर्युक्त विषय में आपका ध्यान सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1876/2480/1(3), दिनांक 4-9-59 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जब किसी नियुक्ति प्राधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना हो, जो पहले से किसी शासकीय सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर हटाया गया है, तो उसके पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से उसके बारे में पहले पूछताछ कर लेना चाहिए कि उसके सेवा से हटाये जाने के कारण क्या थे? यह भी निर्देश दिए गए थे कि उन व्यक्तियों को सेवा में फिर से न लिया जाए जिन्हें अनुशासनहीनता या कदाचरण आदि के आरोपों के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

2. शासन के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं जिनमें शासकीय कर्मचारी को भ्रष्टाचार, कर्तव्य की अवहेलना आदि के गंभीर आरोपों के कारण सेवामुक्त किये जाने पर भी दूसरे विभाग द्वारा उसके पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी से बिना पूछताछ किए सेना में पुनर्नियुक्त किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशों के विपरीत यदि कोई अधिकारी कार्य करे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाना चाहिए। साथ ही साथ समस्त विभागों से यह भी निवेदन है कि वह जाँच कर ले कि इन आदेशों की अवहेलना में तो कोई नियुक्ति नहीं की गई है। यदि हुई हो तो उन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 32/1090/1(3)/70, दिनांक 11-1-1971]

(3)

संदर्भ- सा. प्र. वि. का परिपत्र क्र. 2103/1087/1(3) दिनांक 2-11-70.

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र द्वारा यह निर्देश प्रसारित किए गए थे कि जब कभी भी शासकीय सेवक को अनुशासनात्मक आधार पर शासकीय सेवा से पृथक किया जाता है तो उसकी सूचना पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध एवं रेलवे) मध्यप्रदेश को भेजी जानी चाहिए जिससे कि उस कर्मचारी का नाम पुलिस क्रिमिनल इंटेलीजेंस गजट में छपा जा सके और जिला विशेष शाखा उसे अपने यहां अंकित कर उसके पूर्व इतिहास तथा आचरण के परीक्षण के मौके पर उसका उपयोग कर सके। इसका परिणाम यह होगा कि जब कभी भी ऐसे शासकीय सेवक को किसी अन्य विभाग में नौकरी देने के पूर्व उसके पूर्व इतिहास आदि की जाँच कराई जाएगी तो

उस समय नियुक्ति प्राधिकारी को उसके पूर्व में सेवा से हटाये जाने के कारण मालूम हो सकेंगे । यह सूचना पाने के बाद नियुक्ति प्राधिकारी पूर्व प्राधिकारी से पूछताछ आदि कर सकेगा । शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन नहीं हो रहा है । अतः संदर्भित परिपत्र की प्रति संलग्न करते हुए आपसे निवेदन है कि इसमें उल्लेखित निदेशों का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करावें ।

[कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग क्रमांक 508/323/49/3/89,
दिनांक 24-8-89]

विषय- अनुशासनिक मामलों में शासकीय सेवकों का अनावश्यक निलंबन नहीं करना तथा लघु शास्ति अधिरोपित होने की स्थिति में निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य किया जाना ।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 में शासकीय सेवकों के निलंबन के विषय में प्रावधान है तथा वे परिस्थितियां वर्णित हैं जिनमें शासकीय सेवक को निलंबित किया जा सकेगा ।

2. सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक 13 में उल्लेखित है कि किसी ऐसे शासकीय सेवक जिसके विरुद्ध विभागीय जाँच की जाना हो, सामान्यतः निलंबित नहीं किया जाना चाहिए । जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासनिक दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक / अपरिहार्य हो, तभी उसे निलंबित किया जाना चाहिए । यदि जाँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो ऐसे निलंबन के बदले अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाना चाहिए ।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 12-38-91-3-1 दिनांक 7-6-91 में निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ नियम 9 (1) (क) के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान निलंबित किया जाता है तो निलंबन आदेश में स्पष्ट एवं सुनिश्चित कारण दर्शाए जाना चाहिए । अनावश्यक रूप से शासकीय सेवक को निलंबित किये जाने की परम्परा को निरुत्साहित किए जाने के उद्देश्य से मानव आयोग की अनुशंसा पर सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक सी-6-4/97/3/एक, दिनांक 19-3-77 द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि छोटी-छोटी त्रुटियाँ के लिए निलंबन की कार्यवाही नहीं की जाए ।

4. शासन के ध्यान में बार-बार यह तथ्य लाया गया है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रायः बिना समुचित आधार के शासकीय सेवकों को निलंबित किए जाने की कार्यवाही की जाती है । जाँच में संबंधित शासकीय सेवक या तो निर्दोष पाया जाता है अथवा उसे साधारण चेतावनी या कोई लघु शास्ति अधिरोपित की जाती है । इस प्रकार की कार्यवाही से शासकीय सेवक तो प्रताड़ित होता ही है, बिना कार्य किए निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन भत्ते दोषमुक्त शासकीय सेवक को देना पड़ते हैं ।

5. विचारोपरान्त शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध जाँच में आरोपों के स्वरूप को देखते हुए प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हो कि संबंधित शासकीय सेवक पर पदच्युति सेवा से हटाया जाना अथवा अनिवार्य सेवा निवृत्ति जैसी कोई मुख्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है तभी उसे निलंबित किया जाए अर्थात् लघु शास्ति के मामलों में उसे निलंबित नहीं

किया जाना चाहिए ।

6. मुख्य शास्ति हेतु संस्थित विभागीय जाँच में यदि किसी निलंबित शासकीय सेवक पर जाँच उपरान्त लघु शास्ति ही अधिरोपित की जाती है तो उसका निलंबन औचित्यपूर्ण नहीं माना जा सकता । अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामलों में संबंधित शासकीय सेवक की निलंबन अवधि को मूलभूत नियम 54-बी के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य अवधि मान्य कर निलंबन अवधि के संपूर्ण वेतन भत्ते (शासकीय सेवक को निलंबन अवधि में भुगतान किए गए जीवन निर्वाह भत्ते की राशि का समायोजन कर) दिए जाए । यह निर्णय इस जापन के प्रसारित होने की तिथि से लागू होगा तथा जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है, वे पुनः नहीं खोले जायेंगे ।

7. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए ।
[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सी-6/01/2003/एक/3 दिनांक 13-1-2005]

अध्याय 9

अनिवार्य सेवानिवृत्ति

मू.नि. 56 अधिवार्षिकी आयु - (1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ), (1-च), (1-छ), (1-ज), (1-झ) एवं (1-ञ) में उल्लेखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1-क), (1-ख), (1-ग), (1-घ), (1-ङ), (1-च), (1-छ), (1-न), (1-झ) एवं (1-ञ) में उल्लेखित शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(1-क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह में, सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न कोई शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह में सेवानिवृत्त हो जाएगा

स्पष्टीकरण. - इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, उपनियम (1-छ), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, ऐसा कोई शासकीय शिक्षक, चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजनार्थ ऐसी नियुक्ति को लागू भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और

उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा, किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(1-ख) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा

परन्तु कोई चतुर्थ वर्ग का शासकीय सेवक, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(1-ग) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य उस मास के जिसमें वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा का ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि दिनांक

31

अगस्त, 2010 से लागू हुई समझी जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य; से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(1-घ) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) उस मास के, जिसमें वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में

सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का कोई सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय का सहायक अधीक्षक तथा अन्य दन्त शल्य चिकित्सक, उस मास के, जिसमें वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा और यदि उसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो तो पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य" से अभिप्रेत है ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति किसी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में अध्यापन के प्रयोजनार्थ उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं और उसमें ऐसा चिकित्सा शिक्षक भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते वह संबंधित चिकित्सा शिक्षा सेवा के किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(1-ड) (क) उपनियम (2) के उपबधों के अधीन रहते हुए, उपनियम (1- ज) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगी :

परन्तु उपनियम (1- ज) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय नर्स" से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 की अनुसूची-एक में, समूह "ग" परिचर्या सेवाएं के अन्तर्गत वर्णित एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा नियम, 1989 की अनुसूची-एक) के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्ते कि वह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध 31 अक्टूबर, 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(1-च) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) कनिष्ठ न्याय संबंधित विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लेखित चिकित्सा पद पर नियुक्त वरिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) कनिष्ठ न्याय संबंधी विशेषज्ञ (गैर चिकित्सा) और चिकित्सा अधिकारी (गैर चिकित्सा) से भिन्न मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य से अभिप्रेत है कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा में किसी चिकित्सा पद पर की गई हो और उसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासकीय पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम 20 वर्ष तक चिकित्सा विधिक संबंधी कार्य में लगा रहा हो, बशर्ते कि वह मध्यप्रदेश चिकित्सा विधिक संस्थान (राजपत्रित) सेवा के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(1-छ) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1-क), (1-ज) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हो मध्यप्रदेश शिक्षण सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची-एक के अधीन ग्रन्थपाल या क्रीडा अधिकारी के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध 16 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

(1-ज) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-झ) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-ज) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हो, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 की अनुसूची-दो के अधीन में वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक 14 सितम्बर, 2010 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(1- झ) (क) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-ज) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु उपनियम (1-क), (1-छ) एवं (1-ज) में उल्लेखित शासकीय शिक्षक से भिन्न, प्रत्येक शासकीय शिक्षक जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय शिक्षक" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा

शासकीय शिक्षक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति उन भर्ती नियमों के अनुसार, जो कि ऐसी नियुक्ति को लागू होते हों, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पॉलीटेक्निक महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 की अनुसूची-दो के अधीन वर्णित ग्रंथपाल या व्यायाम शिक्षक या प्रोग्रामर या सहायक कर्मशाला अधीक्षक या वीडियोग्राफर या सिस्टम एनालिस्ट-श्रेणी-तीन या केमरामेन या कलाकार (आर्टिस्ट) या सहायक शल्य चिकित्सक के पद से भिन्न किसी पद पर, किसी शासकीय शिक्षण संस्था में अध्यापन के प्रयोजन के लिए की गई हो, जिसके पास न केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा उस पद के लिए विहित समस्त अर्हताएं हों जो कि वह धारण कर रहा हो अपितु वह कक्षा में अध्यापन कार्य से भी जुड़ा हो और उसमें ऐसा शिक्षक भी सम्मिलित होगा जो पदोन्नति द्वारा अथवा अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जो कम से कम बीस वर्ष तक अध्यापन कार्य में लगा रहा हो बशर्ते कि वह संबंधित शासकीय शिक्षण संस्था में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(ख) खण्ड (क) के उपबंध दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

(1- ज) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपनियम (1-ड) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न प्रत्येक शासकीय नर्स, उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगी :

परन्तु उपनियम (1-ड) में वर्णित शासकीय नर्स से भिन्न कोई शासकीय नर्स, जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगी ।

स्पष्टीकरण- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, "शासकीय नर्स" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में वर्णित पद पर नर्सिंग कालेज, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं) तृतीय श्रेणी नर्सिंग सेवा भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची-एक के अधीन परिचर्या के प्रयोजन के लिए उन भर्ती नियमों के अनुसार की गई हो, जो ऐसी नियुक्ति को लागू होते हैं, बशर्ते कि वह चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किसी संस्था के किसी नर्सिंग पद पर धारणाधिकार रखता हो ।

(2) ¹[(क) किसी शासकीय सेवक को उसकी 20 वर्ष की अहंकारी सेवा पूर्ण करने पर या उसकी 50 वर्ष की आयु पूरी हो चुकने के पश्चात्, जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाये, उसे लिखित सूचना देकर, लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा ।

(ख) ऐसी सूचना की कालावधि तीन मास की होगी :

परन्तु ऐसे शासकीय सेवक को तुरन्त सेवानिवृत्त किया जा सकेगा और इस प्रकार सेवानिवृत्त किये जाने पर वह शासकीय सेवक यथास्थिति, सूचना की कालावधि के लिए अपने वेतन तथा भत्तों को, या उतनी कालावधि के लिए, जितनी से कि ऐसी सूचना तीन मास से कम की होती है, अपने

वेतन एवं भत्ते को, जो कि उन्हीं दरों से आहरित किये जाएंगे, जिन पर कि वह अपनी सेवानिवृत्ति के ठीक पूर्व अपना वेतन तथा भत्ते प्राप्त कर रहा था, रकम के समतुल्य राशि का दावा करने का हकदार होगा

राज्य शासन अनुदेश

विषय- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश, 2007, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों तथा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की अधिवार्षिकी आयु में वृद्धि ।

राज्य शासन द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों, जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 62 वर्ष करने तथा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा अन्य शल्य चिकित्सक को छोड़कर) जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है, वृद्धि कर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु) संशोधन, अध्यादेश 2007 द्वारा मूल नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है । यह अध्यादेश मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 2 सन् 2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007 में प्रकाशित किया जा चुका है । मध्यप्रदेश शासकीय सेवक अधिवार्षिकी आयु संशोधन अध्यादेश, 2007 दिनांक 1 जनवरी, 2007 से प्रभावशील होगा । इस प्रकार माह जनवरी, 2007 में 62 अथवा 65 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले उक्त सेवाओं के सदस्यों को इस आदेश का लाभ मिलेगा ।

2. उक्त सेवाओं के ऐसे सदस्य जो सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति पर हैं, उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग क्र. एफ 8/1/2007/नियम/चार, दिनांक 25 जनवरी, 2007]

विषय- कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पा रहे शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के संबंध में स्पष्टीकरण ।

सन्दर्भ- 1 दिनांक 26-9-98 के म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र.इक्कीस-अ-(प्रा.) दिनांक 26-9-98.

2. दिनांक 28-5-98 के म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्र.इक्कीस-अ (आ) दिनांक 28-5-98.

विषयान्तर्गत संदर्भित अधिसूचनाओं द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु को क्रमशः 58 से बढ़कर 60 वर्ष तथा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाकर तदनुसार मूलभूत नियमों के नियम 56 में संशोधन किया गया है । कतिपय विभागों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि इन अधिसूचनाओं द्वारा जारी संशोधन कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय कर्मचारियों पर लागू होंगे अथवा नहीं?

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों को मूलभूत नियमों के ये प्रावधान यथावत् लागू होते हैं एवं तदनुरूप वर्तमान नियमित कर्मचारियों के समान ही तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष है ।

[वित्त विभाग क्र.140/2000/सी/चार, दिनांक 20-1-2000]

निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमनों की सेवानिवृत्ति आयु
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय
आदेश

क्र. एफ-23/89/ई.19

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई, 1989.

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमनों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की जाये ।

2. इस बाबत मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली में आवश्यक संशोधन जारी किया जा रहा है । फिलहाल किसी भी कार्यरत गैंगमनों को 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त न किया जाए ।

3. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि गैंगमनों को 10 दिन के स्थान पर 15 दिन का अर्जित अवकाश देय होगा ।

**मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय
आदेश**

भोपाल, दिनांक 19 मई, 2006/8 जून, 2006

क्रमांक एफ 27-6-2006/स्था. 19- राज्य शासन एतद् द्वारा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनों के लिए विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-23/89/स्था 19, दिनांक 20 जुलाई, 1989 के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाती है और कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले गैंगमेनो (लोक निर्माण विभाग के अधीन) की सेवानिवृत्ति आयु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 140/2000/सी/चार, दिनांक 20-1-2000 के अनुसार 62 वर्ष निर्धारित की जाती है ।

2. इस संबंध में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 7/14-12-2001 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

3. आदेश जारी किये जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति यू.ओ. क्रमांक आर. 1143/06/नियम /चार, दिनांक 8-06-2006 द्वारा प्राप्त की गई है ।

विषय- गैंगमेनों की सेवा निवृत्ति आयु निर्धारण के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27-6/2000/स्था/19, दिनांक 19-5-2006 एवं 8-6-2006.

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनों के सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 19-5-2006/8-6-2006 द्वारा निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि "लोक निर्माण विभाग में कार्यरत गैंगमेनो के लिए विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1-23/89/स्था/, 19, दिनांक 20 जुलाई, 1989 के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाती है और कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले गैंगमेनों (लोक निर्माण विभाग के अधीन) की सेवानिवृत्ति आयु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 140/2000/सी/चार, दिनांक 20-1-2000 के अनुसार 62 वर्ष निर्धारित की जाती है ।

1. उपरोक्त निर्देशों के परिप्रेक्ष्यों में स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 19-5-2006/8-6-2006 जारी होने के पूर्व मान. न्यायालयों द्वारा निराकृत गैंगमेनों के व्यक्तिगत प्रकरणों में सेवा में वापिस लिये जाने का कोई स्पष्ट आदेश पारित किया हो, तो ऐसे आदेशों का पालन करते हुए गैंगमेन को वापिस सेवा में लिया जाना चाहिए ।

2. जिन प्रकरणों में मान. न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर यह कहा गया है कि

याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्त करने की दिनांक से पुनः सेवा में लेने की दिनांक तक के वेतन का भुगतान भी किया जाये तो केवल ऐसे प्रकरणों में मान न्यायालय के आदेश का पालन करना आवश्यक होगा, जिनमें अपीलीय न्यायालय में वैधानिक कार्यवाही न की गई हो। अन्य प्रकरण में यदि शासन बाद में किसी व्यक्ति को पुनः सेवा में लेता है तो उन्हें "कार्य नहीं, वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर ही कार्य पर रखा जाना विधि संगत होगा। जो व्यक्ति कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन नहीं पाते हैं उनके प्रकरणों में न्यायालय द्वारा यदि वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया हो तभी ऐसे आदेश का पालन करना आवश्यक होगा, अन्यथा नहीं।

3. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने पर ही आदेशानुसार कार्यवाही करना उचित होगा।

4. इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27-6/2006/स्था/19, दिनांक 19-5-2006/8-6-2006 के पूर्व निराकृत किये गये प्रकरणों को पुनः खोला नहीं जाए और न ही इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जावे।

विषय- एक नवम्बर अथवा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों (प्राचार्यों से लेकर सहायक शिक्षक तक) को सत्रान्त तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकारों का प्रत्यायोजन।

राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्यापक वर्ग (जिसमें प्राचार्य से लेकर सहायक शिक्षक पद हैं) के एक नवम्बर, 2004 के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रतिवर्ष शिक्षा सत्र के अंत तक अर्थात् 30 अप्रैल, 2005 तक पुनर्नियुक्ति देने के अधिकार निम्नानुसार प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

- | | | |
|---|---|---|
| 1. प्राचार्य/प्राध्यापक शिक्षा महाविद्यालय | - | राज्य शासन (प्रशासनिक विभाग) |
| 2. सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता, शिक्षा महाविद्यालय | - | आयुक्त/संचालक, रा. शे. अनु. एवं प्रशिक्षण परिषद |
| 3. प्राचार्य, उ. मा. वि. | - | आयुक्त, लोक शिक्षण |
| 4. व्याख्याता, उ. मा. वि. | - | आयुक्त, लोक शिक्षण |
| 5. प्रधानाध्यापक/शिक्षक | - | जिला शिक्षा अधिकारी |
| 6. सहायक शिक्षक | - | जिला शिक्षा अधिकारी |

2. ऐसे सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति के प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति उपरान्त उसके माध्यम से महालेखाकार को आदेश पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं रहेगी।

3. सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति के आदेश वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जारी किये जावें। इस संबंध में पुनर्नियुक्ति दिये जाने वाले अध्यापकों की गोपनीय चरित्रावली, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं सेवानिवृत्ति पश्चात् कार्य पर बने रहने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात् ही उनके सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति के आदेश प्रसारित किये जावे ?

4. पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति इन शर्तों पर दी जाया करे कि पुनर्नियुक्ति पर उन्हें प्राप्त वेतन में से पेंशन की राशि काटकर शेष बची राशि वह वेतन के रूप में प्राप्त होगी तथा पेंशन पृथक से देय होगी, परन्तु वेतन और पेंशन दोनों को मिलाकर पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न होगी। वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ई-4/4/नि-5/4, दिनांक 20-10-84 के अनुसार पेंशन पर देय राहत प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी।

5. उन्हें पेंशन तथा वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा।

6. किसी भी ओर से एक माह के नोटिस पर पुनर्नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 28/5/ पे.क.प्र/चार. दिनांक 11-1-2005 द्वारा सहमति प्राप्त होने के उपरान्त जारी किये जाते हैं।

[स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ.13-5/2004/बीस-1, दिनांक 13-1-2005]

विषय : - शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारियों/ग्रंथपालों की अधिवार्षिकी आयु।

राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत क्रीडाधिकारी/ग्रंथपाल की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 62 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार शासकीय क्रीडाधिकारियों/ग्रंथपालों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष की जाती है।

2. यह स्वीकृति/सहमति वित्त विभाग के क्र. आर-2010/08 नियम चार, दिनांक 8-12-2008 द्वारा प्रदान की गई है।

3. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील माना जायेगा।

[स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ/1-35/07/1-38, दिनांक 30-12-2008]

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2009

आदेश

क्रमांक एफ. 18/17/2009/17-मेडि 1 : राज्य शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नर्सिंग संवर्ग में कार्यरत शासकीय सेवक जिनकी वर्तमान में अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 65 वर्ष करने का मंत्रि परिषद बैठक दिनांक 23 अक्टूबर 2009 में निर्णय लिया गया। यह आदेश जारी होने के दिनांक अर्थात् 31 अक्टूबर, 2009 में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवकों को इस आदेश का पूर्ण लाभ मिलेगा।

2. ऐसे नर्सिंग संवर्ग के शासकीय सेवक सेवावृद्धि/पुनःनियुक्ति/संविदा सेवा के मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं ।

मू.नि. 57. निरस्त किया गया ।

भाग-4

अध्याय 10-अवकाश

मू.नि. 58 से मू.नि. 104. निकाल दिया गया है ।

अध्याय 11 - पदग्रहण काल

F.R. 105 to 108 – Omitted vide notification No. G-22/6/94/C/IV, dated 29th March, 1996. New sets of joining time rules reproduced here. Please see New joining Time Rules 1982

मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (पदग्रहण काल) नियम

1. संक्षिप्त नाम. प्रारम्भ तथा लागू होना.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (पदग्रहण काल) नियम, 1982** है !

(2) ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे और उस तारीख को/या उसके पश्चात् होने वाले स्थानान्तरणों को लागू होंगे ।

(3) ये नियम सरकार के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त किये गये समस्त शासकीय सेवकों को लागू होंगे, किन्तु निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे -

- (क) ऐसे शासकीय सेवक जो संविदा पर लगाए गये हैं और वे शासकीय सेवक जो सरकार के पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं,
- (ख) शासकीय सेवक जो कार्यभारित स्थापना, में नियोजित हैं,
- (ग) शासकीय सेवक जिन्हें आकस्मिकता से वेतन दिया जाता है ।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) “**पदग्रहण काल**” से अभिप्रेत है वह समय, जो किसी शासकीय सेवक को नया पदग्रहण करने या उस स्टेशन तक, जहाँ उसे तैनात किया गया है, यात्रा करने के लिये अनुज्ञात से है ।
- (ख) “**स्थानान्तरण**” से अभिप्रेत है किसी शासकीय सेवक का, या तो उसी स्टेशन के भीतर या किसी अन्य स्टेशन को, एक पद से दूसरे पद पर नये पद का कर्तव्य ग्रहण करने के लिये या उसका मुख्यालय परिवर्तित हो जाने के परिणामस्वरूप जाना ।

3. (1) जब किसी शासकीय सेवक का, जिसे ये नियम लागू होते हैं, किसी ऐसी अन्य सरकार या संगठन के, जिसने पदग्रहण काल की कालावधि विहित करने के लिए अपने अलग नियम बनाए हैं, नियंत्रण के अधीन स्थानान्तरण होता है तो उस सरकार संगठन के अधीन अपना पदग्रहण करने

के लिये की जाने वाली यात्रा और उससे वापसी यात्रा के लिए उसका पदग्रहण काल उन नियमों द्वारा विनियमित होगा, जब तक कि प्रतिनियुक्ति/अन्यत्र सेवा के निबंधनों में, उधार लेने और देने वाले प्राधिकारियों के बीच पारस्परिक करार द्वारा अभिव्यक्त रूप से भिन्न उपबंध न कर दिए गए हों ।

(2) किसी अन्य सरकार या अन्य संगठन के ऐसे कर्मचारियों का, जिन्हें राज्य सरकार के अधीन सिविल सेवा तथा पदों पर प्रतिनियुक्ति या अन्यत्र सेवा के आधार पर नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार के अधीन सिविल सेवाओं तथा पदों पर पदग्रहण करने तथा उससे वापसी की यात्रा के लिए पदग्रहण काल इन नियमों के अनुसार ही विनियमित होगा, जब तक कि उनके अपने-अपने प्रतिनियुक्ति /अन्यत्र सेवा के निबंधनों में उधार देने तथा लेने वाले प्राधिकारियों के बीच परस्पर करार द्वारा अभिव्यक्त रूप से भिन्न उपबंध न कर दिये गये हो ।

4. पदग्रहण काल.- (1) किसी सरकारी सेवक को, लोकहित में हुए उसके स्थानान्तरण पर चाहे उसी स्टेशन पर या नये स्टेशन पर नया पदग्रहण करने में समर्थ बनाने के लिए पदग्रहण काल मंजूर किया जाएगा । 180 दिन से अनधिक कालावधि के लिए अस्थायी स्थानान्तरणों के मामले में कोई पदग्रहण काल अनुज्ञेय नहीं है । केवल वास्तविक यात्रा समय, जैसा दौरा यात्रा के मामलों में अनुज्ञेय है, अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(2) ऐसे शासकीय सेवक, जिन्हें राज्य सरकार के एक कार्यालय से स्थापना में कमी करने के कारण सेवामुक्त कर दिया गया है और राज्य सरकार के दूसरे कार्यालय में पुनर्नियुक्त किया गया है, पदग्रहण काल के हकदार तभी होंगे, जबकि नये पद पर नियुक्ति के आदेश, उन्हें उस समय प्राप्त हुए हों, जबकि वे पूर्ववर्ती पद पर कार्य कर रहे हो । यदि उन्हें पूर्व पद से सेवोन्मुक्त करने के पश्चात् नये पद पर नियुक्त किया जाता है तो विभाग प्रमुख द्वारा, व्यवधान की कालावधि को बिना वेतन के पदग्रहण काल में परिवर्तित किया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि व्यवधान की कालावधि 30 दिन से अधिक न हो तथा शासकीय सेवक ने उसकी सेवोन्मुक्ति की तारीख को कम से कम 3 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण कर ली हो ।

(3) राज्य सरकार के अधीन के पदों पर प्रतियोगी परीक्षा तथा/या साक्षात्कार, जो शासकीय सेवकों तथा अन्य लोगों के लिए खुला है, के परिणाम के आधार पर नियुक्ति के लिए, राज्य सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्र सरकार के तथा अन्य राज्य सरकारों के स्थायी अनन्तिम रूप से स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अधीन पदग्रहण काल के हकदार होंगे । किन्तु राज्य सरकार के ऐसे अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित लगातार सेवा पूर्ण नहीं की है, यद्यपि पदग्रहण काल के हकदार तो होंगे । किन्तु पदग्रहण काल के वेतन के हकदार नहीं होंगे ।

5. (1) पदग्रहण काल, कार्यभार पूर्वान्ह में सौंपे जाने की दशा में, पुराने पद का कार्यभार जोड़ने की तारीख से और कार्यभार अपरान्ह में सौंपे जाने की दशा में आगामी तारीख से प्रारम्भ होगा ।

(2) पदग्रहण काल की गणना समस्त मामलों में जिनमें ये मामले जिनमें कि किसी शासकीय सेवक को उसका स्थानान्तरण आदेश उसके पुराने मुख्यालय से भिन्न स्थान पर प्राप्त हो या वह

अपने पुराने पद का कार्यभार अपने पुराने मुख्यालय से भिन्न स्थान पर सौंपे या जिनमें किसी शासकीय सेवक का मुख्यालय, उस समय जब कि वह दौरे पर है, बदल कर दौरे के स्थान पर ही कर दिया गया हो या जिनमें उसके अस्थायी स्थानान्तरण को स्थायी स्थानान्तरण में परिवर्तित कर दिया गया है सम्मिलित है, पुराने मुख्यालय से की जायेगी ।

(3) किसी शासकीय सेवक को, एक ही स्टेशन के भीतर नया पदग्रहण करने के लिये या उस दशा में जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये निवास स्थान नहीं बदलना पड़ता है एक दिन से अधिक का पदग्रहण काल अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । इस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति एक ही स्टेशन से वह क्षेत्र अभिप्रेत होगा जो किसी नगरपालिका या नगर निगम, जिसमें उप नगरीय नगरपालिकाएँ, अधिसूचित क्षेत्र या छावनी जो नामित नगरपालिका के या इसी प्रकार के अन्य विकास के समीपस्थ हैं, की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(4) ऐसे मामलों में, जिनमें स्थानान्तरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को होता है और जिसमें निवास स्थान भी बदलना पड़ता है, शासकीय सेवक को पदग्रहण काल, पुराने मुख्यालय और नए मुख्यालय के बीच सीधे मार्ग की दूरी और यात्रा के सामान्य साधनों को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई अनुसूची में दर्शाए, गए अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा । जब पदग्रहण काल के बाद छुट्टी (छुट्टियाँ) पड़ती हैं तब सामान्य पदग्रहण काल के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी छुट्टी-छुट्टियों तक के लिए बढ़ा दिया गया है ।

पुराने मुख्यालय और नये मुख्यालय के बीच की दूरी	अनुज्ञेय पदग्रहण काल	अनुज्ञेय पदग्रहण काल जहाँ स्थानान्तरण में 200 किलोमीटर से अधिक की सड़क द्वारा लगातार यात्रा अनिवार्य हो
1000 कि. मी. या इससे कम	10 दिन	12 दिन
1000 कि. मी. से अधिक	12 दिन	15 दिन
2000 कि. मी. से अधिक	15 दिन	15 दिन
	उन मामलों में के सिवाय जहाँ वायु मार्ग से यात्रा की जाए जिसके लिए अधिक से अधिक 12 दिन होंगे	

टीप-दूरी से अभिप्रेत है वास्तविक दूरी न कि भारित मील दूरी जिसके लिए रेल द्वारा कतिपय घाट पहाड़ी खंडों में किराया लिया जाता है ।

(5) पदग्रहण काल में उपनियम (4) में उपदर्शित की गई सीमाओं से परे अधिक से अधिक तीस दिन तक की वृद्धि विभाग प्रमुख द्वारा ¹[और तीस दिन से परे वृद्धि प्रशासकीय विभाग] द्वारा मंजूर की जा सकेगी, जिसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त यह होगा कि पदग्रहण काल की कुल कालावधि, तैयारी के लिए लगभग आठ दिन तथा इसमें यात्रा में लगने वाला युक्तियुक्त समय और वे छुट्टियाँ, यदि कोई हों, जो वृद्धि किए गए पदग्रहण काल के ठीक बाद पड़ती हैं, जोड़कर आने वाली कालावधि के लगभग बराबर होनी चाहिए यात्रा के लिए समय की गणना करते समय वह समय छोड़ा जा सकता है जो हड़ताल या प्राकृतिक विपत्तियों के कारण परिवहन व्यवस्था में आई बाधाओं के

कारण अपरिहार्यतः व्यतीत हुआ हो ।

6. ¹[(1) जब कोई शासकीय सेवक पूरे पदग्रहण काल का लाभ उठाये बिना कोई नया पद ग्रहण कर लेता है कि-

- (क) उसे यह आदेशित किया गया है कि वह नये तैनाती के किसी स्थान पर नये पद का उस पूरे पदग्रहण काल का लाभ उठाये बिना, जिसके के लिए वह हकदार है, पदग्रहण कर ले, या
- (ख) वह पदग्रहण काल का पूरा लाभ उठाए बिना तैनाती के नये स्थान पर अकेला जाता है और अपना पद ग्रहण कर लेता है तथा बाद में अपने पारिवार को, परिवार के लिए यात्रा भत्ते का दावा करने की अनुज्ञेय कालावधि के भीतर लाता है, तब पदग्रहण काल के उतने दिनों को जो नियम 5 के उपनियम (4) के अधीन अनुज्ञेय है, उनमें से उतने दिन कम करके जिनका वस्तुतः लाभ उठा लिया गया है, 15 दिन अधिकतम के अधीन रहते हुए, उसके छुट्टी लेखा में अर्जित अवकाश के रूप में जमा किया जाएगा :

परन्तु लाभ न उठाये गए उस पदग्रहण काल को मिलाकर, जिसका कि उसे इस प्रकार जमा किया जाना अनुज्ञात किया गया है, उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश 240 दिनों से अधिक नहीं होगा ।]

(3) पदग्रहण काल को, दीर्घावकाश और/या किसी प्रकार के, या किसी भी अवधि के नियमित अवकाश, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, के साथ जोड़ा जा सकेगा ।

(3) यदि किसी शासकीय सेवक को, जो स्थानान्तरण यात्रा में हो उस स्थान से जो प्रारंभिक स्थानान्तरण आदेश में उपदर्शित हो, भिन्न स्थान को जाने के निर्देश दिये जायें, तो वह उस पदग्रहण काल का, जिसका लाभ उसने पुनरीक्षित आदेश प्राप्त होने की तारीख तक उठा लिया है, तथा पुनरीक्षित आदेश प्राप्त होने की तारीख के आगामी दिन से नवीन रूप से पूरे पदग्रहण काल का हकदार होगा । ऐसे मामलों में नवीन रूप में पदग्रहण काल की गणना उस स्थान से की जाएगी जहाँ पर कि उसे पुनरीक्षित आदेश प्राप्त हुआ है, मानो कि उसका स्थानान्तरण उसी स्थान से हुआ ।

7. पदग्रहण काल वेतन- किसी शासकीय सेवक को, जो पदग्रहण काल में है, उस कालावधि के दौरान कर्तव्य पर माना जाएगा और वह पदग्रहण काल का वेतन पाने का हकदार होगा जो उस वेतन के बराबर होगा जो वह अपना पुराना पद छोड़ने के पूर्व प्राप्त कर रहा था । वह पदग्रहण काल के अनुसार महंगाई भत्ता, यदि कोई हो, पाने का भी हकदार होगा । इसके अतिरिक्त वह प्रतिकरात्मक भत्ता, जैसे नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, मकान किराया भत्ता जो कि उसे पुराने स्टेशन पर देय थे जहाँ से कि उसका स्थानान्तरण हुआ था, पाने का भी हकदार होगा । उसे वाहन सत्ता या स्थायी यात्रा सत्ता अनुज्ञेय नहीं होगा ।

8. (विलोपित) वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक जी-5/1/96/सी/चार दिनांक 29-3-96 ।

9. **निर्वचन.-** यदि इन नियमों के निर्वचन के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, तो वह राज्य

शासन के वित्त विभाग को विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की जाएगी ।

10. निरसन.- इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, उन बातों के सिवाय जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व की गई थी या करने से छोड़ दी गई थी, एतदद्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

भाग 7

अध्याय 12- बाह्य सेवा

मू.नि. 109. इस अध्याय के नियम केवल उन शासकीय सेवकों को लागू होंगे जो इन नियमों के प्रभाव में आने के पश्चात् सेवा में स्थानान्तरित हुए हैं । इसके पहले स्थानान्तरित शासकीय सेवक उन नियमों के अधीन रहेंगे जो उनके स्थानान्तरण के समय प्रभावशील थे ।

भारत शासन आदेश 1. नियमों का विस्तार.- ये नियम जनवरी, 1922 के पश्चात् बाह्य सेवा में स्थानान्तरित सेवकों की बाह्य सेवा को नियंत्रित करते हैं । इसके पूर्व स्थानान्तरित शासकीय सेवक भी यदि मूल नियम 58 के अनुसार इच्छा व्यक्त करे तो इनके अधीन शासित हो सकते हैं । ऐसे मामलों में नवीन अवकाश नियमों के अन्तर्गत आने वाले शासकीय सेवकों के लिए भारत शासन द्वारा निम्नानुसार नियम निर्मित किए गए हैं -

- (i) अवकाश वेतन गणना के प्रयोजन हेतु बाह्य सेवा वेतन, वेतन माना जावेगा ।
- (ii) विशेष अवकाश के समय में अवकाश वेतन के अंश का भुगतान करने के लिए बाह्य नियोक्ता का भार औसत वेतन के किसी प्रथम चार माह तक के लिए निरन्तर रहेगा ।

[भारत शासन, वित्त विभाग संकल्प. क्र. 35 ईबी, दिनांक 18-1-1922]

भारत शासन आदेश 2. "बाह्य सेवा में उनका वेतन" का विस्तार- उपरोक्त आदेश क्र. ई.बी., दिनांक 18 जनवरी, 1922 का आशय यह नहीं है कि 1 जनवरी, 1922 के पश्चात् बाह्य सेवा में स्थानान्तरित अधिकारियों का अवकाश वेतन इसके पूर्व बाह्य सेवा में आये अधिकारियों से बेहतर न रहे । इसका यह आशय था कि मूल नियम 116 के प्रावधान इन दोनों वर्गों के अधिकारियों पर लागू होना चाहिए । संकल्प के खण्ड (i) का भावार्थ "बाह्य सेवा में उनका वेतन" इस प्रकार माना जाना चाहिए बाह्य सेवा में आहरित वेतन में से कम किया गया अंशदान का वह भाग जो भुगतान हुआ है ।"

उन अधिकारियों के मामलों में जो अवकाश वेतन अंशदान भुगतान करने से मुक्त हैं, का वेतन, बाह्य सेवा में अंशदान के बिना प्राप्त वास्तविक वेतन, जो उनको छूट के बिना दिया जाता है ।

[भारत शासन, वित्त विभाग पृष्ठांकन क्र. 1185-ईबी, दिनांक 28-9-1922]

भारत शासन आदेश 3. यह नियम (109), मूल अवधि जो 1-1-1922 के पूर्व प्रारंभ हुई है एवं इसके बाद समाप्त हुई है, को लागू किए गए हैं, जिसके लिए शासकीय सेवकों की सेवायें स्थानान्तरित की गई थीं। इसके बाद कोई वृद्धि नवीन स्थानान्तरण मानी जावेगी और मूल नियमों से शासित होगी। यह नियम जैसाकि भारत शासन के पत्र क्र. ईबी, दिनांक 27 जनवरी, 1922 द्वारा निर्धारित अंशदान की दरों के लिए लागू। 1-1-1922 के पश्चात् प्रारंभ वृद्धि के संबंध में जब तक नियोक्ता के अंशदान के दायित्व में संशोधन की विशेष सूचना न दी जाय तब तक ऐसी सेवा वृद्धि प्रभावशील नहीं होगी।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. 1391 सी.एस.आर दिनांक 17-8-1923]

मू.नि. 110. शासकीय सेवक को बाह्य सेवा में स्थानान्तरित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी.-

(क) शासकीय सेवक को उसकी इच्छा के बिना बाह्य सेवा में स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है :

परन्तु यह कि यह उपनियम ऐसे शासकीय सेवक को लागू नहीं होगा, जिसे शासन के स्वामित्व या शासन के नियंत्रणाधीन, जो पूर्णतः या अंशतः शासन के स्वामित्व या नियंत्रण में है, की किसी निकाय की सेवा में स्थानान्तरित किया जाए।

भारत से बाहर विदेश सेवा में स्थानान्तर गवर्नर-जनरल इन काउंसिल की स्वीकृति से किया जायेगा।

(ग) किन्हीं प्रतिबंधों के अधीन रहते, जोकि गवर्नर-जनरल इन काउंसिल भारतीय राज्य सरकार की सेवा के स्थानान्तर के मामले में सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा लगाये जावें, जिसके कि अधीन स्थानान्तरित सरकारी सेवक सेवा कर रहा है।

भारत शासन आदेश 1. (1) स्थानीय शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवक या सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के नियम 45 (2) के अधीन आने वाले शासकीय सेवकों को उपरोक्त मूल नियम 110 के खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रतिबंधों से मुक्त करने का भारत शासन ने निर्णय लिया है। तदनुसार प्रान्तीय शासन द्वारा उनके अधीनस्थ शासकीय सेवकों को गवर्नर-जनरल इन काउंसिल की बिना पूर्वानुमति के विदेश सेवा में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

(2) प्रान्तीय गवर्नर राज्य सचिव द्वारा 14-4-1942 को निर्मित नियमों के अधीन वैयक्तिक निर्णय ले सकता है कि वह प्रान्तीय शासन के अधीन कार्यरत शासकीय सेवकों को विदेश सेवा में स्थानान्तरित किया जाए तथा भारतीय राज्य शासन में उनके स्थानान्तर पर प्रतिबंध लगा सकता है। तथापि, अंग्रेजी राज्य के बाहर स्थानान्तर आदेशित करने के पूर्व विदेश सेवा के प्रकरण में भारत शासन से परामर्श करना आवश्यक है।

भारत शासन आदेश 2. भारतीय चिकित्सा अधिकारी को विदेश सेवा में स्थानान्तरित करने के

पूर्व भारत शासन से परामर्श किया जाना चाहिए ।

[भारत शासन (शिक्षा, स्वास्थ्य, भू-राजस्व) क्र. एफ-5/12/35/एच, दिनांक 18-4-1936]

महालेखा परीक्षक अनुदेश 1. नेपाल को विदेश सेवा के प्रयोजन हेतु भारत के बाहर समझा जाना चाहिए । यह निर्णय 23 फरवरी, 1927 से लागू ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश 2. मूल नियम -110 (ग) के प्रयोजनार्थ शासकीय सेवक के पेंशन का अंशदान शासन की ओर से वह स्थानीय शासन वसूल करने हेतु सक्षम है जिसने उस शासकीय सेवक को बाह्य सेवा में स्थानान्तरित किया है ।

स्थानीय शासन व्यवस्था 1. पक स्थानीय निकाय से दूसरे में स्थानान्तर- बाह्य सेवा में किसी शासकीय सेवक को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानान्तर करने पर वह उसका नवीन स्थानांतर समझा जाएगा तथा ऐसा प्रत्येक स्थानान्तर मूल नियम 110 के अधीन विनियमित होगा ।

स्थानीय शासन व्यवस्था 2. स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित डिस्पेंसरी में, सेन्ट्रल प्राविसेज, मेडिकल शासन तथा लोक स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्र. सी/315/8, दिनांक 8-5-1923 के पैरा 6 तथा 7 द्वारा विहित शर्तों के अधीन नियुक्त मेडिकल ऑफिसर्स को विदेश सेवा में समझा जाना चाहिए ।

स्थानीय शासन व्यवस्था 3. विलोपित (वित्त विभाग अधिसूचना क्र. 412/175/चार/नि-1, दिनांक 10-3-1960)

मू.नि. 111. बाह्य सेवा में स्थानान्तरण कब अनुज्ञेय.- बाह्य सेवा में स्थानान्तरण अनुज्ञेय नहीं होगा जब तक कि-

(क) स्थानान्तरण के पश्चात् शासकीय सेवक द्वारा किया जाने वाला कार्य लोक हेतु होना चाहिए, तथा

(ख) स्थानान्तरण के समय शासकीय सेवक ऐसा पद धारित करता हो जिसका भुगतान सामान्य राजस्व से होता है या वह किसी स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता है या ऐसे पद पर धारणाधिकार रखता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया गया होता ।

भारत शासन आदेश 1. निजी संस्थाओं में शासकीय सेवकों को उधार देना. - किसी निजी संस्थान में शासकीय सेवक को उधार देने के मामले में मूल नियम 111 (क) के सिद्धान्तों का परिपालन अत्यन्त कठोरता से किया जाना चाहिए तथा सामान्यतः ऐसे प्रकरणों में किसी विशेष आवश्यकता का विशिष्ट प्रकरण मानकर विचार किया जाना चाहिए ।

[भारत शासन, स्वास्थ्य विभाग क्र. एफ. 358 इस्टे. दिनांक 4-1-1930, जी.ए.डी. क्र. 172/84/4, दिनांक 25-1-1930]

भारत शासन आदेश 2. अस्थायी शासकीय सेवक.-उपरोक्त नियमों के अधीन विदेश सेवा में

किसी अस्थायी शासकीय सेवक का स्थानान्तरण अनुज्ञेय है ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 66-सी.एस.आर.ए. दिनांक 27-7-1934]

मू.नि. 112. अवकाश पर रहते बाह्य सेवा में स्थानान्तरण- अवकाश पर रहते हुए यदि किसी शासकीय सेवक की बाह्य सेवा में स्थानान्तरण किया गया है तो, ऐसे स्थानान्तरण के दिनांक से वह अवकाश पर नहीं होगा और अवकाश वेतन आहरण करना बंद कर देगा ।

राज्य सचिव आदेश- सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश पर रहते भारतीय राज्य में नियुक्ति स्वीकार करने वाले अधिकारियों पर विदेश सेवा नियम लागू होना-(1) राज्य सचिव ने निर्णय लिया है कि भारतीय राज्य के किसी अधिकारी के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश तथा विदेश सेवा को अंशदायी पेंशन के रूप की (जब दोनों को एक साथ अवकाश माना जाए) सेवा को विदेश सेवा प्रक्रिया की भावनाओं के अनुरूप नहीं समझा जायेगा । इसलिए उन्होंने निर्णय किया है कि भारत में अंशदायी पेंशन पर सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश को तब तक निजी स्थापना की सेवा समझना चाहिए जब तक विशेष परिस्थिति न हो कि उस अधिकारी बाबत वैसा वैकल्पिक औचित्य भारत शासन न समझे । बाद के ऐसे वैकल्पिक प्रकरण में वह अधिकारी अवकाश पर नहीं होना चाहिए, उसकी सेवा को पेंशन की गणना के लिए विदेश सेवा समझना चाहिए, संबंधित राज्य से अंशदान लेना चाहिए तथा अंशदायी पेंशन स्थगित रखना चाहिए ।

अधिकारी जो सामान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं- (2) उन अधिकारियों के मामलों में जो साधारण पेंशन पर सेवानिवृत्त होने को हैं, के बारे में राज्य सचिव ने निम्न निर्णय लिया है-

(क) सामान्य मामले में उदाहरणार्थ कि कोई अधिकारी जो अधिवार्षिकी आयु पर पहुँच गया है या पहुँचने को है) अधिकारी को, उसकी नियुक्ति पर ध्यान दिए बिना भारतीय रियासत में भारत शासन की अनुमति से, यदि उसने ऐसी नियुक्ति स्वीकार नहीं की होती तो, किसी भी प्रकार के अवकाश पर जाने की मंजूरी दी जाना चाहिए जो उसे देय है, तथा पेंशन अंशदान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए ।

(ख) आपवादिक मामलों में जो भारत शासन की दृष्टि में इस प्रकार न्यायसंगत प्रतीत हो कि अधिकारी पर जो अपनी सेवा में है नियुक्ति की स्वीकारोक्ति शर्त सहित होना चाहिए तथा सामान्य बाह्य सेवा पर रखा जाना चाहिए ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र.979-ई.बी. दिनांक 16-8-19 72]

(3) भारतीय रियासत से सेवानिवृत्ति पूर्व अवकाश की अवधि के दौरान वेतन के अतिरिक्त अवकाश वेतन आहरण करने की सुविधा भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को किसी प्रकार स्वीकृत नहीं की जाना चाहिए (1) जो अनुपातिक पेंशन पर सेवानिवृत्त हुए हैं, अथवा (2) जो अधिवार्षिकी आयु पर पहुँचने के पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, यदि वे ऐसा करने के पहले ऐसा अवकाश ले लेते हैं अथवा राज्य में रोजगार की व्यवस्था कर लेते हैं, तो ऐसे मामले में उन्हें चाहिए कि वे सेवानिवृत्त हो जाए अथवा बाह्य सेवा पर चले जाएं ।

[भारत शासन, स्वास्थ्य विभाग पत्र क्र. एफ.61-9-33-प, दिनांक 9-1-34]

स्थानीय शासन व्यवस्था-- उपरोक्त खण्ड (2) एवं (3) में निहित आदेश मध्यप्रदेश प्रान्तीय

तथा अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों पर भी लागू होते हैं ।

मू.नि. 113. बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक का धारणाधिकार.-(1) बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक, जिस श्रेणी या संवर्ग में मौलिक या स्थानापन्न रूप से स्थानान्तरण के ठीक पहले था, उसी श्रेणी या संवर्ग में बना रहेगा तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित किये अनुसार उसी संवर्ग में मूल नियम 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के उपबंधों के अध्याधीन मौलिक या स्थानापन्न, जैसा भी प्रकरण हो, पदोन्नति दी जावेगी । सक्षम प्राधिकारी पदोन्नति के प्रकरण, में उसके द्वारा बाह्य सेवा में किए गए कार्यों के प्रकार को भी ध्यान में रखेगा ।

(2) इस नियम की कोई भी बात अधीनस्थ सेवा के सदस्य को शासकीय सेवा में अन्य कोई पदोन्नति प्राप्त करने से नहीं रोकती है, यदि ऐसा निर्णय उस प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, जो, यदि वह शासकीय सेवा में रहता तो उसको पदोन्नति स्वीकृत करने के लिए सक्षम है ।

मू.नि. 114. तारीख जिससे बाह्य नियोजक की ओर से वेतन तथा भत्तों का भुगतान देय है.- शासकीय सेवा में पद त्याग करने की तारीख से शासकीय सेवक बाह्य सेवा में नियोक्ता से वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने का हकदार है । गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के प्रतिबंधों के अध्याधीन रहते हुए, वेतन की राशि, अनुज्ञेय पदग्रहण काल तथा ऐसे पदग्रहण काल का वेतन, बाह्य नियोजक से परामर्श करके स्थानान्तरित करने वाला प्राधिकारी तय करेगा ।

भारत शासन आदेश 1. बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक को रियायतें- भारतीय रियासत में बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक को स्थानीय शासन द्वारा जो पारिश्रमिक स्वीकार किया जा सकता है, उनको विनियमित करने वाले नियम हैं-

- (1) भारतीय रियासत से बाह्य सेवा में स्थानान्तरित शासकीय सेवक को प्राप्त होने वाला वेतन आदेश में स्पष्ट होना चाहिए । वेतन के अलावा कोई वेतन या अधिक मूल्य की कोई सुविधा उसे दी जाना है तो वह भी आदेश में स्पष्ट होना चाहिए । यदि आदेश में अतिरिक्त वेतन तथा रियायतें स्पष्ट नहीं हैं तो उन्हें प्राप्त करने की उसे कोई पात्रता नहीं होगी । अर्थात् यह समझा जाना चाहिए कि उन्हें प्राप्त करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है ।
- (2) बाह्य सेवा में स्थानान्तर का कोई आदेश वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना स्थानीय शासन द्वारा जारी नहीं करना चाहिए । वित्त विभाग अपने अधिकारों के अन्तर्गत किन्हीं भी प्रकरणों में अनुमति दी गई ऐसा माना जाने के लिए निश्चय व्यक्त कर सकता है ।
- (3) स्थानीय शासन को स्थानान्तरण की शर्तें तय करते समय निम्नलिखित दो सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए-
 - (क) शासकीय सेवक के लिए तय शर्तों में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी जावे जिससे कि भारतीय रियासत पर जिसने उसकी नियुक्ति की है, अनावश्यक बोझ बन जाए ।
 - (ख) शासकीय सेवा में जो प्राप्त हो रहा है, तय शर्तें उससे अधिक आकर्षक नहीं हों जिससे कि शासकीय सेवक को उससे अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हो जाए और बाह्य सेवा उसके लिए अधिक आकर्षक दिखने लगे ।
- (4) परन्तु उपरोक्त कंडिका (3) में उल्लेखित दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए बाह्य नियोजक द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित रियायतें स्थानीय शासन द्वारा मान्य की जा

सकती हैं । ऐसी रियायतें साधारणतः स्वीकृति नहीं करना चाहिए, परन्तु विशेष प्रकरण में केवल स्थानीय रीति-रिवाज तथा दरबार की इच्छा तथा स्थानीय शासन जिन परिस्थितियों में स्वीकृत करना उचित समझे तभी ये स्वीकृत की जा सकती हैं । इन रियायतों के मूल्यों को शासकीय सेवक को बाह्य सेवा में मिलने वाले वेतन दर के अनुपात में निर्धारित करना चाहिए-

(क) सामान्य नियमों के अधीन अवकाश वेतन तथा पेंशन के बारे में अंशदानों के भुगतान को नियमित करने वाली शर्तें ।

बाह्य सेवा में शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण करने वाले समस्त आदेशों में लेखा परीक्षा अधिकारी की पुष्टि की प्रत्याशा में तथा पूर्वापेक्षी समायोजन करने की शर्त के अधीन अनन्तिम दरें जिससे अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान वसूली योग्य होगा तथा उसके भुगतानों में विलंब की दशा में निर्धारित दर पर ब्याज शास्ति के रूप में वसूल होगा, निर्दिष्ट होना चाहिए तथा वह अंशदान उस दर पर शासन को उस माह की समाप्ति से 15 दिवस के अन्दर जिस पर वह आधारित है, संदत्त किया जाना चाहिए ।

(ख) स्थानीय शासन के सामान्य यात्रा भत्ता नियमों के अधीन अथवा दरबार के स्थानीय नियमों के अधीन यात्रा भत्ता तथा स्थायी यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता और अश्व भत्ते की मंजूरी ।

बाह्य सेवा में शासकीय सेवकों के स्थानान्तरण के समस्त आदेशों में यह अनुबंध शामिल होना चाहिए कि उसका दोनों ओर का यात्रा भत्ता जब वह बाह्य सेवा में स्थानान्तरण पर प्रस्थान करें तथा जब वह शासन के अधीन कर्तव्य पर वापिस हो, स्वीकृति पत्र में निहित शर्तों के मुताबिक बाह्य नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा । विशिष्ट शर्तें जो ऐसी यात्राओं के लिए लागू होंगी स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा बाह्य नियोक्ता के साथ परामर्श करके तथा अनुबंध सहित तय की जाना चाहिए ।

(ग) राज्य के तंबुओं, नावों का उपयोग तथा यात्रा पर परिवहन, बशर्ते कि यह देय यात्रा भत्ते की राशि में से तदनु रूप कटौती सहित हो ।

(घ) मुक्त रिहायशी वास की मंजूरी उन मामलों में जिसमें स्थानीय शासन इसे वांछनीय समझे, जोकि सुसज्जित हो सकता है, ऐसे मान से जैसा स्थानीय शासन को उचित प्रतीत पड़े :

बशर्ते कि निःशुल्क रिहायशी वास के बदले मकान किराया भत्ता गवर्नर-जनरल इन काउन्सिल की मंजूरी के बिना स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

(ङ) राज्य की मोटर गाड़ियां, लारियां तथा पशुओं का उपयोग ।

(च) (1) बाह्य नियोक्ता द्वारा राजपत्रित रैंक का चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं करा सकने

की स्थिति में जहाँ वह नियुक्त है के आस-पास जिले के सिविल सर्जन की सेवाओं का राजपत्रित अधिकारी हकदार होगा ।

(2) उत्कृष्ट सिविल सेवा का गैर एशियाई मूल का अधिकारी निःशुल्क मेडिकल, सर्जिकल तथा नर्सिंग की सभी सुविधायें प्राप्त करने का हकदार होगा । जैसाकि यदि वह मूल नियमों के परिशिष्ट 5 के नियम 114 पूरक नियम तथा बुक सक्क्यूलर- 1 (16) के पैरा 6-ए के अधीन शासन सेवा में रहता तो प्राप्त करता ।

(5) उपरोक्त कंडिका (4) में उल्लेखित किसी रियायत के अलावा गवर्नर-जनरल इन काउंसिल की मंजूरी की आवश्यकता होगी ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र.1360-ई.बी. दिनांक 10-2-1921]

भारत शासन आदेश 1-क. - भारत में अन्य नियोक्ताओं को शासकीय सेवक उधार देने के प्रकरणों में भी उपरोक्त शासन आदेश-1 में उल्लेखित आदेश लागू होंगे ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-1/27/आर-1/33, दिनांक 6-11-33]

भारत शासन आदेश 2. भारत में बाह्य सेवा में के शासकीय सेवकों को भारत के बाहर प्रतिनियुक्त करना- कोई अधिकारी जो भारत में बाह्य सेवा में किसी नियोक्ता के अधीन है, वह नियोक्ता उसे विदेश में प्रतिनियुक्ति पर भेजता है तो उस शासकीय सेवक को विदेश सेवा पर माने जाने के संबंध में विचाराधीन प्रश्न पर, भारत शासन ने निर्णित किया है कि भारत में बाह्य सेवा तथा विदेश सेवा दोनों प्रकरणों में महालेखा परीक्षक की अनुमति लेना चाहिए । भारत में नियोक्ता को यह सूचित करना चाहिए कि भारत में नियुक्ति अधिकारी को विदेश सेवा में भेजना विदेश सेवा में माना जावेगा, ताकि वह नियोक्ता उसके वेतन के प्रश्न पर पुनर्विचार कर सके ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र 1010/ई.बी. दिनांक 21-8-1922]

भारत शासन आदेश 3. बाह्य सेवा पर जाने वाले अधिकारियों को समुद्रपार स्टर्लिंग वेतन-
(1) बाह्य सेवा में स्थानान्तरित अधिकारी, यदि वह बाह्य सेवा में नहीं जाता तो प्रकृष्ट सेवा में वेतन पुनरीक्षण तथा सेवानिवृत्ति वेतन नियम, 1924 के अधीन सुविधायें प्राप्त करता । समुद्रपार स्टर्लिंग वेतन प्राप्त करने की सुविधा के प्रश्न पर निर्णीत किया है कि उसे उसकी तुलना में मिलने वाले वेतन की रूपयों में वृद्धि की जाये, यह विदेशी नियोक्ता के परामर्श से प्रत्येक प्रकरण में निर्णय लिया जाये । यदि ऐसे रूपयों में वृद्धि की जाने का प्रकरण हो तो विदेश सेवा में उसके स्थानान्तरण की तारीख से रूपयों में मूल्य की गणना विनिमय के निर्धारित पद पर की जाना चाहिए । आदेश की तारीख के पहले से विदेश सेवा में रहने वाले अधिकारी के लिए विनिमय की दर होगी जिस तारीख से उस अधिकारी का वेतन पुनरीक्षित होगा ।

(2) यदि विदेश सेवा में के उस अधिकारी का वेतन वैसा निर्धारित होता है जैसा कि वह शासन सेवा में प्राप्त करता या जैसा कि ऐसे वेतन का कुछ प्रतिशत जोड़कर प्राप्त करता तब विदेशी नियोक्त की पूर्वानुमति से विदेशी नियोक्ता को कहा जाना चाहिए कि उसे प्रमिमाह समुद्र पार स्टर्लिंग वेतन के समतुल्य विनिमय दर पर रूपयो में वेतन भुगतान करना चाहिए ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ-211/सी.एस.आर. दिनांक 6-7-1925]

टीप- उपरोक्त भारत शासन आदेश में "प्रचलित विनिमय दर" अभिव्यक्ति से आशयित है लेखा संहिता के अनुच्छेद 343 में परिभाषित प्रचलित दर ।

समुद्रपार बेतन स्टर्लिंग में भुगतान नहीं करने का निर्णय लेने का कारण यह था कि उससे लेखा रखने में यह कठिनाई होती कि हाई कमिश्नर के माध्यम से शासन स्टर्लिंग में भुगतान करता तथा विदेशी नियोक्ता से वसूल करता । यदि विदेशी नियोक्ता स्टर्लिंग में भुगतान हेतु अनुमति देता

हैं तो वैसी प्रक्रिया अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ऐसी दशा में स्टर्लिंग में भुगतान की गई धनराशि को अंशदान की गणना हेतु प्रचलित विनिमय दर पर रुपयों में परिवर्तित करना चाहिए ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश- बाह्य सेवा में ब्रिटिश सेवा से शासकीय सेवक की निवृत्ति. -बाह्य सेवा में उधार दिया गया कोई शासकीय सेवक जब बाह्य नियोक्ता की सेवा से सेवानिवृत्त हुए बिना ब्रिटिश सेवा से सेवानिवृत्त होता हो, तब लेखा अधिकारी उचित माध्यम से विदेशी नियोक्ता को एक विवरण भेजेगा जिसमें सेवानिवृत्ति की तारीख तथा ब्रिटिश शासन से ली जाने वाली पेंशन की राशि बताई जायेगी, जिससे कि बाह्य नियोक्ता यदि वर्तमान शर्तों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो उसे ऐसा करने का पर्याप्त अवसर मिल सके ।

मू.नि. 115 अवकाश तथा पेंशन अंशदान का भुगतान- (क) शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान उसकी पेंशन के लागत के अंशदान का भुगतान उसकी ओर से सामान्य राजस्व में किया जाना चाहिए ।

(ख) यदि बाह्य सेवा भारत में है, तो अवकाश वेतन की लागत के अंशदान का भी भुगतान होना

चाहिए ।

(ग) उक्त खण्ड (क) तथा (ख) में देय अंशदान, स्वयं शासकीय सेवक को अदा करना होगा, जब तक नियोजक उन्हें अदा करने की सहमति नहीं देता । वे बाह्य सेवा की अवधि में लिए गए अवकाश काल के लिए भुगतानयोग्य नहीं होंगे ।

(घ) नियम 123 (ख) के अन्तर्गत की गई विशेष व्यवस्था के अनुसार भारत के बाहर बाह्य सेवा के प्रकरण में अवकाश वेतन के लिए भी अंशदान किया जा सकता है । ऐसा अंशदान बाह्य नियोजक द्वारा अदा किया जाएगा ।

मू.नि. 116 अवकाश तथा पेंशन अंशदान की दरें-पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए भुगतानयोग्य अंशदान की दरें वह होगी, जैसाकि राज्यपाल, सामान्य आदेश द्वारा निर्धारित करे ।

अवकाश तथा पेंशन अंशदान की दरें राज्य शासन अनुदेश

विषय- शासकीय सेवकों को बाह्य सेवा में रहने के दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली ।

सन्दर्भ- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ.8/2/2004/नियम/चार, दिनांक 25 फरवरी, 2005.

वित्त विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2005 द्वारा शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा में रहने कई दौरान उनकी पेंशन और अवकाश वेतन की लागत अंशदान की वसूली की जाने की व्यवस्था लागू करने के संबंध में मूलभूत नियम 115 एवं 116 में प्रावधान किया गया है । राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मूलभूत नियम 116 के अन्तर्गत पेंशन तथा अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार निर्धारित की जाए ।

2. शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में रहने के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के अधिकतम वेतन (मूलभूत नियम 9 (21) (a)(i) में परिभाषित वेतन) पर आधारित होगा ।

3. चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों जिन्हें प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता देय है, के मामलों में वेतन के अधिकतम तथा उस पर उपयुक्त अव्यवसायिक भत्ते को जोड़ा जाकर पेंशन अंशदान की गणना की जाए ।

4. यह आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2005 से प्रभावशील माना जाए ।

[म.प्र. शासन, वित्त विभाग ज्ञापन क्रमांक एफ.8/2/2004/नियम-चार, दिनांक 8-2-2006]

परिशिष्ट

अ- पेंशन के मासिक अंशदान की दर

सेवा के वर्ष	मासिक अंशदान की दर- शासकीय सेवक द्वारा बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाने के समय स्थायी/स्थानापन्न ग्रेड में धारित पद के अधिकतम मासिक वेतन के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त			
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
0-1 वर्ष	7%	6%	5%	4%
1-2	7%	6%	6%	4%
2-3	8%	7%	6%	5%
3-4	8%	7%	7%	5%
4-5	9%	8%	7%	5%
5-6	10%	8%	7%	6%
6-7	10%	9%	8%	6%
7-8	11%	9%	8%	6%
8-9	11%	10%	9%	7%
9-10	12%	10%	9%	7%
10-11	12%	11%	10%	7%
11-12	13%	11%	10%	8%
12-13	14%	12%	10%	8%
13-14	14%	12%	11%	8%
14-15	15%	13%	11%	9%
15-16	15%	13%	12%	9%
16-17	16%	14%	12%	9%
17-18	16%	14%	13%	10%
18-19	17%	15%	13%	10%
19-20	17%	15%	13%	10%
20-21	18%	16%	14%	11%
21-22	19%	16%	14%	11%
22-23	19%	17%	15%	11%
23-24	20%	17%	15%	12%
24-25	20%	17%	16%	12%
25-26	21%	18%	16%	12%
26-27	21%	18%	16%	13%
27-28	22%	19%	17%	13%
28-29	23%	19%	17%	13%
29-30	23%	20%	18%	13%
30 वर्ष से ऊपर	23%	20%	18%	14%

ब - अवकाश वेतन के मासिक अंशदान की दरें-

सभी श्रेणी के शासकीय सेवक -
11%

बाह्य सेवा में आहरित वेतन का

विषय- शासकीय सेवकों को बाह्य सेवाओं में रहने के दौरान उनकी पेंशन ओर अवकाश वेतन की वसूली ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 8/2/2004/नियम/चार, दिनांक 8-2-2006

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 8-2-2006 द्वारा शासकीय सेवकों के बाह्य सेवा नियुक्ति की अवधि हेतु मूलभूत नियम 116 के अंतर्गत पेंशन तथा अवकाश के लिये अंशदान की दरें निर्धारित की गई हैं । मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2009 जो कि दिनांक 1-1-2006 से लागू किये गये हैं, में वेतनमानों को समूहीकृत कर वेतन बैंड की संरचना की गई है । इनमें पदों में विभेद की दृष्टि से एक ही वेतन बैंड में पूर्व पुनरीक्षित वेतनमानों के पदानुरूप ग्रेड-पे निर्धारित की गई है । बैंड वेतन की संरचना के फलस्वरूप बाह्य सेवा में नियुक्ति के दौरान देय मासिक पेंशन अंशदान की गणना किस प्रकार की जावे यह विषय शासन के समक्ष विचाराधीन था ।

2. राज्य शासन ने पूर्ण विचारोपरांत निर्णय लिया है कि छठवें वेतनमान के लागू होने के दिनांक 1-1-2006 के पश्चात् पेंशन अंशदान की गणना शासकीय सेवक के बाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंड में प्रान्त वेतन तथा ग्रेड पे के योग) के 20 प्रतिशत की दर से की जावेगी । चिकित्सा अधिकारियों/चिकित्सा शिक्षकों जिन्हें प्रायवेट प्रेक्टिस के बदले अव्यवसायिक भत्ता देय है, के मामले में पेंशन अंशदान की गणना बाह्य सेवा में जाते समय धारित पद में मूल वेतन (वेतन बैंड में प्राप्त वेतन + ग्रेड पे + अव्यवसायिक भत्ता के योग) के 20 प्रतिशत की दर से की जावेगी ।

3. अवकाश वेतन मासिक अंशदान की गणना सभी श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिये बाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंड में प्राप्त वेतन + ग्रेड पे के योग) के 11 प्रतिशत की दर से की जावेगी ।

4. दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् शासकीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से बाह्य सेवा में जाते समय संबंधित नियोक्ता से पेंशन अंशदान की राशि जमा नहीं करायी जावेगी । इन प्रकरणों में मात्र अवकाश वेतन मासिक अंशदान बाह्य सेवा में जाते समय धारित पद के मूल वेतन (वेतन बैंड में प्राप्त वेतन + ग्रेड पे के योग) के 11 प्रतिशत की दर से शासन को दिया जावेगा ।

[वित्त विभाग क्र. एफ-8-1/2011/नियम/चार, दिनांक 21-6-2011]

मू.नि. 117. पेंशन एवं अवकाश वेतन देने का शासन का दायित्व.- (क) नियम 116 के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन अंशदान इस प्रकार अभिकल्पित किया जाएगा जिससे पेंशन जो शासन की सेवा करके अर्जित करेगा यदि उसका स्थानान्तर बाह्य सेवा में नहीं किया जाता, शासकीय सेवक को सुरक्षा प्रदान कर सके ।

(ख) अवकाश वेतन के लिए अंशदान की दरों का इस प्रकार रूपांकन किया जाएगा कि शासकीय सेवक को अवकाश वेतन में तथा शर्तें जो उसे लागू होती हैं, के अधीन सुरक्षित किया जा सके। बाह्य अवकाश वेतन दर की संगणना में उन शासकीय सेवकों के मामले में जो अपना अंशदान स्वयं देते हैं, वेतन का ऐसा भाग जिसे अंशदान के रूप में अदा किया गया है, मूल नियम 9(21) के प्रयोजनार्थ बाह्य सेवा में आहरित किया गया वेतन, वेतन के समान गणना में लिया जाएगा।

स्थानीय शासन नियम 1. शासकीय सेवक द्वारा बाह्य सेवा के दौरान लिए गए अवकाश की अवधि के अवकाश वेतन दर की गणना में, सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अवकाश नियमों के अधीन बाह्य सेवा में उसके द्वारा आहरित वेतन से वेतन के ऐसे भाग को कम करके जैसा कि उसके द्वारा अंशदान के रूप में अदा किया गया है, सिविल सर्विस रेग्यूलेशन के अवकाश नियमों के प्रयोजनार्थ "वेतन" के समान गणना में लिया जाएगा।

स्थानीय शासन नियम 2. अवकाश वेतन अंशदानों के लिए निर्धारित दरें, शासकीय सेवक द्वारा साधारणतः अपनी पूरी सेवा अवधि के दौरान लिए गए पूर्ण तथा अर्ध औसत वेतन अवकाश के आधार पर गणित की गई हैं तथा किसी संपूरक भत्ते के लिए नहीं ली जाए, जोकि मूल नियम 9 (21) में जैसा परिभाषित है, अवकाश वेतन का एक हिस्सा बन जाए। बाह्य सेवा में अथवा उसके अंत में अवकाश की अवधि हेतु किसी संपूरक भत्ते के बारे में संपूर्ण व्यय इसलिए बाह्य नियोक्ता को वहन करना चाहिए। किसी विपरीत समझ को दूर करने हेतु इस आशय की एक शर्त बाह्य सेवा में स्थानान्तर की शर्तों में सम्मिलित की जाना चाहिए।

मू.नि. 118. निरस्त किया गया।

मू.नि. 119. अवकाश तथा पेंशन अंशदान में छूट तथा विलंब से देय अंशदान पर ब्याज-गवर्नर-जनरल इन काउंसिल के किन्हीं सामान्य आदेशों के अध्यक्षीन रहते हुए, स्थानीय शासन जो बाह्य सेवा में स्थानान्तरण मंजूर कर रहा है-

(क) किसी निर्दिष्ट मामले में अथवा किसी वर्ग के मामलों में देय अंशदान से छूट दे सकता है, और

(ख) विलम्ब से भुगतान किए गए अंशदान पर लगाया जाने वाला ब्याज, यदि कोई हो, की दर के निर्धारण सम्बन्धी नियम बना सकता है।

स्थानीय शासन नियम- सेन्ट्रल प्राविन्सेज शासन, मेडिकल तथा लोक स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्र. सी/315/VIII दिनांक 8-5-1923 की कंडिका 6 तथा 7 में उल्लेखित शर्तों पर डिस्पेंसरी में कार्य करने के लिए विदेश सेवा में स्थानान्तरित शासकीय मेडिकल अधिकारियों के प्रकरणों में पेंशन या अवकाश वेतन हेतु अंशदान की वसूली नहीं की जावेगी।

पू.नि. 1- प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के मामले में बाह्य नियोजक से पेंशन एवं अवकाश वेतन अंशदान वर्ष में एक बार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर या यदि प्रतिनियुक्ति वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पूर्व समाप्त हो रही हो तो बाह्य सेवा समाप्त होने पर वसूल की जाना चाहिए।

पू.नि. 2 - अंशदान की राशि तथा उस पर देय ब्याज, यदि कोई हो, देय होने के एक वर्ष के अन्दर जमा नहीं होता है, तो शासकीय सेवक के पेंशन तथा अवकाश वेतन का दावा राजसात माना जावेगा । ऐसे राजसात हुए दावे को पुनर्जीवित करने के लिए शासकीय सेवक पहले देय राशि जमा करे उसके बाद ही शासन को निवेदन करे ।

पू.नि. 3 - अपवादिक परिस्थितियों में शासन की मंजूरी के सिवाय, कालातीत अंशदानों पर ब्याज, माफ नहीं किया जाएगा ।

पू.नि. 120. अवकाश तथा पेंशन अंशदान की वापसी.- बाह्य सेवा में का शासकीय सेवक अंशदान रोकने तथा बाह्य सेवा में व्यतीत अवधि को शासकीय सेवा में कर्तव्य के समान जुड़वाने के अधिकार का चयन नहीं कर सकता है । उसकी ओर से अदा किया गया अंशदान, पेंशन अथवा पेंशन और अवकाश वेतन, जैसा सी प्रकरण हो, का उसके दावे को, सेवा के नियमों के अनुसार जिस सेवा का वह सदस्य है, बनाये रखता है । न तो वह और न ही बाह्य नियोक्ता अदा किये गये अंशदान की सम्पत्ति में कोई अधिकार रखता है, तथा वापसी का भी कोई दावा ग्राह्य नहीं किया जा सकता है ।

मू.नि. 121. बाह्य नियोक्ता से पेंशन अथवा ग्रेच्युटी स्वीकार्य नहीं.- स्थानीय शासन की मंजूरी के बिना, कोई भी शासकीय सेवक जो बाह्य सेवा में स्थानान्तरित किया गया है, बाह्य नियोक्ता से ऐसी सेवा हेतु कोई पेंशन अथवा ग्रेच्युटी स्वीकार नहीं कर सकता है ।

मू.नि. 122. भारत में बाह्य सेवा के दौरान अवकाश.- भारत में बाह्य सेवा में शासकीय सेवक, जिस सेवा का वह सदस्य है, उस सेवा को लागू नियमों के अनुसार के अन्यथा अवकाश मंजूर नहीं किया जा सकता है तथा शासन से तब तक अवकाश या अवकाश वेतन प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तक कि वास्तविक रूप से कर्तव्य को नहीं त्यागता है और अवकाश पर गमन नहीं करता है ।

मू.नि. 123. भारत से बाहर विदेश सेवा में गये शासकीय सेवक को अवकाश.- (क) भारत से बाहर विदेश सेवा में के शासकीय सेवक को उसके नियोक्ता ऐसी शर्त पर अवकाश मंजूर किया जा सकता है जैसी नियोक्ता विहित करे । किसी वैयक्तिक मामले में स्थानान्तर मंजूर करने वाला प्राधिकारी नियोक्ता की सलाह से शर्त विहित कर सकता है जिनके अनुसार नियोक्ता द्वारा अवकाश मंजूर किया जायेगा नियोक्ता द्वारा स्वीकृत अवकाश के बारे में अवकाश वेतन संदत्त किया जायेगा तथा अवकाश का विकलन शासकीय सेवक के अवकाश लेखा में नहीं लिखा जावेगा ।

(ख) विशेष परिस्थितियों में, प्राधिकारी जो भारत से बाहर बाह्य सेवा में स्थानान्तर मंजूर कर रहा है, विदेशी नियोक्ता के साथ व्यवस्था कर सकता है जिसके अनुसार शासकीय सेवक को शासकीय सेवक के समान उसे लागू नियमों के मुताबिक अवकाश मंजूर किया जा सके, यदि विदेशी नियोक्ता मूल नियम 116 में विहित दर पर अवकाश अंशदान सामान्य राजस्व में जमा करे ।

मू.नि. 124. बाह्य सेवा में शासकीय सेवक का वेतन जब वह शासकीय सेवा में स्थानापन्न

रूप से नियुक्त किया जाए.- बाह्य सेवा में रहते हुए जब किसी शासकीय सेवक को स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है, तो शासन की सेवा में जिस पद पर वह धारणाधिकार रखता है अथवा धारणाधिकार कायम रहता यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं हुआ होता, स्थानापन्न पद का वेतन प्राप्त करेगा। बाह्य सेवा में प्राप्त वेतन को उसके वेतन निर्धारण हेतु विचार में लिया जायेगा।

मू.नि. 125. बाह्य सेवा से वापसी की तारीख- जिस तारीख को शासन की सेवा में कार्यभार ग्रहण करता है, उस तारीख से शासकीय सेवक बाह्य सेवा से वापिस हुआ माना जायेगा, बशर्ते कि यदि वह अपने पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने के पहले ही बाह्य सेवा पूरी होने पर अवकाश ग्रहण करले तो उसकी वापसी ऐसी तारीख से मानी जावेगी जैसाकि स्थानीय शासन जिसकी स्थापना में वह है, तय करे।

मू.नि. 126. बाह्य सेवा से वापसी पर वेतन तथा भत्ते- जब शासकीय सेवक का बाह्य सेवा से शासन सेवा में प्रत्यावर्तन हो जाये, बाह्य नियोक्ता उसे वेतन देना बन्द कर देगा तथा प्रत्यावर्तन की तारीख से अंशदान जमा करना भी बन्द कर देगा।

मू.नि. 127. नियमित स्थापना जिसकी लागत का भुगतान शासन को किया जाना है- जब किसी नियमित स्थापना में वृद्धि इस शर्त पर की गई है कि उसका व्यय अथवा उसके व्यय का एक निश्चित भाग, उन व्यक्तियों से वसूला जायेगा जिनके लाभ के लिए अतिरिक्त स्थापना निर्मित की गई है, से वसूलियों निम्नलिखित नियम के अनुसार की जायेंगी -

- (क) वसूल की जाने वाली राशि स्वीकृत सेवा के सकल मूल्य अथवा सेवा के किसी भाग की होगी, जैसा भी मामला हो, तथा किसी माह के वास्तविक खर्च से कम ज्यादा नहीं होगी।
- (ख) सेवा के मूल्य में शामिल है अंशदान की ऐसी दरें जैसाकि मूल नियम 116 में उल्लेखित है तथा अंशदान की गणना स्थापना के सदस्यों के वेतन की स्वीकृत दरों पर की जावेगी।
- (ग) स्थानीय शासन वसूलियों की राशि को कम कर सकता है अथवा उन्हें समग्र रूप से छोड़ सकता है।

भारत शासन आदेश 1. पुनरीक्षित अंशदान की दरें लागू करने की प्रक्रिया-- मूल नियम 127 के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों में भारत शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ. 81/आर-1/24, दिनांक 11-2-1929 में विहित पेंशन तथा अवकाश वेतन पर अंशदान की दरों को पुनरीक्षित करने तथा मान्य करने हेतु भारत शासन द्वारा निम्नांकित प्रक्रिया विहित की गई है-

(1) पेंशन हेतु अंशदान- आई.सी.एस. सेवा के सदस्यों के प्रकरणों अंशदान वसूली की राशि भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 81/आर-1/24, दिनांक 11-2-1929 के परिशिष्ट के प्रथम परिशिष्ट के कालम 2 तथा 3 में उल्लेखित दरों का औसत होना चाहिए तथा अन्य प्रकृष्ट सेवा के सदस्यों हेतु कालम 4 तथा 5 में उल्लेखित दरों का औसत होना चाहिए। प्रान्तीय तथा अधीनस्थ सेवाओं के सदस्यों हेतु अंशदान के रूप में उस परिशिष्ट के द्वितीय परिशिष्ट के कालम 2 तथा 3

में बताये अनुसार औसत प्रतिशत के समतुल्य स्वीकृत पदों के कुल अधिकतम मासिक वेतन का अंश लिया जायेगा ।

(2) अवकाश वेतन हेतु अंशदान- प्रकृष्ट सेवा के सदस्यों का अंशदान निर्धारण हेतु वह दर होना चाहिए, जो विशेष तथा साधारण नियमों के अधीन आने वाले अधिकारियों के लिए विहित दरों का औसत हो । प्रान्तीय तथा अधीनस्थ सेवा के सदस्यों के अवकाश वेतन हेतु संदर्भित परिशिष्ट में स्वीकृत कुल पदों के प्रतिशतों का औसत या समय श्रेणी वेतन के प्रकरणों हेतु सभी संबंधित पदों 'के वेतनों में औसत के रूप में वसूल होने वाले अंशदान की दर होना चाहिए ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 1/11/आर-1/29, दिनांक 17-6-1929 तथा
क्र. एफ. 1/11 आर-1/29, दिनांक 4-9-1929]

भारत शासन आदेश 2. सी.एस.आर. के अन्तर्गत अंशदान पुनरीक्षण की प्रक्रिया- मूल नियम 127 या सविल सर्विस रेग्यूलेशन के अनुच्छेद 783 के अन्तर्गत नियमित स्थापना के अलावा स्थापना में पेंशन तथा अवकाश वेतन के अंशदान की प्रक्रिया निम्नानुसार होना चाहिए-

- (क) स्थापना में अतिरिक्त वृद्धि जो दिनांक 1-8-1913 की पहले की है, उस हेतु मूल सेवा नियमों के पाँचवे संस्करण के अनुसार अंशदान की दर होगी, चाहे उस व्यवस्था में सी एस आर 783 के अनुसार वृद्धि कर दी जाए ।
- (ख) स्थापना में अतिरिक्त वृद्धि दिनांक 1-8-1913 के बाद की गई है, उस हेतु मूल सेवा नियमों के पाँचवे संस्करण के अनुसार अंशदान की दर अनुच्छेद 769/770 द्वारा विनिमित्त होगी, चाहे कुछ परिवर्तन या वृद्धि बाद में हो जाए ।
- (ग) दिनांक 27-1-1922 को या पश्चात् दिनांक 28-2-1929 में वृद्धि हेतु भारत शासन, वित्त विभाग क्र. 64-ई.बी. दिनांक 27-1-1922, मूल नियम 116 के नीचे भारत शासन आदेश 2 तथा क्र. एफ. 81 सर.एस.आर./24, दिनांक 4-8-1924, मूल नियम 116 के नीचे भारत शासन आदेश 3 के अनुसार दरें होंगी । इसके पश्चात् भारत शासन वित्त विभाग क्र. एफ. 81/आर-1/24, दिनांक 11-3-1929 मूल नियम 116 के नीचे भारत शासन आदेश 6 के अनुसार या समय-समय पर संशोधित दरें लागू होंगी ।
- (घ) अन्य प्रकरणों में यदि वृद्धि स्थापना की स्वीकृति से होती है तो उसे नवीन स्वीकृति समझा जाना चाहिए ।

भारत शासन आदेश 3. प्रकृष्ट सिविल सेवा नियमों की अनुसूची IV तथा मूल नियम 127 में अतिरिक्त स्थापना के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के प्रकरणों में संबंधित पार्टी से उसके निःशुल्क पासेज यात्रा के संबंध में प्रतिमास रुपये 50/- अतिरिक्त अंशदान वसूल किया जाना चाहिए । यह अंशदान सम्पूर्ण सेवाकाल के लिए वसूल किया जाना चाहिए । केवल ऐसे प्रकरणों में अवकाश अवधि नहीं जोड़ना चाहिए जबकि-

- (क) अवकाश सेवानिवृत्ति पूर्व का हो,
- (ख) अवकाश समाप्ति पर शासकीय सेवक अन्य कार्य पर रखा जाता है तथा उस अतिरिक्त स्थापना में वापस नहीं होता है,
- (ग) अवकाश काल में रखा गया अन्य शासकीय सेवक पासेज यात्रा सुविधा का पात्र है तथा

इसलिए उसमें पासेज यात्रा को अंशदान वसूल किया जाता है ।

[भारत शासन, वित्त विभाग क्र. एफ. 1/16/आर-1/34, दिनांक 9-5-1934]

स्थानीय शासन नियम- सेन्ट्रल प्राविन्सेज पासेज यात्रा नियमों के अन्तर्गत आने वालों से मूल नियम 127 के अनुसार अतिरिक्त स्थापना के अधिकारियों के संबंध में प्रतिमास रुपये 30/- की दर से पासेज यात्रा अंशदान संबंधित पार्टी से वसूल किया जाना चाहिए । इसमें भारत शासन आदेश 3 में दी गई छूट को ध्यान में रख कर छूट देना चाहिए ।

महालेखा परीक्षक अनुदेश. -पेंशन तथा अवकाश वेतन हेतु अंशदान गणना के सिद्धान्त. - मूल नियम के वाक्य में अतिरिक्त से संबंधित वह अतिरिक्त मूल्य है जो बताया गया है । नियम का अभिप्राय यह है कि अतिरिक्त स्थापना स्वीकृति का व्यय वसूल किया जाना चाहिए । इसलिए खण्ड (ख) के अनुसार पेंशन तथा अवकाश वेतन पर अंशदान, उस अतिरिक्त स्थापना के नवीन या/तथा पुराने वेतन पर वसूल किया जाना चाहिए, फिर चाहे वह व्यक्ति नया हो या पुराना । अतिरिक्त स्थापना आगे चलकर बाद में पुराने या पुनरीक्षित वेतनमानों की स्थायी स्थापना में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी दशा में इस संभावना को महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष पेंशन तथा अवकाश वेतन के अंशदान की गणना के सिद्धान्तों में ध्यान रखना चाहिये । यदि ऐसी संभावना के आधार पर कि उस वर्ष पुराने व्यक्तियों द्वारा ही पद धारित किये रखे जायेंगे तो भले ही बाद में उस वर्ष नवीन नियुक्तियां हो जायें गणना का उस वर्ष वही सिद्धान्त होना चाहिए । यही सिद्धान्त नवीन नियुक्तियों के प्रकरणों में उलट होगा ।

राज्य शासन अनुदेश

(1) बान्य सेवा नियोजन में प्रतिनियुक्ति की निबंधन एवं शर्तें-

विषय- राज्य के शासकीय सेवकों की राज्य सरकार, विभिन्न उपक्रमों/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना ।

मध्यप्रदेश मूलभूत नियम जिल्द-दो के परिशिष्ट-दो के तहत राज्य के शासकीय सेवकों को बाह्य नियुक्ति पर भेजने की शक्तियां निम्नानुसार प्रत्यायोजित हैं

1. राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में - प्रशासकीय विभाग को
2. अन्य शासकीय सेवकों के मामलों में - विभागाध्यक्ष को

2. राज्य शासन के ज्ञापन क्रमांक 1165-सी.आर.-787-चार-नि-1, दिनांक 20 जून, 1962 ज्ञापन क्रमांक 273/848/79/नि-1/चार, दिनांक 27 फरवरी, 1979 को निरस्त करते हुए राज्य शासन बाह्य नियोजन में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के संबंध में सामान्य निबंधन और शर्तों का प्रारूप अंग्रेजी और हिन्दी में प्रसारित करता है ।

3. इन शर्तों को राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में प्रशासकीय विभाग द्वारा और अन्य शासकीय सेवकों के मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा औपचारिक आदेश से जारी किया जाएगा । शर्तों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश के साथ ही अथवा अलग से जारी किया जा सकता है ।

4. यह निर्देश अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे ।

5. किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के मामले में प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश अथवा प्रतिनियुक्ति पर भेजने की शर्तों से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग, महालेखाकार अथवा किसी कोषालय अधिकारी को भेजने की जरूरत नहीं है ।

[वित्त विभाग क्रमांक जी-25/25/95/सी/चार, दिनांक 31-7-1995]

प्ररूप

मध्यप्रदेश शासन

.....विभाग

वल्लभ भवन भोपाल

ज्ञापन

क्रमांक.....

भोपाल, दिनांक

प्रति

.....

विषय- (क) के बाह्य नियोजन में प्रतिनियुक्ति की निबंधन और शर्तें ।

संदर्भ-

राज्य शासन (क) को (ख)..... के अधीन (ग) पद पर नियुक्ति के लिए बाह्य सेवा पर स्थानान्तरण की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करता है: -

- (1) प्रतिनियुक्ति वर्तमान पद से कार्यमुक्ति की तारीख से शुरू होकरसाल के लिए होगी ।
- (2) अपनी बाह्य सेवा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक बाह्य नियोजक से वही वेतन पाने का हकदार होगा जो उसे स्थानान्तरण न होने की स्थिति में राज्य शासन के अधीन समय-समय पर देय हो ।
- (3) अपनी बाह्य सेवा के दौरान प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक बाह्य नियोजक से उस दर पर महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत प्राप्त करेगा जो राज्य शासन के नियमों के तहत समय समय पर देय होता है ।
- (4) बाह्य नियोजक द्वारा प्रतिनियुक्त

शासकीय सेवक और उसके परिवार के सदस्यों को कार्यभार करने तथा वही से वापसी के लिए की गई यात्राओं के लिए उस दर से यात्रा भत्ता दिया जावेगा जो शासन के नियमों के अन्तर्गत उसे देय हो । बाह्य नियोजक के कार्य के संबंध में की जाने वाली यात्राएं बाह्य नियोजक के नियमों द्वारा विनियमित होंगी ।

- (5) प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को बाह्य सेवा पर जाने और वहाँ से लौटने के समय कार्यभार ग्रहण करने की अवधि का वेतन बाह्य नियोजक द्वारा दिया जावेगा । कार्यभार सौंपने की अवधि और कार्यभार संभालने की अवधि के वेतन की गणना राज्य शासन के नियमों के अधीन की जावेगी ।
- (6) बाह्य सेवा अवधि के दौरान प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के अवकाश का विनियमन बाह्य नियोजक के अधीन होगा । उस नियोजक द्वारा स्वीकृत अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन भी दिया जावेगा और वह अवकाश शासकीय सेवक के अवकाश लेखे में विकलित नहीं किया जायेगा । बाह्य सेवा अवधि शासन के अधीन दिये जाने वाले अवकाश में सम्मिलित नहीं की जावेगी ।

[भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये शासकीय सेवकों के लिए]
अथवा

प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक उस अवकाश नियमों के अधीन रहेगा जो उसको उस सेवा पर लागू होते हों जिस सेवा का वह है । बाह्य सेवा के दौरान लिए गए अवकाश का वेतन बाह्य नियोजक द्वारा ही भुगतान किया जाएगा तथा बाह्य सेवा के दौरान या उसके अंत में अवकाश अवधियों के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति भत्ते का संपूर्ण व्यय उक्त नियोजक द्वारा वहन किया जायेगा ।

(अन्य के लिए)

- (7) बाह्य नियोजक प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को उनके अधीन सेवा के दौरान और/सेवा की समाप्ति पर किसी भी निर्योग्यता के कारण दिये गये निर्योग्यता अवकाश के संबंध में छुट्टी उपलब्धि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (8) प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को बाह्य नियोजक की किसी भी पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (9) प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को राज्य शासन अथवा बाह्य नियोजक के नियमों के अधीन चिकित्सा सुविधायें तथा चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का लाभ लेने का विकल्प होगा । किसी भी स्थिति में इस पर व्यय वहन बाह्य नियोजक द्वारा किया जावेगा ।
- (10) प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक की सेवा की अवधि शासन के अधीन पद का कार्यभार छोड़ने की तिथि से आरंभ होगी और शासन के अधीन पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करने की तारीख को समाप्त होगी ।
- (11) (अ) बाह्य नियोजक अपने स्वामित्व का मकान आवंटित करेगा अथवा लीज पर

लेकर आवास प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को उपलब्ध करायेगा । ऐसे भावनों को राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के मापदण्ड के अनुसार उपयुक्त श्रेणी

में वर्गीकृत किया जायेगा । प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक के वेतन से उसी दर से किराया काटा जावेगा जो शासन में उस श्रेणी के भवन के लिए मूलभूत नियम 45-ए में देय है ।

- (ब) यदि प्रतिनियुक्त स्थान पर प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक या उसके परिवार का आवास गृह हो और वह शासकीय आवास गृह अथवा बाह्य नियोजक द्वारा आवंटित/उपलब्ध कराये भवन में निवास करता हो तो उसके वेतन से मध्यप्रदेश शासन, गृह (सामान्य) विभाग के परिपत्र क्र. एफ./1/231/8/दो-ए (3), दिनांक 19-2-1980 के अनुसार किराया काटा जावेगा । अगर

प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक स्वयं के आवास गृह में रहता हो तो उसे राज्य शासन के नियमों के अनुसार किराये भत्ते की पात्रता होगी ।

- (12) यदि प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति अवधि में मृत्यु हो जाती है तो

प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2355/चार/नि- 2/72, दिनांक 14-11-72 की कंडिका 5 (एच) सहपठित क्रमांक एफ.बी. 5/22/80/नि-2/चार, दिनांक 8-7-83 एवं क्रमांक एफ.बी. 6/4/90/नि-2/8/चार, दिनांक 16-4-90 के अनुसार अनुग्रह अनुदान का भुगतान बाह्य नियोजक को करना होगा ।

- (13) बाह्य नियोजन की अवधि में राज्य शासन के नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को अवकाश यात्रा सुविधा की पात्रता होगी जिसका भुगतान बाह्य नियोजक द्वारा किया जावेगा ।

- (14) प्रतिनियुक्ति की अवधि में शासकीय सेवक को अवकाश के समर्पण व नगदीकरण की

पात्रता नहीं होगी ।

- (15) राज्य शासन के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक से प्रतिनियुक्ति अवधि

में सामान्य भविष्य निधि और फेमिली बेनीफिट फण्ड/ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित किश्त की राशि वसूल की जावेगी ।

- (16) प्रतिनियुक्ति की अवधि में बाह्य नियोजक द्वारा इन आदेशों में उल्लेखित वेतन भत्ते

तथा सुविधाओं के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक को बिना राज्य शासन की पूर्वानुमति के नहीं देगा ।

- (17) बाह्य नियोजक प्रतिनियुक्ति की निर्धारित अवधि के पूर्व प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक की

सेवायें राज्य शासन की सहमति के बिना वापस नहीं लौटायेगा । यदि प्रतिनियुक्त शासकीय सेवक की प्रतिनियुक्ति की निर्धारित समयावधि में वृद्धि आवश्यक हो तो बाह्य नियोजक उसको निर्धारित अवधि की समाप्ति के न्यूनतम एक माह पूर्व अपनी अनुशंसा अग्रेषित करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
सचिव

मध्यप्रदेश शासन..... विभाग

(3) प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त-

विषय- बाह्य सेवा अथवा एकम केडर पदों पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त ।

संदर्भ- सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ ए 10-18/88/49/एक, दिनांक 2-12-88

ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-94 एवं ज्ञापन क्रमांक सी/3-7/95/3/ एक, दिनांक 5 जून, 1995 ।

उपर्युक्त विषयक इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संदर्भित आदेशों को निरसित करते हुए निम्नानुसार एकजायी आदेश जारी किये जाते हैं-

(एक) जब किसी एक विभाग को किसी दूसरे विभाग से शासकीय सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेना हो तो उसे संबंधित विभाग से कम से कम तीन अधिकारियों के नामों का पैनल, मय गोपनीय प्रतिवेदन मूल्यांकन पत्रक तथा विभागीय जांच आदि की जानकारी के मंगाना चाहिए ।

(दो) संबंधित विभाग को चाहिए कि वह यदि अपने लोक सेवक की प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं

देने को सहमत तो उक्त जानकारी यथाशीघ्र संबंधित विभाग को उपलब्ध कराए ।

(तीन) उक्त पैनल के आधार पर उपयुक्त लोक सेवक के चयन उपरान्त चयनित लोक सेवक की सेवाएं कम से कम दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली जाना चाहिए ।

(चार) विभाग लोक सेवक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर देने के लिए सहमत हो तो ही सेवाएं लेने वाले विभाग की सहमति पश्चात् एवं पैनल चयन होने पर संबंधित लोक सेवक की सेवाएं सौंपने हेतु औपचारिक आदेश जारी करना चाहिए । आदेश में यह स्पष्ट टीप अंकित करना चाहिए कि सेवाएं लेने वाले विभाग पदस्थापना के औपचारिक आदेश शीघ्र जारी करें । पदस्थापना आदेश जारी होने के पश्चात् ही शासकीय सेवक को पैतृक विभाग द्वारा जारी कार्यमुक्त किया जाये ।

(पांच) यदि प्रतिनियुक्ति की अवधि के भीतर प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाना हो तो दोनों विभाग का आपसी परामर्श से प्रतिनियुक्ति समाप्त की जा सकेगी । परन्तु प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सेवा लेने वाले विभाग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए समय पूर्व सेवाएं वापस की जा सकेंगी ।

20 इसके पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-18/94/3/एक, दिनांक 12-12-1994 के निर्देश अनुसार 4 वर्ष से अधिक के लिये प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाए जाने संबंधी प्रकरणों को समन्वय में भेजने की आवश्यकता नहीं रहेगी । जिस विभाग में अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर है तथा जिस विभाग से सेवाएं ली गई हैं उन दोनों विभागों की सहमति होने पर विभाग स्तर पर ही निर्णय ले लिया जाए अब ऐसे मामले समन्वय में न भेजे जाकर इनका निराकरण उक्तानुसार सुनिश्चित किया जावे

3. प्रतिनियुक्ति के संबंध में उक्त मार्गदर्शीय सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये ।

4. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।

5. यह प्रतिनियुक्ति की नीति शासकीय विभागों के अलावा निगमों/मंडलों/प्राधिकरणों या अन्य स्वायत्त संस्थाओं के लिये भी लागू होगी ।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्र. सी/3-14/06/3/1, दिनांक 29-2-2008]

(3) प्रतिनियुक्ति अवधि में सेवा अभिलेखों का संधारण-

(1)

विषय- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखने एवं उनके स्वत्वों के निर्धारण करने के संबंध में ।

संदर्भ - इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ./3/9/78/नि-5/चार, दिनांक 22-7-76 ।

संदर्भित ज्ञापन के निर्देशानुसार राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखना एवं उनका वेतन आदि समस्त स्वत्वों के निर्धारण का कार्य उनके मूल विभाग द्वारा किया जावेगा । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखने एवं उनका वेतन, अवकाश वेतन आदि स्वत्वों का निर्धारण उस बाबत स्वीकृति देने का कार्य किस विभाग द्वारा किया जावेगा? क्या राजपत्रित अधिकारी के मूल विभाग द्वारा जिस विभाग में वह प्रतिनियुक्ति पर है?

इस संबंध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामले में राजपत्रित अधिकारी जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है उसी विभाग द्वारा उस अधिकारी का सेवा अभिलेख रखा जायेगा एवं उनका वेतन, अवकाश वेतन आदि समस्त स्वत्वों का निर्धारण करना एवं इस बाबत स्वीकृति देने का कार्य भी उसी विभाग द्वारा किया जायेगा । किन्तु यदि संबंधित शासकीय सेवक बाह्य सेवा (फारेन सर्विस) में प्रतिनियुक्ति पर हो तो यह कार्य उस शासकीय सेवक के मूल विभाग द्वारा किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्देश अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामले में लागू नहीं होंगे । इन अधिकारियों के मामले में इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 22-7-76 के पैरा (1) के निर्देशानुसार ही कार्यवाही की जायेगी । इन सेवाओं के अधिकारियों के स्वत्वों के प्राधिकार उक्त ज्ञापन में उल्लेखित प्रशासकीय विभागों द्वारा ही जारी होंगे ।

[वित्त विभाग क्र. ई-4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 28-2-1978]

(2)

विषय- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखने एवं उनके स्वत्वों के निर्धारण करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषय पर राज्य शासन द्वारा इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक ई 4/9/76/नि-5/चार,

दिनांक 28-2-78 की कंडिका 1 की अंतिम पंक्ति में अंकित वाक्य "किन्तु यदि संबंधित शासकीय सेवक बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हो तो यह कार्य उक्त शासकीय सेवक के मूल विभाग द्वारा किया जावेगा" को रद्द करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय सेवकों के मामले में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.ए. 1-17/73/लि-2, चार, दिनांक 24-1-1974 में निहित प्रक्रिया का पालन किया जावे ।

[वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक ई 4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 23-7-80]

(3)

विषय- प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखने एवं उनके स्वत्वों के निर्धारण करने के संबंध में ।

संदर्भ- इस विभाग का ज्ञापन क्रमांक ई-4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 28-2-78 ।

संदर्भित ज्ञापन के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के सेवा अभिलेख रखना तथा उनके वेतन एवं अन्य समस्त स्वत्वों के निराकरण का कार्य उनके मूल विभाग द्वारा किया जायेगा । इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्रित अधिकारी जो भारत शासन या अन्य किसी शासन की सेवा में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, उन अधिकारियों के सेवा अभिलेख का रख-रखाव तथा वेतन पर्चियां तथा अन्य भत्ते की स्वीकृति देने का कार्य किस विभाग द्वारा किया जावेगा?

इस संबंध में राज्य शासन द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि केन्द्रीय शासन तथा अन्य राज्य शासन में (अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों समेत) प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के सेवा अभिलेख संबंधित शासकों को भेज दिये जायें एवं जब वे अधिकारी प्रतिनियुक्ति से वापस आते हैं तब उनका सेवा अभिलेख वापस बुला लिया जावे एवं उसके बाद सेवा अभिलेखों को रखने का कार्य एवं उनके वेतन तथा समस्त स्वत्वों के निराकरण का कार्य मूल विभाग द्वारा किया जावेगा ।

[वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक ई 4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 24-7-80]

विषय- प्रतिनियुक्ति अवधि में अराजपत्रित कर्मचारियों का सेवा अभिलेखों का संधारण ।

उपरोक्त विषय पर वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन ई-4/9/76/नि-5/चार, दिनांक 28-2-1978 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत राजपत्रित अधिकारी जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हो, उसी विभाग द्वारा उस अधिकारी का सेवा अभिलेख रखा जावेगा एवं उनका वेतन अवकाश, अवकाश वेतन आदि समस्त स्वत्वों का निर्धारण करना एवं इस बाबत स्वीकृति देने का कार्य भी उसी विभाग द्वारा किया जावेगा, किन्तु यदि संबंधित शासकीय सेवक बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर हो तो यह कार्य संबंधित शासकीय सेवक के मूल विभाग द्वारा किया जावेगा ।

2. अराजपत्रित कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति होने पर उनके सेवा अभिलेख संधारण के संबंध में कोई निर्देश नहीं है । अतः इस संबंध में विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अराजपत्रित शासकीय सेवकों के संबंध में वही नीति अपनाई

जाये जोकि राजपत्रित शासकीय सेवकों के मामलों में ऊपर उल्लेखित जापन दिनांक 28-2-78 में निर्देशित है ।

[वित्त विभाग क्र.481/40/नि-5 चार, दिनांक 12-9-1989]

(4) वेतन निर्धारण-

विषय- उच्चतर कर्तव्य ओर उत्तरदायित्व के असंवर्गीय पदों पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण ।

वित्त विभाग के जापन क्रमांक डी-277/सी.आर./2662/72/नि-1/चार, दिनांक 4-3-75, एक प्रथम श्रेणी पद से कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व वाले दूसरे प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति/नियुक्ति होने की स्थिति में वेतन निर्धारण करने के निर्देश हैं । इन निर्देशों का आशय यह है कि किसी प्रथम श्रेणी शासकीय सेवक की पदोन्नति अथवा नियुक्ति किसी चयन प्रक्रिया के तहत उच्च प्रथम श्रेणी के पद पर होती है तो उसका वेतन निर्धारण उच्च पद पर उन्हें निम्न पद पर प्राप्त हो रहे मूल वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित होगा । केवल पदस्थापना के फलस्वरूप उच्च पद पर पदस्थ होने की स्थिति में इस जाप के निर्देश प्रभावशील नहीं हैं ।

2. किसी शासकीय सेवक की शासन के किसी एक विभाग से दूसरे विभाग के उच्च पद पर पदस्थापना होने पर वेतन निर्धारण करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं -

- (1) शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग के उच्च पद पर किये गये स्थानान्तरण को नियुक्ति न मानकर पदस्थापना माना जाएगा ।
- (2) उच्च पद पर उक्तानुसार पदस्थापना होने की स्थिति में संबंधित शासकीय सेवक का वेतन निर्धारण मूल नियम 22-डी अथवा 22 (ए) के अन्तर्गत न किया जाकर उसे निम्न पद पर प्राप्त हो रहा संवर्गीय वेतन ही प्राप्त होगा ।

3. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा एवं जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय हो चुका है, उन्हें आदेश जारी होने की तिथि से परिवर्तित करना होगा ।

[वित्त विभाग क्रमांक 262/1516/98/सी/चार, दिनांक 9-2-99]

(5) प्रतिनियुक्ति और संविलियन-

विषय- शासकीय सेवकों की प्रतिनियुक्ति और संविलियन ।

वित्त विभाग के जापन क्रमांक 49/3714/79 नि-1/चार/80, दिनांक 12 जनवरी, 1981 और क्रमांक 1869/98/सी/चार, दिनांक 8 अक्टूबर, 1998 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि क्या हो? इसके बारे में सामान्य प्रशासन विभाग ने मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं । इस बारे में या इससे संबंधित अन्य मामलों (जैसे दो प्रतिनियुक्तियों के बीच की न्यूनतम अवधि) में वित्त विभाग से परामर्श लेने की आवश्यकता

नहीं है ।

2. शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग के पद (उच्च पद सहित) पर प्रतिनियुक्ति की स्थिति में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 262/1516/98/सी/चार, दिनांक 9-2-99 के अनुसार होगा ।
3. अगर प्रतिनियुक्ति के दौरान कोई शासकीय सेवक दूसरे विभाग में संविलियन चाहे तो (यह भर्ती नियमों से संबंधित मामला होने के कारण) सामान्य प्रशासन विभाग के मार्गदर्शी सिद्धान्त लागू होंगे ।
4. बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति की शर्तें वित्त विभाग के आदेश क्रमांक जी-25/95/सी/चार, दिनांक 31 जुलाई 1995 (क्र. एफ. 11/19/2002/नियम/चार, दिनांक 27-11-2002 द्वारा संशोधित) के अनुसार होंगी ।
5. **बाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति-** कोई शासकीय सेवक यदि बाह्य नियोजक की सेवा में संविलियन चाहता है तो वह राज्य शासन की पूर्वानुमति से आवेदन कर सकता है । संविलियन के पहले शासकीय सेवा से त्यागपत्र का स्वीकृत होना या सेवानिवृत्त होना अनिवार्य होगा ।
6. जैसा कि पूर्व में निर्देश दिए गए थे, किसी भी शासकीय सेवक का प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश या प्रतिनियुक्ति की शर्तों से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि वित्त विभाग, महालेखाकार अथवा किसी कोषालय अधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं है ।

[वित्त विभाग क्रमांक एफ. 11/19/2002/नियम/चार, दिनांक 11-3-2003]

CHAPTER – XIII

SERVICE UNDER LOCAL FUNDS

F.R. 128 to 130. Omitted vide M.P.F.D. Notification No. G-22/06/94/C/IV. dated 29-3-96
